

C O N T E N T S

**Sixteenth Series, Vol. XXXIII, Fifteenth Session, 2018/1940 (Saka)
No. 13, Friday, August 3, 2018/Shravana 12, 1940 (Saka)**

| <u>S U B J E C T</u> | <u>P A G E S</u> |
|---|------------------|
| ORAL ANSWERS TO QUESTIONS | |
| * Starred Question Nos. 241 to 244 | 28-68 |
| WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS | |
| Starred Question Nos. 245 to 260 | 69-121 |
| Unstarred Question Nos. 2761 to 2990 | 122-595 |

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

| | |
|---|---------|
| PAPERS LAID ON THE TABLE | 597-621 |
| COMMITTEE ON PETITIONS | 622 |
| 47 th to 56 th Reports | |
| COMMITTEE ON ABSENCE OF MEMBERS FROM SITTINGS OF THE HOUSE | 623 |
| 12 th Report | |
| RAILWAY CONVENTION COMMITTEE | 623 |
| 24 th to 27 th Reports | |
| STANDING COMMITTEE ON AGRICULTURE | |
| (i) 54 th to 59 th Reports | 624 |
| (ii) Statement | 625 |
| STATEMENT CORRECTING REPLY TO UNSTARRED QUESTION NO. 574 DATED 20.07.2018 REGARDING BAN ON GUTKHA, TOBACCO PRODUCTS ALONGWITH REASONS FOR DELAY | 626 |
| STATEMENTS BY MINISTERS | 627-628 |
| (i)(a) Status of implementation of the Action Taken by the Government on the recommendations contained in the 93rd and 96th Reports of the Standing Committee on Health and Family Welfare on Demands for Grants (2016-17) (Demand No. 42) pertaining to the Department of Health and Family Welfare, Ministry of Health and Family Welfare | 627 |

- (i)(b)** Status of implementation of the Action Taken by the Government on the recommendations contained in the 94th and 97th Reports of the Committee on Health and Family Welfare on the Demands for Grants (2016-17) (Demand No. 43), pertaining to the Department of Health Research, Ministry of Health and Family Welfare

Shri Jagat Prakash Nadda

627

- (ii)** Status of implementation of the recommendations contained in the 47th Report of the Standing Committee on Finance on Demands for Grants (2017-18), pertaining to the Department of Revenue, Ministry of Finance

Shri Shiv Pratap Shukla

628

BUSINESS OF THE HOUSE

629-638

MOTION RE: APPOINTMENT OF MEMBER OF LOK SABHA TO JOINT COMMITTEE ON RIGHT TO FAIR COMPENSATION AND TRANSPARENCY IN LAND ACQUISITION, REHABILITATION AND RESETTLEMENT (AMENDMENT) SECOND BILL, 2015

639

SUBMISSIONS BY MEMBERS

640-658

- (i) Re: Reported detention of MPs from a particular party at Silchar airport

640-650

- (ii) Re: Alleged use of political power to suppress freedom of speech

655-658

| | |
|---|---------------------|
| STATUTORY RESOLUTION RE: DISAPPROVAL OF NATIONAL SPORTS UNIVERSITY ORDINANCE, 2018 AND NATIONAL SPORTS UNIVERSITY BILL, 2018 | 667-748, 750-787 |
| Shri Anurag Singh Thakur | 667-680 |
| Dr. Thokchom Meinya | 681-687 |
| Shri G. Hari | 688-693 |
| Shri A.P. Jithender Reddy | 693-701 |
| Shri Prasun Banerjee | 702-707 |
| Shri Kalikesh N. Singh Deo | 708-717 |
| Shri Shrirang Appa Barne | 718-720 |
| Shri M.B. Rajesh | 721-727 |
| Shri Dhananjay Mahadik | 728-732 |
| Shrimati Kothapalli Geetha | 733-736 |
| Shri Ram Mohan Naidu Kinjarapu | 737-740 |
| Shri Nand Kumar Singh Chauhan | 741-743 |
| Shri Dharam Vira Gandhi | 744-746 |
| Shri Jai Prakash Narayan Yadav | 747-748 |
| Shri Dushyant Chautala | 750-753 |
| Shri Vincent H. Pala | 754-755 |
| Shri Manoj Tiwari | 756-758 |
| Shri Thangso Baite | 759 |
| Shri Satya Pal Singh | 760 |
| Shri Virendra Singh | 761-764 |
| Col. Rajyavardhan Rathore (Retd.) | 765-774 |

| | |
|---|---------|
| Shri N.K. Premachandran | 775-787 |
| Resolution – withdrawn | 775 |
| Clauses 2 to 44 and 1 | 776-786 |
| Motion to Pass | 787 |
| SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES | |
| (PREVENTION OF ATROCITIES) AMENDMENT BILL, 2018 | 749 |
| PRIVATE MEMBER'S BILLS-Introduced | 788-926 |
| (i) Constitution (Amendment) Bill, 2018 <i>(Insertion of new article 371K)</i> | |
| by Shri Asaduddin Owaisi | 788 |
| (ii) Constitution (Amendment) Bill, 2018 <i>(Amendment of article 84, etc.)</i> | |
| by Shri Asaduddin Owaisi | 788 |
| (iii) Prevention of Deaths Due to Heat and Cold Waves Bill, 2018 | |
| by Dr. Ramesh Pokhriyal 'Nishank' | 789-790 |
| (iv) Women Welfare Bill, 2018 | |
| by Dr. Ramesh Pokhriyal 'Nishank' | 791 |
| (v) Self-Financing Professional Educational Institutions (Control and Regulation) Bill, 2018 | |
| by Dr. Ramesh Pokhriyal 'Nishank' | 792 |

- (vi) **Compulsory Furnishing of Bills for Goods and Services Bill, 2018**
by Dr. Ramesh Pokhriyal 'Nishank' 793
- (vii) **National Tourism (Sustainable Development and Promotion) Bill, 2018**
by Shri Anurag Singh Thakur 794
- (viii) **Data Privacy and Protection Bill, 2017**
by Dr. Shashi Tharoor 795
- (ix) **Death Penalty (Abolition) Bill, 2017**
by Dr. Shashi Tharoor 796
- (x) **Criminal Law (Amendment) Bill, 2017**
(Amendment of section 354D, etc.)
by Dr. Shashi Tharoor 796
- (xi) **Cinematograph (Amendment) Bill, 2018**
(Amendment of section 4, etc.)
by Dr. Shashi Tharoor 797
- (xii) **Archaeological and Natural Heritage Conservation Bill, 2017**
by Shrimati Kavitha Kalvakuntla 797-798

| | | |
|---------|--|---------|
| (xiii) | Drugs and Cosmetics (Amendment) Bill,2018 <i>(Insertion of new Chapter IIIA)</i> | 798 |
| | by Shrimati Kavitha Kalvakuntla | |
| (xiv) | Reservation in Posts and Services for Kapu Community of Andhra Pradesh Bill, 2018 | 799 |
| | by Shri Muthamsetti Srinivasa Rao (Avanthi) | |
| (xv) | Supreme Court and the High Courts (Use of Official Languages and Other Provisions) Bill, 2018 | 800 |
| | by Shri Ajay Misra Teni | |
| (xvi) | Wild Life (Protection) Amendment Bill, 2017 <i>(Insertion of new section 8A, etc.)</i> | 801 |
| | by Shri Kalikesh N. Singh Deo | |
| (xvii) | Protection of Children from Sexual Offences (Amendment) Bill, 2017 <i>(Amendment of section 2, etc.)</i> | 801-802 |
| | by Shri Kalikesh N. Singh Deo | |
| (xviii) | Rights of Persons with Disabilities (Amendment) Bill, 2017 <i>(Amendment of the Schedule)</i> | 802 |
| | by Shrimati Poonam Mahajan | |

- (xix) **Guardians and Wards (Amendment) Bill, 2017**
(Insertion of new section 18A)
- by Shrimati Poonam Mahajan 803
- (xx) **Right of Children to Free and Compulsory Education (Amendment) Bill, 2017**
(Amendment of section 21)
- by Shrimati Poonam Mahajan 804
- (xxi) **Protection of Children from Sexual Offences (Amendment) Bill, 2017**
(Insertion of new section 38A)
- by Shrimati Poonam Mahajan 805
- (xxii) **Skill (Training and Education) Bill, 2018**
- by Shrimati Supriya Sadanand Sule 806
- (xxiii) **Menstrual Hygiene Management (Awareness And Affordable Sanitary Napkin Distribution) Bill, 2018**
- by Shrimati Supriya Sadanand Sule 807
- (xxiv) **Anganwadi Workers (Empowerment and Welfare) Bill, 2018**
- by Shrimati Supriya Sadanand Sule 808-809
- (xxv) **Compulsory First-Aid Training in Schools Bill, 2018**
- by Shri Adhalrao Patil Shivajirao 810

- (xxvi) **Prevention of Cruelty to Animals
(Amendment) Bill, 2018
(Amendment of section 22)**

by Shri Adhalrao Patil Shivajirao 810-811
- (xxvii) **Maternity Benefit (Amendment) Bill, 2018
(Amendment of section 3, etc.)**

by Shri Adhalrao Patil Shivajirao 811
- (xxviii) **Compulsory Establishment of Medical
Centres in Schools Bill, 2018**

by Shri Adhalrao Patil Shivajirao 812
- (xxix) **Tribal Children and Lactating Women in
Jharkhand and Other States (Removal of
Hunger, Malnutrition and Prevention of
Starvation Deaths) Bill, 2017**
by Shri Nishikant Dubey 813
- (xxx) **Prevention of Crimes in the Name of Honour
and Tradition and Prohibition of Interference
with the Freedom of Matrimonial Alliances
Bill, 2017**

by Shri Nishikant Dubey 814
- (xxxi) **Constitution (Amendment) Bill, 2017
(Insertion of new article 21B)**

by Shri Nishikant Dubey 815

- (xxxii) **Right of Children to Free and Compulsory Education (Amendment) Bill, 2018 (Amendment of section 2, etc.)**
by Shri Nishikant Dubey 816
- (xxxiii) **Indian Diaspora and Education Infrastructure (Brain Drain Cess) Bill, 2017**
by Shri Rabindra Kumar Jena 817
- (xxxiv) **Representation of the People (Amendment) Bill, 2017 (Amendment of section 2, etc.)**
by Shri Rabindra Kumar Jena 818
- (xxxv) **High Court of Orissa (Establishment of a Permanent Bench at Balasore) Bill, 2017**
by Shri Rabindra Kumar Jena 818-819
- (xxxvi) **Constitution (Amendment) Bill, 2017 (Amendment of article 123, etc.)**
by Shri Rabindra Kumar Jena 819
- (xxxvii) **Consumer Goods Price Fixation Board Bill, 2018**
by Shri Rajesh Ranjan 820
- (xxxviii) **Jute Growers (Remunerative Price and Welfare) Bill, 2017**
by Shri Rajesh Ranjan 821

| | | |
|----------------|---|----------------|
| (xxxix) | Inter-State River Water Authority Bill, 2017 | |
| | by Shri Rajesh Ranjan | 822 |
| (xl) | Constitution (Amendment) Bill, 2018 (Amendment of article 85) | |
| | by Shri Gaurav Gogoi | 823 |
| (xli) | Prohibition of Using Telecommunication System for Hoax Calls Bill, 2017 | |
| | by Shrimati Darshana Vikram Jardosh | 823-824 |
| (xlii) | Private Healthcare Sector (Regulation of Fees) Bill, 2017 | |
| | by Shrimati Darshana Vikram Jardosh | 824-825 |
| (xliii) | High Court of Gujarat (Establishment of a Permanent Bench at Surat) Bill, 2018 | |
| | by Shrimati Darshana Vikram Jardosh | 825 |
| (xliv) | Immoral Traffic (Prevention) Amendment Bill, 2018 (Amendment of section 2, etc.) | |
| | by Shrimati Darshana Vikram Jardosh | 826 |
| (xlv) | Constitution (Amendment) Bill, 2018 (Amendment of article 324) | |
| | by Shri Rajeev Satav | 826 |

| | | |
|-----------------|---|----------------|
| (xlvi) | Constitution (Amendment) Bill, 2018 (Amendment of article 148) | |
| | by Shri Rajeev Satav | 827 |
| (xlvii) | National Commission for Welfare of Farmers Bill, 2018 | |
| | by Shri Rajeev Satav | 827 |
| (xlviii) | National Agricultural Produce Price Fixation Tribunal Bill, 2018 | |
| | by Shri Rajeev Satav | 828 |
| (xlix) | Physiotherapy Central Council Bill, 2017 | |
| | by Dr. Kirit P. Solank | 829 |
| (I) | Mental Healthcare (Amendment) Bill, 2017 (Amendment of section 3, etc.) | |
| | by Dr. Kirit P. Solanki | 830 |
| (ii) | Wild Life (Protection) Amendment Bill, 2017 (Insertion of new Chapter IVD) | |
| | by Dr. Kirit P. Solanki | 830-831 |
| (iii) | Tuberculosis (Prevention and Control) Bill, 2017 | |
| | by Dr. Kirit P. Solank | 831 |

- (liii) **Right to Free and Compulsory Education for Children of Farmers Living in Drought Prone Areas Bill, 2018**
by Shri Chandrakant Khaire 832
- (liv) **Unlawful Activities (Prevention) Amendment Bill, 2018 (Insertion of new sections 23A to 23C)**
by Shri Chandrakant Khaire 833
- (lv) **Juvenile justice (Care and Protection of Children) Amendment Bill, 2018 (Insertion of new section 15A)**
by Shri Chandrakant Khaire 833-834
- (lvi) **Thalassemia Prevention Bill, 2018**
by Dr. Dharam Vira Gandhi 834
- (lvii) **Constitution (Amendment) Bill, 2018 (Amendment of Article 124)**
by Shri Gopal Shetty 835
- (lviii) **Special Marriage (Amendment) Bill, 2018 (Amendment of section 4)**
by Shri Gopal Shetty 835
- (lix) **Housing Facility for Destitute Senior Citizens, Widows and Orphan Children Bill, 2018**
by Shri Dhananjay Mahadik 836

| | | |
|----------------|--|----------------|
| (Ix) | Historical Heritage Conservation Bill, 2018 | |
| | by Shri Dhananjay Mahadik | 836-837 |
| (Ixi) | Compulsory Career Guidance Bill, 2017 | |
| | by Shri R. Dhruvanarayana | 837-838 |
| (Ixii) | National Poverty Alleviation Fund Bill, 2018 | |
| | by Dr. Boora Narsaiah Goud | 838 |
| (Ixiii) | Reservation of Vacancies in Posts and Services for Economically Backward Farmers Bill, 2018 | |
| | by Dr. Boora Narsaiah Goud | 839 |
| (Ixiv) | Representation of the People (Amendment) Bill, 2018 (Insertion of new section 29AA) | |
| | by Dr. Boora Narsaiah Goud | 839-840 |
| (Ixv) | Constitution (Amendment) Bill, 2017 (Amendment of article 124) | |
| | by Shrimati Meenakashi Lekhi | 840 |
| (Ixvi) | Constitution (Amendment) Bill, 2017 (Insertion of new article 324A) | |
| | by Shrimati Meenakashi Lekhi | 840-841 |
| (Ixvii) | Constitution (Amendment) Bill, 2017 (Amendment of article 124) | |
| | by Shrimati Meenakashi Lekhi | 841-842 |

| | | |
|------------------|---|----------------|
| (I xviii) | Constitution (Scheduled Castes) (Union Territories) Order (Amendment) Bill, 2018 (Amendment of the Schedule) | |
| | by Shrimati Meenakashi Lekhi | 842 |
| (I xix) | Payment of Compensation to Victims of Vermin Wild Animals and Crop Raid Bill, 2017 | |
| | by Adv. Joice George | 843 |
| (I xx) | National Green Tribunal (Amendment) Bill, 2017 (Amendment of section 5, etc.) | |
| | by Adv. Joice George | 843-844 |
| (I xxi) | River (Conservation and Elimination of Pollution) Bill, 2018 | |
| | by Shri Shrirang Appa Barne | 844 |
| (I xxii) | Medical Termination of Pregnancy (Amendment) Bill, 2018 (Amendment of section 3, etc.) | |
| | by Shri Shrirang Appa Barne | 845 |
| (I xxiii) | Solar Energy Promotion Bill, 2018 | |
| | by Shri Shrirang Appa Barne | 845-846 |
| (I xxiv) | Rural Labour Welfare Bill, 2018 | |
| | by Shri Shrirang Appa Barne | 846-847 |

| | | |
|------------------|--|----------------|
| (lxxv) | Constitution (Amendment) Bill, 2017 (Insertion of new article 21B) | |
| | by Shri Sushil Kumar Singh | 847 |
| (lxxvi) | Code of Criminal Procedure (Amendment) Bill, 2017(Amendment of section 451) | |
| | by Shri Sushil Kumar Singh | 848 |
| (lxxvii) | Fluoride Contamination (Prevention) Bill, 2017 | |
| | by Shri Ch. Malla Reddy | 848-849 |
| (lxxviii) | Bamboo, Cane, Screw Pine and Mat Weavers and Workers (Welfare) Bill, 2017 | |
| | by Dr. A. Sampath | 849-850 |
| (lxxix) | Reserve Bank of India (Amendment) Bill, 2017 (Amendment of section 2, etc.) | |
| | by Shri Konda Vishweshwar Reddy | 851 |
| (lxxx) | Rainwater (Harvesting and Storage) Bill, 2017 | |
| | by Dr. A. Sampath | 851-852 |
| (lxxxix) | Renewable Energy Resources Commission Bill, 2017 | |
| | by Shri Sunil Kumar Singh | 852 |

| | | |
|-------------------|--|----------------|
| (lxxxii) | Constitution (Amendment) Bill, 2017 (Amendment of article 19) | |
| | by Shri Konda Vishweshwar Reddy | 853 |
| (lxxxiii) | Companies (Amendment) Bill, 2018 (Amendment of section 134) | |
| | by Shri Om Birla | 853-854 |
| (lxxxiv) | Representation of the People (Amendment) Bill, 2017 (Insertion of new section 75B) | |
| | by Shri Ninong Ering | 855 |
| (lxxxv) | Press Council (Amendment) Bill, 2017 (Amendment of section 2, etc.) | |
| | by Shri Ninong Ering | 856 |
| (lxxxvi) | Right to Public Services Bill, 2017 | |
| | by Shri Ninong Ering | 856-857 |
| (lxxxvii) | Menstruation Benefits Bill, 2017 | |
| | by Shri Ninong Ering | 857 |
| (lxxxviii) | Clinical Establishments (Registration and Regulation) Amendment Bill, 2018 (Amendment of section 5, etc.) | |
| | by Shri Dushyant Chautala | 858 |
| (lxxxix) | Right to Information (Amendment) Bill, 2018 (Amendment of sections 4 and 18) | |
| | by Shri Dushyant Chautala | 859 |

| | | |
|----------------|---|----------------|
| (xc) | Extension of Central Government Health Scheme to Every District Headquarter Bill, 2018 | |
| | by Shri Mullappally Ramachandran | 860 |
| (xci) | Protection of Plants Bill, 2018 | |
| | by Shri Mullappally Ramachandran | 861 |
| (xcii) | Prevention of Begging Bill, 2018 | |
| | by Shri Sunil Kumar Singh | 862 |
| (xciii) | Women Farmers Entitlements Bill, 2018 | |
| | by Shri Sunil Kumar Singh | 862-863 |
| (xciv) | Constitution (Amendment) Bill, 2018 (Amendment of article 15, etc.) | |
| | by Shri Bhairon Prasad Mishra | 863 |
| (xcv) | Right of Children to Free and Compulsory Education (Amendment) Bill, 2018 (Amendment of section 2, etc.) | |
| | by Shri Bhairon Prasad Mishra | 864 |
| (xcvi) | Indian Penal Code (Amendment) Bill, 2018 (Amendment of section 141) | |
| | by Shri Bhairon Prasad Mishra | 864-865 |
| (xcvii) | Labour (Welfare and Rehabilitation) Bill,2018 | |
| | by Shri Bhairon Prasad Mishra | 865-866 |

- (xcviii) Promotion and Protection of Intangible Cultural Heritage Bill, 2018**
- by Kunwar Pushpendra Singh Chandel** 866-867
- (xcix) Special Infrastructure Development in Economically Backward Regions Bill, 2018**
- by Kunwar Pushpendra Singh Chandel** 867-868
- (c) Betel Growers (Remunerative Price and Welfare) Bill, 2018**
- by Kunwar Pushpendra Singh Chandel** 869
- (ci) Ancient Monuments Preservation (Amendment) Bill, 2018 (Insertion of new sections 20D and 20E)**
- by Shri Mullappally Ramachandran** 870
- (cii) Prevention of Food Adulteration (Amendment) Bill, 2018 (Amendment of section2, etc.)**
- by Shri Mullappally Ramachandran** 870-871
- (ciii) Central Sanskrit University Bill, 2018**
- by Kunwar Pushpendra Singh Chandel** 871-872
- (civ) Prevention of Bribery in Private Sector Bill, 2018**
- by Dr. Udit Raj** 872-873

- (cv) **Working Women (Basic facilities and Welfare) Bill, 2018**
by Dr. Udit Raj 873-874
- (cvi) **Special Courts for Women Bill, 2018**
by Dr. Udit Raj 874-875
- (cvii) **National Agriculture and Farmers Commission Bill, 2018**
by Shri Rodmal Nagar 875
- (cviii) **Divorcee Women Welfare Bill, 2018**
by Dr. Udit Raj 876
- (cix) **Prevention of Torture Bill, 2018**
by Shri Om Prakash Yadav 877
- (cx) **Prevention of Enforced Disappearance Bill, 2018**
by Shri Om Prakash Yadav 878
- (cxi) **Educational Innovations Commission Bill, 2018**
by Shri Om Prakash Yadav 879
- (cxii) **Victims of Terrorism (Provision of Compensation and Welfare Measures) Bill, 2018**
by Shri Ramesh Bidhuri 880

- (cxiii) Abolition of Child Labour Bill, 2018**
by Shri Ramesh Bidhuri 880-881
- (cxiv) Provision of Health Card (For Persons Living Below Poverty Line) Bill, 2018**
by Dr. Shrikant Eknath Shinde 881-882
- (cxv) Maintenance of Food, Potable Water and Fodder Supplies in Drought Affected Areas, Bill, 2018**
by Dr. Shrikant Eknath Shinde 882-883
- (cxvi) Ocean Thermal Energy Conversion Bill, 2018**
by Dr. Shrikant Eknath Shinde 883-884
- (cxvii) Code of Criminal Procedure (Amendment) Bill, 2018 (Amendment of the First Schedule)**
by Shri Rajendra Agrawal 884
- (cxviii) Constitution (Amendment) Bill, 2018 (Amendment of article 75, etc.)**
by Shri Rajendra Agrawal 885
- (cxix) Compulsory Teaching of Environmental Education in Educational Institutions Bill, 2018**
by Shri Rajendra Agrawal 885-886

| | | |
|-----------------|--|----------------|
| (cxx) | Child Welfare Bill, 2018 | |
| | by Shri Jugal Kishore | 886 |
| (cxxi) | Constitution (Amendment) Bill, 2018 (Amendment of the Eighth Schedule) | |
| | by Shri Sushil Kumar Singh | 887 |
| (cxxii) | Farmers' Freedom from Indebtedness Bill, 2018 | |
| | by Shri Raju Shetty | 888 |
| (cxxiii) | Farmers' Right to Guaranteed Remunerative Minimum Support Prices for Agricultural Commodities Bill, 2018 | |
| | by Shri Raju Shetty | 889 |
| (cxxiv) | Population (Stabilization and Planning) Bill, 2018 | |
| | by Shri Sushil Kumar Singh | 890-891 |
| (cxxv) | Constitution (Amendment) Bill, 2018 (Amendment of the Seventh Schedule) | |
| | by Shri Tej Pratap Singh Yadav | 892 |
| (cxxvi) | Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens (Amendment) Bill, 2018 (Insertion of new Chapter VA) | |
| | by Shri Bhartruhari Mahtab | 892-893 |

**(cxxvii) National Council for Professional Social
Work Practitioners Bill, 2018**

by Prof. Richard Hay

893-894

**(cxxviii) Private Schools (Regulation of Fee) Bill,
2018**

by Dr. Boora Narsaiah Goud

917

**SIXTH SCHEDULE TO THE CONSTITUTION
(AMENDMENT) BILL, 2015**

Shri Sunil Kumar Singh

899-910

Shri Dushyant Chautala

911-916

Shri Jagdambika Pal

918-926

ANNEXURE – I

Member-wise Index to Starred Questions

953

Member-wise Index to Unstarred Questions

954-959

ANNEXURE – II

Ministry-wise Index to Starred Questions

960

Ministry-wise Index to Unstarred Questions

961

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shrimati Sumitra Mahajan

THE DEPUTY SPEAKER

Dr. M. Thambidurai

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shri Arjun Charan Sethi

Shri Hukmdeo Narayan Yadav

Shri Anandrao Adsul

Shri Pralhad Joshi

Dr. Ratna De (Nag)

Shri Ramen Deka

Shri Konakalla Narayana Rao

Shri K.H. Muniyappa

Dr. P. Venugopal

Shri Kalraj Mishra

SECRETARY GENERAL

Shrimati Snehlata Shrivastava

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Friday, August 3, 2018/Shravana 12, 1940 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[HON. SPEAKER *in the Chair*]

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Now, the Question Hour.

... (*Interruptions*)

PROF. SAUGATA ROY : Madam, I have given a Privilege Motion against the Home Secretary of Assam.... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: You can raise this issue after the Question Hour.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Now, Question 241 – Shri Ram Charitra Nishad ji.

... (*Interruptions*)

11 01hrs

At this stage, Shri Kalyan Banerjee and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

11 01 ½ hrs

At this stage, Shri Ram Mohan Naidu kinjarapu and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

HON. SPEAKER: Hon. Member, you please go back to your seat.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: I have told all of you that I will allow you.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: I know that. But, I will allow them after the Question Hour.

You can say anything. If the Government wants to say something, I have no

objection. But I cannot allow them now. It is after the Question Hour that I can allow them.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Please go back to your seats.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Why are you here? Please go back to your seats.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: I am requesting all of you to go back to your seats.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: No, this is not proper.

... (*Interruptions*)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: Madam, they are the people's representatives.... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: I know everything.

... (*Interruptions*)

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Hon. Speaker : Now, Q. No.241, Shri Ram Charitra Nishad.

(Q. 241)

श्री राम चरित्र निषाद : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया है। ... (व्यवधान) इसके साथ ही मैं यह कहना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री जी ने इसका विस्तार से जवाब दे दिया है। इसके लिए मैं उनको भी बधाई देता हूँ। ... (व्यवधान)

आज पूरे देश में वायु प्रदूषण से लगभग 30 लाख लोग शिकार होते हैं। ... (व्यवधान) बड़ी बीमारियाँ जैसे टी.वी., कैंसर और मलेरिया भी वायु प्रदूषण से होती हैं। मैं आपको बधाई देता हूँ कि इतने जरूरी सवाल पर आपने हमें सदन में बोलने का मौका दिया है। ... (व्यवधान) मंत्रालय द्वारा इस वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है। ... (व्यवधान)

HON. SPEAKER: Definitely, I will allow them. Please, do not do this. This is not proper.

Yes, hon. Member, you may continue.

... (Interruptions)

श्री राम चरित्र निषाद : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं दोबारा इस बात को कहना चाहता हूँ कि आपने इस सदन में गंभीर समस्या पर बोलने का मुझे मौका दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदया, आज वायु प्रदूषण ने पूरे देश में जितना बड़ा भयंकर रूप ले लिया है, इससे पूरे देश में लगभग 30 लाख लोग हर साल इसका शिकार होते हैं। ... (व्यवधान) टी.वी., कैंसर और मलेरिया जैसी गंभीर बीमारियाँ भी वायु प्रदूषण से होती हैं। अभी मंत्रालय ने इस वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। ... (व्यवधान) यह

समिति वायु प्रदूषण को सैटेलाइट द्वारा नियंत्रित करेगी ।...(व्यवधान) मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि वायु प्रदूषण से प्रभावित होने वाले लोगों के लिए सरकार इस सैटेलाइट के अलावा क्या कदम उठा रही है?

डॉ. हर्ष वर्धन : माननीय अध्यक्ष महोदया, पहले तो माननीय सदस्य ने जो कहा है, मुझे पता नहीं है कि इन्होंने 30 लाख का डेटा कहां से लिया है। ...(व्यवधान) इन्होंने जो कहा है कि भारत में 30 लाख लोगों की मृत्यु वायु प्रदूषण से हो रही है। इस संदर्भ में मैं उनको बताना चाहता हूँ कि डब्ल्यू.एच.ओ. ने वर्ष 2002 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। ...(व्यवधान) इस रिपोर्ट में उन्होंने पूरे विश्व के अंदर वायु प्रदूषण से मृत्यु का शिकार होने वाले लोगों की जो संख्या है, उसको .8 मिलियन यानी 8 लाख बताया है। उस 8 लाख के अंदर भी उन्होंने कहा कि 20 प्रतिशत मृत्यु साउथ ईस्ट एशिया रीजन के अंदर होती है। ...(व्यवधान) वर्ष 2002 से लेकर वर्ष 2018 तक भारत में वायु प्रदूषण के विषय की दृष्टि से इतने सारे इंटरवेंशंस हुए हैं, जैसे सी.एन.जी और एल.पी.जी. वगैरह इंट्रोड्यूस हुई हैं। हमारे व्हीकल्स के अंदर बीएस 4 के बजाए बीएस 6 नॉर्म्स इंट्रोड्यूस हुए हैं। ...(व्यवधान) नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स इंट्रोड्यूस हुआ है। नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी के लिए देश-भर में 700 से ज्यादा मॉनीटरिंग स्टेशंस के इतने सारे रूल्स बने हैं और इतने ज्यादा लैवल पर मॉनीटरिंग हो रही है।...(व्यवधान) आई.सी.एम.आर. ने भी एक स्टडी की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि वर्ष 1990 से लेकर वर्ष 2016 के बीच में लगातार धूल जनित प्रदूषण से होने वाली बीमारियों की संख्या इस आई.सी.एम.आर. की स्टडी के हिसाब से कम हो रही है। ...(व्यवधान) इनके बारे में इनकी कोई डिटेल्ड एनेलिसिस नहीं है, इसलिए हमारे मंत्रालय ने एक बहुत बड़ी स्टडी की है।

देश में 20 सिटीज के अंदर 20 हॉस्पिटल्स के हम देश के बड़े-बड़े विशेषज्ञों की सहायता से स्टडी करा रहे हैं, जिसकी एक हाई-प्रोफाइल कोर ग्रुप भी रिसर्च करने वाला है। ...(व्यवधान) इस स्टडी के लिए इस सरकार के अंदर एक स्टैंडर्ड पैरामीटर सारे देश के लिए तय होने वाला है। उस स्टडी के अनुसार हम अपना होम ग्रोन डाटा डेवलप करने वाले हैं। इसलिए यह जो इस प्रकार

की संवेदनशीलता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि एयर पॉल्यूशन स्वास्थ्य, लंग्स के लिए हानिकारक है। उसके ऊपर सब प्रकार से कंट्रोल होना चाहिए।... (व्यवधान) मैंने माननीय मंत्री जी को अपने जवाब में बताया है कि हमने भारत में माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में कितने सारे इंटरवेंशंस किये हैं। ... (व्यवधान) आप उत्तर के ए पार्ट को पढ़ें, जिसमें नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी के बारे में, फ्यूल और व्हीकल्स के संदर्भ में बताया गया है। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि हमने एयर क्वालिटी को जज करने के लिए जो डेज हैं, इनको गुड और नॉट गुड कैटेगरी में डिवाइड किया है।... (व्यवधान) पिछले साल 2017 के मुकाबले 2018 के अंदर गुड डेज की संख्या लगातार बढ़ रही हैं और जो नॉट-गुड डेज हैं, उनकी संख्या निरन्तर कम हो रही है। ... (व्यवधान) दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन होने का एक बड़ा कारण हमारे हरियाणा, पंजाब और यू.पी. के आसपास के जिलों में पराली बर्निंग के कारण समस्या थी। इसके लिए उच्चतम स्तर पर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में एक हाई प्रोफाइल कमेटी बनाकर मॉनीटरिंग की गई है। ... (व्यवधान) हमारे साइंस की टेक्नोलॉजी के सारे सैक्रेटरीज उसके अंदर इवॉल्व हुए और उसके लिए आबंटित किये गये लगभग 1200 करोड़ रुपये में से 500-600 करोड़ रुपये ऑलरेडी राज्य सरकारों को दिये जा चुके हैं।... (व्यवधान) इसके लिए इंफ्रामेंट्स आने वाले समय में किसानों को उपलब्ध कराया जा रहे हैं। किसानों की कॉर्पोरेटिव्स को 80 प्रतिशत सब्सिडी और इंडिविजुअल किसान को 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है। ... (व्यवधान) इन इंफ्रामेंट्स की सहायता से पराली को वहीं पर बर्न करके, उसके बाद उसे वहीं खेत के अंदर स्प्रेड करने का काम किया जा रहा है। उसी में दूसरे फॉर्म इंग्रेडिएंट की मदद से उसी के अंदर सीडिंग करने का काम किया जा रहा है। ... (व्यवधान)

मैंने यह इसलिए कहा है कि भारत सरकार वायु प्रदूषण के गंभीर विषय को बहुत ही हाइली प्रोफाइल और हाइली कॉम्प्रिहेंसिव योजना के तहत कंट्रोल कर रही है। इसके लिए ग्रेडिंग रिस्पांस एक्शन प्लान भी है। कहीं पर भी एयर क्वालिटी कम होती है तो उसके लिए डिटेल्ड गाइड लाइन्स हैं। ... (व्यवधान)

मैंने स्टडी के बारे में बताया है कि वह मेडिकल कॉलेजेज और उस शहर के स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स, सभी मिल कर स्टडी करेंगे। जब हमारा अपना डाटा होगा, हमें उस डाटा के गाइडेंस में और भी किसी प्रकार का इंटरवेंशन करना होगा तो हम करेंगे। मैं माननीय सदस्य को आश्चस्त करना चाहता हूं कि शायद भारत सरकार इस गंभीर विषय पर पिछले दशकों में कभी गंभीर नहीं रही। हम ने पिछले चार सालों में प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में हर दिशा में इसके लिए प्रयास किया है। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : कृपया शॉर्ट क्वेश्चन पूछिए। अगर आप प्रश्न पूछते समय लंबा भाषण देंगे तो उत्तर भी लंबा होता है। ऐसा नहीं चलेगा।

... (व्यवधान)

श्री अजय निषाद : अध्यक्ष महोदया, मैं बहुत छोटा प्रश्न करूंगा। मंत्री जी जानते हैं कि अब गाड़ियों का प्रदूषण स्तर सर्टिफिकेट द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है। आज मुझे पता चला है कि मंत्रालय द्वारा एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट जारी किया गया है। उस इंस्ट्रूमेंट से दो फायदे होंगे। एक वायु प्रदूषण लेवल पता चलेगा और दूसरा, रोजगार में फायदा होगा। ... (व्यवधान)

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में इस लेवल की जानकारी के लिए सरकार ने जो नया कदम उठाया है, वह कब लागू होगा और उससे लोगों को क्या फायदा होगा? ... (व्यवधान)

डॉ. हर्ष वर्धन : अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने दो सवाल पूछे हैं। हम ने एक प्रश्न का जवाब लिखित उत्तर में भी दिया है। इस प्रकार की 'नीरी' और रचना इंस्टीट्यूट के माध्यम से कुछ इक्विपमेंट्स डेवलप हुए हैं, जिनको ऑलरेडी टेस्टिंग के लिए डाल दिया गया है। जहां ट्रैफिक इंटरसेक्शंस पर पॉल्यूशन लेवल हाई होता है, वहां पर उन्हें इस्तेमाल किया जाएगा। नेशनल इंजीनियरिंग एनवायर्नमेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, नागपुर और फरीदाबाद के एक इंस्टीट्यूट की मदद से काम शुरू हो गया है। ... (व्यवधान)

देश के 29 स्टेट्स और छः यूटीज के 307 शहरों में नेशनल एंबियंट एयर क्वालिटी की टेस्टिंग के लिए करीब 703 स्टेशंस हैं। पीएम-10 और एसओ₂ और एनओ₂ के लेवल को नापने के लिए मैनुअल स्टेशंस हैं। इनके अलावा 134 ऑटोमैटिक स्टेशंस करीब 17 राज्यों के 71 शहरों में हैं। एयर क्वालिटी को टेस्ट करने के लिए आठ पैरामीटर्स बनाए गए हैं। भारत ने पहली बार एयर क्वालिटी इंडेक्स डेवलप किया है। जिसमें तीन पैरामीटर्स के आधार पर एक फार्मूले और एप के माध्यम से कोई भी अपने फोन में एयर क्वालिटी की जानकारी ऐक्सेस कर सकता है...(व्यवधान)

माननीय सदस्य ने हम से जो प्रश्न पूछा है, ऑलरेडी वह इम्प्लिमेंट हो गया है। हम रिसर्च के इंटरवेंशंस भी कर रहे हैं और विभिन्न शहरों के एयर क्वालिटी को नाप कर ऐक्शंस भी ले रहे हैं। एयर पॉल्यूशन, बीमारी और डेथ के बीच कोई रिलेशनशीप है तो हम उसे दूर करने के लिए देश के बीस जगहों पर वैज्ञानिक ढंग से काम कर रहे हैं। ...(व्यवधान)

SHRIMATI K. MARAGATHAM : Respected Madam Speaker, today, the air pollution has become a giant killer than any other disease like AIDS, tuberculosis and malaria in the country and it is a cause of concern for everyone. To control this danger, I have learnt that the Government is considering to finalise the National Clean Air Programme with an objective to come up with a comprehensive plan for prevention and control of air pollution and to increase the air quality monitoring network across the country. The States would also be asked to make plans to control air pollution.

So, my question is this. What is the present status of the NCAP initiated by the Government and the action plans initiated under NCAP to control air pollution in the air country?

DR. HARSH VARDHAN: I am happy that the Member is very much concerned and she is asking about the National Clean Air Programme. ... (*Interruptions*)

Madam Speaker, through you, I wish to inform the hon. Member that based on the air quality levels and also the levels of Particulate Matter-10 (PM-10) over the last five years, we did a study of the cities all over the country.... *(Interruptions)* Then, for those cities which have PM-10 levels consistently high for five years, we have planned to have this National Clean Air Programme which is going to be a big movement for these cities.... *(Interruptions)* In the initial stages, we could find 94 cities. Then, with the WHO data, we could add some eight more cities to that list.... *(Interruptions)*

HON. SPEAKER: Please go to your seats.

DR. HARSH VARDHAN: So, we developed this National Clean Air Programme for 102 cities.... *(Interruptions)* Now this National Clean Air Programme is the one where the State Pollution Control Boards, various stakeholders in the State and the City Municipal Corporations have to develop their own comprehensive programme, and there the whole issue is being guided by the Central Government.... *(Interruptions)*

We have already organized seven regional workshops all over the country. Out of the 102 cities, about 70 cities have already developed their plans and we have handed it over to them. Out of them, we have approved the plans of 30 cities and for the rest of the 40 cities, we have given them some suggestions for further improvement.... *(Interruptions)* In respect of the remaining 30 cities, we are asking them to expedite the whole issue. ... *(Interruptions)* In this whole programme, the Government of India is going to support the cities for ensuring that we are able to develop a big technical,

social, scientific movement where all the stakeholders are involved; and all the rules are followed.... (*Interruptions*) This is for the information of the hon. Member that in Delhi itself, we developed a model. We had a 15-days programme where the Central Government took the lead and involved the Delhi Government also. ... (*Interruptions*) All the officers of the Central Government and the Delhi Government worked on the road for 15 days consistently, and this is a model which we want to replicate all over the country. The National Clean Air Programme is in a very, very advanced stage of its implementation; there is good quality participation from the cities; and we are helping them from all technical and financial angles. ... (*Interruptions*)

(Q. 242)

SHRI ASHOK SHANKARRAO CHAVAN: Madam Speaker, in our country the poor people are still deprived of quality healthcare.... *(Interruptions)* The rich can afford private healthcare facilities whereas the poor people are still dependent upon the Government health system. Madam, in most of the Central Government hospitals, the infrastructure is inadequate to meet the growing demand of healthcare facilities. The poor people have to run from pillar to post. First, they have to wait in long queues for their registration in the OPD. ... *(Interruptions)* Then they have to wait for months together to get an appointment with the doctor and afterwards they have to wait for the diagnostic tests because for the MRI and CT Scan tests, there is a long waiting list to get all these facilities. In such cases, often it results in such a delay that the patient ultimately dies without getting the proper healthcare facilities. ... *(Interruptions)*

Madam Speaker, this Question is very important and I want some time on this. Around 8,000 to 10,000 patients reach the OPD in the Government hospitals like Safdarjung, AIIMS on any single day. There is a huge queue and there is a huge delay in the OPDs. I would like to know this from the hon. Minister. What exactly is the Government going to do about this? ... *(Interruptions)* I would like to know from the Minister whether there is a plan to cut these long queues and long waiting list in the Central Government hospitals. What steps would they like to take to provide affordable and accessible quality healthcare medicines, diagnostic test facilities and treatment in hospitals and that too, in a particular timeframe? It is because the reply

given is highly inappropriate. They are saying the Government has not yet taken the decision. So, no decision is the best decision. ... (*Interruptions*)

I would like to know from the Minister how exactly they are going to tackle all these problems which are faced by people in bigger cities and also at the districts. What is the timeframe within which the Government is expected to take the decision to resolve this problem?

SHRI JAGAT PRAKASH NADDA: Hon. Madam, the specific question is whether we are planning to increase the hours of Out-Patient Department (OPD) facility in Safdarjung Hospital. ... (*Interruptions*) I would like to inform the House that no decision has been taken on that account. ... (*Interruptions*) But so far as super speciality development of tertiary healthcare services is concerned, we have adopted a holistic approach under the dynamic leadership of Prime Minister, Shri Modi ji and we are opening up new All-India Institutes of Medical Sciences (AIIMS). ... (*Interruptions*)

The rush in All-India Institute of Medical Sciences and Safdarjung Hospital is because the State hospitals are not able to cater to the need of their patients. ... (*Interruptions*) For that purpose, we are setting up super speciality blocks in the State hospitals and increasing the number of All-India Institute of Medical Sciences in the country. ... (*Interruptions*) We know that with the opening of these institutes, rush from the respective States would reduce. ... (*Interruptions*) So, we are trying to look into this issue and we are going forward in a holistic manner to address the issue of tertiary healthcare. ... (*Interruptions*)

SHRI ASHOK SHANKARRAO CHAVAN : Madam, the hon. Minister could not address the issue as to what the timeframe is within which it was expected. ...

(Interruptions)

Anyway, my second supplementary question is regarding the National Programme for Prevention and Control of Cancer, Diabetes, Cardiovascular diseases and Stroke, which the Government has launched under the National Health Mission. The programme was rolled out in 100 districts of the country.

... *(Interruptions)*

I would like to know from the hon. Minister about the status, progress and performance of this programme. ... *(Interruptions)* I would like to know by what time all the districts in the country would be covered under this scheme.

... *(Interruptions)* Kindly share the future roadmap of the 100 per cent coverage of all districts, particularly that of Maharashtra under this scheme. ...

(Interruptions)

SHRI JAGAT PRAKASH NADDA: Madam, to improve tertiary healthcare services, the Government of India is committed to open the All-India Institutes of Medical Sciences in every State in a phased manner. ... *(Interruptions)* It is

a continuous process and we are working on it. ... *(Interruptions)* At present, there are three such institutes in the pipeline and six Institutes are in the process. ... *(Interruptions)*

In the same way, for cancer, although the supplementary question does not relate to main question, we are starting two national cancer centres. ...

(Interruptions) We are opening up State cancer institutes and we are also

opening 50 tertiary cancer healthcare centres which will be operational soon.

So, we are working on them. ... (*Interruptions*)

SHRI T. RADHAKRISHNAN: Hon. Speaker, thank you very much for giving me this opportunity. ... (*Interruptions*)

I am grateful to the Union Government for extending OPD timing in Safdarjung Hospital. For the benefit of poor and need patients, the Government has taken up several other welfare measures, including setting up of All-India Institutes of Medical Sciences in various States, particularly in Thoppur, which is in my constituency, Virudhunagar in Madurai district, Tamil Nadu. ... (*Interruptions*) This could be possible with the blessings of Puratchi Thalaivi Amma. I am also thankful to the hon. Prime Minister and the hon. Chief Minister of Tamil Nadu, Shri Edappadi K. Palaniswami for this kind act.... (*Interruptions*)

Madam Speaker, through you, I want to ask the hon. Minister as to when the construction work of AIIMS in Thoppur, Madurai district will be started and completed. It is very much required for the benefit of needy patients. Thank you. ... (*Interruptions*)

SHRI JAGAT PRAKASH NADDA: Madam, what I have been able understand is this, the hon. Member wants to know about the status of the All India Institute of Medical Sciences in his constituency in Tamil Nadu. ... (*Interruptions*) I would like to inform the hon. Member that the matter is under process and we are working on it. ... (*Interruptions*)

डॉ. संजय जायसवाल: महोदया, मंत्री जी ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया है, लेकिन ऐसा लगता है कि यह प्रैक्टिकल नहीं है। ... (व्यवधान)

HON. SPEAKER: Hon. Members, I request you to go to your seats.

... (Interruptions)

HON. SPEAKER: I will allow you to raise your issue only after the Question Hour. What you are doing is not proper.

... (Interruptions)

डॉ. संजय जायसवाल: लेकिन मेरा प्रश्न यह है कि गरीबों के इलाज के लिए मंत्री जी ने जो बातें कहीं कि वे देश के कल्याण के लिए 'आयुष्मान भारत' योजना ला रहे हैं, जिसमें पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप करनी है और प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी इंवॉल्व करना है।

मैडम, 90 हजार या एक लाख रुपये ऑफर करने के बावजूद हमारे यहां के जो तथाकथित फाइव स्टार हॉस्पिटल्स हैं, मैं उनमें देख रहा हूं कि वे भी दस तरह की बातें कर रहे हैं।... (व्यवधान) दूसरी तरफ टायर-3 सिटीज़ हैं, जिनके डिस्ट्रिक्ट्स में जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उन्हें भी 'आयुष्मान भारत योजना' में शामिल करना है।... (व्यवधान)

अतः मेरा मंत्री जी से प्रश्न रहेगा कि जिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स को वे 'आयुष्मान भारत योजना' में शामिल करेंगे, क्या उन प्राइवेट हॉस्पिटल्स से वे कहेंगे कि कम से कम दस परसेंट ओ.पी.डी. वे इन फ्री बेनिफिशरीज़ को प्रोवाइड करें? ... (व्यवधान) 'आयुष्मान भारत योजना' में आउटडोर की कोई फैसिलिटी नहीं है।... (व्यवधान) क्लीनिकल इस्टैब्लिशमेंट एक्ट छोटे शहरों के अस्पतालों के खिलाफ है।... (व्यवधान) मंत्री जी उनको 'आयुष्मान भारत योजना' में कैसे शामिल करेंगे? इसका आउटडोर बढ़ाने और गरीबों को क्वालिटी ओ.पी.डी. सर्विस मिल सके, इसके लिए मंत्री जी क्या कोई प्रयास करेंगे? ... (व्यवधान)

श्री जगत प्रकाश नड्डा : मैडम, इसका मूल प्रश्न से कोई संबंध नहीं है, फिर भी मैं संक्षेप में बता देना चाहता हूं कि हमारे हैल्थ डिपार्टमेंट ने 'आयुष्मान भारत योजना' के तहत 1350 लाइफ सेविंग

प्रोसीजर्स तय किए हैं। ... (व्यवधान) हम उनकी व्यवस्था कर रहे हैं। ... (व्यवधान) सरकार के सारे हॉस्पिटल्स डीमंड इम्पैनलड माने जाएंगे। ... (व्यवधान) बाकी हॉस्पिटल्स को इम्पैनल किया जाएगा। ... (व्यवधान) जहां तक ओ.पी.डी. का सवाल है, उसमें हम फ्री ड्रग्स एण्ड डायग्नॉस्टिक फैसिलिटी देते हैं और आगे भी देंगे। ... (व्यवधान) जहां तक प्राइवेट हॉस्पिटल्स का सवाल है, तो जब हम हेल्थ की इतनी बड़ी कवरेज 55 करोड़ लोगों को देंगे और जब प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी इम्पैनलड होकर इस काम को करेंगे, तो निश्चित रूप से वे ओ.पी.डी. भी चलाएंगे। ... (व्यवधान)

(Q.243)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: Madam Speaker, I may please be allowed to put my question from this seat.

The Companies Act, 2013 incorporates various provisions for strengthening corporate governance in companies functioning across the country. Further, Indian Accounting Standards also have been notified in February, 2015 to improve corporate governance in India. However, the failure of corporate governance has been reported frequently in many companies such as Kingfisher Airlines, Gitanjali Gems, PNB, ICICI Bank, Axis Bank etc., after implementation of the Companies Act, 2013.

It seems that our country has most stringent regulations in the world for corporate governance on paper, while in actual practice, we have poor corporate governance regulation. I would like to know from the Minister what steps are being taken to address such failures of corporate governance repeatedly after implementation of the Companies Act, 2013 in the country.

SHRI PIYUSH GOYAL: Madam Speaker, as the hon. Member is aware, and we were both together in the Standing Committee on Finance when it finalised the Report on the Companies Act, the Companies Act, 2013 provides for a very stringent framework and nearly 114 sections, which deal with defaults, have provisions for significant action on any company which is defaulting. It is probably for the first time in the history of India that a Government has come down so strongly that on non-active companies, they are called shell companies in common parlance, we have taken such strict action that under

Section 248, nearly 2.97 lakh companies have been identified and struck off the Register of Companies.

Further, we have a second drive going on where 2.35 lakh companies are under the scanner. I think, probably lakhs and lakhs of more companies will come out which are used for hawala transactions, round-tripping of money or often have no business at all and are just registered as companies. Overall, if we go to see that out of 2.97 lakh companies, which we have identified, 71,000 were found to fall within the rules and, therefore, 2.26 lakh companies were actually struck off the Register. Simultaneously, the number of Directors who were struck off the companies was almost 3.10 lakhs, which were found disqualified under Section 164(2). Finally, out of these Directors, 2.10 lakh Directors have been struck off.

As regards the companies the hon. Member referred – Kingfisher or Nirav Modi's company – these were loans that were given over a period of time much earlier before this Government came in. The strongest action has been taken against all these frauds, all these defaulters, which, in earlier years, never used to happen. I have stated on the floor of this House that in earlier years, large defaulters never thought it their duty to repay back the loans. They thought that it was the banks' responsibility to recover loans. It is only under this Government that the biggest and the strongest defaulter also is now bound to repay loans, it becoming obliged to comply with corporate governance standards and it is only under this Government that big defaulters are now being brought to book.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : Madam, my question was about the issue of corporate governance, especially the failure of governance in the banking sector and not about shell companies or any other issue. ... (*Interruptions*)

Madam, I come to my second supplementary. The most important issue for good corporate governance in our country is privacy and data protection. Recently, the biggest ever financial data breaches have been reported from various Indian banks, such as HDFC, ICICI Bank, Yes Bank, Axis Bank and SBI in which several victims reported unauthorised transactions from debit cards, originating from China and the USA. ... (*Interruptions*)

I would like to know from the hon. Minister as to how this Government is pursuing the issue of privacy and data protection with the corporate world to ensure good corporate governance across the country. ... (*Interruptions*)

SHRI PIYUSH GOYAL: Madam, just to add to the supplementary that the Member raised, in terms of the banking sector, I think, the work done by this Government is legendary. For the first time, an honest asset quality review was carried out ever since 2015 and so much has come out of that. So many banks have been forced to show NPAs which in earlier years were evergreen, which in earlier years were restructured, were never really reflecting the true picture of the banks. ... (*Interruptions*) So, I think, in terms of corporate governance standards of the banking system, the amount of work happened in the last three years is unparallel in 70 years and finally, we know the truth of how these banks functions. ... (*Interruptions*)

We are proud to say that in these four years of this Government, we have stopped the phone-call thing coming in from Delhi to the banks. Not a single phone call will go to give a loan, to address a loan, to restructure a loan or to settle a loan. We have given autonomy to the banks. It finally worked and empowered them to show the true picture to the world, thus strengthened corporate governance standards. Therefore, I believe that the corporate governance standards being followed by public sector banks today are much better than ever before. ... *(Interruptions)*

As regards the privacy laws, the Government has brought out schemes to localise the data so that they are not kept on the servers internationally. However, hacking into data is not a phenomenon restricted to India; it is an international problem. As much as firewalls we provide to protect data, that much more the hackers come out with innovative ways. ... *(Interruptions)*

To my mind, there were certain instances that were reported, but I do not think that it has been on such a large scale so as to disrupt the economy or to cause distress. Wherever there are such instances, they are quickly captured and quickly rectified. For that matter, in my own card, in ICICI Bank, there were some debit transactions. I reported them to the ICICI Bank and immediately got the credit back for every rupee. So, I did not have to suffer a single rupee of loss on that. ... *(Interruptions)*

The Government and the banks are pro-active along with the RBI, but if any such instances come to the notice of the hon. Member, we will be happy to address them very quickly. ... *(Interruptions)*

श्री संजय धोत्रे: अध्यक्ष महोदया, कॉर्पोरेट गवर्नेंस को अधिक सक्षम और पारदर्शी बनाने के लिए कम्पनी एक्ट 2013 में कई प्रोविजन्स किये गये हैं। ... (व्यवधान) इसमें से एक प्रोविजन माइनोरिटी शेयर होल्डर के हित की रक्षा के लिए इण्डिपेंडेंट डायरेक्टर बनाने के लिए है, ... (व्यवधान) लेकिन माइनोरिटी शेयर होल्डर्स का अस्तित्व प्रमोटर या अदर डायरेक्टर्स के ऊपर निर्भर होता है और वह अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर सकते।

मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि इस तरह की जो समस्या है, उसकी निगरानी के लिए क्या कोई व्यवस्था बनायी गयी है? यही मैं आपसे जानना चाहता हूँ।
... (व्यवधान)

श्री पीयूष गोयल : महोदया, जो प्राइवेट लिमिटेड कम्पनीज़ होती हैं, उनमें स्वाभाविक है कि प्रमोटर्स अपने फैमिली मैम्बर्स या खुद के लोगों को डायरेक्टर्स बनाते हैं। ... (व्यवधान) लेकिन यह प्रावधान है कि वे समय-समय पर एनुअल रिटर्न भरें, उसी में अपने रिकॉर्ड्स भरें, जो मॉर्ट्गेज करते हैं उसके रिटर्न्स भरें और बैलेंस शीट सबमिट करें। यह सब पब्लिक डोमेन में रहता है। यदि किसी को कोई शिकायत है तो वह उसकी शिकायत कर सकता है। ... (व्यवधान) उस शिकायत की पूरी जांच की जाती है। लिस्टेड पब्लिक लिमिटेड कम्पनीज़ की जहां तक बात है तो उसमें देश के लोगों का पैसा लगा होता है, इंडिपेंडेंट शेयर होल्डर्स होते हैं। बड़ी कम्पनियों में तो साधारणतया इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कम्प्लसरी हैं। इस सब की एक व्यवस्था बनायी हुई है। ... (व्यवधान) उन सभी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की कॉर्पोरेट गवर्नेंस की जिम्मेदारियां तय की गयी हैं। मैं समझता हूँ कि कम्पनी का बोर्ड इंडिपेंडेंट चले इसके लिए पब्लिक डोमेन में उसके सारे डेटा डालने का प्रावधान कम्पनीज़ एक्ट में रखे गए हैं। ... (व्यवधान)

HON. SPEAKER: Hon. Members, please go to your seats.

... (Interruptions)

HON. SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 1150 hours.

11 37 hrs

*The Lok Sabha then adjourned till Fifty Minutes Past
Eleven of the Clock.*

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS ...Contd.

The Lok Sabha reassembled at Fifty Minutes Past Eleven of the clock.

(Hon. Speaker in the Chair)

HON. SPEAKER: Shri Vijay Kumar Hansdak – Not present.

Shri Nishikant Dubey.

(Q. 244)

श्री निशिकान्त दुबे : अध्यक्ष महोदया, जब झारखण्ड अलग हुआ तो छोटा नागपुर और संथाल परगना दो एरिया थे। यह स्पेसिफिक प्रश्न मेरे लोक सभा क्षेत्र गोड्डा, दुमका, पाकुड़ और साहबगंज के बारे में है कि वहां ऋण के हालात कैसे हैं, लोन कैसे दिया जा रहा है और सेंट्रली स्पोर्सर्ड स्कीम को कैसे दिया जा रहा है?... (व्यवधान)

11 52 hrs

At this stage, Prof.Saugata Roy and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

HON. SPEAKER: I have told you that I will allow you. Please go to your seats.

After Question Hour, I will allow you.

... (Interruptions)

श्री निशिकान्त दुबे : अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूँ कि वर्ष 1969 में जब बैंक्स का नेशनलाइजेशन किया गया था तो उस समय इंदिरा जी ने अनाउंस किया था कि बैंकों का नेशनलाइजेशन इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ईस्टर्न का सीडी रेश्यो सबसे खराब है। 50 साल के बाद भी हमारे यहां का सीडी रेश्यो अभी भी 30 परसेंट से ज्यादा नहीं है। प्रायोरिटी सेक्टर की लेंडिंग है, प्रश्न भी यह है कि लोन का क्या हाल है तो मैं यह आपको बता दूँ कि चाहे मुद्रा

योजना का सवाल हो या एमएसएमई सेक्टर में प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की बात हो, कोई भी ऋण 30 परसेंट से ज्यादा नहीं होता है और खास कर के प्राइवेट बैंक 11-12 परसेंट से ज्यादा लोन नहीं देते हैं। इस कारण से हमारे दो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरों को चिट्ठी लिखकर आदेश देना पड़ा कि कोई भी डिपॉजिट प्राइवेट बैंक्स में नहीं होगा। एरिया स्पैसिफिक असेसमेंट नीति आयोग नहीं करता है। संथाल परगना की हालत खराब है। 70 परसेंट से ज्यादा लोग एनिमिक हैं और गरीबी के शिकार हैं। हमारी उज्ज्वला योजना इसलिए लागू नहीं हो रही है कि फाइनेंशियल इनक्लूजन बेहतर ढंग से नहीं हो पाया है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि चूंकि हम एस्परेशनल डिस्ट्रिक्ट के पार्ट हैं तो संथाल परगना और मेरे लोक सभा क्षेत्र गोड्डा के लिए कौन सी स्पेसिफिक योजना बनाएंगे ताकि वहां के लोगों को बैंकिंग सुविधा मिल सके?

11 54 hrs

At this stage Dr. Ravindra Babu and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

श्री पीयूष गोयल : अध्यक्ष महोदया, माननीय सांसद ने जो प्रश्न उठाया है, यह वास्तव में बहुत ही संवेदना वाला प्रश्न है। यह पाया गया था कि ईस्टर्न इंडिया, बिहार, झारखण्ड और ओडिशा में लोन्स बहुत कम दिए जाते थे। जब से हमारी सरकार आयी है तब से माननीय प्रधानमंत्री जी का फोकस रहा है कि किस तरह से पूर्वी भारत के लोगों की आर्थिक स्थिति में वृद्धि हो और कैसे वहां नये रोजगार के अवसर पैदा किए जाएं? पिछले चार सालों में माननीय प्रधानमंत्री जी चार बार झारखण्ड में गए हैं और कई बड़ी-बड़ी योजनाओं की उन्होंने चिंता की है। 25 मई, 2018 को हमारी सरकार के चार साल पूरे हुए थे और उसी दिन 27 हजार करोड़ रुपये की योजनाएं सिर्फ झारखण्ड में शुरू की गयीं। सिंदरी फर्टिलाइजर प्लान्ट को पुनर्जीवित करना, रांची में सिटी गैस डिस्ट्रिब्यूशन प्रोजेक्ट, देवघर में एम्स, देवघर के एयरपोर्ट का डेवलपमेंट, पतरातू सुपर पावर थर्मल प्रोजेक्ट और इसी तरह से अलग-अलग समय पर अलग-अलग कार्य किए गए हैं।

एक बार मुद्रा योजना के लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी वहां गए थे। यह स्वाभाविक है कि जब अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, जब नए-नए प्रोजेक्ट्स आएं तो उसके साथ डायरेक्ट और इन्डायरेक्ट पूरा इको सिस्टम खड़ा होगा। लोन्स लेने की क्षमता बढ़ेगी, रिक्वायरमेंट्स बढ़ेगी। लोन्स लेने के लिए लोग सामने आएंगे। मैं माननीय सांसद जी को आपके माध्यम से एक उदाहरण के रूप में बताना चाहूंगा कि हमने बैंक ऑफ इंडिया, जो वहां पर दुमका, गोड्डा, पाकुर, साहिबगंज में मुद्रा के तहत, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनंस एजेन्सी के तहत, स्टैंड अप इंडिया और प्रधानमंत्री इंप्लायमेंट जेनरेशन प्रोग्राम के तहत वहां पर काम कर रही है। मुद्रा योजना के तहत वर्ष 2017-18 में वर्ष 2016-17 के बनिस्पत 75 प्रतिशत लोन की वृद्धि हुई है। वहां पर 228 करोड़ रुपए वर्ष 2016-17 में इन चार क्षेत्रों में दिए गए थे, जो बढ़कर 400 करोड़ रुपए हो गए हैं। हमारी तरफ से पूरा जोर है कि कैसे अलग-अलग योजनाओं के माध्यम से वहां पर ज्यादा लोन्स दिए जाएं, ...(व्यवधान) सीडी रेश्यो को करैक्ट किया जाए। लेकिन उसके साथ-साथ जब तक पूरी इको सिस्टम डिमांड नहीं जर्नेट करे, जबरदस्ती लोन किसी को नहीं दिया जा सके। डिमांड आएगी, योजनाएं आएंगी और कार्यक्रम आएंगे, तो मुझे पूरा विश्वास है कि वहां पर बड़े रूप में लोन्स की भी वृद्धि होगी और अर्थव्यवस्था भी बढ़ेगी।

श्री गौरव गोगोई : धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। मूल प्रश्न वह लोन्स अंडर सेन्ट्रली स्पोंसर्ड स्कीम्स का है। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : ट्राइबल एरिया।

...(व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई : सेन्ट्रली स्पोंसर्ड स्कीम्स ट्राइबल एरियाज में एक बहुत ही जरूरी स्कीम, वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री में फ्लड मैनेजमेंट प्रोग्राम की थी। सेन्ट्रली स्पोंसर्ड स्कीम्स के तहत पहले उसकी फंडिंग पैटर्न था कि सेन्ट्रल 90 प्रतिशत देगी और स्टेट 10 प्रतिशत देगी। लेकिन वर्तमान सरकार ने वर्ष 2015 में उस फार्मूले को रिवाइज्ड करके उत्तर पूर्वांचल की सरकारों पर 20 प्रतिशत फार्मूले को बढ़ा दिया है और अब 80 प्रतिशत केन्द्र सरकार देगी। इस रिवाइज्ड फार्मूले की वजह

से राज्य सरकारें ट्राइबल एरियाज में, जहां पर बाढ़ आती है, फलड मैनेजमेंट के लिए उनके फाइनेन्शियल बर्डन को बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से कोलबाड़ी, लोलाति, न्यूलगांव और गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट में आज अच्छे तरीके से फलड मैनेजमेंट प्रोग्राम नहीं चल रहे हैं। वित्त मंत्री जी से मेरा प्रश्न यही है कि क्या वे सेन्ट्रली स्पोसर्ड स्कीम्स का क्राइटीरिया दोबारा रिवाइज्ड करेंगे ताकि उत्तर पूर्वांचल में पहले जैसे 90 और 10 प्रतिशत का फार्मूला लागू हो और 1100 करोड़ रुपए वॉटर एंड रिसोर्स मिनिस्टर जी ने जो आज भी असम की सरकार को देने हैं, वे उसे रिलीज करेंगे?

श्री पीयूष गोयल : महोदया, माननीय सांसद ने जो विषय उठाए हैं ... (व्यवधान) असम के बारे में, मैं उनका जरूर जवाब दूंगा। सबसे पहली बात यह है कि ये जो प्रश्न है ये ट्राइबल प्लॉन लोन असिसटेंस स्कीम्स और सभी स्कीम्स का है। मैं यह मानता हूँ कि माननीय सांसद जी को खुशी होगी कि इस सरकार कि कितनी संवेदना आदिवासियों के साथ है। वह दर्शाता है कि वर्ष 2015-16 में 21,216 करोड़ रुपए ट्राइबल सबप्लान में एक्चुअल एक्सपेंडीचर को सुनिश्चित किया गया है। उसको मात्र दो वर्षों में अर्थात् वर्ष 2017-18 में बढ़ाकर 31,919 करोड़ रुपए कर दिया गया है। करेंट ईयर का जो बजट है, उसमें 39,134 करोड़ यानी लगभग तीन वर्षों में जो ग्रोथ है, हमने उसको ट्राइबल सबप्लान के लिए दोगुना कर दिया है। अब रही बात सेन्ट्रल वर्सेज स्टेट के शेयरिंग की, तो 14वें फाइनेंश कमीशन ने 32 प्रतिशत से बढ़ाकर 42 प्रतिशत अनटाइड असिसटेंस केन्द्र सरकार का कर दिया है। उसके पीछे यह कारण था कि अलग-अलग राज्यों की अलग-अलग प्राथमिकता रहती है। कुछ राज्यों को ट्राइबल एरिया में ज्यादा अधिक खर्च करने की जरूरत पड़ती है। किसी राज्य को इरिगेशन में, किसी को पढ़ाई-लिखाई में, किसी को स्वास्थ्य में है, तो हर एक राज्य की अपनी-अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं। उसके हिसाब से उनको स्वायत्ता रहे कि वह किस हेड में खर्च करना चाहती हैं। सेन्ट्रल एलोकेशन 32 प्रतिशत से 42 प्रतिशत किया गया है। एक ग्रुप ऑफ चीफ मिनिस्टर्स ने बैठकर अलग-अलग सेन्ट्रली स्पोसर्ड स्कीम्स में क्या शेयरिंग पैटर्न रहना चाहिए, वह तय किया है।

12 00 hrs

In the light of 32 becoming 42 अलग-अलग स्कीम का शेयरिंग पैटर्न चीफ मिनिस्टर्स कमेटी और नीति आयोग ने मिलकर तय किया ।

श्री शरद त्रिपाठी: अध्यक्ष महोदया, आपने हमारे प्रश्न संख्या 253 के क्रम में 244 पर एक सप्लीमेन्टरी क्वेश्चन पूछने का अवसर दिया । सबसे पहले मैं माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई दूंगा कि वर्ष 2014 तक बहुत सारी योजनाएं जो भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित थीं, वे बंद हो चुकी थी, ...(व्यवधान)

लेकिन 2016 को हमारे वित्त मंत्री जी ने ऐसी पांच सौ योजनाओं को, जो गांव के ग्रामीण बाजारों से लेकर वहां के युवाओं से संबंधित योजनाएं थीं, उन्हें वित्त पोषित किया। 2016-17 में उत्तर प्रदेश में जो सरकार थी, उसके मुख्य मंत्री महोदय के द्वारा जो ग्रामीण बाजारों को पोषित करने के लिए हमारे वित्त मंत्री जी ने बहुत सारे हस्तशिल्पियों को तीन से लेकर साढ़े तीन लाख रुपये तक उनके द्वारा उत्पाद सामग्री को बेचने के लिए सुपरवाइजर्स को बहुत सारी योजनाओं को जो प्रदेश सरकार के द्वारा न भेजने के कारण जो अवसर नहीं मिला, ...(व्यवधान)

मैं माननीय वित्त मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या वह ग्रामीण बाजारों को फिर से वित्त पोषित करने के लिए कोई एक नया अभियान चलाने का कार्य करेंगे?

माननीय अध्यक्ष : यह प्रश्न इससे संबंधित नहीं है।

श्री पीयूष गोयल: यह प्रश्न इससे संबंधित नहीं है, मैं उनको जवाब भेज दूंगा। ...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Please go to your seat.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: I am requesting all of you again and again.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: माननीय सदस्यगण, मुझे विभिन्न विषयों पर कुछ सदस्यों से स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। यद्यपि ये मामले महत्वपूर्ण हैं, तथापि इनके लिए आज की कार्यवाही में व्यवधान डालना आवश्यक नहीं है। इन मामलों को अन्य अवसरों पर उठाया जा सकता है। इसलिए मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है।

HON. SPEAKER: Please go to your seat.

... (*Interruptions*)

12 02 hrs

PAPERS LAID ON THE TABLE

HON. SPEAKER: Now, Papers to be Laid on the Table. Item No. 2, Shri Jagat Prakash Nadda.

... (*Interruptions*)

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGAT PRAKASH NADDA): Madam, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (3) of Section 31 of the Cigarettes and Other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) Act, 2003:-

- i. The Cigarettes and Other Tobacco Products (Packaging and Labelling) Second Amendment Rules, 2018 published in Notification No. G.S.R.331(E) in Gazette of India dated 3rd April, 2018.
- ii. The Cigarettes and Other Tobacco Products (Packaging and Labelling) Amendment Rules, 2018 published in Notification No. G.S.R.283(E) in Gazette of India dated 26th March, 2018.

[Placed in Library, See No. LT 9550/16/18]

(2) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 124 of the Mental Healthcare Act, 2017:-

- i. S.O.2173(E) in Gazette of India dated 29th May, 2018 rescinding Notification No. S.O.07(E) dated 2nd January, 2018.
- ii. The Mental Healthcare (Central Mental Health Authority and Mental Health Review Boards) Rules, 2018 published in Notification No. G.S.R.507(E) in Gazette of India dated 29th May, 2018.
- iii. The Mental Healthcare (State Mental Health Authority) Rules, 2018 published in Notification No. G.S.R.508(E) in Gazette of India dated 29th May, 2018.

- iv. The Mental Healthcare (Rights of Persons with Mental Illness) Rules, 2018 published in Notification No. G.S.R.509(E) in Gazette of India dated 29th May, 2018.

[Placed in Library, See No. LT 9551/16/18]

... (*Interruptions*)

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI, SIDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH) (SHRI SHRIPAD YESSO NAIK): Madam, I beg to lay on the Table a copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (2) of Section 33 of the Homoeopathy Central Council Act, 1973:-

1. The Establishment of New Medical College (Opening of New or Higher Course of Study or Training and Increase of Admission Capacity by a Medical College) Amendment Regulations, 2018 published in Notification No. F. No. 12-6/2001-CCH(Pt.-II) in Gazette of India dated 8th June, 2018.
2. The Homoeopathic Practitioners (Professional Conduct, Etiquette and code of Ethics) Amendment Regulations, 2018 published in Notification No. F. No. 7-3/2003-CCH(Pt.-I) in Gazette of India dated 8th June, 2018.

... (*Interruptions*)

[Placed in Library, See No. LT 9552/16/18]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): Madam, on behalf of Dr. Mahesh Sharma, I beg to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Centre for Environment Education, Ahmedabad, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.

- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Centre for Environment Education, Ahmedabad, for the year 2016-2017.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 9553/16/18]

- (3) A copy of Notification No. S.O.3243(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 4th July, 2018, making certain amendments in the Notification No. S.O.2311(E) dated 4th July, 2011 under Section 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986.

[Placed in Library, See No. LT 9554/16/18]

- (4) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Wildlife Institute of India, Dehradun, for the year 2016-2017, along with Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Wildlife Institute of India, Dehradun, for the year 2016-2017.
- (5) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (4) above.

[Placed in Library, See No. LT 9555/16/18]

- (6) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 26 of the Environment (Protection) Act, 1986:-
- (i) The Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Amendment Rules, 2017 published in Notification No. G.S.R.177(E) in Gazette of India dated 28th February, 2017.
 - (ii) The Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Amendment Rules, 2018 published in Notification No. G.S.R.544(E) in Gazette of India dated 12th June, 2018.
 - (iii) The Environment (Protection) Amendment Rules, 2018 published in Notification No. G.S.R.94(E) in Gazette of India dated 25th January, 2018.
 - (iv) G.S.R.46(E) published in Gazette of India dated 19th January, 2018 regarding Sale and Use of Petcoke in Cement Plant in NCR States.
 - (v) The Noise Pollution (Regulations and Control) Amendment Rules, 2017 published in Notification No. S.O.2555(E) in Gazette of India dated 10th August, 2017.
 - (vi) G.S.R.495(E) published in Gazette of India dated 25th May, 2018 regarding Sale and Use of Petcoke in Lime Kilns.
 - (vii) G.S.R.492(E) to G.S.R.494(E) published in Gazette of India dated 25th May, 2018 regarding Sale and Use of Petcoke in Lime Kilns, Cement and Carbide.
 - (viii) G.S.R.45(E) published in Gazette of India dated 19th January, 2018 regarding Sale and Use of Petcoke in Lime Kiln.
 - (ix) The E-Waste (Management) Amendment Rules, 2018 published in Notification No. G.S.R.261(E) in Gazette of India dated 22nd March, 2018.

... (*Interruptions*)

[Placed in Library, See No. LT 9556/16/18]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SHIPPING (SHRI PON RADHAKRISHNAN): Madam, I beg to lay on the Table:-

- (1) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 31 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992:-
- (i) The Securities and Exchange Board of India (Real Estate Investment Trusts) (Amendment) Regulations, 2018 published in Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/06 in Gazette of India dated 10th April, 2018.
 - (ii) The Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) (Amendment) Regulations, 2018 published in Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/07 in Gazette of India dated 10th April, 2018.
 - (iii) The Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2018 published in Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/13 in Gazette of India dated 30th May, 2018.
 - (iv) The Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Second Amendment) Regulations, 2018 published in Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/14 in Gazette of India dated 30th May, 2018.
 - (v) The Securities and Exchange Board of India (Credit Rating Agencies) (Amendment) Regulations, 2018 published in Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018-15 in Gazette of India dated 30th May, 2018.
 - (vi) The Securities and Exchange Board of India (Bankers to an Issue) (Amendment) Regulations, 2018 published in Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/16 in Gazette of India dated 30th May, 2018.
 - (vii) The Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) (Amendment) Regulations,

- 2018 published in Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/17 in Gazette of India dated 30th May, 2018.
- (viii) The Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Amendment) Regulations, 2018 published in Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/19 in Gazette of India dated 1st June, 2018.
- (ix) The Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Amendment) Regulations, 2018 published in Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/20 in Gazette of India dated 1st June, 2018.
- (x) The Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2018 published in Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/21 in Gazette of India dated 1st June, 2018.
- (xi) The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2018 published in Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/22 in Gazette of India dated 1st June, 2018.
- (xii) The Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Fourth Amendment) Regulations, 2018 published in Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/24 in Gazette of India dated 8th June, 2018.
- (xiii) The Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) (Second Amendment) Regulations, 2018 published in Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/25 in Gazette of India dated 8th June, 2018.
- (xiv) The Securities and Exchange Board of India (Public Offer and Listing of Securitised Debt Instruments) (Amendment) Regulations, 2018 published in Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/26 in Gazette of India dated 26th June, 2018.
- (xv) The Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) (Amendment) Regulations, 2018 published in

Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/05 in Gazette of India dated 5th April, 2018.

- (xvi) The Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Amendment) Regulations, 2018 published in Notification No. SEBI/LAD-NRO/EN/2018/09 in Gazette of India dated 27th April, 2018.
- (xvii) The Securities Contracts (Regulation) Stock Exchanges and Clearing Corporations) (Amendment) Regulations, 2018 published in Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/04 in Gazette of India dated 2nd April, 2018.
- (xviii) The Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) (Amendment) Regulations, 2018 published in Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/23 in Gazette of India dated 1st June, 2018.
- (xix) The Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2018 published in Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/10 in Gazette of India dated 9th May, 2018.
- (xx) The Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Second Amendment) Regulations, 2018 published in Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/18 in Gazette of India dated 1st June, 2018.

ii) [Placed in Library, See No. LT 9557/16/18]

(2) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 24 of the Fugitive Economic Offenders Ordinance, 2018:-

- (i) The Fugitive Economic Offenders (Application for Declaration of Fugitive Economic Offenders) Rules, 2018 published in Notification No. G.S.R.393(E) in Gazette of India dated 24th April, 2018.
- (ii) The Fugitive Economic Offenders (Issuance of Attachment Order) Rules, 2018 published in Notification No. G.S.R.394(E) in Gazette of India dated 24th April, 2018.

- (iii) The Fugitive Economic Offenders (Issuance of Provisional Attachment Order) Rules, 2018 published in Notification No. G.S.R.395(E) in Gazette of India dated 24th April, 2018.
- (iv) The Fugitive Economic Offenders (Forms, Search and Seizure and the Manner of Forwarding the Reasons and Material to the Special Court) Rules, 2018 published in Notification No. G.S.R.396(E) in Gazette of India dated 24th April, 2018.
- (v) The Fugitive Economic Offenders (Receipt and Management of Confiscated Properties) Rules, 2018 published in Notification No. G.S.R.397(E) in Gazette of India dated 24th April, 2018.
- (vi) The Fugitive Economic Offenders (Procedure for sending Letter of Request to the Contracting State for Service of Notice and Execution of Order of the Special Court) Rules, 2018 published in Notification No. G.S.R.501(E) in Gazette of India dated 25th May, 2018.

[Placed in Library, See No. LT 9558/16/18]

- (3) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 31 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 and sub-section (3) of Section 30 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956:-

- (i) S.O.3049(E) in Gazette of India dated 22nd June, 2018 designating special court in Chennai under the Securities Laws and defining territorial jurisdiction of the court.
- (ii) S.O.3050(E) in Gazette of India dated 22nd June, 2018 designating special court in Kolkata under the Securities Laws and defining territorial jurisdiction of the court.

[Placed in Library, See No. LT 9559/16/18]

- (4) A copy of the Fiscal Responsibility and Budget Management (Amendment) Rules, 2018 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.321(E) in Gazette of India dated 2nd April, 2018

under Section 9 of Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2003.

[Placed in Library, See No. LT 9560/16/18]

- (5) A copy of the Sukanya Samriddhi Account (Amendment) Rules, 2018 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.617(E) in Gazette of India dated 6th July, 2018 under sub-section (3) of Section 15 of the Government Savings Banks Act, 1873.

[Placed in Library, See No. LT 9561/16/18]

- (6) A copy of the Notification No. S.O.3364(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 9th July, 2018, making certain amendments in the Notification No. S.O.1267(E) dated 21st April, 2017 under Section 20 of the Indian Trusts Act, 1882.

[Placed in Library, See No. LT 9562/16/18]

- (7) A copy of the 30th Progress Report (Hindi and English versions) on the Action Taken pursuant to the recommendations of the Joint Parliamentary Committee on Stock Market Scam and matters relating thereto, July, 2018.

[Placed in Library, See No. LT 9563/16/18]

- (8) A copy of the Statement (Hindi and English versions) of the Market Borrowings by Central Government during 2017-2018.

[Placed in Library, See No. LT 9563A/16/18]

- (9) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Securities and Exchange Board of India, Mumbai, for the year 2017-2018 under sub-section (2) of Section 18 of the Securities and

Exchange Board of India Act, 1992.

- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of Securities and Exchange Board of India, Mumbai, for the year 2017-2018.

[Placed in Library, See No. LT 9564/16/18]

- (10) A copy of the Statement (Hindi and English versions) on Half yearly Review of the trends in receipts and expenditure in relation to the budget at the end of the Financial year 2017-2018, under sub-section (1) of Section 7 of Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2003.

[Placed in Library, See No. LT 9565/16/18]

... (*Interruptions*)

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

[Placed in Library, See No. LT 9566/16/18]

(2) डिपोजिट इन्श्योरेंस एण्ड क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन, मुंबई के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

[Placed in Library, See No. LT 9567/16/18]

(3) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 की धारा 53 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (केन्द्रीय रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी) (पहला संशोधन) विनियम, 2018 जो 25 जून, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/7 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकासी और आहरण) (चौथा संशोधन) विनियम, 2018 जो 18 मई, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/8 में प्रकाशित हुए थे ।

[Placed in Library, See No. LT 9568/16/18]

(4) भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 48 की उपधारा (3) के अंतर्गत भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारी पेंशन (संशोधन) नियम 2018 जो 26 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 282 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[Placed in Library, See No. LT 9569/16/18]

(5) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 और 1980 की धारा 19 की उपधारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(एक) केनरा बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2017 जो 2 फरवरी, 2018 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या एचआरडब्ल्यूपीएम 10220 78 डीके में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) केनरा बैंक (अधिकारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2017 जो 19 जनवरी, 2018 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या एचआरडब्ल्यू/आईआरएस/228/ एसजे/2914/2017 में प्रकाशित हुए थे ।

(तीन) विजया बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2017 जो 16 अप्रैल, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.एसं. वीबी/आईआरडी/पीईआर/738/2018 में प्रकाशित हुए थे ।

(चार) आंध्रा बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2017 जो 6 जून, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.एसं. 666/3/20/आईआर/27 में प्रकाशित हुए थे ।

(पांच) देना बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2017 जो 20 अप्रैल, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.एसं. एचओ-एनओटीई/आईआर/एचआरएम/79/2018 में प्रकाशित हुए थे ।

(छह) विजया बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2010 जो 16 अप्रैल, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.एसं. वीबी/आईआरडी/पीईआर/737/2018 में प्रकाशित हुए थे ।

[Placed in Library, See No. LT 9570/16/18]

(6) स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 77 के अंतर्गत अधिसूचना सं .आ.का.1761(अ) जो 26 अप्रैल, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की अनुसूची में उल्लिखित मनःप्रभावी पदार्थों की सूची में ट्रेमाडोल तथा उसके लवणों और उनकी निर्मितियों को जोड़ा गया

है ताकि प्रवर्तन एजेंसियां इन पदार्थों के अवैध विनिर्माण/उपयोग/संचलन के विरुद्ध कार्रवाई कर सकें, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[Placed in Library, See No. LT 9571/16/18]

(7) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) आयकर (5वां संशोधन) नियम, 2018, जो 11 अप्रैल, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का .आ.1558(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) का.आ. 3039(अ) जो 22 जून, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115 अज के अंतर्गत भारत में निवासी कही जाने वाली विदेशी कंपनी से संबंधित विशेष उपबंध के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तीन) आयकर (8वां संशोधन) नियम, 2018, जो 20 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 666(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[Placed in Library, See No. LT 9572/16/18]

(8) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत अधिसूचना सं . सा.का.नि. 667(अ) जो 20 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 30 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 50/2017 में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[Placed in Library, See No. LT 9573/16/18]

(9) केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) सा.का.नि. 677(अ) जो 26 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 11/2017-केन्द्रीय कर (दर) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) सा.का.नि. 678(अ) जो 26 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 12/2017-केन्द्रीय कर (दर) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 679(अ) जो 26 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 13/2017-केन्द्रीय कर (दर) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 680(अ) जो 26 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 14/2017-केन्द्रीय कर (दर) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 681(अ) जो 26 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 11/2017-केन्द्रीय कर (दर) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 9574/16/18]

(10) एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 24 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) सा.का.नि. 682(अ) जो 26 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा 8 जिनके द्वारा 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 8/2017-एकीकृत कर (दर) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 683(अ) जो 26 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 9/2017-एकीकृत कर (दर) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 684(अ) जो 26 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 10/2017-एकीकृत कर (दर) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 685(अ) जो 26 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 11/2017-एकीकृत कर (दर) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 686(अ) जो 26 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 8/2017-एकीकृत कर (दर) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 9575/16/18]

(11) संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धरा 24 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) सा.का.नि. 687(अ) जो 26 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 11/2017-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 688(अ) जो 26 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 12/2017-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 689(अ) जो 26 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 13/2017-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 690(अ) जो 26 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 14/2017-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 691(अ) जो 26 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 11/2017-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 9576/16/18]

(12) आयकर अधिनियम, 1961 की धरा 119(2)(ग) के अंतर्गत 4 मई, 2018 का आदेश सं. 178/03/2010-आईटीए-1 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9577/16/18]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

1. औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 38 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

1. औषधि और प्रसाधन सामग्री (दसवां संशोधन) नियम, 2017 जो 27 अक्टूबर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सां.सा.का.नि. 1337 (अ) में प्रकाशित हुए थे।
2. औषधि और प्रसाधन सामग्री (ग्यारहवां संशोधन) नियम, 2017 जो 10 नवम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं.सा.का.नि.1380 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 9578/16/18]

2. दंत चिकित्सक अधिनियम, 1948 की धारा 20 की उप-धारा (4) के अंतर्गत भारतीय दंत चिकित्सा परिषद (नए दंत चिकित्सा कालेजों की स्थापना, दंत चिकित्सा कालेजों में नए या उच्चतर पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण आरंभ किया जाना और प्रवेश क्षमता में वृद्धि किया जाना) (तेरहवां संशोधन) विनियम, 2018 जो 11 जून, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या डीई-22(13)-2018 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9579/16/18]

महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. वीरेन्द्र कुमार): अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

1. (एक) राष्ट्रीय महिला कोष, नई दिल्ली के वर्ष 2016-17 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) राष्ट्रीय महिला कोष, नई दिल्ली के वर्ष 2016-17 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9580/16/18]

- (3) (एक) राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2016-17 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2016-17 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[Placed in Library, See No. LT 9581/16/18]

- (5) (एक) चाइल्ड लाईन इंडिया फाउंडेशन, मुंबई के वर्ष 2016-17 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) चाइल्ड लाईन इंडिया फाउंडेशन, मुंबई के वर्ष 2016-2017 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9582/16/18]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE AND
MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS (SHRI
P. P. CHAUDHARY) : Madam, I beg to lay on the Table:-

- (1) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 241 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016:-
- i. The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Employees' Service) (Amendment) Regulations, 2018 published in Notification No. IBBI/2017-18/GN/REG/026 in Gazette of India dated 26th March, 2018.
 - ii. The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professionals) (Amendment) Regulations, 2018 published in Notification No. IBBI/2017-18/GN/REG/027 in Gazette of India dated 28th March, 2018.
 - iii. The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professionals) (Amendment) Regulations, 2018 published in Notification No. IBBI/2017-18/GN/REG/027 in Gazette of India dated 28th March, 2018.
 - iv. The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) (Amendment) Regulations, 2018 published in Notification No. IBBI/2017-18/GN/REG/028 in Gazette of India dated 28th March, 2018.
 - v. The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Information Utilities) (Amendment) Regulations, 2018 published in Notification No. IBBI/2017-18/GN/REG/029 in Gazette of India dated 28th March, 2018.

- vi. The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) (Second Amendment) Regulations, 2018 published in Notification No. IBBI/2017-18/GN/REG/030 in Gazette of India dated 28th March, 2018.
- vii. The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) (Third Amendment) Regulations, 2018 published in Notification No. IBBI/2018-19/GN/REG/031 in Gazette of India dated 4th July, 2018.
- viii. The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Form of Annual Statement of Accounts) Rules, 2018 published in Notification No. G.S.R.422(E) in Gazette of India dated 3rd May, 2018.

[Placed in Library, See No. LT 9583/16/18]

(2) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (4) of Section 469 of the Companies Act, 2013:-

- (i) The Companies (Incorporation) Second Amendment Rules, 2018 published in Notification No. G.S.R.284(E) in Gazette of India dated 27th March, 2018.
- (ii) The Companies (Indian Accounting Standards) Amendment Rules, 2018 published in Notification No. G.S.R.310(E) in Gazette of India dated 28th March, 2018.
- (iii) S.O.1465(E) published in Gazette of India dated 2nd April, 2018 together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. S.O.529(E) dated 5th February, 2018.
- (iv) The Companies (Share Capital and Debentures) Amendment Rules, 2018 published in Notification No. G.S.R.363(E) in Gazette of India dated 11th April, 2018.
- (v) The Companies (Meetings of Board and its Powers) Amendment Rules, 2018 published in Notification No. G.S.R.429(E) in Gazette of India dated 7th May, 2018.

- (vi) The Companies (Prospectus and Allotment of Securities) (Amendment) Rules, 2018 published in Notification No. G.S.R.430(E) in Gazette of India dated 7th May, 2018.
- (vii) The Companies (Appointment and Qualification of Directors) Second Amendment Rules, 2018 published in Notification No. G.S.R.431(E) in Gazette of India dated 7th May, 2018.
- (viii) The Companies (Audit and Auditors) Amendment Rules, 2018 published in Notification No. G.S.R.432(E) in Gazette of India dated 7th May, 2018, together with a corrigendum thereto published in Notification No. G.S.R.461(E) (in English version only) dated 17th May, 2018.
- (ix) The Companies (Specification of Definitions Details) Amendment Rules, 2018 published in Notification No. G.S.R.433(E) in Gazette of India dated 7th May, 2018.
- (x) The Companies (Share Capital and Debentures) Second Amendment Rules, 2018 published in Notification No. G.S.R.434(E) in Gazette of India dated 7th May, 2018.
- (xi) The Companies (Registration Offices and Fees) Second Amendment Rules, 2018 published in Notification No. G.S.R.435(E) in Gazette of India dated 7th May, 2018.
- (xii) The Companies (Appointment and Qualification of Directors) Third Amendment Rules, 2018 published in Notification No. G.S.R.558(E) in Gazette of India dated 14th June, 2018.
- (xiii) The Companies (Registered Valuers and Valuation) Second Amendment Rules, 2018 published in Notification No. G.S.R.559(E) in Gazette of India dated 14th June, 2018.
- (xiv) The Companies (Management and Administration) Second Amendment Rules, 2018 published in Notification No. G.S.R.560(E) in Gazette of India dated 14th June, 2018.
- (xv) The Companies (Significant Beneficial Owners) Rules, 2018 published in Notification No. G.S.R.561(E) in Gazette of India dated 14th June, 2018.

- (xvi) The Companies (Accounting Standards) Amendment Rules, 2018 published in Notification No. G.S.R.569(E) in Gazette of India dated 18th June, 2018.
 - (xvii) The Companies (Acceptance of Deposits) Amendment Rules, 2018 published in Notification No. G.S.R.612(E) in Gazette of India dated 6th July, 2018.
 - (xviii) The Companies (Authorised to Register) Second Amendment Rules, 2018 published in Notification No. G.S.R.613(E) in Gazette of India dated 6th July, 2018.
 - (xix) The Companies (Registration of Charges) Amendment Rules, 2018 published in Notification No. G.S.R.614(E) in Gazette of India dated 6th July, 2018.
 - (xx) The Companies (Appointment and Qualification of Directors) Fourth Amendment Rules, 2018 published in Notification No. G.S.R.615(E) in Gazette of India dated 6th July, 2018.
 - (xxi) The Companies (Registration Offices and Fees) Third Amendment Rules, 2018 published in Notification No. G.S.R.616(E) in Gazette of India dated 6th July, 2018.
 - (xxii) G.S.R.632(E) published in Gazette of India dated 12th July, 2018, making certain amendments in the Notification No. G.S.R.729(E) dated 21st September, 2015.
 - (xxiii) The Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Third Amendment Rules, 2017 published in Notification No. G.S.R.472(E) in Gazette of India dated 22nd May, 2018.
- (3) Three statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at item No. (i) to (iii) of (2) above.

[Placed in Library, See No. LT 9584/16/18]

- (4) A copy of the Limited Liability Partnership (Amendment) Rules, 2018 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.557(E) in Gazette of India dated 14th June, 2018 under sub-section (3) of Section 79 of the Limited Liability Partnership Act, 2008.
[Placed in Library, See No. LT 9585/16/18]
- (5) A copy of the Notification No. S.O.3250(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 4th July, 2018, exempting the Vessel Sharing Agreements of Liner Shipping Industry from the provisions of Section 3 of the Competition Act, 2002 for a period of three years issued under sub-section (3) of Section 63 of the said Act.
[Placed in Library, See No. LT 9586/16/18]
- (6) A copy of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Amendment Rules, 2018 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.348(E) in Gazette of India dated 9th April, 2018 under Section 30B of the Chartered Accountants Act, 1949.
[Placed in Library, See No. LT 9587/16/18]
- (7) A copy of the Cost and Works Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Amendment Rules, 2018 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.349(E) in Gazette of India dated 9th April, 2018 under Section 40 of the Cost and Works Accountants Act, 1959.
[Placed in Library, See No. LT 9588/16/18]
- (8) A copy of the Company Secretaries (Procedure of Investigations of Professional and other Misconduct and Conduct of Cases) Amendment Rules, 2018 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.350(E) in Gazette of India dated 9th April, 2018 under Section 40 of the Company Secretaries Act, 1980.
[Placed in Library, See No. LT 9589/16/18]

- (9) A copy of the Notification No. G.S.R.362(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 11th April, 2018 together with an explanatory memorandum making certain amendments in Schedule I of the Companies Act, 2013 under Section 467(3) of the Companies Act, 2013.

[Placed in Library, See No. LT 9590/16/18]

... (*Interruptions*)

12 03 ½ hrs

COMMITTEE ON PETITIONS

47th to 56th Reports

श्री भगत सिंह कोश्यारी (नैनीताल-ऊधम सिंह नगर): महोदया, मैं याचिका समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ:-

(1) भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) प्राधिकारियों द्वारा मैसर्स महालक्ष्मी इन्फ्राकान्ट्रेक्ट प्राइवेट लिमिटेड को कार्य पूरा किए बगैर भुगतान करने में कथित रूप से घोर वित्तीय अनियमितताएं बरतने के बारे में श्री सुभाष कुमार सिंह से प्राप्त अभ्यावेदन के बारे में 47वां प्रतिवेदन।

(2) हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा कार्मिक और प्रशिक्षण विभागलोक/ उद्यम विभाग (डीओपीटी/डीपीई) के दिशानिर्देशों- के कथित उल्लंघन के बारे में श्री डी. शिवामूर्ति से प्राप्त तथा श्री सुरेश अंगड़ी, संसद सदस्य, लोक सभा द्वारा अग्रेषित अभ्यावेदन के बारे में 48वां प्रतिवेदन।

(3) आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के रूपांतरण/निजीकरण तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग कर्मचारियों के आरक्षण अधिकारों के संरक्षण एवं संबंधित मुद्दों के बारे में सर्वश्री अरविन्द सावंत और राजन विचारे, संसद सदस्य, लोक सभा से प्राप्त अभ्यावेदन के बारे में याचिका समिति के 31वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में की गई समिति की सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 49वां प्रतिवेदन।

(4) भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण प्रदान करने के लिए तंत्र के बारे में श्री वी.पी. बलवतकर से प्राप्त अभ्यावेदन के संदर्भ में याचिका समिति के 33वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 50वां प्रतिवेदन।

- (5) भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) द्वारा मैसर्स सद्भाव अन्नापूर्ण (जेवी) को कार्य पूरा किए बगैर पूर्ण संविदा राशि का भुगतान करने के बारे में श्री सुभाष कुमार सिंह से प्राप्त अभ्यावेदन के बारे में 51वां प्रतिवेदन।
- (6) सुश्री पारुल कौल के पति श्री रजनीश कौल द्वारा उसके साथ क्रूरतापूर्ण बर्ताव करने, आपराधिक न्यास भंग, सामान्य आशय को अग्रसर करने हेतु किए गए कृत्यों के लिए प्रत्यर्पित करने में की गई अत्यधिक देरी के बारे में सुश्री पारुल कौल के पिता श्री टी.के. कौल से प्राप्त अभ्यावेदन के बारे में 52वां प्रतिवेदन। 21
- (7) एचएमटी, पिंजौर के कर्मचारियों को वेतन का भुगतान करने और इसकी ट्रेक्टर इकाई को फिर से चालू करने के बारे में सर्वश्री राम शरन कांतिवाल और महेन्द्र सिंह से प्राप्त अभ्यावेदन के बारे में 53वां प्रतिवेदन।
- (8) तेजपुर रेलवे स्टेशन तक ब्रोडगेज लाईन का विस्तार करने के संबंध में श्री जितेन सुंडी और अन्य से प्राप्त तथा श्री जितेन्द्र चौधरी, संसद सदस्य, लोक सभा द्वारा अग्रेषित अभ्यावेदन के बारे में 54वां प्रतिवेदन।
- (9) देश में गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा का प्रावधान और उससे सम्बद्ध अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में डॉ. मधुसूदन दीक्षित से प्राप्त अभ्यावेदन के बारे में याचिका समिति के 25वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में की गई समिति की सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में 55वां प्रतिवेदन।
- (10) देश में ह्यूमन इम्यूनोडिफिसिएंसी वायरस (एचआईवी)/एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिसिएंसी सिंड्रोम (एड्स) रोगियों की कथित उपेक्षा किए जाने के बारे में श्री डी.के. जोशी से प्राप्त अभ्यावेदन के बारे में याचिका समिति के 26वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में 56वां प्रतिवेदन।
-

12 04 hrs

COMMITTEE ON ABSENCE OF MEMBERS FROM
THE SITTINGS OF THE HOUSE
12th Report

SHRI P. KARUNAKARAN (KASARGOD): Madam, I beg to present the Twelfth Report (Hindi and English versions) of the Committee on Absence of Members from the Sittings of the House.

... (*Interruptions*)

12 04 ½ hrs

RAILWAY CONVENTION COMMITTEE
24th to 27th Reports

SHRI K. ASHOK KUMAR (KRISHNAGIRI): Madam, I beg to present the following Reports (Hindi and English versions) of the Railway Convention Committee:-

(1) Twenty-fourth Report (Sixteenth Lok Sabha) on Maintenance of Rolling Stock.

(2) Twenty-fifth Report (Sixteenth Lok Sabha) on Internal Resources Generation by Indian Railways.

(3) Twenty-sixth Report (Sixteenth Lok Sabha) on Action Taken by Government on the Observations/Recommendations of the Committee contained in their Sixteenth Report on Track Upgradation & Modernisation.

(4) Twenty-seventh Report (Sixteenth Lok Sabha) on Action Taken by Government on the Observations/Recommendations of the Committee contained in their Twentieth Report on Vigilance in Indian Railways.

... (Interruptions)

12 05 hrs

STANDING COMMITTEE ON AGRICULTURE

(i) 54th to 59th Reports

श्री देवजी एम. पटेल (जालौर): अध्यक्ष महोदया, मैं कृषि संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग) के 'देश में कृषि और सहबद्ध क्षेत्रों में रसायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रभाव' के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति (2015-16) के 29वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों/पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 54वां प्रतिवेदन।

(2) कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग) के 'देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भौगोलिक दशाओं तथा जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर आधारित व्यापक कृषि अनुसंधान' के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति (2016-17) के 39वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 55वां प्रतिवेदन।

(3) कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2018-19)' के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति (2017-18) के 47वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 56वां प्रतिवेदन।

(4) कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग) के राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के अंतर्गत 'किसानों को उपलब्ध कराए जा रहे कृषि औजारों और उपकरणों की लागत और गुणवत्ता में अंतर तथा आयातित पावर टीलर्स के कारण किसानों को हो रही समस्या -एक समीक्षा' विषय के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति (2017-18) के 51वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 57वां प्रतिवेदन।

(5) कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग) के 'आईसीएआर-केन्द्रीय ट्यूबर क्राप्स अनुसंधान संस्थान-कार्य निष्पादन समीक्षा' विषय के बारे में 58वां प्रतिवेदन।

(6) कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2018-19)' के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति (2017-18) के 48वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 59वां प्रतिवेदन।

(ii)Statement

श्री देवजी एम. पटेल (जालौर): अध्यक्ष महोदया, मैं कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि सहकारिता और किसान कल्याण) के “ग्रामीण गोदाम स्कीम के माध्यम से ग्रामीण भण्डारण अवसंरचना का संवर्धन” विषय पर 28वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में 40वें प्रतिवेदन में सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्रवाई दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ

12 05 ¾ hrs

**STATEMENT CORRECTING REPLY TO UNSTARRED QUESTION NO. 574
DATED 20TH JULY, 2018 REGARDING BAN ON GUTKHA, TOBACCO
PRODUCTS ALONGWITH REASONS FOR DELAY**

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRIMATI ANUPRIYA PATEL): Madam, I to beg to make a Statement (i) correcting the reply (Hindi and English versions) to Unstarred Question No. 574 given on 20th July, 2018 asked by Shrimati Santosh Ahlawat, MP and Shri Sumedhanand Sarswati, MP regarding „Ban on Gutkha, Tobacco Products” and (ii) giving reasons for delay in correcting the reply.

**Ministry of Health & Family Welfare
Department of Health & Family Welfare**

**STATEMENT TO BE MADE BY THE MINISTER OF STATE FOR HEALTH
AND FAMILY WELFARE CORRECTING THE REPLY TO PART (A) OF LOK
SABHA UNSTARRED QUESTION NO.574 ANSWERED ON 20.07.2018
REGARDING BAN ON GUTKHA, TOBACCO PRODUCTS**

| Question | Previous Reply | Revised Reply |
|--|---|--|
| <p>(a)Whether in the wake of indiscriminate use of gutkha, pan masala and other tobacco products a large number of people develop cancer and other critical diseases and if so, the steps taken by the Government to ban its sale;</p> | <p>(a)No such study has been conducted by the Government but the available scientific literature suggests that tobacco is a big risk factor for cancer and other critical diseases.</p> <p>Food Safety and Standards (Prohibition and Restrictions on Sales) Regulations, 2011, made under the Food Safety and Standards Act, 2006, lays down that tobacco and nicotine shall not be used as ingredients in any food products.</p> <p>Cigarettes and Other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) Act, 2003 (COTPA 2003) stipulates ban on sale of cigarette or any other tobacco product to & by minors and in an area within a radius of one hundred yards of any educational institution.</p> | <p>(a): As per the National Institute of Health & Family Welfare (NIHFW) report on Evidence Assessment: Harmful Effects Of Consumption of Gutkha, Tobacco, Pan Masala and Similar Articles Manufactured in India (2011), there are 3095 chemical components in smokeless tobacco products (including gutkha), among them 28 are proven carcinogen. Further, the Report also states that there is strong and consistent evidence from a number of studies to indicate significant risk of oral cancer and pharyngeal cancer, oesophageal cancer, and pancreatic cancer with smokeless tobacco use. The risk of these cancers is found to increase with increasing dosage and frequency of smokeless tobacco use.</p> <p>Also, available scientific literature and empirical studies have brought out that consumption of both smokeless and smoking tobacco products is a big risk factor for cancer and other critical diseases.</p> |

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>Food Safety and Standards (Prohibition and Restrictions on Sales) Regulations, 2011, made under the Food Safety and Standards Act, 2006, lays down that tobacco and nicotine shall not be used as ingredients in any food products.</p> <p>Cigarettes and Other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) Act, 2003 (COTPA 2003) stipulates ban on sale of cigarette or any other tobacco product to & by minors and in an area within a radius of one hundred yards of any educational institution.</p> |
|--|--|---|

REASON FOR DELAY IN CORRECTING THE REPLY TO PART (A) OF LOK SABHA UNSTARRED QUESTION NO.574 ANSWERED ON 20.07.2016 REGARDING BAN ON GUTKHA, TOBACCO PRODUCTS.

The reply to Unstarred Question No.574 was laid in the Lok Sabha on 20.07.2018. The reply to Part (a) of the Question needs to be modified which came to our notice after the Question was answered. As such the correcting reply is being laid now.

2. Inconvenience is regretted.

REVISED REPLY

**GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE
DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE**

**LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO.574
TO BE ANSWERED ON 20th JULY, 2018**

BAN ON GUTKHA, TOBACCO PRODUCTS

**574. SHRIMATI SANTOSH AHLAWAT:
SHRI SUMEDHANAND SARSWATI:**

Will the Minister of **HEALTH AND FAMILY WELFARE** be pleased to state:

- (a) whether in the wake of indiscriminate use of gutkha, pan masala and other tobacco products a large number of people develop cancer and other critical diseases and if so, the steps taken by the Government to ban its sale;
- (b) the details of schemes concerned launched by the Government along with funds allocated for the same; and
- (c) the details of goals set and target achieved by the Government in checking tobacco consumption by common people.

ANSWER

**THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND
FAMILY WELFARE
(SHRIMATI ANUPRIYA PATEL)**

- (a): As per the National Institute of Health and Family Welfare (NIHFW) report on Evidence Assessment: Harmful Effects Of Consumption Of Gutkha, Tobacco, Pan Masala and Similar Articles Manufactured in India

(2011), there are 3095 chemical components in smokeless tobacco products (including gutkha), among them 28 are proven carcinogen. Further, the Report also states that there is strong and consistent evidence from a number of studies to indicate significant risk of oral cancer and pharyngeal cancer, oesophageal cancer, and pancreatic cancer with smokeless tobacco use. The risk of these cancers is found to increase with increasing dosage and frequency of smokeless tobacco use.

Also, available scientific literature and empirical studies have brought out that consumption of both smokeless and smoking tobacco products is a big risk factor for cancer and other critical diseases.

Food Safety and Standards (Prohibition and Restrictions on Sales) Regulations, 2011, made under the Food Safety and Standards Act, 2006, lays down that tobacco and nicotine shall not be used as ingredients in any food products.

Cigarettes and Other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) Act, 2003 (COTPA 2003) stipulates ban on sale of cigarette or any other tobacco product to & by minors and in an area within a radius of one hundred yards of any educational institution.

(b): National Tobacco Control Programme (NTCP) was launched by Ministry of Health and Family Welfare, Government of India in 2007-08 with the aim to (i) create awareness about the harmful effects of tobacco consumption, (ii) reduce the production and supply of tobacco products, (iii) ensure effective implementation of the provisions under "Cigarettes and Other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) Act, 2003" (COTPA, 2003) (iv) help the people quit tobacco use, and (v) facilitate implementation of strategies for prevention and control of tobacco advocated by WHO Framework Convention of Tobacco Control.

The funds allocated for this scheme during 2017-18 are Rs. 126.56 crore.

(c): During the 12th Five Year Programme, there was a target to reduce the prevalence of tobacco use by 5%. As per the findings of

second round of Global Adult Tobacco Survey (GATS-2), India 2016-17, the prevalence of any form of tobacco use has decreased significantly by six percentage points from 34.6% in 2009-10 to 28.6% in 2016-17.

[Placed in Library, See No.LT 9591/16/18]

12 06 hrs

At this stage, Shri Kalyan Banerjee and some other hon. Members went back to their seats.

12 07 hrs

STATEMENTS BY MINISTERS

(i)(a) Status of implementation of the Action Taken by the Government on the recommendations contained in the 93rd and 96th Reports of the Standing Committee on Health and Family Welfare on Demands for Grants (2016-17) (Demand No. 42) pertaining to the Department of Health and Family Welfare, Ministry of Health and Family Welfare *

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGAT PRAKASH NADDA): Madam, I beg to lay the following statements regarding the status of implementation of the Action Taken by the Government on the recommendations contained in the 93rd and 96th Reports of the Standing Committee on Health and Family Welfare on Demands for Grants (2016-17) (Demand No. 42) pertaining to the Department of Health and Family Welfare, Ministry of Health and Family Welfare.

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 9592/16/18.

(i)(b) Status of implementation of the Action Taken by the Government on the recommendations contained in the 94th and 97th Reports of the Committee on Health and Family Welfare on the Demands for Grants (2016-17) (Demand No. 43), pertaining to the Department of Health Research, Ministry of Health and Family Welfare *

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGAT PRAKASH NADDA): Madam, I beg to lay the following statements regarding the status of implementation of the Action Taken by the Government on the recommendations contained in the 94th and 97th Reports of the Committee on Health and Family Welfare on the Demands for Grants (2016-17) (Demand No. 43), pertaining to the Department of Health Research, Ministry of Health and Family Welfare.

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 9593/16/18.

12 07 ½ hrs

(ii) Status of implementation of the recommendations contained in the 47th Report of the Standing Committee on Finance on Demands for Grants (2017-18), pertaining to the Department of Revenue, Ministry of Finance *

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SHIV PRATAP SHUKLA): Madam, on behalf of Shri Piyush Goyal, I beg to make a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 47th Report of the Standing Committee on Finance on Demands for Grants (2017-18), pertaining to the Department of Revenue, Ministry of Finance.

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 9594/16/18.

12 08 hrs

BUSINESS OF THE HOUSE

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): Madam, with your permission, I rise to announce that Government Business during the remaining part of the Session will consist of:-

1. Consideration and passing of the Appropriation Bills relating to following Demands after their consideration and adoption
 - a) Supplementary Demands for Grants for 2018-19
 - b) Demands for Excess Grants for 2015-16
2. Consideration and passing of the following Bills after they are introduced in Lok Sabha:
 - (a) The Central Goods and Services Tax (Amendment) Bill, 2018
 - (b) The Integrated Goods and Services Tax (Amendment) Bill, 2018
 - (c) The Union Territory Goods and Service Tax (Amendment) Bill, 2018
 - (d) The Goods and Services Tax (Compensation to States) Amendment) Bill, 2018
3. *Consideration of any items of Government Business carried over from today's order paper:* - [it contains consideration and passing of (i) further discussion on Statutory Resolution seeking disapproval of the National

Sports University Ordinance, 2018 (No. 5 of 2018) and consideration and passing of the National Sports University Bill, 2018; (ii) the Banning of Unregulated Deposit Schemes Bill, 2018; and (iii) The National Medical Commission Bill, 2017]

4. The Major Port Authorities Bill, 2016. Consideration and passing of the following Bills:

- (a) The Dentists (Amendment) Bill, 2017;
- (b) The Representation of People (Amendment) Bill, 2017;
- (c) The Consumer Protection Bill, 2018;
- (d) The New Delhi International Arbitration Centre Bill, 2018;
- (e) The Transgender Persons (Protection of Rights) Bill, 2016;
- (f) The Surrogacy (Regulation) Bill, 2016;
- (g) The Micro Small and Medium Enterprises Development (Amendment) Bill, 2018;
- (h) The Arbitration and Conciliation (Amendment) Bill, 2018;
- (i) The Airports Economic Regulatory Authority of India Bill, 2018;
- (j) The Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Amendment Bill, 2017;and

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा): महोदया, अगले सप्ताह की कार्य-सूची में निम्नलिखित विषय चर्चा हेतु लिए जाएं :-

1. भारत सरकार के अधीन विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में सैक्शन अधिकारी के 3193 पदों के आलोक में करीब 1270 पद रिक्त हैं। नियम के अनुसार कुल पद का 50 प्रतिशत प्रमोशन एवं 50 प्रतिशत नई नियुक्ति से भरना है, लेकिन वर्ष 2015 से कोई भी नई नियुक्ति नहीं हुई है एवं पिछले 3 साल से किसी को भी प्रमोशन नहीं दिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप सरकारी कार्य प्रभावित होने के साथ-साथ प्रमोशन के हकदार कर्मचारियों के साथ नाइंसाफी है। अतः अविलंब प्रमोशन एवं नई नियुक्ति हेतु सख्त विधि नियम बनाए जाएं।

2. एस.सी. एवं एस.टी. को प्रमोशन में आरक्षण देने के लिए सन् 1955 में विशेष प्रावधान किए गए, जिसे सन् 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी मामले (मंडल कमीशन) में निरस्त कर दिया। सन् 1997 में केंद्र सरकार के डीओपीटी विभाग ने 5 ऑफिस मेमोरेण्डम जारी किए, जिसके बाद सरकार ने प्रमोशन में आरक्षण को संविधान में संशोधन के माध्यम से विशेष संरक्षण प्रदान किया। सन् 2006 में नागराज मामले में सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की संविधान पीठ ने प्रमोशन में आरक्षण की नई संवैधानिक व्यवस्था को तो स्वीकार कर लिया, लेकिन इसे लागू करने के लिए अनेक नियम बना दिए, जिनका सरकार द्वारा पालन नहीं किए जाने से पूरा विवाद है। एस.सी. एवं एस.टी. वर्ग के आरक्षण के लिए अनुच्छेद-16 में विशेष प्रावधान किए गए हैं, परंतु दूसरी ओर अनुच्छेद-335 में प्रशासन की कार्यकुशलता के बारे में संवैधानिक प्रावधान है और इन दोनों में विरोधाभास की वजह से अनेक कानूनी विवाद हो रहे हैं।

अतः अविलंब दोनों विरोधाभास एवं कानूनी विवाद के साथ-साथ जटिल नियमों को सुलझाते हुए, एस.सी. एवं एस.टी. वर्ग के लोगों को प्रमोशन में आरक्षण प्रदान किया जाए।

श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया (भीलवाड़ा): महोदया, अगले सप्ताह की कार्य-सूची में निम्नलिखित विषय चर्चा के लिए लिए जाएं:-

1. जोधपुर से इंदौर चलने वाली ट्रेन नंबर 14801/14802 एवं उदयपुर-हरिद्वार चलने वाली ट्रेन नंबर 19609/19610 को भीलवाड़ा लोक सभा क्षेत्र के रायला एवं गुलाबपुरा स्टेशन पर ठहराव दिया जाए।

2. भीलवाड़ा लोक सभा क्षेत्र में कार्यरत लोहे एवं जस्ते की खदानों में स्थानीय निवासियों को रोजगार दिया जाए।

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा) : महोदया, लोक सभा के आगामी सप्ताह की कार्य-सूची में निम्नलिखित विषयों को जोड़ा जाए:-

1. बिहार में किसानों को ट्यूबेल लगाने के लिए सरकार से आर्थिक सहायता की अति आवश्यकता है। बिहार, खासकर मेरे संसदीय क्षेत्र नालंदा एवं आसपास के जिलों में भू-जलस्तर काफी नीचे चला गया है। इसके कारण ऊपर का पानी सूख गया है और पानी का लेवल 500 फिट से भी नीचे चला गया है। किसान अपनी फसलों की सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं। डीप बोरिंग लगाकर ही पानी निकाला जा सकता है। इसमें लागत अधिक लगती है, जो किसानों के लिए संभव नहीं है। अतः सरकार द्वारा किसानों को 80 प्रतिशत सब्सिडी देकर, डीप बोरिंग तथा समरसेबुल देकर किसानों की सिंचाई की व्यवस्था की जाए।

2. बिहार अति पिछड़ा राज्य है। वहाँ के किसानों की आय का एकमात्र साधन खेती ही है। आज किसानों की हालत काफी खराब है। किसान बीज व खाद के लिए कर्ज लेता है, मगर फसल तैयार होने से पहले ही किसी न किसी आपदा का शिकार होकर फसल नष्ट हो जाती है। अतः मैं सरकार से माँग करता हूँ कि राज्य के किसानों का कर्ज माफ किया जाए।

धन्यवाद।

श्री विष्णु दयाल राम (पलामू) : महोदया, मैं अनुरोध करता हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र के लोक महत्व के निम्नलिखित विषयों को अगले सप्ताह की कार्य-सूची में शामिल किया जाए:-

1. मेरे संसदीय क्षेत्र पलामू के अंतर्गत पड़ने वाले दोनों जिले पलामू एवं गढ़वा देश के 115 आकांक्षी जिलों में आते हैं। इस क्षेत्र में उद्योग-धंधों के नाम पर एक मात्र जपला सीमेंट

फैक्ट्री थी, जो वर्षों से बंद पड़ी हुई है। इस फैक्ट्री को शीघ्रातिशीघ्र खुलवाने की कृपा की जाए।

2. मेरे संसदीय क्षेत्र पलामू में पीने के पानी में फ्लोराइड एवं आर्सेनिक की मात्रा अत्यधिक है, जिसके चलते लोगों को नाना प्रकार की बीमारियाँ हो रही हैं। अतः पलामू एवं गढ़वा जिले के अंतर्गत प्रखंड मुख्यालयों में ऐसे संयंत्र लगाए जाएं, जिसके माध्यम से पीने योग्य पानी मिल सके। धन्यवाद।

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (मेहसाणा) : महोदया, अगले सप्ताह की कार्यवाही में निम्नलिखित विषयों को शामिल किया जाए:-

1. अहमदाबाद-रामदेवरा (राजस्थान) ट्रेन की माँग पिछले पाँच सालों से लंबित है। रामदेवरा एक बड़ा तीर्थ स्थल है। यहाँ एस.सी., ओबीसी समाज के श्रद्धालु बड़ी संख्या में आते हैं। गुजरात से रामदेवरा के लिए रेल सुविधा की कमी है। इस लंबित माँग को जल्द से जल्द पूरा किया जाए।
2. मेरे निर्वाचन क्षेत्र में CRP,BSF,ONGC, मारुति सुजुकी तथा अन्य प्राइवेट कंपनियों का बड़ा कारोबार है। इन संगठनों में काम करने वाले कर्मचारी तथा हिमाचल प्रदेश के कई परिवार रोजगार के लिए मेहसाणा में रहते हैं। उनको धार्मिक स्थलों के दर्शन हेतु तथा अहमदाबाद-ऊना आने जाने में सहूलियत हो, इसके लिए गुजरात से हिमाचल प्रदेश की सीधी ट्रेन सेवा शुरू की जाए। धन्यवाद।

श्रीमती रमा देवी (शिवहर) : महोदया, अगले सप्ताह की लोक सभा की कार्यवाही के दौरान मेरे निम्नलिखित एजेन्डों को शामिल करने हेतु अनुमति प्रदान करने की कृपा करें।

1. मेरे शिवहर संसदीय क्षेत्रांतर्गत सीतामढ़ी जिले का बेलसंड अनुमंडल स्वास्थ्य सुविधाओं के दृष्टिकोण से एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। यहाँ स्थित सरकारी सामुदायिक अस्पताल में मानक के अनुरूप 30 बेड एवं चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। बेलसंड सरकारी

सामुदायिक अस्पताल में मानक के अनुरूप बेड एवं चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने का कार्य ।

2. मेरे शिवहर संसदीय क्षेत्रांतर्गत शिवहर एवं पूर्वी चम्पारण के बीच बागमती तथा लालबकेया नदी को जोड़ने वाले अदौरी-खोड़ी पाकड़ पुल का निर्माण हो जाने से शिवहर एवं पूर्वी चम्पारण जिले के बड़े भू-भाग का विकास सम्भव हो सकेगा । जनहित में शिवहर एवं पूर्वी चम्पारण जिले को जोड़ने वाले अदौरी-खोड़ी पाकड़ पुल के निर्माण का कार्य । धन्यवाद ।

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Madam Speaker, I wish to include the following two items in the List of Business of the House for the week commencing from 6th August, 2018.

The Ministry of Environment, Forests and Climate Change has kept the 'Stop Work Order' in abeyance on yearly basis since 03.07.2015. The recent decision to keep it in abeyance to 02.07.2019 will allow the construction of Polavaram Project to complete by 2019 which will result in impounding of the Polavaram Reservoir, thereby causing submergence in the Malkangiri District of the State of Odisha. Despite the fact that the matter is sub-judice in Hon'ble Supreme Court and the serious objections raised by the Government of Odisha, the construction of Polavaram Project is being allowed by the Union Government despite any change in legal and factual position of the Project.

With a high percentage of population belonging to Scheduled Tribes and Scheduled Castes and the State facing frequent natural calamities, the Government of Odisha has requested the Union Government time and again to

accord a special category status to fast-track its ongoing development and may treat it at par with the North-Eastern and Himalayan States for the sharing pattern of Centrally Sponsored Schemes. However, the Union Government has not acceded to the request of the Government of Odisha so far. This issue needs urgent consideration of the Union Government to ensure flow of adequate funds to the Government of Odisha to give momentum to their relentless efforts to reduce poverty and improve human development in the State.

श्री राजीव सातव (हिंगोली): अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित विषय अगले सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित किए जाने की विनती करता हूँ :-

(1) हिंगोली लोकसभा क्षेत्र में दराटी, जेवली, मोरचंदी, चिखली ता. उमरखेड, जि. यवतमाल, एम.आई.डी.सी., हिंगोली, वाडचूना, सावली खु. भोसी ता. औंढा, हनगदरी, हिवारखेडा, अडोळ ता. सेनगाव, सवना ता. महागाव, केदारगुडा ता. हदगांव, इन जगहों पर बी.एस.एन.एल. टावर लगाने के संदर्भ में चर्चा की मांग।

(2) राफेल समझौते में कथित भ्रष्टाचार और रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री द्वारा अविश्वास प्रस्ताव के दौरान सदन में गलत तथ्य रखने के संदर्भ में चर्चा की मांग।...(व्यवधान)

श्री अर्जुन राम मेघवाल : मैडम, यह तो सबमिशन का विषय ही नहीं है।...(व्यवधान)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Hon. Speaker Madam, the following issues may be included in the list of business of coming weeks: -

(i) Given the changing political situation surrounding our country, there is an imperative need to review our engagement with neighbouring countries;

- (ii) National treasure of our country Taj Mahal which is recognised as the synopsis of exquisite arts and heritage has been the victim of neglect and apathy.

श्री अजय मिश्रा टेनी (खीरी): माननीय अध्यक्ष जी, मैं अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषयों को शामिल करने का अनुरोध करता हूँ: -

1. मेरे लोकसभा क्षेत्र लखीमपुर-खीरी के सीमावर्ती बाजार भानपुरी-खजुरिया बसही में नेपाल से हो रहे वैध व्यापार की सुगमता के लिए सीमा पर कस्टम कार्यालय खोले जाने पर विचार किया जाए।
 2. मेरे लोकसभा क्षेत्र लखीमपुर-खीरी में पूर्व स्वीकृत मोबाइल टावर सूंडा, सौनहा, गौरीफंटा, बरमपुर व बनवीरपुर आदि के टावर शीघ्र लगाकर इंटरनेट, फोन व ब्राडबैंड आदि सुविधाएं उपलब्ध कराकर भारत सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम डिजिटल इंडिया से जोड़ने पर विचार किया जाए।
-

12 18 hrs

**MOTION RE: APPOINTMENT OF MEMBER OF LOK SABHA TO JOINT
COMMITTEE ON RIGHT TO FAIR COMPENSATION AND
TRANSPARENCY IN LAND ACQUISITION, REHABILITATION AND
RESETTLEMENT (AMENDMENT) SECOND BILL, 2015**

HON. SPEAKER: Now we take up item no. 19. Shri Ganesh Singh to move the Motion.

श्री गणेश सिंह (सतना): अध्यक्ष महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूँ -

“कि यह सभा, लोक सभा की सदस्यता से डॉ. वारा प्रसाद राव वी. द्वारा त्यागपत्र दिए जाने पर, उनके स्थान पर भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (संशोधन) दूसरा विधेयक, 2015 संबंधी संयुक्त समिति में सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए श्री प्रताप सिम्हा को नियुक्त करती है।”

HON. SPEAKER: The question is:

“That this House do appoint Shri Prathap Simha to serve as member of the Joint Committee on the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Amendment) Second Bill, 2015 vice Dr. Vara Prasad Rao V. resigned from the Lok Sabha.”

The motion was adopted.

12 21 hrs

SUBMISSIONS BY MEMBERS

(i) Re: Reported detention of MPs from a particular party at Silchar Airport

श्री कल्याण बनर्जी (श्रीरामपुर): मैडम ।

माननीय अध्यक्ष : क्या आप बोलना चाहेंगे? हल्ला खत्म हो गया?

SHRI KALYAN BANERJEE: Yes.

माननीय अध्यक्ष : ठीक है, बोलिए ।

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा): मैडम, मैं बस एक मिनट के लिए बोलना चाहता हूँ।

माननीय अध्यक्ष : अभी नहीं, समय मिला तो आपको दूंगी । आप बैठिए ।

SHRI KALYAN BANERJEE: Hon. Speaker Madam, I am obliged that you have given me a chance to speak. ... (*Interruptions*)

THE MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI ANANTHKUMAR): My dear colleague Shri Kalyan Banerjee is raising an issue. My only request is this. We have requested the hon. Home Minister to give a detailed response. I request him to co-operate in running the House after the response.

SHRI KALYAN BANERJEE: Hon. Speaker Madam, through you, I intimate to the hon. Parliamentary Affairs Minister that he has never dreamt about the amount of co-operation which he has possibly got from our Party.

Today's issue is a very sensitive issue regarding the elimination of 40 lakh Bengalis in Assam in the NCR list. ... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: बंगाल के बारे में ऐसा तो कुछ नहीं है। It is 40 lakh people; that is all. Nobody knows anything.

... (*Interruptions*)

SHRI KALYAN BANERJEE: Most of them are Bengalis. Out of them 85 per cent or 90 per cent are Bengalis. ... (*Interruptions*) You do not understand what the issue is.

माननीय अध्यक्ष: कल्याण जी, आप बोलिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: प्रह्लाद जी, आप क्यों जवाब दे रहे हैं?

...(व्यवधान)

SHRI KALYAN BANERJEE: Why are you afraid of hearing what I say? ... (*Interruptions*)

Yesterday, a team consisting of six MPs and also two Ministers from the State went to Silchar for the purpose of having only a discussion and an assessment of the issue in question. I am not speaking about the Ministers but I am speaking about the hon. MPs only. They were Dr. Kakoli Ghosh Dastidar, Dr. Ratna De (Nag), Shrimati Mamata Thakur and Shrimati Arpita Ghosh from Lok Sabha and Shri Sukhendu Sekhar Roy and Shri Md. Nadimul Haque from Rajya Sabha.

When they reached Silchar airport, the Assam police did not allow them to come out of the airport. They were told that they were detained under section 151 of the Cr.P.C. Yesterday, I had a talk with the hon. Parliamentary Affairs Minister outside the House. He told me that it was because of the officer

appointed by the Supreme Court of India that they had been detained, if I am right.

The fact is this. The order was not passed under section 151; the competent authority is the District Magistrate. It was made clear by them that they were going to Silchar just to make an assessment. He said, 'No, you will hold a public meeting'. They categorically said there would not be any public meeting; they would assess the issue and therefore they may be allowed but they were not allowed.

You know Dr. Kakoli Ghosh Dastidar, Shrimati Mamata Thakur, Dr. Ratna De (Nag) and Shrimati Arpita Ghosh very well. They were manhandled by the Assam police. Every channel has shown how Shrimati Mamata Thakur was manhandled; it appeared in every channel.

Our privilege notice has already been given. A citizen of India has a right to move anywhere in India. An MP also has the responsibility to go anywhere in India if there is an problem.

डॉ. संजय जायसवाल (पश्चिम चम्पारण): ...(व्यवधान) बंगाल से भी बहुत लोगों को भगा दिया गया है।...(व्यवधान) आज वे लोग जमशेदपुर में आकर रह रहे हैं।...(व्यवधान) क्या उनको वहाँ रहने का राइट नहीं है? ...(व्यवधान)

SHRI KALYAN BANERJEE : It is clear from their statement that their action was *mala fide*.... (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : किसी अन्य सदस्य का स्टेटमेंट रिकार्ड में नहीं जा रहा है, only Shri Kalyan Banerjee's statement is going on record. Why are you answering them?

...(Interruptions)... *

SHRI KALYAN BANERJEE: Madam, I would like the hon. Home Minister to make a statement. He is here in the House. Irrespective of the fact, whether I am in agreement or disagreement of any political issue, we have a deep regard for Shri Rajnath Singh, the hon. Home Minister of the country. There is no dispute over that. In fact, outside the House I always say to him that we respect him like anything. I said this, two days back also.

Now, these six MPs have been man-handled only because they were going there to assess the issue. Is it not an un-declared emergency in the country itself? Even during emergency, people could have moved from one place to other. I know elections are coming and everyone is getting ready for that. Are you afraid of that? Are you getting nervous after seeing the united force of the Opposition that you are detaining the MPs there? ... (Interruptions)

This is a privilege issue. Hon. Home Minister is here in the House....

(Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : आप बैठ जाइए ।

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: You please complete now.

SHRI KALYAN BANERJEE: How can I complete?

* Not recorded.

HON. SPEAKER: Yes, you can. जैसे आप प्रश्न काल में चिल्ला रहे थे, वैसे ही पूरा कीजिए।

...(व्यवधान)

SHRI KALYAN BANERJEE: We seriously deprecate the way the Assam Police has detained these MPs. We deprecate and condemn all efforts. We are very sorry to say that the news came in yesterday at 1.30 p.m. and we expected that the Central Government, especially the hon. Home Minister, would take appropriate steps and intimate us on his own. But, we are very sorry to say that in the last 24 hours nothing has been done. Parliamentarians have been deprived of their right to protect the people, to ventilate their grievances and to know or assess the position. It is also incorrect that there is no injunction or interim order. No order, to the effect that no political meeting would be held in Assam in this regard, has been passed by the hon. Supreme Court. Not a single thing has been done. Kindly do not say incorrect things before the Court or before the hon. Speaker.

माननीय अध्यक्ष : विजया जी बहुत सीनियर हैं। असम के बारे में कुछ कहना चाहती हैं।

...(व्यवधान)

श्रीमती विजया चक्रवर्ती (गौहाटी): मैडम, मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का आभार प्रकट करती हूँ, क्योंकि 37 ईयर्स से कांग्रेस के जमाने में कोल्ड स्टोरेज में रखा हुआ एनआरसी माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से, माननीय केन्द्रीय सरकार, असम सरकार और माननीय राजनाथ सिंह के इंटरवेंशन से सम्भव हुआ। असम में 30 जुलाई को एनआरसी पब्लिश हुआ। असम में 37 जिले हैं। 37 जिले में हर जगह बंगाली पॉपुलेशन आ गई है। In these 37 Zilas, Bengali population is everywhere. In my constituency, Guwahati, alone, there are 3,45,000

Bengalis. There is no trouble. शांतिपूर्ण वातावरण चल रहा है। असम में धारा 144 चल रही है। इसके बीच कोई इनफॉर्मेशन नहीं दिखी। ...(व्यवधान) मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। आप सुनिए। ...(व्यवधान) हिम्मत है तो सुनो। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : विजया जी, कंपलीट करिए।

...(व्यवधान)

श्रीमती विजया चक्रवर्ती: आपकी हिम्मत है, तो सुनिए। ...(व्यवधान)

33 जिलों में कहीं गड़बड़ नहीं है, सिलचर एयरपोर्ट पर तृणमूल कांग्रेस के छह सांसद, एमएलए और स्टेट मिनिस्टर वहां पहुंचे। वहां बाहर निकल कर लोगों से मारपीट किया, बाहर आकर लोगों की पिटाई किया, ...(व्यवधान) असम में दस टीवी चैनल है, इवेरी चैनल में इसे दिखाया है। यह असमिया और बंगाली की बात नहीं है, यह नेशनल इश्यू है। प्रत्येक देशप्रेमी इसे सपोर्ट करता है, मैं यही बात कहना चाहती हूं। बंगाल की चीफ मिनिस्टर ने यहां तक कहा कि असम में सिविल वार होगा, असम में ब्लडशेड होगा, ये सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोला। मेरा एक सजेशन है ...(व्यवधान) उन लोगों को बुक करना चाहिए, इमिडिएटली अरेस्ट करना चाहिए, जो सीएम यह कह सकते हैं कि असम में ब्लडशेड होगा, इससे भयानक बात कुछ नहीं हो सकता है। ...(व्यवधान) असम की शांतिपूर्ण वातावरण को विनाश के लिए तृणमूल कांग्रेस की सीएम ने वहां एक टीम भेजा है। उन्होंने कहा कि असम में चालीस लाख लोगों को निकाल बाहर करेगा, हम उन लोगों को सपोर्ट देंगे। असम अभी शांतिपूर्ण है, शांतिपूर्ण वातावरण रखने के लिए इन लोगों का सहयोग चाहिए। असम में गड़बड़ करने के लिए ये लोग क्यों गये? ...(व्यवधान) असम में साम्प्रदायिक संघर्ष के लिए तृणमूल कांग्रेस के लोग गए।

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्रीमती विजया चक्रवर्ती द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

मैं शांति की बात सुनना चाहती हूं।

श्री गौरव गोगोई (कलियाबोर): अध्यक्ष महोदया, भारत में लोकतंत्र है, इसमें सभी राजनीतिक दल अपनी बात रख सकते हैं, यह उसकी स्वतंत्रता है, उसका अधिकार है। आज असम के लोग शांति और धैर्य दिखा रहे हैं, खासकर वे लोग जो इस लिस्ट में नहीं हैं। वे गोरखा हैं, बंगाली हैं, मारवाड़ी हैं, गुजराती हैं, असमिया हैं, बिहारी हैं, सभी लोग शांति और धैर्य दिखा रहे हैं। हमें सभी की भावनाओं को समझने की कोशिश करनी चाहिए। वह खिलंजी है, बंगाली हो, किसी भी धर्म या जाति का हो। लेकिन आज सीना ठोक कर उत्तेजित भाषण करने से किसी को फायदा होने वाला नहीं है। इससे मसला सुलझा नहीं सकते अगर हम उत्तेजित भाषण करेंगे। असम के लोगों से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। नफरत और डर की राजनीति को बंद करना चाहिए। एनआरसी का नब्बे प्रतिशत काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। सारे अप्लीकेशन कांग्रेस शासन के समय ही जमा हुए थे। अगर गलती हुई है तो इसे छापने में गलती हुई है। इस गलती को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए।

माननीय अध्यक्ष : श्री राजीव सातव को श्री गौरव गोगोई द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

शांति की बात एक मिनट में बोलिए।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): अध्यक्ष महोदया, हम सभी चाहते हैं कि बंगाली और असमिया मिल कर एक साथ रहें, एक साथ जीएं, एक साथ बड़ा हों। असम में आज से नहीं सदियों से बंगाली हैं, बिहारी हैं, नेपाली हैं, सभी लोग हैं। असम को अपना सूबा मानते हैं, हमें भड़काने वाला काम नहीं करना चाहिए। ...(व्यवधान) चाहे जो कुछ भी हो, हर किसी को अपना रिस्पॉन्सबिलिटी महसूस करना चाहिए। दूसरी बात, कहीं सिविल वार नहीं है, कहीं ब्लडबॉथ नहीं है, न बंगाल में न असम में, जबर्दस्ती इस विषय को उठाकर एक सब-रीजनलिज्म की हालत पैदा की जा रही है। यह बहुत खतरनाक है। बंगाल के लोगों की चाहत है कि असम में जो बंगाली हैं वे सुरक्षित रहें।

माननीय अध्यक्ष: आपका हो गया, कितनी बार बोलेंगे।

श्री नव कुमार सरनीया (कोकराझार): अध्यक्ष महोदया, मैं भी एनआरसी के बारे में दो बात बोलना चाहता हूँ। मैं असम के कोकराझार से सांसद हूँ। मेरा कंस्टीट्यूएन्सी के तीन लाख लोगों का नाम नहीं आया है। लेकिन हमारे लोग धैर्य बनाए हुए हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि उनका नाम जरूर आएगा क्योंकि उनके पास भारतीय होने का पूरा सबूत है। मैं सदन को बताना चाहता हूँ कि सारे देश में जो माहौल है इससे असम के लोग बहुत दुखी हैं। चाहे बंगाली हो, चाहे असमिया हो, चाहे इंडिजिनस हो, या किसी भी कम्युनिटी का हो, बहुत सारे लोगों का नाम नहीं आया है। हमको लगता है कि आने वाले दिनों में जो करैक्शन होगा उसमें सबका नाम आएगा। असम के सभी लोग चाहते हैं शुद्ध एन.आर.सी., इसलिए मैं सारे सदन का सपोर्ट चाहता हूँ और मेरी मांग है कि असम के लिए शुद्ध एन.आर.सी. का काम अच्छी तरह से हो पाए।

गृह मंत्री (श्री राजनाथ सिंह): माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य कल्याण बनर्जी जी ने टीएमसी के कुछ जनप्रतिनिधियों की गिरफ्तारी का प्रश्न सदन में खड़ा किया है। मैं इस संबंध में जानकारी देना चाहता हूँ कि असम सरकार को मीडिया के माध्यम से कुछ जानकारी हासिल हुई थी और साथ ही साथ इंटेलिजेंस इनपुट्स भी प्राप्त हुए थे। उन इनपुट्स के आधार पर वहां की सरकार ने लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को देखते हुए और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन मैन्टेन रखने के लिए यह सिचुएशन डिटोरिएट न करने पाए, इस बात की चिंता करते हुए, वहां जो भी सम्मानित सदस्य गए थे, उनको एयरपोर्ट पर डिटेन किया था। मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि वहां के डिस्ट्रिक्ट आफिसर और डिप्टी कमिश्नर और जितने भी पुलिस अफसर थे, वे बहुत ही फोल्डिड हैंड से बराबर रिक्वेस्ट करते रहे कि धारा 144 लगी है, जो सूचना प्राप्त हुई है, उसके आधार पर आपका बाहर जाना उचित नहीं होगा। उनको एयरपोर्ट पर डिटेन किया गया। एक जनप्रतिनिधि के साथ जैसा व्यवहार करना चाहिए, जैसा सम्मान देना चाहिए, सारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों ने वैसा ही व्यवहार किया, वैसा ही उनको सम्मान दिया।

माननीय अध्यक्ष जी, मुझे इस प्रकार की भी जानकारी राज्य सरकार द्वारा प्राप्त हुई है कि कुछ जनप्रतिनिधियों की पुलिस आफिशियल्स के साथ हाथापाई भी हुई थी। मुझे जानकारी प्राप्त

हुई है कि शायद थोड़ी-बहुत चोट भी लगी थी, यह संभव है। मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई है, मैं उसके आधार पर बता रहा हूँ। मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि 2 अगस्त, 2018 को टीएमसी का डेलिगेशन दोपहर 1 बजकर 55 बजे सिल्वर एयरपोर्ट पहुंचा और डीसी ने पूरे प्रोटोकॉल के साथ उन्हें रिसीव किया। डिप्टी कमिश्नर ने पूरे प्रोटोकॉल का ध्यान रखा। उन्हें प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स के बारे में जानकारी भी दी और उनसे वापिस जाने का अनुरोध किया। डेलिगेशन के मैम्बर्स ने उनकी बात न सुनते हुए वहां के सुरक्षाकर्मियों के साथ आर्ग्युमेंट्स और धक्कामुक्की की। इसमें दो महिला सुरक्षाकर्मी इन्जर्ड भी हो गईं।

डेलिगेशन के मैम्बर्स ने वहां कुछ अनरूली सिचुएशन क्रिएट कर दी थी, जिससे आम पैसेंजर्स को असुविधा होने लगी थी और उस समय पैसेंजर्स ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से शिकायत भी की। दिल्ली और कोलकाता की लास्ट फ्लाइट जाने के पश्चात कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होने के कारण पुलिस ने डेलिगेशन के मैम्बर्स को धारा 151 सीआरपीसी के तहत अरैस्ट किया, हालांकि मैम्बर्स का नाइट हॉल्ट एनआईटी सिल्वर में प्रपोज्ड था। वे नाइट हॉल्ट एनआईटी के गैस्ट हाउस में करें, उनसे यह रिक्वेस्ट की गई थी। मैम्बर्स के लिखित अनुरोध पर उन्हें सिल्वर एयरपोर्ट के गैस्ट हाउस में ससम्मान ठहराया गया। 3 अगस्त, 2018 को डेलिगेशन के छः मैम्बर्स को 7 बजकर 40 मिनट की फ्लाइट से कोलकाता एवं 2 बजकर 20 मिनट की फ्लाइट से दिल्ली के लिए ससम्मान भेज दिया गया।

इस तरह से प्रकरण को अत्यंत सावधानीपूर्वक और संवेदनशीलता के साथ हैंडल किया गया है ताकि लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से मैन्टेन रह सके। धन्यवाद।

श्री नारायणभाई काछड़िया (अमरेली): माननीय अध्यक्ष जी, मैं जीरो आवर में आपके माध्यम से सदन का ध्यान बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ। विश्व में पेयजल की कमी का संकट मंडरा रहा है जो कहीं गिरते हुए भूजल स्तर, कहीं नदियों के प्रदूषित पानी और कहीं सूखते-सिमटते तालाब और झील के रूप में नजर आ रहा है। इसका कारण पानी के स्रोतों का भारी दोहन

है। ऐसा लगता है इनको सुरक्षित रखने का कार्य जैसे त्याग ही दिया गया हो। भूमंडल की गर्मी बढ़ने के कारण पृथ्वी का जलस्तर गिर रहा है, प्रति वर्ष 1,60,000 अरब क्यूबिक मीटर की कमी दर्ज की गई है।

बदलते पर्यावरण के कारण कई स्थानों का रूप बदल चुका है। गुजरात राज्य में भी पेयजल का संकट उत्पन्न हो गया है। गुजरात के जिन इलाकों में जहां 150 फीट नीचे जल मिल रहा था, वहां आज बेहिसाब दोहन के कारण 500 से 1000 फीट गहरा बोरिंग करना पड़ रहा है। गुजरात और सौराष्ट्र में कई क्षेत्रों में सूखा पड़ा हुआ था। लेकिन, पिछले दो दशक में एक लाख से ज्यादा चेक डैम और किसानों के खेत में खेत तलावड़ी को सिंचाई के लिए खोदे जाने की परम्परा को जब छोड़ दिया गया था, तो वर्ष 1995 में गुजरात में जब भाजपा की सरकार आई तो सभी मुख्यमंत्रियों ने पानी रोकने का काम किया। वर्ष 1995 से पहले 3500 से ज्यादा गांवों में टैंकर से पानी दिया जाता था। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री और देश के लोकप्रिय नेता और हमारे देश प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गुजरात में “सुजलाम सुफलाम योजना” शुरू की गई थी। आज उसी योजना को हमारे गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री विजय भाई रूपाणी जी ने अपने नेतृत्व में पिछले वर्ष 1 मई से “सुजलाम सुफलाम योजना” को तारांकित किया और 31 मई तक, एक महीने में तालाब का गहरीकरण करने का काम किया। 15 हजार से ज्यादा तालाबों और 13 लाख से ज्यादा डैमों का काम किया तथा 13 लाख से ज्यादा घनमीटर का पानी रोकने का काम किया। गुजरात सरकार ने किसानों के लिए मिट्टी देने का काम भी फ्री में किया। किसान ने जब उस मिट्टी को खेत में डाला तो वह सड़ी हुई मिट्टी खेत में खाद के रूप में काम आयी, जिससे फसल का उत्पादन भी बढ़ा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर पूरे देश में गुजरात पैटर्न लागू किया जाए तो पूरे देश में पानी रोकने का काम किया जा सकता है।

माननीय अध्यक्ष: श्री शरद त्रिपाठी, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, डॉ. किरिट पी.सोलंकी, श्री भैरों प्रसाद मिश्र, डॉ.कुलमणि सामल को श्री नारणभाई काछड़िया द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRI P. KARUNAKARAN (KASARGOD): Madam Speaker, I would like to place a very important issue before the House and the Government. The first demand of an All-Party Delegation headed by the Chief Minister of Kerala was to retain the food allocation that the State had been receiving earlier. Before the Food Security Act came into existence, the State of Kerala had been getting 16 lakh MT of food grains. The States of Kerala and Tamil Nadu are the two States where the PDS has been implemented thoroughly and in a better way from the very beginning. The States have been providing food grains to the APL and BPL cardholders and also to the targeted groups, *Anganwadi* workers and to the families of the disabled.

When the Food Security Act was passed by the Parliament, there was a reduction of allocation of 2 lakh MT of food grains to the State. As you are well aware, the State of Kerala is a deficit State with regard to food grains. There is a gap between production and demand. The Government of Kerala is taking a number of steps to increase the food production by introduction of cultivation of wastelands in the Panchayats. But still it is not sufficient. We could not give food allocation to the APL families and many other sections which were so far provided with food grains. So, we, at the time of passing the Act, made a number of amendments suggesting to the Government that there should be either some exemption made for the State of Kerala or some special provisions should be made for the State. I remember that we moved about 25 amendments at the time of passing of the Bill. Unfortunately, none was accepted. The State of Tamil Nadu also made their suggestions but since

there is sufficient food production in the State of Tamil Nadu, the provision of the Act did not become an issue for that State. But we have been implementing the provisions of this Act by computerizing the records of ration shops, eliminating the middlemen, but it is impossible to manage with the present allocation since majority of the people consume rice as their staple food.

Now, the State Government of Kerala procure food grains from the open market giving fair prices and high prices and distribute them to the ration cardholders. This also put a new burden on the shoulders of the State. On many occasions, we have to give free ration to the people of Ockhi and recent flood affected areas, especially to the fishermen at the time of monsoon. The State Government of Kerala has already submitted a representation in this regard and discussed the matter with the hon. Prime Minister and requested him to consider this issue.

The State of Kerala though deficit in food production, yet the State produces spices, coconut, rubber, tea, cardamom and other items which naturally contribute to earning of foreign exchange for the Central Government by way of exports. So, I would like to urge upon the Government to consider this issue otherwise it is not possible for the State continue giving food grains to the needy people.

माननीय अध्यक्ष: डॉ. कुलमणि सामल, श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन, श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन, श्री एम.बी.राजेश और एडवोकेट जोएस जॉर्ज को श्री पी. करुणाकरण द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

12 45 hrs**(ii) Re: Alleged use of political power to suppress freedom of speech.**

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा): मैडम स्पीकर, हम सभी लोग भारत के लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं और हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हम गर्व के साथ बात करते हैं कि हमारा लोकतंत्र संविधान के तहत चल रहा है और सभी को बोलने का अधिकार है, लिखने का अधिकार है और भाषण देने का भी अधिकार है। आर्टिकल 19 में यह स्पष्ट कहा गया है कि भारत संविधान में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेसन का मूलभूत अधिकार दिया गया है। ... (व्यवधान) ठीक है, आप हमारे पास आकर पूछिए। उसका कर्नाटक में उत्तर देंगे। ... (व्यवधान) लेकिन यह बहुत दुख की बात है कि इस सरकार के पिछले कुछ वर्षों में मीडिया पर पाबन्दी लगाने के कई किस्से हो चुके हैं। खासकर जब भी मीडिया में सरकार के विचार के खिलाफ या रियलिटी चेक जैसी चीजें आती हैं, तब उसको डराने, धमकाने और उनका मुंह बन्द करने का काम हो रहा है। मैं आपको एक ही उदाहरण दूंगा। ... (व्यवधान) दो दिन पहले ही एबीपी न्यूज के दो ऊंचे स्तर के कर्मचारियों को इस्तीफा देने के लिए कहा गया। उनमें से मिलिन्द खाण्डेकर उस न्यूज चैनल के मैनेजिंग एडिटर थे और 14 साल से उस चैनल के साथ काम कर रहे थे। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : उसमें हम क्या कर सकते हैं, वह एक प्राइवेट चैनल है।

... (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: उनके साथ ही दो एंकर्स भी काम कर रहे थे। उनकी एक ही गलती थी कि प्रधानमंत्री जी 'मन की बात' कार्यक्रम में अपने विचार कहते हैं, उन विचारों की रियलिटी चेक करने के लिए एंकर ने छत्तीसगढ़ में अपने रिपोर्टर को भेजा। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : क्या आपके पास उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं? वह प्राइवेट चैनल है, उनका प्राइवेट डिजीजन है।

... (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : उसमें एक महिला की आमदनी डबल हुई है, ऐसा उन्होंने कहा था। उस महिला के पास जाकर उस रिपोर्टर ने पूछा तो उस महिला ने कहा कि यह गलत है और मुझे सरकार की तरफ से कहा गया था कि आपकी आमदनी डबल हो गई है, क्योंकि यहां पर पैडी की क्रॉप हम दे रहे हैं...(व्यवधान) यह न्यूज आने के बाद इन तीनों लोगों के ऊपर ऐसा दबाव डाला गया, एबीपी चैनल पर भी दबाव डाला गया और आखिर में मैनेजमेंट को यह तय करना पड़ा कि मुझे एबीपी चैनल चलाना है। इन इम्प्लाइज को लेकर मैं क्या करूंगा, इसलिए उन तीनों इम्प्लाइज को निकाल दिया गया...(व्यवधान) इस तरह से उनका मुंह बन्द करने की कोशिश हो रही है...(व्यवधान) दूसरी तरफ और एक बात हो रही है...(व्यवधान)

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री अनन्तकुमार): मैडम, आईएंडबी मिनिस्टर जी इसके बारे में रिस्पांड करेंगे।

माननीय अध्यक्ष : मगर यह प्राइवेट चैनल की बात है।

...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: यहां सेंट्रल हाल में एक सीनियर एमपी, राज्य सभा के मेंबर हैं, वह खुद मीडिया को चैलेंज करते हैं कि अगर हमारे विचारों पर आप नहीं चलेंगे।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : ऐसा नहीं होता है। ऐसी बातें मत कहिए।

...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: हम आपका चैनल बन्द करा देंगे।...(व्यवधान) उन्होंने ऐसा करके दिखाया है। एनडीटीवी के ऊपर...(व्यवधान) आपको मालूम है कि नेशनल टीवी को भी उन्होंने 24 घण्टे बन्द करवाया था और दूसरों को भी ऐसा ही कहते हैं।...(व्यवधान) अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है तो हम कहां बात करेंगे?...(व्यवधान) हम अपनी बात आपके ही सामने रख सकते हैं...(व्यवधान) यह रोज क्यों हो रहा है? अगर आप चैनल को बन्द करना चाहते हैं, प्रेस को भी दबाना चाहते हैं, जो आपके विचारों के खिलाफ लिखना चाहते हैं, उनको भी दबाना चाहते हैं तो यह अच्छी बात नहीं है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, आपकी बात आ गई है।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: यह अच्छी बात नहीं है। जो आप ऐसी विचारधारा पर चल रहे हैं, वह गलत है। जो संविधान के खिलाफ चल रहे हैं, वह ठीक नहीं है और फण्डामेंटल राइट्स को दबाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए।

मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप उनको डायरेक्शन दीजिए कि ऐसा न हो।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री रवीन्द्र कुमार जेना को श्री मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री {कर्नल राज्यवर्धन राठौर (सेवानिवृत्त)}: माननीय अध्यक्ष महोदया, देश में एक सिलसिला आजकल देखने को मिलता है कि जब कोई मुद्दा नहीं मिलता तो देश में कोई भी बात हो, उसके लिए अपोजीशन सिर्फ सरकार को ही जिम्मेदार ठहराती है। अब इसका मैं उदाहरण देता हूँ और माननीय खड़गे जी में अगर हिम्मत हो तो मेरी बात को जरा ध्यान से सुन लें क्योंकि उन्होंने बात रखी है और मैंने सुना है।

आज ये जिस चैनल की बात कर रहे हैं, उसने जो सबसे पहली खबर चलाई थी, वह गलत खबर चलाई थी। उसके बावजूद भी सरकार ने कोई शो-कॉज- नोटिस चैनल को नहीं दिया। यह चैनल फ्रीडिश के ऊपर चलता है और फ्रीडिश के ऊपर सबसे ज्यादा टी.आर.पी. आती है। फ्रीडिश सरकार की है और फ्रीडिश के ऊपर बिना किसी इंटरप्शंस के यह लगातार चल रहा है। अगर सरकार को कुछ उसमें दखलंदाजी करनी होती तो फ्रीडिश के अंदर करती। सरकार का इससे कुछ लेना-देना नहीं है। जिस चैनल की ये बात कर रहे हैं, उसकी टी.आर.पी लगातार गिर रही है क्योंकि लोग उसको देखना नहीं चाहते। अब उसका जिम्मा ये सरकार के ऊपर डाल रहे हैं। ये वही चैनल है जो पूरे देश में अपोजीशन फैलाने की कोशिश कर रहा है।

माननीय अध्यक्ष : अब मुझे इसे पूरा करने दो और मैं बताना चाहूंगी कि आज लंच ऑवर नहीं है। आज कंतिनूएशन में बिल लेना है। अब बीच में कोई कुछ नहीं बोलेगा।

...(व्यवधान)

डॉ. मनोज राजोरिया (करौली-धौलपुर): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान मेरे संसदीय क्षेत्र करौली, धौलपुर के हिण्डौन कस्बे की ओर दिलाना चाहता हूँ जहाँ हिण्डौन में केन्द्रीय विद्यालय स्थापित करने की अति आवश्यकता है।

महोदया, हिण्डौन सिटी करौली जिले का सबसे बड़ा कस्बा है तथा वहाँ रेलवे स्टेशन भी है। यहाँ शिक्षा के उचित साधन उपलब्ध न होने से स्थानीय विद्यार्थियों को शिक्षा से संबंधित काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर पर्याप्त संख्या में रेलवे कर्मचारी, बैंक कर्मचारी तथा अन्य केन्द्रीय कर्मचारी निवास करते हैं। इनके साथ में राज्य सरकार के कार्मिक भी काफी संख्या में निवास करते हैं। यह करौली जिले का औद्योगिक रूप से भी महत्वपूर्ण कस्बा है, परंतु हिण्डौन सिटी उपखंड मुख्यालय पर शिक्षा की उचित व्यवस्था नहीं है। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि करौली जिले के हिण्डौन सिटी उपखंड मुख्यालय पर केन्द्रीय विद्यालय स्थापित करने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें जिससे आम जनता को लाभ हो। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, डॉ. कुलमणि सामल और भैरों प्रसाद मिश्र को डॉ. मनोज राजोरिया द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

DR. PRABHAS KUMAR SINGH (BARGARH): I would like to inform that under decentralised system of paddy procurement, Government of Odisha started with a modest procurement of 0.60 lakh MT of paddy in the year 2003-04 and has reached a level of 52 lakh MT of paddy in the year 2016-17. My State, Odisha has put in a lot of efforts to streamline paddy procurement operations and to ensure that all the farmers get the Minimum Support Price. During the

current year, the State has already procured 34 lakh MT paddy. Simultaneously, the preparations have also started for procurement of Rabi paddy from 1st May, 2018.

While we are almost at the fag end of the year, we have not been able to pay the incidental costs for paddy procurement of Kharif 2017-18. The reason is that the Government of India has fixed rates at an extremely low level compared to the market rates, which is not acceptable to the State.

Therefore, I have to inform you that such low-cost rates have been fixed using indexation on the last finalised accounts, that is of the year 2003-04. The Government of Odisha has already submitted the accounts up to the year 2015-16. However, Madam, you would appreciate that the finalisation of accounts is a time-consuming process and revision of the incidental rates at a reasonable level should not be contingent to the finalisation of up-to-date accounts. Also, if we do not pay the incidental cost at the earliest, there is a possibility of disruption in the Rabi paddy procurement.

Under these circumstances, I would like to request you to kindly instruct the Department of Food and Public Distribution to fix the provisional incidental costs at a reasonable level, may be equal to the last year, to facilitate smooth procurement of paddy in the State of Odisha.... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : डॉ. कुलमणि सामल और श्री रवीन्द्र कुमार जेना को डॉ प्रभास कुमार सिंह द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

Now, DR. KIRIT P. SOLANKI.

डॉ. किरिट पी. सोलंकी (अहमदाबाद): अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। वर्ष 2014 से प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार बनी है। सभी राज्यों के विकास के लिए सपोर्ट मिल रहा है। सभी राज्यों का विकास हो रहा है। यह कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का अच्छा उदाहरण है। गुजरात के विकास के लिए रेलवे, सरदार सरोवर डैम या बंदरगाह हो, सभी के लिए सुविधा मिली है।

मैडम, गुजरात की एक विशिष्ट स्थिति है। गुजरात में दरिया का किनारा 1600 किलोमीटर है। गुजरात में 56 प्रतिशत अर्बन एरिया है और 46 रूरल एरिया है। देश की जीडीपी में गुजरात का लगभग 7.5 प्रतिशत योगदान है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से विनती करना चाहता हूँ कि बंदरगाह सागरमाला हो या 'अमृत योजना,' जो अर्बन डेवलपमेंट योजना है, के तहत गुजरात को विशेष सहायता दी जाए।

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री शरद त्रिपाठी और डॉ. कुलमणि सामल को डॉ. किरिट पी. सोलंकी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRI BHEEMRAO B. PATIL (ZAHEERABAD): Hon. Madam Speaker, I am thankful to you for giving me this opportunity to speak in the House.

I would like to raise an important issue of our Telangana State, which is regarding Koulas Fort, which is being neglected for a long period of time, now. Koulas Fort is a massive fort dating back to the 14th Century located in Jukkal Mandal close to Karnataka and Maharashtra State. This fort was built by Kakatiya Rulers and further conquered by Muslim Rulers Bahamanis, Qutub Shahis and, later occupied by the Nizams. The semi-Dravidian style fort is situated on the South-Eastern Balaghat range at an altitude of about 1,000 feet, encircled by Koulas nala.

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री. बी. बी. पाटिल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

आपकी रिक्वेस्ट आ गई है।

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे (कल्याण): अध्यक्ष महोदया, आज मैं यहां पर देश में जर्जर हुए पोस्ट ऑफिस की बात रखना चाहता हूं। आज पूरे देश में ऐसे कई पोस्ट ऑफिसेज हैं, जिनकी हालत डिलैपिडेटेड है। डिलैपिडेटेड कंडीशंस में जो-जो बिल्डिंग्स हैं, उनको रिपेयर नहीं किया जा रहा है।

12 58 hrs

(Shri Prahlad Joshi in the Chair)

सभापति महोदय, आज देश की कई पोस्ट ऑफिसेज की इमारत जर्जर हो चुकी है। मेरे चुनाव क्षेत्र डोंबीवली में भी ऐसी ही एक इमारत है, जो विष्णु नगर पोस्ट ऑफिस के नाम से जानी जाती है। आज उस पोस्ट ऑफिस की इमारत पूर्णतः डिलैपिडेटेड कंडीशन में है। अभी तक उसको रिपेयर नहीं किया गया है। मैंने इसके लिए मिनिस्ट्री से फौलो-अप किया है। यह कल्याण-डोंबीवली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के क्षेत्र में है। ... (व्यवधान)

माननीय सभापति: आप अपना डिमांड बोलिए।

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे: सर, वर्ष 2015 में डिपार्टमेंट को प्रपोजल दिया गया था कि कल्याण-डोंबीवली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के माध्यम इस बिल्डिंग को रिपेयर किया जाएगा, लेकिन मिनिस्ट्री से कोई भी एनसर नहीं आया है। मिनिस्ट्री भी उस पोस्ट ऑफिस के लिए पैसे नहीं दे रही है। उसके कारण लोगों को बहुत कठिनाई हो रही है। आज यह पोस्ट ऑफिस टेम्पोररी जगह पर शिफ्ट की गयी है, उसका किराया एक लाख रुपया... (व्यवधान)

माननीय सभापति : जीरो आवर एक बजे खत्म करना है।

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे: सर, मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। मेरा जीरो अवर में नम्बर नहीं लगता है... (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप अपना डिमांड बताइए।

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे: सर, मैं आपके माध्यम से मिनिस्ट्री से यह निवेदन है कि मिनिस्ट्री इसके लिए फंड मुहैया करे। कल्याण-डोंबीवली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन खुद बिल्डिंग को रिपेयर करने के लिए तैयार है। ...(व्यवधान)

माननीय सभापति : श्री रवीन्द्र कुमार जेना को डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

13 00 hrs

श्री गणेश सिंह (सतना): सभापति महोदय, वर्ष 2014 से पहले दुनिया में भारत की पहचान स्कैम कंट्री के रूप में थी। वर्ष 2014 में जब देश के प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी बने, तब उन्होंने दुनिया में देश की पहचान कैसे बदले, इसके लिए कौशल विकास का काम स्किल इंडिया योजना के माध्यम से शुरू किया। स्किल इंडिया का काम देश के सभी जिलों में शुरू हो चुका है। मेरे क्षेत्र में कौशल विकास केंद्र पिछले वर्ष खोला गया था और उसमें अब तक 13 हजार इन्क्वारियां आ चुकी हैं। यहां 13 ट्रेड स्वीकृत हुए थे, जिनमें से 8 ट्रेडों पर ट्रेनिंग दी जा रही है और बाकी के ट्रेड प्रोसेस में हैं। इन 8 ट्रेडों में कुल 2940 बच्चे पास आउट हुए और 78 प्रतिशत प्लेसमेंट हो चुका है। वर्ष 2018-19 का जो लक्ष्य भेजा गया है, उसमें इनकी सीट घटाकर 500 कर दी गई है, जो कि बहुत कम है। हमारा केंद्र पूरे प्रदेश में बहुत अच्छा चल रहा है।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मांग करूंगा कि इस केंद्र की सीटें पूर्ववत की जाएं और जो ट्रेड बंद पड़े हैं, उन्हें चालू किया जाए। यह बहुत अच्छी स्कीम है और इसमें 78 प्रतिशत प्लेसमेंट है। शायद इस तरह की कोई दूसरी योजना नहीं होगी, इसलिए मैं चाहता हूं कि सीटों की संख्या बढ़ाई जाए और बाकी के ट्रेडों को भी स्वीकृति दें।

माननीय सभापति : श्री भैरों प्रसाद मिश्र और डॉ. के. सामल को श्री गणेश सिंह द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRI R. DHARUVANARAYANA (CHAMARAJANAGAR): Thank you, Sir. I want to raise an important issue regarding health concern with children. Out of eight children, one child is suffering from neurodevelopmental disorders including disabilities like hearing disorder, speech disorder and learning disorder. The main cause of these disorders is poor health care facilities at the time of child's birth.

The Government of India, in this connection, has started a scheme called Rashtriya Bal Swasthya Karyakram in 2013 but the effective implementation of this scheme has not taken place.

I urge upon the Union Government to take effective steps to implement this Rashtriya Bal Swasthya Karyakram. It is because these children are suffering very badly. In India, out of eight children, one child is suffering from this disorder. The concerned hon. Minister is very much here. Therefore, I request him to take effective steps to address this issue.

माननीय सभापति : श्री भैरों प्रसाद मिश्र, डॉ. ए. सम्पत, श्री रवीन्द्र कुमार जेना, डॉ. के. सामल और डॉ. संजय जायसवाल को श्री आर. ध्रुवनारायण द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

Rest of 'Zero Hour' matters shall be taken up at 6 p.m.

13 03 hrs

**STATUTORY RESOLUTION RE: DISAPPROVAL OF NATIONAL
SPORTS UNIVERSITY ORDINANCE, 2018
AND
NATIONAL SPORTS UNIVERSITY BILL, 2018 – Contd.**

HON. CHAIRPERSON: Now, the House shall take up further consideration of the National Sports University Bill, 2018.

Shri Anurag Thakur.

श्री अनुराग सिंह ठाकुर (हमीरपुर): सभापति महोदय, नेशनल स्पोर्ट्स यूनीवर्सिटी बिल पर चर्चा करते हुए मैंने पिछली बार अपने कुछ सुझाव दिए थे। माननीय खेल मंत्री जी को मैंने बधाई भी दी थी कि 524 करोड़ रुपये की नेशनल स्पोर्ट्स यूनीवर्सिटी देश के मणिपुर राज्य में बनाई जा रही है। यह एक बहुत बड़ा स्वागत योग्य कदम है। नार्थ-ईस्ट के राज्यों में इतनी बड़ी यूनीवर्सिटी के आने से वहां खेलों का जो टैलेंट है, उसे आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और नेशनल इंटेग्रेशन की बात करते हैं, उसमें भी यह बहुत बड़ा कदम साबित होगा। इसके लिए मैं मंत्री जी और माननीय प्रधान मंत्री जी को बधाई देता हूँ। यह देश का सौभाग्य है कि पूर्व में ओलम्पियन रहे और वर्तमान में खेल मंत्री युवा भी हैं, फौजी भी हैं। मेरा आपसे एक निवेदन रहेगा कि हर साल हमारे सैनिक पूर्व सैनिक बन जाते हैं। उनमें से सैकड़ों खेलों में भाग भी लेते हैं। क्या हम उनका सदुपयोग खेलों के क्षेत्र में देश के विभिन्न राज्यों में कर सकते हैं? बहुत सारे खिलाड़ी स्पोर्ट्स कोटा से पीएसयूज से लेकर सरकारी नौकरी और प्राइवेट क्षेत्रों में आते हैं। क्या हम उनके लिए ट्रेनिंग का कोई करिकुलम बना सकते हैं? क्या मणिपुर की नेशनल स्पोर्ट्स यूनीवर्सिटी में पूर्व सैनिक को आज के हमारे जो वर्तमान सैनिक हैं या सरकारी कर्मचारी हैं या प्राइवेट कर्मचारी पीएसयूज में हैं, जो खेल कोटे से आए हैं, उन्हें प्रशिक्षण देने के लिए इनका लाभ हम कोचेज के रूप में कर सकें, इससे हमारे पास कोचेज की संख्या बढ़ सकती है।

ट्रेनिंग करिकुलम बनाएंगे, सॉफ्टवेयर का उपयोग करेंगे, तो पता चलेगा कि कौन किस क्षेत्र में कितनी ट्रेनिंग प्रतिदिन दे पा रहा है। हफ्ते में उसका एक खाका आपके पास आना शुरू होगा। मैं तो यही कहूँगा कि :-

न हारना जरूरी है, न जीतना जरूरी है,
खेल है राष्ट्र निर्माण-व्यक्तिव निर्माण का जरिया,
खेल को बस खेलना जरूरी है।

हमारे स्कूलों और विश्वविद्यालयों में विद्यार्थी खेलें, उसके लिए यह प्रयास जरूर होना चाहिए। मैंने कहा था कि the National Sports University should be tied up with all schools and universities, both, through a bicycle rim model. The National Sports University should be treated as an axle at the centre of sports culture. All the schools and universities shall be connected to the university by rims. Now, I wish to strengthen the schools' sports culture and I propose a comprehensive school physical activity policy.

वहाँ पर जो फिजिकल एजुकेशन टीचर्स होते हैं, जिनको पीटी टीचर भी कहा जाता है, यदि उनका किसी एक खेल में इंटरैस्ट है, तो वे केवल उसी खेल को बढ़ावा देंगे। मुझे लगता है कि इसका निर्णय खेल मंत्रालय को अलग-अलग स्कूलों और एचआरडी मंत्रालय के साथ बातचीत करके करना चाहिए। इसके लिए पैसे का भी प्रावधान करना चाहिए। अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात करें, तो वहाँ खेल के लिए हजारों करोड़ रुपये दिये जाते हैं। 40 यूनिवर्सिटीज को एक साल में लगभग तीन सौ करोड़ रुपये से अधिक राशि दी जाती है। लगभग सात-सात करोड़ रुपये एक-एक फेडरेशन को मिलते हैं। लेकिन हमारे देश में कितनी राशि मिलती है? नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस की इसमें क्या भूमिका होगी, इसका प्रावधान इस बिल में कहीं नजर नहीं आता है।

मेरा मानना है कि खेल मंत्रालय के अलावा, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन की एक बहुत बड़ी भूमिका है। वह टीम्स पिक करती है, अपने स्टेट्स की संस्थाओं के माध्यम से कोचेज टूर्नामेंट्स करवाते हैं, तो क्यों नहीं उनकी भी एक भूमिका इसमें रखी जाए? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि स्पोर्ट्स फेडरेशंस के एक्टिव मेम्बर्स को इस यूनिवर्सिटी में एकेडमिक और एक्टिविटी काउंसिल के मेम्बर बनाए जाएं। इसमें एक व्यक्ति आईओए का लिया जाए, एक नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन से लिया जाए ताकि हमारा तालमेल इनसे बेहतर हो सके।

आप फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की मदद ले रहे हैं, जो जरूरी है। लेकिन यह भी उतना ही जरूरी है कि हम अपने स्पोर्ट्स फेडरेशन को इसके साथ जोड़ें ताकि नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का ज्यादा-से-ज्यादा लाभ उठाया जा सके।

आज हमारे देश में क्या परिस्थितियाँ हैं? तीन में से दो बच्चे खेलों में एक्टिव नहीं हैं। चार में से एक बच्चा ओवरवेट है और पाँच में से दो बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। केवल एक प्रतिशत बच्चे ही स्पोर्ट्स के हिसाब से फिट हैं। सौभाग्य से हमारे खेल मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री दोनों ही यहाँ पर मौजूद हैं। मोटापा भी एक चिन्ता का विषय है और खेल ही इसे दूर कर सकता है।

ड्रग्स एक बहुत बड़ी चिन्ता का विषय है। 50 प्रतिशत नौजवान बहुत-से राज्यों में ड्रग्स के कारण पीड़ित हैं। 50 प्रतिशत बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। इसमें एक बड़ी जिम्मेदारी स्पोर्ट्स निभा सकती है।

सभापति जी, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि हम खेलों को नीचे तक ले जाएं। लोगों की मानसिकता को बदलने का प्रयास करें। आपने सही दिशा में कदम उठाए हैं और आपके इन कदमों का मैं स्वागत भी करता हूँ। मैं केन्द्र सरकार द्वारा उठाये गये कदम का भी स्वागत करता हूँ। लेकिन राज्य की सरकारें कैसे आगे बढ़ पाएंगी? हम एनजीओज को, स्पोर्ट्स फेडरेशन को अपने पक्ष में कैसे खड़ा कर पाएंगे, यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है।

आज भारत को इस बात को समझने की आवश्यकता है। हम केवल खेलों की बात नहीं कर रहे हैं। हम जीतने की बात कर रहे हैं। प्रसून दा यहां बैठे हैं। वे फुटबॉल के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। ये हजारों-लाखों लोगों के चहेते हैं। आप खेलों में किस तरह अपना योगदान दे सकते हैं? बृजभूषण शरण जी रेसलिंग फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इस सदन और राज्य सभा के बहुत सारे मੈम्बर्स फेडरेशनों से जुड़े हुए हैं। वे उनमें अपना योगदान देते हैं। अरुण जेटली जी ने दिल्ली में स्टेडियम बनवाया और शरद पवार जी ने मुंबई में बनवाया। मुझे भी इसका अवसर मिला और मैंने भी हिमाचल प्रदेश में छह-सात स्टेडियम्स बनवाए, जिनमें से धर्मशाला का स्टेडियम दुनिया के सब से खूबसूरत स्टेडियम्स में गिना जाता है।

इसके अलावा हमें इस ओर ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम ज़मीनी स्तर पर बड़े टूर्नामेंट्स कैसे कराएं? मैंने पिछले साल भी वहां रूरल ओलंपिक्स करवाया। इस साल हम वहां खेल महाकुंभ करवा रहे हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र से एक लाख नौजवान उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बीस हजार से ज़्यादा नौजवानों ने अब तक पार्टिसिपेशन कर दिया है। हमने उन नौजवानों में से टैलेंट पिक किया है। इस साल और पिछले साल के मेरे इन प्रयासों को देखकर बहुत से और सांसदों ने भी इसे शुरू किया है। मैं माननीय मंत्री जी ने अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप सांसदों के लिए एक फंड क्रिएट करें, ताकि ज़मीनी स्तर पर हर साल हम अपने क्षेत्रों में एक ऐसा टूर्नामेंट करवा सकें, जिसके लिए सांसदों को आपके मंत्रालय के माध्यम से सहायता मिल सके। मुझे लगता है कि मनोज तिवारी जी, नंदू भैया, धनंजय जी और बाकी सब सदस्य भी इससे सहमत होंगे। जय प्रकाश जी क्या ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? कलिकेश जी, माननीय मंत्री जी को सांसदों को यह फंड देना चाहिए?

श्री कलिकेश एन. सिंह देव (बोलंगीर) : बिलकुल देना चाहिए।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : इससे हम ज़मीनी स्तर पर एक्टिविटी करवा कर दे सकते हैं, ताकि हमारे खिलाड़ी आगे आ सकें। हम जेंडर न्यूट्रल की बात तो सदा करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि खेलों में अगर हिंदुस्तान का नाम किसी ने ऊंचा किया है, तो हिंदुस्तान की बेटियों ने ओलंपिक्स में मैडल्स जीतकर किया है। मैं इस सदन की ओर से उनको बहुत बधाई देता हूँ।

आप देखिए कि वर्ष 1972 में मात्र 32 हजार महिलाएं इंटर कॉलेज एथलेटिक चैंपियनशिप्स में भाग लेती थीं। आज वे बढ़कर एक लाख दस हजार से ज़्यादा हो गई हैं। स्कूलों में मात्र तीन लाख बच्चे पार्टिसिपेट करते थे, आज 21 लाख से ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें उनकी भागीदारी बढ़ी है। चाहे वे बेटियां हों या महिलाएं हों, हमने इस ओर कदम आगे बढ़ाए हैं। हमारी सरकार ने 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' के साथ ही बेटियों को खेलने के अवसर भी दिए हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम इस दिशा में आगे भी कदम उठाएंगे। लेकिन आज दुनिया में क्या हो रहा है? अमेरिका जैसा राष्ट्र, मैं बार-बार अमेरिका की बात क्यों करता हूँ? क्योंकि भारत की 130

करोड़ की आबादी में हमारे पास वे अवसर हैं, जो हमें देखने हैं। अमेरिका की मार्केट कितनी बड़ी है? दुनिया की मार्केट कितनी बड़ी है? 40 लाख करोड़ रुपये के खेल और खेलों से जुड़ी हुई यह दुनिया की मार्केट है। आखिर उस मार्केट में हिंदुस्तान का हिस्सा कितना है? यह चिंता का विषय है। आज आई.पी.एल. जैसे खेल को 35 हजार करोड़ रुपये का आंका गया है। इसके बाद बाकी लीग्स शुरू हुईं। आई.पी.एल. के माध्यम से पूर्व खिलाड़ियों को मौका मिला, करंट खिलाड़ियों को मौका मिला और उभरते हुए खिलाड़ियों को भी अवसर मिला। माननीय सभापति जी, ऐसा ही बाकी लीग्स के माध्यम से भी मिल पाया है। इससे खेल इंडस्ट्री को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा, रोजगार मिलेगा। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट होगी तो उस क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इससे इकोनॉमी में भी ज्यादा योगदान होगा। विदेशों में तो जब एक बड़ा स्टेडियम बनता है, तो पूरा शहर उसके आसपास खड़ा हो जाता है।

सभापति जी, मैं धर्मशाला का उदाहरण देता हूँ। धर्मशाला में जितना टूरिज़्म आज से दस साल पहले था, आज उससे तीन गुना ज्यादा है। वहां चार-चार फ्लाइट्स आनी शुरू हो गईं, पांच-पांच फाइव स्टार होटल्स बनने शुरू हो गए। सैकड़ों नए होटल्स बन गए, जिसके कारण वहां की अर्थव्यवस्था खड़ी हो पाई। यह हम वहां बने क्रिकेट स्टेडियम के कारण कर पाए हैं। इस देश में ऐसे बहुत सारे टूर्नामेंट्स और लीग्स को शुरू करने की आवश्यकता है। रशिया में फीफा का टूर्नामेंट हुआ। रशिया के बारे में न जाने दुनिया क्या कहती है, मुझे भी वहां जाने का अवसर मिला। मैं यहां यह कह सकता हूँ कि इससे वहां टूरिज़्म कई गुना ज्यादा बढ़ेगा।

सभापति जी, हमारे पास भी कॉमनवेल्थ खेलों के समय ऐसा मौका आया था, लेकिन उस समय हिंदुस्तान यह नहीं कर पाया, क्योंकि उस समय की सरकार पर पैसा खाने की बू और भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे।

हम खेलों को भी नहीं छोड़ पाये। उस समय की सरकार के मंत्री हों, उस समय की खेल संस्थाओं के सदस्य हों, उस अवसर से हिन्दुस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन हो जाता, वे उसे उस दिशा में आगे बढ़ाने के बजाय पैसा खाने में लग गये। अमेरिका का मैं उदाहरण देना चाहता हूँ।

उसने वर्ष 2028 के लिए बिड की है। वह कुछ नया नहीं करने जा रहा है। उनकी एल.ए. की यूनिवर्सिटी में लोग ठहरेंगे, साउथ कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी में मीडिया सेण्टर बनेगा। वह हजारों करोड़ रुपये आधारभूत ढांचा खड़ा करने के लिए नहीं दे रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ पर जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम हो, करणी सिंह स्टेडियम हो, तालकटोरा स्टेडियम हो या इन्दिरा गांधी इनडोर स्टेडियम हो। क्या हो पाया कॉमनवेल्थ खेलों के बाद? मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप इन स्टेडियमों का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करने के लिए टेण्डर करके दीजिए। चाहे इसमें किसी तरह की एक्टिविटीज हों, चाहे कोई कॉर्पोरेट करे, चाहे कोई सरकार करे, कुछ भी हो उसका सदुपयोग होना चाहिए, ताकि उसका रख-रखाव ठीक हो सके। सरकार को अपना पैसा खिलाड़ियों के प्रशिक्षण पर लगाना चाहिए, जिससे हमारे खिलाड़ी ज्यादा से ज्यादा मैडल जीतकर आ सकें। हमें जिला, प्रदेश और ब्लॉक स्तर पर अलग-अलग तरह की फैसिलिटीज चाहिए और मुझे पूर्ण विश्वास है आप यह काम करेंगे। आपकी नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी अपने साथ कितने सेण्टर ऑफ एक्सीलेंस जोड़ेगी? हरियाणा ने बहुत सारे मैडल्स देश के लिए जीतकर दिये हैं। हरियाणा जुड़ेगा, पंजाब में वह क्षमता है, पंजाब भी जुड़ेगा। ओडिशा में हॉकी अच्छी खेली जाती है तथा झारखण्ड में हॉकी खेली जाती है। क्या आप इन दो राज्यों को हॉकी के साथ जोड़ेंगे और सेण्टर ऑफ एक्सीलेंस वहाँ पर बनायेंगे? क्रिकेट में धोनी झारखण्ड से आते हैं, लेकिन क्रिकेट के क्षेत्र में मैं कहना चाहता हूँ कि वहाँ बी.सी.सी.आई. अपना बहुत अच्छा काम करती है। लेकिन जो पिछले दो वर्षों में घटा है, मैं उस बात को यहाँ पर नहीं कहूँगा। हम कहां थे और कहां आ गये और उसका जिम्मेदार किसको ठहराना चाहिए, मैं उसकी चर्चा यहां पर नहीं करूँगा। मुझे बाकी खेलों की चिन्ता भी है। माननीय मंत्री जी, आप खुद खिलाड़ी रहे हैं। शूटिंग वाले हमारे खिलाड़ी विदेशों में न जायें, क्या आप मेरे हिमाचल प्रदेश में एक अन्तर्राष्ट्रीय शूटिंग रेंज और वहाँ पर प्रशिक्षण का स्थान बनायेंगे? अगर केन्या के और कैरीबियन आइलैंड के खिलाड़ी एथलेटिक्स में, ट्रैकन फील्ड में अच्छा करते हैं तो क्या हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग सेण्टर आप हिमाचल प्रदेश में बनाने जायेंगे? हम सांसद रहते हुए आपका कैसे सहयोग कर सकते हैं, खेल संघों से जुड़े हुए कि

कुछ सरकार करे, कुछ हम करें और मिलकर भारत के खिलाड़ियों को गोल्ड मैडल जीतने के लायक बना सकें। वर्ष 2020, वर्ष 2024 और वर्ष 2028 का आपने अपना क्या टारगेट रखा है कि कैसे राठौर, बिन्द्रा और साक्षी जैसे और खिलाड़ी देश के लिए मैडल जीतकर ला सकें? अगर अमेरिका 350 करोड़ रुपये चालीस नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन को प्रतिवर्ष देता है, तो आप कितना दे पा रहे हैं? उन्होंने पे फॉर परफॉर्मेंस मॉडल निकाला है, लेकिन आपको कन्विंस करना पड़ता है कि आप क्या करेंगे, मैडल जीतेंगे, तब आपको इतना पैसा मिलेगा। क्या आप अपनी नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन से पे फॉर परफॉर्मेंस मॉडल के आधार पर कहेंगे कि वह दें और आप उनको इस तरह से बजट का प्रावधान करके दें? अगर नॉर्थ अमेरिका की स्पोर्ट्स मार्केट वर्ष 2014 में 40 हजार करोड़ रुपये की थी, तो वर्ष 2019 में बढ़कर वह 51 हजार करोड़ रुपये की हो गयी है। अगर 40 लाख करोड़ रुपये की दुनिया भर की ग्लोबल मार्केट है तो आप हिन्दुस्तान की मार्केट का शेयर ग्लोबल मार्केट में कितना देखना चाहते हैं? आप स्पोर्ट्स मैनुफैक्चरिंग के लिए बढ़ावा कैसे देंगे? इसलिए मैं आपके माध्यम से कहता हूँ कि, जब आप बाकी मंत्रालयों से टाई आप करेंगे तो हमारे यहाँ पर रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। यह आपका विषय नहीं है, लेकिन अगर आप प्रयास करेंगे तो जैसे रिकल इण्डिया मंत्रालय है, जब तक वह बाकी मंत्रालयों से बात नहीं करेगा, तब तक यहाँ पर रोजगार या इण्डस्ट्री क्या चाहती है और हम क्या शिक्षा दे रहे हैं, इसमें बहुत बड़ा अन्तर है। दुनिया भर में हमें किस स्तर पर पहुंचना है और हमारे खिलाड़ी किस स्तर पर हैं, हमें इसमें सुधार कैसे करना है?

सभापति जी, मैं यह मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि इसके लिए उन्होंने क्या सोचा है? यहाँ पर तालकटोरा स्टेडियम में स्वीमिंग पूल तो बना, लेकिन आर.एन.डी. की फैसिलिटी नहीं है।

कहीं ऐसा कैमरा, ऐसी तकनीक या ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है, जिससे यह पता लगाया जा सके कि किसी स्विमर का हाथ कैसे चले, ताकि उसकी स्पीड बढ़ पाए? हमारी शूटिंग रेंज में मेडिटेशन के लिए क्या करना चाहिए? आप इस दिशा में क्या कर रहे हैं? वेटलिफ्टिंग और अन्य

स्पोर्ट्स में रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर हमारी सरकार ने क्या काम किया है और आगे क्या करने वाले हैं? इसका लेखा-जोखा आप सदन में बताएंगे तो सभी को इससे लाभ होगा।

महोदय, सेन्ट्रल यूनिवर्सिटीज देश भर में हैं। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या सेन्ट्रल यूनिवर्सिटीज को जोड़ने का कार्यक्रम इसके माध्यम से किया जाएगा? क्या देश की प्राइवेट और सरकारी यूनिवर्सिटीज को कहा जाएगा कि वे अपने यहां किन्हीं एक-दो खेलों के लिए सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस बनाएं ताकि हमारी यूनिवर्सिटीज आने वाले समय में बड़े-बड़े मेडल जीतने वाले खिलाड़ी पैदा कर सकें। डी॰वाई॰ पाटिल जी ने बहुत बड़ा स्टेडियम बनाया था। आज से 20-30 साल पहले तक यूनिवर्सिटीज से हमें क्रिकेट और अन्य खेलों के खिलाड़ी मिला करते थे, लेकिन आज यूनिवर्सिटीज खेलों में ठप्प हो गयी हैं। खेलों का वहां नाम भी नहीं लिया जाता है। जामिया-मिलिया या बाकी यूनिवर्सिटीज की बात की जाए तो क्या हम उनके लिए एक सेन्टर बनाएंगे ताकि वहां से बड़े-बड़े खिलाड़ी निकल सकें। हमारे यहां 1200 के लगभग सेन्ट्रल स्कूल्स हैं, नवोदय विद्यालय हैं। क्या आप एचआरडी मिनिस्टर से बात करके इन स्कूलों के माध्यम से खेलों की नर्सरी तैयार करेंगे? एचआरडी मंत्रालय भी पैसा देता है, लेकिन उसका सदुपयोग कैसे होगा? अगर आपमें और उनमें तालमेल होगा तो हम सदुपयोग करके वहां से बड़े खिलाड़ी निकाल पाएंगे। यूनिवर्सिटीज से आप तालमेल कीजिए। पूरे देश में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं। आदरणीय नड्डा जी, हमारे डॉक्टर्स मानसिक और शारीरिक तौर पर फिट रहें तभी देश स्वस्थ रह पाएगा। आप स्वयं हिमाचल प्रदेश ओलम्पिक संघ के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। आप आर्चरी संघ के अध्यक्ष रहे हैं। आप इस बात से सहमत होंगे कि मेडिकल कॉलेजिस में भी स्पोर्ट्स और फिटनेस को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। उनके परिवार के लोगों को इसका लाभ मिलना चाहिए। हम अपने शिक्षण संस्थानों का अगर इस्तेमाल करेंगे तो हम उसका फायदा उठा पाएंगे। आपने लुक ईस्ट पॉलिसी की बजाय एकट ईस्ट पॉलिसी पर काम किया है। नॉर्थ-ईस्ट में आपने बहुत बड़ा सेंटर खोला है, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। इंटर कॉलेज चैम्पियनशिप के लिए खेल मंत्रालय एचआरडी मंत्रालय को कहे। आप टेलेंट को बढ़ावा देने के लिए इंटर स्कूल और इंटर कॉलेज चैम्पियनशिप की शुरुआत

करवाइए। हमारे देश में बहुत बड़े-बड़े ब्रांड्स हैं जो फण्डिंग कर सकते हैं। आप सांसदों की एक टीम का गठन कीजिए। हम आपको सहयोग करेंगे कि स्कूल से लेकर कॉलेज तक किस तरह से खेलों को आगे बढ़ाया जा सकता है। हम इकट्ठे मिलकर उस पर काम कर सकते हैं। आपका पांच और बीस वर्ष का क्या प्लान है, अगर आप देश के सामने वह रखेंगे तो उससे सभी को लाभ होगा। मैं अपनी बात समाप्त करते हुए कहना चाहूंगा कि डीएवी स्कूल्स या डीपीएस स्कूल्स हैं, इनमें से किसी के एक हजार स्कूल्स हैं तो किसी के दो सौ स्कूल्स हैं। केन्द्रीय विद्यालय के 1200 स्कूल्स हैं। यहां खेल के मैदान बने हुए हैं। आप इनको योगदान दीजिए ताकि हम देश में खेलों का बहुत सेंटर खड़ा कर पाएं। कोचेस की कमी का मैंने उल्लेख किया, आप पूर्व खिलाड़ियों को नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के माध्यम से ट्रेनिंग देंगे और उनको हर दो साल बाद रीफ्रेश कोर्स करवाएं। दुनिया में बहुत सारे क्लब्स हैं। एनबीए, यूरोपियन प्रीमियम लीग और अन्य फेडरेशन्स और क्लब्स हैं। हम इनके माध्यम से ट्रेन द ट्रेनर्स प्रोग्राम आयोजित कर सकते हैं। जिससे हमारे ट्रेनर्स को और अच्छा प्रशिक्षण मिल पाएगा और हमारी विदेशी कोचेस पर निर्भरता भी खत्म हो पाएगी।

एक निवेदन मुझे आपसे और करना है। हमारे यहां पर जंगल हैं, पहाड़ हैं, नदियां हैं। माउन्टनीरिंग से लेकर एडवेन्चर, पैरा ग्लाइडिंग से लेकर स्कीइंग तक सारी अपार संभावनाएं हैं, लेकिन पैसा नहीं है। कैसे हम बना पाएंगे? राज्य की सरकारें न तो फंड देती हैं और न ही केन्द्र की सरकार से उतना फंड मिल पाता है। क्या सरकारें पैरा ग्लाइडिंग, स्कीइंग इन सबको लेकर गंभीर हैं? विदेशों में जब हम जाते हैं तो देखते हैं कि लोग नर्सरी से लेकर पहली क्लास तक के बच्चों को जंगल घुमाने के लिए लेकर जाते हैं ताकि उनको उसकी आदत पड़ जाए। टूरिज्म बहुत बड़ा मददगार साबित हो सकता है।

वाटर स्पोर्ट्स से लेकर पैरा ग्लाइडिंग तक यह एक नई फील्ड है। टूरिज्म और खेलों के जरिए शारीरिक तौर पर फिट रहने का एक बहुत बड़ा प्रावधान किया जा सकता है। क्या आप ट्रेनिंग हब माउन्टीनरिंग से लेकर अन्य खेलों तक के लिए इस दिशा में कोई कदम उठाएंगे?

अंत में, मैं अपनी बात इस बारे में कहकर खत्म करना चाहूंगा कि सरकारों को, शिक्षण संस्थानों को, परिवारों और समाज को अपनी सोच में बदलाव लाना होगा। 12-14 वर्ष के बच्चों को केवल यह नहीं कहना चाहिए कि पढ़ाई की ओर ध्यान दो। उन्हें खेलों की ओर भी उतना ही ध्यान देना होगा। हम तभी इस देश के खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का अवसर दे पाएंगे। आइए इकट्ठे मिलकर भारत को उस दिशा की ओर ले जाएं कि -

आसमां की बुलंदी से होगा नाता उनका,
माटी की धमक से चमकेगा ललाट उनका।
वक्त है बढ़ाने का खिलाड़ियों के मान को,
जो बढ़ाएंगे विदेशों में तिरंगे की शान को ॥

आइए, मिलकर भारत में ऐसे खिलाड़ियों का निर्माण करें। माननीय खेल मंत्री जी और उनका मंत्रालय जो नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बिल लेकर आए हैं, उसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमें केवल एक यूनिवर्सिटी तक नहीं रुकना है। आपने जम्मू-कश्मीर में जो सैकड़ों करोड़ रुपए दिए हैं, उसमें भी करना है। आगे आने वाले समय में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस देश के कोने-कोने में खोलकर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, यूनिवर्सिटीज, केन्द्रीय विद्यालय और बाकी अन्य स्कूलों को जोड़कर हमें एक ऐसी फौज खड़ी करनी है। आप तो पूर्व फौजी हैं और मैं अब का फौजी हूँ। आप भी पूर्व खिलाड़ी हैं, मैं भी पूर्व खिलाड़ी हूँ। आप खेल मंत्री हैं, मैं खेल प्रशासक हूँ। हम सब मिलकर इस देश में खिलाड़ियों का निर्माण करेंगे। हिन्दुस्तान में 2020, 2024, 2028 और हर ओलंपिक में लगातार मेडल जीतते ही जाएंगे।

HON. CHAIRPERSON : Thank you Anuragji, you have made very good points.

Dr. Thokchom Meinya.

... (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Let him make good points. I will thank him also.

Shri Anurag Thakur, as a former sportsman, has made very good suggestions.

DR. THOKCHOM MEINYA (INNER MANIPUR): Hon. Chairperson, Sir, I thank you for giving me this opportunity to speak.

I stand here to welcome and support the National Sports University Bill, 2018.

** {Chairman Sir, I would like to seek your kind indulgence and also the indulgence of the House, to tell you a brief history of this National Sports University (NSU); it is very interesting. The proposal to set up the National Sports University in Manipur was initially announced by our Hon. Prime Minister Shri Narendra Modiji. And Rs.100 crore was allocated for it, in the 2014-15 Union Budget. For setting up this University 325.90 acres of land has been made available by the Manipur State Government at Koutruk in Imphal West District of Manipur.

Sir, the National Sports University Bill 2017 which was first introduced on 10th August 2017 in Lok Sabha could not be passed. Then this bill was referred to the Standing Committee and the committee submitted its report on 15th January, 2018. The NSU bill could have been passed in the last Budget Session itself even through the House was in constant pandemonium. Sir, this bill is not a controversial bill, it could have been passed earlier even without discussion as we did for the Union Budget and other important Bills.)*

Sir, normally, we are never in favour of any Ordinance as a matter of fact. Having assumed that the National Sports University Bill, 2017, which I

** English translation of this part of the Speech was originally delivered in Manipuri.

referred to just now, would have been passed in the Budget Session of Parliament itself, two courses have already been started by the Ministry in an otherwise well-equipped Khuman Lampak Sports Complex, which was the venue of the 5th National Games, and these students would have suffered for want of legal and statutory sanction. There was perhaps an absolute necessity for an Ordinance. Hence, I would say that the Union Government took a decision to go in for an Ordinance. But this is not a good precedent.

The National Sports University Ordinance 2018 (NO. 5 of 2018) was promulgated on the 31st of May and thus the National Sports University in Manipur has come into existence with effect from that day, that is 31st of May, 2018, a red-letter day for the country and for the State of Manipur as well.

The National Sports University Bill was taken up day before yesterday for consideration and passing. Better late than never remains the only explanation in our life. I would request all my hon. colleagues in this august House to support the Bill wholeheartedly and let us pass it unanimously.

The National Sports University will be the first of its kind full-fledged Sports University of international standard. The areas of study so proposed comprise of Sports Science, Sports Medicine, Sports Technology, Sports Management and High Performance Sports Training, etc. As of now, there are some institutes in the country which offer various courses for athletes and coaches. However, a void still exists in the sports environment of the country in various fields which I mentioned just now.

The proposed National Sports University in Manipur is expected to bridge this gap and fill this void. I congratulate the Union Government and the Ministry of Youth Affairs and Sports and wish them the best of luck.

With the establishment of this National Sports University, I wish and hope that in ten to twelve years' time, we will be in a position to win more medals in Asian Games, Commonwealth Games and Olympics. It is because with the introduction of new sports technology, management and advanced coaching, there will definitely be a sea change in the overall standard and performance of our players. Further, taking into account the fact that ours is a very big populous country, by providing high quality sports training and adopting quality international sports practices, India can become a sports power house in the near future.

It is a well-known fact that India has the presence of potential indigenous games and sports. I strongly believe that the National Sports University will certainly promote our indigenous games like Kabbadi, Kho Kho, etc and Sagon Kangjei (polo), Thang-ta Martial Arts of Manipur and also games like Kalaripayattu of Kerala. I am privileged to inform this House that because of the huge presence of indigenous games and sports in my State, Manipur, our children – boys and girls – could do so well in games and sports, particularly in contact sports. We have, over and above our famous Polo and Thang-ta, equally competitive Mukna, Mukna Kangjei, Kang and Yubi Lakpi, etc to mention a few. Manipur has produced a good number of international players including Olympians in the fields of hockey, boxing, weight lifting, cycling,

archery, judo and football. You may kindly remember that in the last Under 19 Indian team, Manipur had eight players in the team of eleven.

We felt very much elated when our Olympic medallist Ms. Mary Kom was nominated to the Rajya Sabha by the Government. With all humility, I do propose that this National Sports University be dedicated to those sports persons of the country, including your goodself and the sports persons of the State of Manipur, in particular who brought laurels for the country in the field of games and sports. We are very confident that you and all of you for that matter, would have performed much better had all these improved modern facilities of international standard were made available to you at that point of time.

It is heartening to note that to make this National Sports University a world class university, MoUs have been signed by the Government of India with two Australian Universities, Canberra and Victoria Universities for the development of curriculum, research facilities and laboratories.

Although there are provisions for establishing Outlying Campuses, Regional Centres and Study Centres, my humble request and rather demand to the hon. Sports Minister is that let us first of all develop the Mother Campus at Koutruk in Manipur State.

In the beginning, let us give our first priority to set up the mother campus with the filling up of the statutory posts of the University like Chancellor, Vice-Chancellor, Proctor, Deans etc. Here I would like to point out that though Proctor is very much a member of the Court and also of the Executive Council,

it appears that, in the list of the officers of the University in Clause no.8, Proctor is not mentioned there. At the same time, it is also not defined under Clause 2 of the Bill. I think it will be taken up under the Statute.

Sir, Manipur is recognized as the home of Polo – a modern form of our Sagol Kangjei, a game played riding on a horse. Sagol means horse and Kangjei means a cane stick. Our horses are small in size. Britishers called them Pony. The Britishers started playing Polo at Cachar district in Imphal. Encyclopaedia Britannica and Guinness Book have mentioned that modern game of Polo has originated from the State of Manipur. Every year, we do organise regular International Polo Tournaments in Imphal.

I request the Hon'ble Union Minister of Sports to set up an Institute of Polo in Manipur under the National Sports University. This will be a great blessing and a good gesture to all Polo lovers of the world. This will also be an icing on the cake for the people of Manipur.

Once again, Sir, I wholeheartedly support the Bill.

Thank you.

SHRI G. HARI (ARAKKONAM): First of all, I express my sincere gratitude and indebtedness to our beloved leader Hon'ble Puratchi Thalaivi Amma for being instrumental in making me a Member of Parliament. I once again thank each and every person of Arakkonam Parliamentary Constituency for electing me as their Member of Parliament.

Sir, I was born in a village called Kuppamkandigai in Thiruvallur district of Tamil Nau. My parents Smt. G. Chinnammaal and Shri S.K.Govindasamy with their limited resources had provided me facilities for my studies and sports. Had there been a Sports University during that time, I would have been a champion in sports. But there were no basic sports amenities for poor and rural people to get training and perform well in sports and games in those days.

Sir, The National Sports University Bill, 2018 replaces the National Sports University Ordinance, 2018 that was promulgated on 31st May, 2018. The Bill seeks to establish a National Sports University in Manipur. The University will undertake research on physical education, strengthen sports training programmes and collaborate internationally in the field of physical education among others.

Sir, Tamil Nadu is a pioneering State for the promotion of sports and games. To promote sports among the masses and to achieve excellence at national and international levels, Hon'ble Puratchi Thalaivi Amma created a separate Ministry for Sports and Youth Affairs in Tamil Nadu.

The sports Development Authority of Tamil Nadu founded in 1992 focuses on providing good opportunities for talent identification and to develop identified talent to excellence at State, national and international levels.

Under the programme, the 'Catch Them Young' and Under-12 and Under-16 programmes of District Sports Council of Tamil Nadu have brought to light tremendous hidden talents from rural areas to Tamil Nadu. As a result of this, we have produced many medal winners in sports and games of national and international competitions.

Sir, Thiru Sathish Sivalingam, the first Indian male weightlifter who has won Gold medals in two consecutive Commonwealth Games hails from Vellore District which comes under my Arakkonam Constituency. I am really proud of him.

Sir, Puratchi Thalaivi Amma had constructed several sports infrastructures like the Jawaharlal Nehru Outdoor and Indoor Stadium, Lawn Tennis courts in Chennai, stadium and swimming pool at the headquarters of each District in Tamil Nadu.

Establishing sports infrastructure and encouraging the sports and games are very important for promotion of sports to meet the international standards.

The Government should construct sports infrastructure of international standards to promote sportspersons to participate in the coming Olympics, Asian Games and Common Wealth Games.

To win 10 Gold medals, and to get 50 medals in the overall medal tally in 2020 Olympics in Tokyo should be our motto. Sports impart great qualities and

play an important role in enabling any person to succeed in all aspects of life. Sports and games are crucial for overall youth development. Team sports like hockey and football help in teaching the spirit of team work as well as development of leadership qualities. I would like to urge the Government to provide importance for kabaddi, football, hockey, badminton and other games at the same level that is given to cricket in India.

Considering the far-reaching benefits of fitness in human life, the Government has introduced 'Chief Minister's Fitness for All' Program in the State. Young people are full of energy, courage, spirit of adventure, hope and ambition. Therefore, youth are not only the future of a country, but also a great resource for the country. They have a crucial role in constructive and developmental activities of the society. It is important to properly engage the youth of the country in nation-building activities. Their energy needs to be channelized in developmental activities and social works.

The YMCA College of Physical Education in Chennai was founded in the year 1920. The College stands as a hallmark for training Physical Education teachers; coaching the students who can teach Physical Education, skills and techniques of games; organizing sports competition; and undergo research programmes. The institute is accredited by NAAC as an 'A-grade' College. It is recognized by NCTE and the Government of Tamil Nadu.

The YMCA College of Physical Education offers M.A., M.Phil and Ph.D courses in Physical Education. The one-year Bachelor of Mobility Science, and

three years B.P.E.S courses and the two-years Diploma in Physical Education attract a large number of students from plus-two levels.

Besides these, M.Sc., Fitness, Exercise Rehabilitation and Nutritional Care; PG Diploma in Sports Coaching including tennis, cricket, swimming, basketball, handball, hockey, football, track & field; and PG Diploma in Yoga are the courses offered at the YMCA College, Chennai.

We are proud to have an outstanding sportsperson as our Sports Minister now. He is young and energetic. I personally request the hon. Minister to encourage and support the young budding sportspersons from all over India to come up like him to win medals in Olympics. We need him to introduce more schemes for the development of sports in urban and rural areas in India.

I would like to urge upon the Union Government to establish a separate Sports University in Tamil Nadu for the benefit of sports students in Tamil Nadu and other southern States of India. I would also urge upon the Government to provide suitable job opportunities for outstanding sportspersons and encourage them by providing all necessary facilities including financial assistance and top-class training. Thank you, Sir.

HON. CHAIRPERSON: The next speaker is Shri A.P. Jithender Reddy. You would have to conclude in 5-6 minutes. I am calling you out of turn.

श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी(महबूबनगर) : महोदय, मुझे तो यहाँ कोई नहीं दिखाई दे रहा है।

माननीय सभापति : यहाँ बहुत लोग हैं। शिवसेना से यहाँ हैं, सभी पार्टियों से लोग यहाँ पर हैं।

श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी: यह बहुत ही स्पेशल मुद्दा है।

माननीय सभापति : आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर हम आपको जल्दी बोलने का मौका दे रहे हैं।

श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी: हर भाषण में हम बोलते हैं कि 75 परसेंट of the population is below 35 years.

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : यह इन्विज़िबल गवर्नमेंट है तो लोग कैसे दिखेंगे । The Government is invisible. So, you cannot see it. ... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Member, please continue.

... (*Interruptions*)

श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी : मेरे ख्याल से मैं चश्मा लगाऊँगा, तो थोड़े-बहुत लोग दिख जाएंगे ।

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री {कर्नल राज्यवर्धन राठौर (सेवानिवृत्त)}: सर, मैं काफी हूँ। आप कोई भी सवाल कीजिए, मैं संभाल लूँगा ।

श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी: सर, मैं एक बात बोलता हूँ। आज पूरे देश में जितने भी स्पोर्ट्स खेलने वाले बच्चे हैं, वे आपकी तरफ ही देख रहे हैं।

HON. CHAIRPERSON: Shri Jitender Reddy ji, please start your speech.

श्री ए. पी. जितेन्द्र रेड्डी: हर आदमी यही सोचता है कि एक ओलम्पियन होने के कारण राठौर जी हम लोगों की तकलीफ समझेंगे, लेकिन आज भी जब वही हाल है तो इसके लिए देश शर्मिन्दा है।

कर्नल राज्यवर्धन राठौर (सेवानिवृत्त): मेरा मौका आने दीजिए ।

श्री ए. पी. जितेन्द्र रेड्डी : सर, आपका मौका कहां आएगा? केवल बोलने का मौका आएगा, काम करने का मौका कहां आएगा?

HON. CHAIRPERSON: Shri Jitender Reddy ji, please start your speech on the Bill.

SHRI A.P. JITHENDER REDDY: Sir, I would like to thank you for giving me time to present my views on the National Sports University Bill, 2018 and also on the status of sports in India. This is an ambitious Bill. It seeks to establish a National Sports University in Manipur and we are supportive of the Government's initiative. Rathore ji, we are cent per cent supporting the Bill.

Despite being a small State, Manipur has set an example for other Indian States by producing remarkable sportspersons over the years. India is in desperate need of a University for fuelling such ambitions. I think the Bill has a wholesome approach by understanding the need of not only training sportspersons but also coaches.

13 46 hrs

(Hon. Deputy Speaker *in the Chair*)

I have to start by congratulating India's own daughter, Hima Das, for making us proud at the global level. जिस गति से उसने यह रेस पूरी की है, मैं उम्मीद करता हूँ कि उसी स्पीड के साथ इस यूनिवर्सिटी का काम भी पूरा होगा। While Hima Das made us proud and happy at the moment, today, I want to draw the country's attention to a crucial and much neglected area of sports. India's performance has been very poor in majority of sporting events. In the last Olympics at Rio, I was present myself, to watch it, we were ashamed of our performance there. हमारी इज्जत जाते-जाते बच गई। हमारी तेलंगाना की जो सिंधु है, she brought a Silver Medal, और एक ब्रॉन्ज मेडल के साथ हम बाहर हो गए। 130 करोड़ की अपनी पॉपुलेशन रहते हुए भी why are we so much backward? इसके ऊपर नज़र क्यों नहीं डाली जाती है? When speeches are made everywhere, everybody says that 75 per cent of our population is below 35 years. When we have such a huge strength, and when

our physique is good, we can achieve whatever we want for our country. We don't have a proper system. What is happening on our sports front? इसके ऊपर क्यों दृष्टि नहीं डाली जाती है, यह समझ में नहीं आ रहा है।

At the Olympics, we have won a total of only eight gold medals between 1928 and 1980, all in Hockey. After that, our first individual gold medal came in as late as 2008 when Abhinav Bindra won 10-meter rifle event. While we improved our performance and won six medals in London in 2012, as opposed to three during 2008 Beijing Olympics, we only won two medals in Rio Olympics in 2016. That is, one medal for 60 crore people.

India has the worst medal tally per capita. In comparison, China finished third with a medal tally of 70 medals, including 26 Gold medals. They made long-term investment in talent identification from young age, and provided adequate infrastructure and funding.

Now, I would like to talk about the budget allocated to sports. While the budget amount has been increasing, the rate of increase has declined. Studies show a direct co-relation between the money invested in sports and the medals won. While in the last fiscal budget, the budget saw an increase of 21 per cent, in this year's budget allocation, the increase is only 12 per cent. I fail to understand what justifies this reduction in the rate of increase of allocation?

A healthy mind requires a healthy body, and that was the point behind the establishment of Nehru Yuva Kendra. But I got to know that when the Nehru Yuva Kendra asked for about Rs. 800 crore, it was allotted only Rs.250 crore. Further, I would like to highlight that even though we don't have

adequate sports infrastructure in the country, the Ministry has decreased the allocation of funds to the Sports Authority of India by 13 per cent.

Sir, after studying accountability measures in sports I feel like there is a test match being played. बहुत दिनों के मेहनत के बाद उनके हाथ में कुछ भी नहीं आता है। यह पता ही नहीं चलता कि स्पोर्ट्स की इस बुरी हालत के लिए कौन जिम्मेदार है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन कहती है कि वह खुद के लिए गवर्नमेंट से एक पैसा भी नहीं लेती है, इसलिए इस बारे में मुझसे मत पूछो। जो नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन है, उसको इतना कम पैसा मिलता है कि उससे रिजल्ट की माँग करने में भी शर्म आती है। For the current financial year, 53 NSFs in India have been allocated only Rs.342 crore. That is roughly Rs.6.5 crore per NSF. This amount has to be further allocated to the State Federations. आपको मालूम है कि वहाँ से 29 स्टेट्स में पैसा जाता है। हमारे बच्चों के लिए कितना पैसा जाता है, कहाँ से जाता है? I say that the children who are really playing today and the people who are really running the Olympic Associations in the States are doing so because of their passion for sports irrespective of caste or creed. The children who are really playing, whether it is athletics or hockey or soft ball or swimming, are the ones who are really interested in those fields.

I have been the Vice President of the Olympics Association for the State of Andhra Pradesh. I am today President of the State Olympic Association of Telangana. With all that experience I can say that sports people are totally neglected. There is no proper infrastructure anywhere. Not only that, there is a calendar given by the NSF. उन लोगों का फेडरेशन के साथ कैलेंडर है कि पहले सब-जूनियर का कीजिए, उसके बाद जूनियर, सीनियर तथा सीनियर नेशनल कीजिए। जो लड़के तथा लड़कियाँ कोचिंग कैंप्स के लिए जाते हैं, वे लोग वहाँ ठहरते हैं, लेकिन उनको टीए/डीए अमाउंट के

लिए भी बहुत सताया जाता है। वहां जो प्रेसिडेंट तथा सेक्रेटरी सेलेक्ट हुए हैं, वे अपने घर से पैसा ले जाकर बच्चों को फीड करते हैं। Then he goes to SAF and submits his bill. लेकिन दो-तीन साल के बाद भी उनको पैसा नहीं मिलता है। फेडरेशन सिर्फ यही कहता है कि आप जूनियर नेशनल, सीनियर नेशनल और नेशनल इवेंट कीजिए, तब आपको पैसा दिया जाएगा। इसके लिए वह कभी-कभी पैसा भी देता है। वे लोग इवेंट करते हैं, उसके बाद बिल सबमिट करते हैं, फिर कई दिनों के बाद उनको पैसा दिया जाता है। Why so much of discrimination against sports? Why is this happening? Is it like running a club? Or is the name of the country involved? आप कहेंगे कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह स्टेट का मामला है। जब आप ओलंपिक तथा एशियन गेम के लिए जाते हैं, तो वहां किसका नाम बदनाम हो रहा है? वहां हमारे देश भारत का नाम बदनाम हो रहा है। भारत के स्पोर्ट्समैन के लिए कुछ नहीं हो सकता है। 130 करोड़ लोगों के रहते हुए भी, हमारे देश के बच्चे एक भी मेडल नहीं ला पा रहे हैं। इससे हमारे भारत की इंसल्ट हो रही है। इसके लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आईओए में जो लोग इतने सालों से बैठे हुए हैं, उनको 4 साल का टर्म दिया गया था, लेकिन वे 16-16 सालों तक वहां बैठे हुए हैं। मैं जानना चाहता हूं कि वहां वे क्या कर रहे हैं? उनको गवर्नमेंट की तरफ से बिल्डिंग भी दी गई है। सरकार ने उनको किसलिए बिल्डिंग दी है? क्या वे वहाँ बैठक कर पॉलिटिक्स करेंगे? वहां एक नेशनल फेडरेशन बना है, यदि संबंधित व्यक्ति को वह पसंद नहीं आया तो दूसरा नेशनल फेडरेशन तैयार कर देता है। उन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। अगर एक स्टेट के अंदर कोई गेम रहता है, यदि उसे पसंद नहीं है तो वह दूसरा चालू कर देता है।

यह क्या तरीका है? Who is losing? The children are losing. मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं, मेरे ख्याल से मंत्री जी you have also been picked up from a rural area; you have not been picked up from a city or a town. सिटी के अंदर गोल्फ खेला जाता है, नहीं तो इक्वेस्ट्रियन जो गेम खेला जाता है, जिधर यह रहता है, उसके लिए आप बोलते हैं, लेकिन स्टेट्स में विलेजेज के अंदर उसका इन्फ्रास्ट्रक्चर कहां है? When you give five

per cent 5 per cent for education seats, आप कहते हैं कि गोल्फ वाले को दो, नहीं इक्वेस्ट्रियन वाले को दो। वह गेम क्या है? बीच वालीबाल, तेलंगाना के अंदर बीच कि धर है? हम कहां से बीच लेकर आएंगे? ये बीच वालीबाल का गेम बोलते हैं। ... (व्यवधान) हेल्थ सेंटर के अंदर आप पीएचसी बना रहे हैं, हर गांव में प्राइमरी हेल्थ सेंटर बना रहे हैं। हर गांव के अंदर अभियान किया जा रहा है, रोड के ऊपर अभियान किया जा रहा है। जिस तरीके से हम आज गरीबों के बीच में पहुंच रहे हैं, तो मैं दावे से बोलना चाहता हूं कि हर गांव के अंदर इनफ्रस्ट्राक्चर रहना चाहिए। मंत्री जी, हमें आपसे बहुत उम्मीद है कि आप जरूर गांव की तरफ देखेंगे। हर विलेज के अंदर, हर मंडल के अंदर आप 'खेलो इण्डिया' का अभियान लेकर आए हैं।

HON. DEPUTY SPEAKER: All healthy people are in villages only; they are good sportspersons.

श्री ए. पी. जितेन्द्र रेड्डी: मैं पूछना चाहता हूं कि वर्ष 2017 तक कौन से मंडल के अंदर इनफ्रस्ट्राक्चर बना है, किधर एकेडमी बनी है, कौन सी जगह एकेडमी बनी है? Simply, if every district has got a proper academy for sports, children and people can come and play. वहां से भी बड़े-बड़े हीरे निकल सकते हैं। We can also have players like Dhoni coming from rural areas. So, I request the hon. Minister to look into what is happening in IOA and Sports Federation. यह सबको देकर, एक-एक आदमी को धोकर, सुखाकर, नई सी इस्त्री करके नया सा परिवर्तन आप ला सकते हैं। ... (व्यवधान) परिवर्तन करके जितने भी हमारे यंगस्टर्स हैं, जो खेलना चाह रहे हैं, जो आगे बढ़ना चाह रहे हैं, जो देश का नाम आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, आप उन लोगों को बढ़ावा दीजिए।

SHRI PRASUN BANERJEE (HOWRAH): Hon. Deputy Speaker Sir, I am very happy to say something here because I am the first footballer MP. You have given a chance to me. I have been captain of India and an Arjuna Awardee. I have represented in Asian Games. ... (*Interruptions*)

SHRI SUNIL KUMAR JAKHAR (GURDASPUR): Hon. Deputy Speaker Sir, it is very unfortunate that he has to introduce himself. That shows the plight of the game. I think we have forgotten all other sports at the cost of cricket and yoga. Hats off to you, Sir.

SHRI PRASUN BANERJEE : Thank you, Sir. One of the finest sportsman in our country and the hon. Minister Col. Rajyavardhan Rathore is sitting here. उनको देखकर अच्छा लगता है। लाइफ में हमने देखा कि भारत में कोई स्पोर्ट्स मैन कभी स्पोर्ट्स मिनिस्टर नहीं बना। पहले एक मंत्री असलम शेर खां बने थे, उनके बाद आप आए। इसके लिए हम आपको बधाई देना चाहते हैं। Shri Anurag Singh Thakur is a cricket player. वे रणजी ट्राफी खेल चुके हैं। वह इतना बड़ा काम कर चुके हैं। मैं द नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बिल पर बोलना चाहता हूँ। Sir, with your permission, I want to speak in my mother tongue.

* * I want to speak in my mother language if you don't mind. I thank you and congratulate you all for allowing me to speak on this very important National Sports University Bill. हम इसलिए बहुत हैप्पी हैं। हम ममता जी को धन्यवाद देना चाहते हैं, जिन्होंने हमें चान्स दिया। I am the first footballer as an MP. This is a wonderful day to me.

* * English translation of this part of the speech originally delivered in Bengali

But this is a wonderful day to me. I am very proud of the National Sports University Bill 2018. I congratulate the Hon. Minister for bringing this bill as it was the need of the hour. This should have been done earlier, but better late than never. The bill has to be dealt with very seriously Mr. Minister. I would urge upon you that politics should not be involved in the execution of the bill. We should forget who belongs to which political party. Sports is sports, sports must not be mixed with politics. My first point is that a wonderful thing is going to happen through this bill. This concept was first introduced in Cologne, Germany, thereafter in America. Now it has come to India. Very good. But I think that when SAI was set up, it was excellent in the beginning. Gradually its quality deteriorated and now it is in shambles. This should not be repeated. *
 प्राइम मिनिस्टर और स्पोर्ट्स मिनिस्टर से एक निवेदन है, आप स्पोर्ट्स पॉलिसी कहते हैं, सब कुछ करते हैं, स्पोर्ट्स का बजट बढ़ाए, जरूरत पड़े तो इलैक्शन से पैसा कम करके स्पोर्ट्स में लगाए, We are not getting anything. रोटी, आलू और गोबी खाकर वर्ल्ड चैम्पियन नहीं होंगे, It is very difficult. जब हम जीतते हैं तो कई हजार करोड़ रुपये देते हैं, जीतने के पहले खाना नहीं मिलता है, गांव-गांव में घूमते हैं, बच्चे लोग गांव से नहीं मिलते हैं। जरूरत पड़े तो प्राइम मिनिस्टर साहब से बात करके पैसा लाए। *....* I know, you are a great sportsperson and an honest person.

14 00 hrs

I think that this should happen. And I also believe that immediately sports should be made compulsory in schools and colleges. Secondly, we

.... English translation of this part of the speech originally delivered in Bengali

must refrain from categorizing sports into district or state levels. It should be of one single nation, without any politics. Wherever we are, we should play together unitedly.* गाँव गाँव में कैसे भी गरीब बच्चे हों, हम लोग दूढ़ते हैं, कोई बच्चे मिलते नहीं । I am speaking in Bengali. राज्यवर्द्धन जी, आप जरा सुनिये । *....* You are present here Hon. Minister, you are one of the finest sportsmen of India. It should be all sports, not only cricket. All that you are promoting is cricket and cricket.* क्रिकेट बंद करिये, कबड्डी खिलाइये, स्विमिंग पर ज्यादा ध्यान दीजिये, कुश्ती पर ज्यादा ध्यान दीजिये । *...* I think more funds should be allocated for sports, more sponsors should be attracted. Without funds nothing can fructify.* हम जानते हैं कि गवर्नमेंट के पास पैसे की कमी है। हमारे बोलने का मतलब है कि फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट और उसके बाद ब्लॉक, सभी जगहों से बच्चों को लाना चाहिए । साई, स्पोर्ट्स ऑथरिटी ऑफ इंडिया इतना अच्छे से नहीं चल रहा है। आप अच्छा कोशिश कर रहे हैं तब भी अच्छा नहीं है।

*...*You can never play hundred games together, you can never wins gold in hundred games in one go. Please select 6 games first.* छह खेलों पर खर्च करिये, ट्रेनिंग कराइये । They will get gold every time. हम लोग जो बोलते हैं, निगेटिव बात नहीं होनी चाहिये । हम लोगों की आज ऐसी हालत है जब ओलम्पिक में स्पोर्ट्समैन जाता है तो न्यूजपेपर्स बातें कहते हैं कि आप लोग जीत सकेंगे । हमें स्पोर्ट्समैन मिलेगा । आप लोग क्या कहते हैं, आप जीत सकेंगे । हमारे बच्चे को ट्रॉफी मिलेगी, हर समय निगेटिव एटिट्यूड होता है। हम लोग आईडोवहजन से मैच खेल रहे थे, हमारे कोच ने कहा कि कितने गोल खाएंगे,*...* How many goals have you scored? No goal. We won that match. All negative approach should be stopped. You should inspire the youths. *

.... English translation of this part of the speech originally delivered in Bengali

आप लोग जो करना चाहते हैं, हम सोचते हैं कि इधर जो लोग बैठते हैं, सबको सपोर्ट करना चाहिए। इसमें पोलिटिक्स मत लाइए। स्पोर्ट्स में पोलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। मैं इस बिल के बारे में एक बात कहना चाहता हूँ, भारतवर्ष में अंडर 17 वर्ल्ड कप फुटबाल हुआ था। मुझे यह कहते हुए दुख होता है, पहले फोन आया कि आपको रिसेप्शन देंगे और दस दिन बाद बोले कि नहीं, प्रसून जी आपका नाम नहीं है। हमारा नाम किसलिए नहीं होगा? *...* I got the Arjuna award. I am a three-time Asian Games player. I also got the Rajiv Gandhi Khel Ratna Award. I captained the Indian National Football team. I also captained 1980 pre-Olympics. * इंडिया में हमारी लाइफटाइम में अंडर 17 वर्ल्ड कप हो रहा है, क्या हमें थोड़ी-बहुत रिस्पेक्ट नहीं मिल सकती? क्या हमें रिस्पेक्ट नहीं मिल सकती है? क्या इधर भी पोलिटिक्स हो गई? तृणमूल के कारण हमें छोड़ दिया। प्लीज़, ऐसा मत कीजिए। हम भी नहीं करेंगे। हम स्पोर्ट्स में मिलकर चलेंगे।

मेरा कहना है कि आप इसे स्कूल से शुरू कीजिए। स्पोर्ट्स कम्पलसरी कीजिए। स्कूल से शुरू कीजिए। डिस्ट्रिक्ट में कोई नहीं जाता है, कोई उधर नहीं पहुंचता है। आप किसे भेजेंगे? कोई आईएएस अफसर नहीं, बिग प्लेयर को भेजिए, स्पोर्ट्समैन को प्लेयर को सलैक्ट करने के लिए भेजिए। You are a wonderful sportsman. यहां नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बिल की बात हो रही है, यह जरूर होगा, मणिपुर में हुआ, अच्छा हुआ। सब जगह होना चाहिए, Why not Bengal, Punjab or Kerala? पूरे देश में होना चाहिए। पश्चिम बंगाल से फुटबाल में ओलम्पिक कैप्टन डायरेक्ट चार बार गए थे। T.Ao Captain 1948, 1952 में एस. मनन कैप्टन थे, 1956 में बदरु बनर्जी कैप्टन और 1960 में पी.के. बनर्जी कैप्टन थे। All the top sports players are there. सौरभ गांगुली यहां है, सारे ज्युल्स यहां हैं। यहां स्पोर्ट्स मैन्डेट है। बंगाल में स्पोर्ट्स के लिए

... English translation of this part of the speech originally delivered in Bengali

कुछ नहीं होता है बाकी सब जगह होता है। आप इन लोगों को सपोर्ट कीजिए। पश्चिम बंगाल में कोलकाता में यूनिवर्सिटी बननी चाहिए।

आप बंगाल में वर्ल्ड कप कराएं। यहां वर्ल्ड कप फाइनल होगा तो कितना अच्छा लगेगा। इधर जितेन्द्र जी कह रहे थे कि कुछ नहीं हो रहा है, जीरो होकर आ रहे हैं। जीरो तो होगा ही, हमारे देश में ओलिम्पिक्स में दस रुपए खर्च करते हैं, गुआम आईलैण्ड कितना पैसा खर्च करता है, खाना खिलाता है, तैयार करता है। They should be treated as the national property. आप जिसका सलैक्शन करें, वह नैशनल प्रापर्टी है। उसे खाना, पीना, रहना सब देना है। क्या हम रोटी खाकर वर्ल्ड कप जीतेंगे? ऐसे नहीं होगा। हमारी आपकी सरकार से कोई लड़ाई नहीं है। हम पार्टी के लिए भी नहीं बोलते हैं। आप भी हैं, हम भी हैं, सब कोशिश करें। अगर जरूरत हो तो इलैक्शन का पैसा कट कर दीजिए। (व्यवधान) हमने तो बड़ाई की है, हमने कहा कि इतना बड़ा प्लेयर जन्म नहीं लेगा। आपको बोलना नहीं चाहिए, हमने तो बड़ाई की है, फर्स्ट अवार्ड मिला, He is the first Silver Medal winner in Olympics. ओलम्पिक में मिला। राज्यवर्धन जी को यह जरूर करना चाहिए, आप इसे पोलिटिक्स में मत गिराइए, इसे छोड़ दीजिए, हमें भी छोड़ दीजिए।

मैं एक बात बोलकर अपनी बात समाप्त करता हूं, कोई भी खिलाड़ी हो, वह देश की सम्पदा है। In the world of football, Pele is a king. 24 सितम्बर, 1977 को कोलकाता में हम खेले थे। वह हमारे लिए कुछ बोले थे, * ... * Pele told me: "Prasun Banerjee, just listen. Play the football, see the world. Be a gentleman and you will fly your National Flag all over the world". *

हम नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बिल का सपोर्ट करते हैं।

* ... * English translation of this part of the speech originally delivered in Bengali

SHRI KALIKESH N. SINGH DEO (BOLANGIR): Thank you very much, Deputy Speaker, Sir.

I am grateful that you have given me an opportunity to speak on this Bill, that is, 'The National Sports University Bill, 2018'.

Sir, sports is an area which bridges all kinds of gaps. It crosses political differences and the interests of various countries. It can bridge nations together. I remember a time when India and Pakistan were having a great difficulty between each other in terms of our political relationship. It was the sport of cricket which brought us together and which allowed us to open diplomatic channels again. Therefore, sports is not just a mere physical discipline. It should be looked at by the Government in light of diplomacy; in light of health; and in the light of the well-being of the entire nation as a whole. It if uses solidarity in the nation like nothing else so far.

In that spirit, I was very appreciative of my friend, Shri Anurag Singh Thakur Ji, when he being the Chief Whip of the ruling Party criticised his own Government for not having given enough funds in the area of sports. With the same spirit, I would like to say that I appreciate the gesture of the Government by putting up the National Sports University in Manipur. One of the biggest achievements of this Government is that they have made a sincere and serious attempt to integrate the North-East with mainstream India. Therefore, I welcome this Bill proposed by the hon. Minister of Youth Affairs and Sports.

However, Sir, the question before us is this: Is it too little or too late? The University attempts to create a first of its kind institution to train coaches,

teachers, sports officials and also train national level athletes. It will have two or three out lying branches mainly in Lucknow, Mohali and Gwalior. But, all those places are in Northern India and have National Sporting Institutes already. My first question to the hon. Minister is obviously going to be: What happens to the rest of India? Do we not have people interested in sports in Western India, Southern India and especially in Eastern India?

My friend Shri Anurag Singh Thakur talked about the North East. But it is not just them who matter. Sir, Eastern India has been neglected by this Bill. My request to the hon. Minister is to look at the efforts of the Odisha Government where they have partnered with Hockey India to hold and launch many Hockey International events and world cups in Odisha. This is a spirit and the kind of initiative that both the Central Government and every State Government should have. We should ensure that we have the capacity and the infrastructure to hold national and international events for our country's sports. We can choose those events based on the competence of athletes and the interests of our people. But, this must be mandated and sports must be given the priority. I think, there is, by far, the overwhelming majority consensus for this in the House.

But, Sir, we have seen a decline in the results and the performance of Indian teams. I have full sympathy and support for every sportsmen of each sport who represents India at any international event – be it beach volleyball; be it kabaddi; be it cricket; be it hockey; and be it kho kho. However, we have seen that India has not performed as well as some others do. The numbers do

not lie. We have had a decline of 37 per cent in the medal tally at the Commonwealth Games which, were recently held in Glasgow. India has only won 28 medals in its history in the Olympic Games. Is it correct? I would not say that it is shameful at all. I would say that it is our fault. The blame for the poor performance of our athletes is not within the athletes. It is with those people who are in Government; it is with those people who are in the Legislature, who make laws; and it is with those people who run the sports bodies, including myself as I am a Member of the National Rifle Association of India.

Sir, we are unable to provide what is required for sports people to excel. I think, Shri Thakur made a very good reference to that. There are many issues which pervade the world of sports. Not all of it is under the control of the hon. Minister or the Government. We understand that division of offices between the sports bodies, Ministries and the Sports Federation themselves, is immense.

However, we find that the budget of the Government for the sports this fiscal year is a mere Rs.1943 crore. Now I am being told that it is Rs.2000 crore, which is good. But, when we compare that to the budget of the UK, a country which is less than 1/5th of our geographic size and less than 5% of our population, the budget there is Rs.9000 crore and in the US, it is Rs.12000 crore. This does not count the private sector's investment in sports which is 5-6 times that amount. In India, we have stifled the sports arena by total Government control or by control of the sports bodies which the Honourable

Member, Shri Jithender Reddy, was referring to. They have become moribund or a 'closed club' which revolve around themselves. We are unable to even put up create the platform for sports to actually get funding from private areas.

What do we need to ensure that sports get sufficient funding? Be it for infrastructure, be it for the training of the athletes, and be it for sufficient wellbeing of the athletes – psychologically and physically, we need money. How will the money come? It will come from sponsorships. Why will private companies sponsor athletes? They will sponsor them because they will be visible on sports media through television, through radio and various other events. Unfortunately, in India, - and my friend, Shri Anurag Thakur, should not take offence at this – cricket hogs the limelight of all sports. It's obvious that, in fact, I am sure he will agree to it. We need to do more to ensure that sufficient advertising money comes towards other sports as well. My friend, Mr. Rathore is also the Minister of State for Information and Broadcasting. The simplest thing that the Government can do is to come up with a code which mandates that all kinds of sports get certain time slots on various television channels and if not on private channels, at least, on Doordarshan. Even DD focuses mainly on three to four sports based on who the administrators are, where they come from and what influence they hold within the current Government. Therefore, the first thing I would request him to do is to ensure that adequate advertising space and media coverage given to sports people.

Sir, we have seen that for excellence sports need encouragement right from day one. Our children generally to spend more time involved with

academics work rather than with sports. What we do not understand is that a physically active child is also a more mentally active and mentally developed child. It is good for the physical being as well as for the psychological development of children. That is not something which has been implemented in our education system, especially in rural areas. There is a need to do that. There is a need to ensure that, based on merit and accomplishments, there is a sports quota at every university for admission. That is the only way we can incentivize our schools and parents in rural areas to ensure that they do not force their children to just focus on academics. If we do not have a sports quota for admissions to universities and if we do not have a sports quota for jobs in PSUs, we are not going to achieve that.

Coming back to the Bill, I have talked about a university being set up in Manipur. There is a lack of infrastructure creation in other States. We need to have, at least, one such Institute of Excellence in every State capital. It is not a tough task. If the Government does not have the money which they obviously do not have with a Rs.2000 crore budget, let them partner with State Governments. I can assure you that the BJD MPs will go and talk to the honourable Chief Minister of Odisha if the Government takes one step to institute a centre of excellence for all sports in Odisha. We have already got one for hockey; we have already got another for archery; but we are willing to expand these further. Let the Government come up with a scheme where people can coordinate with them and ensure that these facilities come up.

Otherwise, the Ministry of Sports tends to be only administrative and not one of infrastructure development which is a crying need of the hour.

I liked Mr. Anurag Thakur's suggestion that the Ministry of Human Resource Development should have a budget for creation of sports facilities in every rural school. I completely agree with that and I am sure if the Government of India comes forward, the State Governments also will come and meet them.

The main issue of this Bill is the kind of curriculum it will mandate. If it does not have a curriculum of excellence, then it would be relegated to being another typecast institute which decays over time as interest wanes. I understand that the hon. Minister has signed an MoU with the Universities of Victoria and Canberra in Australia to come up with a sufficient curriculum and training procedure of the teachers there. When the hon. Minister replies, I would like to know what the curriculum is. Good curricula need good teachers. We know that there is a dearth of world-class skilled professionals in the sporting realm in India. It is not an issuing potential; we know there are people who have the potential but they have not received the training required because we do not have kinds of institutes that can train them. So, where will he get the teachers from? Are the Universities of Victoria and Canberra going to provide us with their professors? The Government must also tell us about the funding of these institutes. We have seen that many SAI institutions have decayed over time. I was witness to it when I used to play Basketball for the State of Uttar Pradesh. I had been to some SAI training camp. The food we got

was minimalistic. Comfort was no where to be found. We used to live there in the heat of summers at 45 degrees without electricity; without a single fan. You have to provide minimum comfort levels to the athletes who train there, especially children.

One of the major things that have been happening in sports, which I am shocked and ashamed to see and read in Press, are incidents of sexual assault and the sexualisation of our female sports girls. This is a complete failure of those bodies and also the oversight of the Ministries in this case. Moreover, the issue of women being perceived as physically incompetent for sports persists. We need to have clearly defined roles where gender appreciation and gender sensitivity exist in the sports arena, especially amongst the officials and those in charge.

Sir, with these words, I would like to again state that I support the Bill because: one, it supports the growth of sports and two, because it is in Manipur. But again, it is too little too late and several deficiencies –both with the Bill and sports in India –need to be addressed. Sooner or later, we would like to see many more of these institutes in the Eastern part of India, especially in Odisha.

Thank you.

HON. DEPUTY-SPEAKER: My request to the hon. Members is that you should be very brief because we have to complete the discussion before 3 p.m. We have to take up Private Members' Business at 3.30 p.m. Each Member may speak for five minutes each.

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार द्वारा 'खेलो इंडिया' की घोषणा करके खेलों को बढ़ावा देने का काम सरकार कर रही है। इसी दिशा में मणिपुर में राष्ट्रीय खेलकूद और विश्वविद्यालय केन्द्र सरकार द्वारा खोला जा रहा है। मैं अपनी पार्टी की तरफ से इसका समर्थन कर रहा हूँ। मंत्री जी भी खुद पूर्व खिलाड़ी हैं। देश के लिए कई गोल्ड मेडल मंत्री जी लेकर आए हैं। जो खेलों में भाग ले रहे हैं, वे सभी पूर्ण रूप से मंत्री जी से आशा करते हैं और मैं माननीय मंत्री जी से मैं कहना चाहता हूँ कि आज देश में कई महाविद्यालयों के चौराहों पर युवाओं को अगर देखा जाए तो दस युवाओं में से आठ युवा मोबाइल से अपना समय पास करते हैं।

एक समय ऐसा था कि बच्चे ग्राउंड में जाते थे और खेल खेलते थे। आज बच्चे मोबाइल पर सभी गेम खेलते हैं। यह देश के लिए दुर्भाग्य की बात है। कई छोटे-छोटे देश हैं जिनकी जनसंख्या भी उतनी नहीं है, लेकिन उतने ज्यादा मेडल उन्होंने जीते हैं। हमारा देश 130 करोड़ की जनसंख्या का है, आज यह देखने की जरूरत है कि और लोग अन्य खेलों में कितने मेडल लाते हैं। मैं भी कुश्ती में एक पूर्व खिलाड़ी रह चुका हूँ। देश के लिए ओलम्पिक में पहला ब्रॉन्ज पदक महाराष्ट्र के खाशाबा दादासाहेब जाधव लाये थे। मैं भी कोल्हापुर में कुश्ती खेल रहा था। सरकार ने खाशाबा जी के परिवार की कोई मदद नहीं की।

आज सरकार द्वारा देश में खेलों के लिए मदद नहीं होती है। जो खिलाड़ी विदेश में खेल खेलने के लिए जाते हैं, वे हमारे पास आते हैं। उनकी परिस्थिति वैसी नहीं रहती है, इसलिए हम से बारबार मदद की मांग करते हैं। मैं सरकार को बताना चाहता हूँ कि देश के कई विभिन्न भागों में, खास कर ग्रामीण भागों में बच्चे स्कूल्स में अच्छे गेम्स खेलते हैं। हमें उनके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, किसी राष्ट्र की प्रतिष्ठा, खेलों में उसकी उत्कृष्टता से बहुत जुड़ी होती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में अच्छा प्रदर्शन केवल पदक जितने तक सीमित नहीं होता है बल्कि यह किसी राष्ट्र के स्वस्थ मानसिक अवस्था एवं लक्ष्य के प्रति सजगता को सूचित करता है। हाल ही में हुए 'रियो' ओलंपिक में भारत ने अब तक के सबसे बड़े दल, 115 खिलाड़ियों को भेजा था,

परन्तु भारत की सफलता अच्छी नहीं रही। प्रत्येक ओलंपिक के बाद, देश में एक सवाल उठता है कि इतना बड़ा देश होने के बावजूद खेलों में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं होता है, यह सरकार की असफलता है। वह सरकार कोई भी हो, राज्य सरकार, केन्द्र सरकार की असफलता है।

इसके पहले कॉमनवेल्थ गेम्स में भ्रष्टाचार के कई मामले सामने आए। आज खेलों में भ्रष्टाचार और अपने खिलाड़ियों को सेलेक्ट करने के लिए बढ़ावा दिया जाएगा तो इससे देश में अच्छे खिलाड़ी नहीं बन सकते हैं। आज भी सरकार खेलों के लिए पूरी तरह से बजट का प्रावधान नहीं कर रही है। केवल दो हजार करोड़ रुपये का प्रावधान इसके लिए किया गया है, जो दुर्भाग्य की बात है। इतने बड़े देश में खेलों के लिए बजट की कमी है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी को यह सूचित करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार देश के विभिन्न कार्यों में सीएसआर फंड का उपयोग होता है तो क्यों नहीं हम खेलों को बढ़ावा देने के लिए सीएसआर फंड का प्रावधान करें? हम एमपी लैंड फंड से खेलों को सहायता नहीं दे सकते हैं। मैं यह भी सूचित करता हूँ कि एमपी लैंड फंड खेलों के लिए कर दिया जाए तो खेलों को बढ़ावा मिलेगा।

मैं मंत्री जी और सरकार को आखिरी बात सूचित करता हूँ कि देश के कई युवाओं में टैलेंट भरे हुए हैं, उनको ऊर्जा देने का काम सरकार द्वारा की जाए। मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ। धन्यवाद।

SHRI M. B. RAJESH (PALAKKAD): Sir, I would conclude my speech in ten minutes as this is an important discussion and I am getting this opportunity to discuss about sports for the first time in my last nine years' experience as a Member of Parliament.

Sir, I welcome this legislation to set up a National Sports University. It took four years to bring this legislation and to implement it whereas the Budget announcement for this was made on 10th July, 2014. This long delay itself shows the lack of priority that we are giving to sports. I have great regard for the hon. Minister of Sports who himself is an Olympic Medal Winner though I do not have that for his politics. I hope, he will understand and agree with me.

When we are setting up a Sports University in 325 acres, remember that China had the Beijing Sports University long back in 1993, that is, 25 years ago. That Sports University is in 1400 acres. I agree with Shri Anurag Singh Thakur who rightly pointed out that allocation for sports is grossly insufficient. China has 26 world class Sports Universities and 100 colleges dedicated for sports education. This is the comparison between India and China. This lack of priority is evident in our performance in all events including Olympics.

In the recent Rio Olympics, when 87 countries shared 974 Medals between them, our tally was just 2 medals. Those two medals were won by Women Athletes; women sportsperson. I remember a famous tweet of that time -- "In India, from vegetables to Olympic Medals are brought by women." I remember that tweet and that is a regard for our Women Athletes. In the Olympic year of 2015-16, Anuragji rightly pointed out and I would add to what

Anuragji said. In the Olympic year of 2015-16, your Government reduced the allocation for Sports Ministry by Rs. 164.81 crore. It again happened in the year 2016-17.... (*Interruptions*)

SHRI ANURAG SINGH THAKUR : I want to clarify that I never said this.

SHRI M. B. RAJESH : Yes, I agree that you have not said this. I am just adding to your point.... (*Interruptions*) Sir, the Olympic Medal for us is 1 medal per 65 crores of people while a tiny country like Jamaica has an Olympic Medal for every 2.47 lakh population. So, this is the comparison. Sir, again India is spending Rs. 3 per day *per capita* on sports while United Kingdom is spending Rs. 22, seven times higher and the USA is spending Rs. 50, sixteen times higher. So, this is the level of under investment in sports in our country. Sir, I do not want to go into that details.

Sir, why are we lagging behind? It is because of lack of priority. Recently, we saw a small country like Croatia. The population of Croatia is 40 lakh, almost equal to the number of people left out in the Assam's NRC. Sir, Croatia played and reached the finals of the Football World Cup. They have produced great legendary players like Modric, Perisic and Rakitic. Why are we not able to do that? It is because of lack of priority.

Sir, there is a film about a Hockey Legend from Punjab, '*Soorma.*' So, the story of Hockey has become a story of lost glory. We were world champions in 1975 and we had won 8 Olympic Gold Medals in Hockey. But, now, this has become a story of the past glory. It is very unfortunate. I wonder, in this Bill, why you have not provided for a Branch of this Sports University in

a State like Kerala, which is considered as a Gold Mine of Indian Athletics. Kerala has produced Legendary Athletes like P.T. Usha, Anju Bobby George, the first ever Athlete who had won a Medal in World Athletics Meet, Preeja Sreedharan and P.U. Chitra who belongs to my own Parliamentary Constituency. I do not understand as to why you have not provided a Branch of this University in Kerala. I demand either a Branch of this University or a Centre of Excellence in Sports in Kerala especially with focus on Athletics, be set up. Sir, I have a few more points especially with focus on Athletics. Hon. Minister, I promise you that I will talk to the Chief Minister; I will talk to the Government of Kerala and I assure you that the Government of Kerala will provide you land if you are ready to set up a Centre of Excellence for Athletics in Kerala.

Sir, I have two more points to speak. The first is regarding the approach of authorities towards Athletics. I would like to share one of my recent experiences. I told you about P.U. Chitra, who belongs to my own place. I know her since her school days. Hima Das, whom we congratulated just at the beginning of this Session, belongs to a poor family. Likewise, P.U. Chitra belongs to a poor family. Currently she is undergoing a high-altitude training in Bhutan as part of her preparation for the Asian Games. She was asked to attend an interview for an appointment in Income Tax Department in Chennai. But, her coaches said that she should not go because that would affect her coaching. Therefore, I tried to get that date of interview postponed till the Asian Games are over. But, Hon. Minister, I am bringing to your notice that the

Income Tax Department declined and insisted that she should come and attend the interview, giving up her coaching.

Then, I spoke to our State Sports Minister and he assured me and said, 'we will give her a job, ask her to concentrate on training and coaching and come back successfully from Jakarta Asian Games'. So, this is the approach of our authorities towards sports persons. I hope the Sports Minister will look into that.

Finally, what is the state of our sports administration in the country? It is a terrible state of affairs as far as sports administration in the country is concerned. George Bernard Shaw once said, 'politics is the last refuge of a ... *'. I would like to amend that.

HON. DEPUTY SPEAKER: No, do not make such a remark. We, ourselves, are politicians. That will not go on record.

... (*Interruptions*)

SHRI M. B. RAJESH : All right. I am sorry. ... (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: Why should we call ourselves as ... * It is not correct. Whatever the British people said, you want to repeat everything. That will not go on record.

... (*Interruptions*)

SHRI M. B. RAJESH : Sir, I withdraw it.

* Not recorded.

My point is that the state of affairs of sports administration in our country is very bad. I hope everybody will agree with that. Let me quote a report which appeared in *The Indian Express* few days back. *The Indian Express* reported that out of two key officials, who are leading the Indian Sports Contingent to Jakarta Asian Games, one was jailed for one year for his role in Commonwealth Games corruption case and in the case of another official, his appointment as Joint Director General of Commonwealth Games was investigated by CBI after CVC alleged misuse of power by him. Now, these people are leading our Sports Contingent to Jakarta Asian Games. What message will it send to the country?

Lastly, I would request the hon. Sports Minister and the Government of India to look into these things. I would also request him to please clean up the sports administration and find resources to find out, train and develop sports talent which is in abundance in this country. With these words, I conclude.

श्री धनंजय महाडीक (कोल्हापुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी पार्टी की ओर से 'द नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बिल' का समर्थन करने के लिए यहाँ पर खड़ा हूँ।

हमारा देश बहुत बड़ा है। यहाँ 125 करोड़ लोग रहते हैं। लेकिन हमें बहुत कम ओलम्पिक मेडल्स मिले हैं। ओलम्पिक में एक मेडल हमें जिनके माध्यम से मिला है, वे हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर श्री राठौड़ जी हैं। वे यह स्पोर्ट्स बिल लेकर आये हैं, इसके लिए मैं उनको बहुत-बहुत बधाई देता हूँ।

मणिपुर, जो स्टेट ऑफ आर्ट्स है, मैं यूनिवर्सिटी स्थापित करने के लिए यह बिल लाया गया है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना से राष्ट्रीय खेल पर्यावरण में जो खामियाँ हैं, जो अंतर हैं, जैसे टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स साइंस, हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग मैनेजमेंट आदि को भरने का प्रयास इस बिल के माध्यम से होने वाला है। खेल विज्ञान के विकास और एथलेटिक्स में प्रशिक्षण के लिए बुनियादी ढाँचा और हाई स्टैंडर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम भी इस बिल के माध्यम से होने वाला है। स्पोर्ट्स बैचलर्स, मास्टर्स डिग्री, रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेन्टर्स, एकेडमिक प्रोग्राम्स, स्पोर्ट्स ऑफिशियल्स, रेफरीज़, अम्पायर्स आदि बनाने के काम भी इस बिल के माध्यम से होने वाले हैं।

इस विश्वविद्यालय को वर्ल्ड क्लास का बनाने के लिए ऑस्ट्रेलिया के दो यूनिवर्सिटीज-यूनिवर्सिटी ऑफ केनबरा और विक्टोरिया यूनिवर्सिटी के साथ टाई-अप किया गया है। करिकुलम और रिसर्च फैसिलिटी, लेबोरेट्रीज डेवलपमेंट भी इस बिल के माध्यम से होने वाली है।

हम लोग बचपन से एक कहावत सुनते आए हैं।

पढ़ोगे-लिखोगे, बनोगे नवाब,

खेलोगे-कूदोगे, बनोगे खराब,

लेकिन हमारे मंत्री जी एक नया स्लोगन लेकर आए हैं। श्री अमिताभ बच्चन जी का एक नया विज्ञापन आता है कि

पढ़ोगे-लिखोगे, बनोगे नवाब,

खेलोगे-कूदोगे, बनोगे लाजवाब ।

मैं आपकी इस सोच की सराहना करता हूँ, लेकिन मैं देश के सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से पढ़ाई अहम है, उसी तरह से खेल भी अनिवार्य है।

स्कूलों और कॉलेजों में स्पोर्ट्स कंपल्सरी करना जरूरी है क्योंकि हमारे देश के दस बच्चों में से चार-पाँच बच्चे अनफिट हैं। कोई ओवरवेट होता है, तो कोई अंडर डिप्रेशन होता है। आज डिप्रेशन क्या है? यदि कोई बच्चा दसवीं क्लास में फेल हो जाता है, तो वह सुसाइड कर लेता है।

अगर उनको नौकरी नहीं मिलती है, तो वे सुसाइड कर लेते हैं। स्पोर्ट्स एक ऐसा जरिया है, अगर ये बच्चे-युवा स्पोर्ट्स में जाते हैं, तो उन्हें यह डिप्रेशन कभी नहीं आता है। हम स्पोर्ट्समेन हैं, स्पोर्ट्स में हम जीतते और हारते हैं। हमारी लाइफ में स्पोर्ट्स बहुत अहम रोल प्ले करता है। हमें यह जानना होगा कि आजकल के पैरेंट्स अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में जाने की इजाजत क्यों नहीं दे रहे हैं? इसकी वजह यह है कि उन्हें लगता है कि स्पोर्ट्स से उनके बच्चों को रोज़ी-रोटी नहीं मिलेगी। जिस पैसे से उनका घर चलेगा, वह पैसा स्पोर्ट्स से नहीं आने वाला है, आजकल के पैरेंट्स की यह दिमागी हालत हो चुकी है।

उपाध्यक्ष जी, हमें इसे बदलने की जरूरत है। हमें यूथोपिया जैसे छोटे देशों का एग्जाम्पल लेना होगा। वहां का यूथ स्पोर्ट्स ज्वाइन कर रहा है और वहां टैलेंट बढ़ रहा है। गवर्नमेंट उनको ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ और लाइवलिहुड का एश्योरेंस भी दे रही है।

HON. DEPUTY SPEAKER: Please conclude, now.

SHRI DHANANJAY MAHADIK: Sir, I have not taken even two minutes.

HON. DEPUTY SPEAKER: Please try to conclude because by 3 o' clock, we have to pass this Bill.

SHRI DHANANJAY MAHADIK: Sir, I will try to be very brief. हमें चाइना और जापान का उदाहरण भी लेना होगा। वहां के बच्चों को छह साल की उम्र से ट्रेनिंग देने की शुरुआत की जाती है, जिसके कारण वे बच्चे आज बहुत सारे मैडल्स लेकर आ रहे हैं। अगर हम दुनिया में स्पोर्ट्स का शेयर बजट देखें, तो वह 40 लाख करोड़ रुपये है और अगर हम अपना बजट देखें, तो

भारत का स्पोर्ट्स का बजट दो हजार करोड़ रुपये का है। यू.के. का स्पोर्ट्स बजट नौ हजार करोड़ और यू.एस. का स्पोर्ट्स बजट बारह हजार करोड़ रुपये का है। कॉलेजों में इसे कम्पलसरी करने के लिए यूनिवर्सिटी के साथ जोड़ने की ज़रूरत है।

आज इसकी भी ज़रूरत है कि देश के विभिन्न भागों में जो-जो खेल प्रचलित हैं, जैसे बंगाल और गोवा में फुटबॉल प्रचलित है, कोल्हापुर में कुश्ती प्रचलित है, और मुंबई में क्रिकेट प्रचलित है, इसलिए इन जगहों पर हमें सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस बनाने की कोशिश करनी चाहिए। इस बिल में एस.ए.आई. (साई) का ज़िक्र कहीं नज़र नहीं आ रहा है। साई के बच्चों को हम एक हजार रुपये का स्टाइपेंड देते हैं। आजकल बच्चों की जो खुराक है, उन्हें जो प्रोटीन्स और विटामिन्स चाहिए, उनके अनुसार एक पहलवान बनाने में करीब 15-20 हजार रुपये का खर्चा आता है। एक क्रिकेटर बनाने में 50 हजार रुपये खर्च होते हैं। इसका कोई प्रोविज़न भी इसमें नज़र नहीं आ रहा है, इसलिए मैं मंत्री जी से यह मांग और आग्रह करता हूँ कि सिर्फ मणिपुर, लखनऊ और मोहाली में ही नहीं, उसकी ब्रांचेज़ महाराष्ट्र में भी खोली जाएं।

मैं कोल्हापुर से आता हूँ। देश का पहला ओलंपिक मैडल कोल्हापुर से आया था, जिसे खाशाबा जाधव जी लेकर आए थे। हमारे यहां से कई बच्चे ओलंपिक्स में गए हैं। वीरधवल खाड़े स्विमिंग और तेजस्विनी सावंत शूटिंग में गई हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होने की वजह से ये बच्चे बाहर जाकर ट्रेनिंग करते हैं। मैं खुद नैशनल स्तर पर बॉक्सिंग और रेसलिंग खेल चुका हूँ। मेरा बेटा फॉर्म्युला-3 कार रेसिंग में वर्ल्ड चैंपियन है। हमारे देश में कार रेसिंग क्यों नहीं होती है? हमारे देश में कार रेसिंग को बढ़ावा देने की ज़रूरत है।

सर, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सजेशन देना चाहता हूँ। हमारे देश में एक सी.एस.आर. फंड है, जिससे बहुत अच्छा काम हो रहा है, लेकिन यह काम सिर्फ कुछ क्षेत्रों में ही हो रहा है, जैसे एनवायरनमेंट में काम हो रहा है, शौचालय बनाने में हो रहा है, एजुकेशन में हो रहा है। इसी प्रकार स्पोर्ट्स में आज जो 500 करोड़ रुपये का दायरा है, उसे 200 करोड़ रुपये करने की ज़रूरत है। पांच करोड़ रुपये के प्रॉफिट को दो करोड़ रुपये करने की ज़रूरत है और सी.एस.आर. का जो दो

परसेंट होगा, उसे टैक्स फ्री करने की ज़रूरत है। स्पोर्ट्स में 25 परसेंट सी.एस.आर. बनता है। अगर हम 25 परसेंट स्पोर्ट्स में देंगे, तो इससे खेलों में बहुत अच्छी वृद्धि हो सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इसका बहुत अहम फायदा हो सकता है। सांसदों के फंड्स के लिए भी हमारे कई साथियों ने कहा। इंटरनैशनल या नैशनल खेलने के लिए बच्चों के पास पैसे नहीं होते हैं। वे बच्चे हमारे पास आते हैं। आप हमें उन बच्चों को एम.पी.लैड. द्वारा मदद करने की इजाजत दीजिए। कोल्हापुर में भी एक स्टेडियम होना चाहिए। मैं यह मांग करता हूँ कि कोल्हापुर में भी एक क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाए। वहाँ कुश्ती, बॉक्सिंग और शूटिंग है। स्विमिंग में हमारे यहाँ से लोग ओलंपिक में जा चुके हैं। कोल्हापुर में हॉकी टर्फ का प्रोजेक्ट दो सालों से आया हुआ है। आप उस पर रोशनी डालिए। दो सालों से हमने सारी क्वेरीज़ पूरी की हैं। मेरा लास्ट प्वाइंट है कि जिस तरह मरीज़ों को कोई दिक्कत आने पर हम एम.पी.लैड से रिकमंडेशन देते हैं, तो पी.एम. रिलीफ फंड से उनको मदद मिलती है। क्या हम कोई ऐसा कॉरपस फंड बना पाएंगे, जिससे हम अपने देश के बच्चों को रिकमंड करें और आप उनकी सहायता करें? इसी के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ। धन्यवाद।

SHRIMATI KOTHAPALLI GEETHA (ARAKU) : Hon. Deputy-Speaker, Sir, I am thankful to you for giving me this opportunity to speak on the National Sports University Bill, 2018.

At the outset, I would take this opportunity to wholeheartedly congratulate the hon. Minister for his wonderful initiatives in enhancing the sports activities in the country. I feel that it is a great revolution like never before. India is becoming serious about sports.

I thank the young and the dynamic Minister, who himself is a sportsperson, for bringing up this Bill for the establishment of a National Sports University, which is one of its kinds. I firmly believe that it will bring in a boost in inculcating the sports culture among the people of the county.

The year 2017, under the leadership of the dynamic Minister, has been momentous year for Indian sports. Indian sportspersons have brought many laurels to the country in this year, particularly, women sportspersons. In particular, I can make a mention of P.V. Sindhu, Kidambi Srikanth, Sai Praneeth from Andhra Pradesh, Saina Nehwal and many others who have won laurels in other sports activities like women's cricket for the first time, weightlifting, para athletics, shooting, fencing, wrestling, field and track events. But at this juncture, I would like to state that whatever we have achieved till now is not in any way matching to the wonderful potent and talent that India possesses. I fully agree that sports is a State subject but without the cooperation of the Union Government, State also cannot function properly because this is something to do with the national events.

Sports infrastructure plays a crucial role in achieving excellence in the global arena of sports. It not only helps in producing sportspersons of international repute but also encourages the youth population of a country to participate in sporting activities.

In India, the standard of sports infrastructure is not satisfactory. The lack of infrastructure facilities is one of the major impediments in the process of development of sports in India.

When I talk of the sports infrastructure, I would like to emphasize on the infrastructure right from the grassroot level or the school level.

I would also like to make some suggestions. Being a Member of the Standing Committee on HRD, we have toured extensively and visited many

centres of the Sports Authority of India in the country. We have interacted with very eminent personalities. We need to bring in revolutionary change in the system of education and sports should be included in the school curriculum in every school. Now, the corporate schools are discouraging sports and there are no playgrounds. If sports is included in school curriculum, it will be a good step.

Sir, I would only like to make two points. The Action Plan should be evolved to identify the local talent, particularly, sports persons should be given jobs security. The funding should be made available to the sports persons. SAI is lacking in funds and many of the projects which are taken up by SAI have been stalled due to lack of finance. Even, the contractors are not doing their work properly. The NSDF should be given a wide publicity.

I would like to say that we have to stretch beyond if we want that the demographic dividend, which we have, should not become a demographic disaster. The youth talent, the young, should be allowed to focus their energies in a positive way. Here, I would like to quote a famous author Bishal Syam who said, 'push harder than yesterday if you want a better tomorrow'.

With this, I support the Bill, Sir, and, I feel, that this will go a step ahead in promotion of sports activities and not just become another SAI.

SHRI RAM MOHAN NAIDU KINJARAPU (SRIKAKULAM): Thank you very much, Sir, for giving me the opportunity to speak on this important Bill, the National Sports University Bill, 2018.

On behalf of my Party, I would like to support this Bill. It is a wonderful Bill and we are happy to see that for the first time there is a sportsman, who has represented India at the international level, to be at the helm of affairs in Sports Ministry also. We say this with a lot of hope that the country is going to see much better future in terms of sports also.

There are a lot of issues that have been brought about. The points that I wanted to make have already been brought about. But I would want to reiterate one important quotation of Mr. Nelson Mandela about sports:

“Sport has the power to change the world. It has the power to inspire. It has the power to unite people in a way that little else does. It speaks to youth in a language they understand. Sport can create hope where once there was only despair. It is more powerful than government in breaking down racial barriers.”

That is the importance of sports in any culture, in any country across the world. That is something, we also have to keep in mind. Setting up of Sports University in Manipur is a very very important step that this country is going to take. I hope that there will be more sports universities to be coming and this is the first step that the Government is taking. There are two neglected areas, one is the North East and the other one is the sports. So, combining both and establishing the sports university in Manipur is a very good step forward. But, we hope that there will be a lot of other sports universities and regional centres

affiliated to this sports university to be coming up in the future. From the State of Andhra Pradesh, we would require that, at least, one regional centre affiliated to this should be established in the State of Andhra Pradesh. We would also like to recommend for the hosting of the National Games. Our Chief Minister has been recommending that for a long time. I do not know how this schedule has been prepared but, definitely, the Central Government should look into it.

Sir, there are a couple of points which I would like to make here.

Other than that, funding seems to be the major issue. I hope, everyone understands – even the Ministry also understands – that the ideas or the forming the policy is never an issue, but the implementation of the ideas and the policy has always been the issue. The last National Sports Policy was formed in 2001. It is definitely outdated. Some of the points can be picked up from that policy. But, it is time that a new policy be formed. When a new policy is formed, the concerned stakeholders should also be brought in and the State Governments should also give their own representation for this. That is what I would like to recommend.

I would like to say one more thing. When the Indian Football Team Captain Sunil Chhetri *ji*, was experiencing a very low crowd when India was playing recently, he made a strong appeal. He appealed that people should come and support football also. Through Facebook, through social media he made an appeal and lakhs of people have started watching football. There is house full in the stadiums. Imagine, when one sportsman gives a call through

social media and if these kinds of sportsmen are sitting at the helm of affairs, in the institutions which are taking decisions towards sports, then they can be more influential in the betterment of the future of sports. That is why, I recommend that more sportsmen should be included in decision-making regarding sports.

Thank you very much.

श्री नन्दकुमार सिंह चौहान (खण्डवा) : उपाध्यक्ष महोदय, आज इस सदन में खेल जगत पर एक इतिहास रचा जा रहा है। आजादी के 70 साल बीत गए, लेकिन देश में खेल यूनिवर्सिटी नहीं थी। मैं देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी और उनके खेल मंत्री श्री राज्यवर्द्धन सिंह राठौर को बधाई देना चाहता हूँ। उन्होंने आज इस बिल के माध्यम से राष्ट्रीय खेल कूद विश्वविद्यालय विधेयक, 2018 के माध्यम से हिन्दुस्तान को यह बता दिया कि हम देश को बदलना चाहता हूँ।

“हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं,
मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए।
मेरे सीने में न सही, तेरे सीने में सही,
वो आग जलनी चाहिए।”

खेल को लेकर एक स्प्रिट इस देश में पैदा हो, खेल के मामले में हम बहुत पिछड़ गए हैं। दुनिया के छोटे-छोटे देश खेल के आसमान में चमकते हुए सितारे बने हैं। लेकिन हमारा 125 करोड़ की आबादी का देश खेल के आसमान में मात्र जुगुनू की तरह चमक रहा है। वह खेल जगत का सितारा बने, इसलिए एक बहुत अच्छी कोशिश राष्ट्रीय खेल कूद विश्वविद्यालय की स्थापना के साथ आज इस देश में होने जा रही है। फुटबॉल के राष्ट्रीय खिलाड़ी हमारे प्रसून जी ने बहुत अच्छी बात कही कि खेल में राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने बहुत सही और खरी बात कही है। इस देश का दुर्भाग्य रहा है कि इस देश में खेल को राजनीति और राजनीति को खेल बनाया गया। यह परिस्थितियाँ बदलने के लिए आज खेल की दिशा में सरकार ने मजबूत कदम उठाए हैं। देश में युवाओं में खेल के प्रति आकर्षण बढ़े, खेल से युवाओं का जुड़ाव हो, इसके लिए नरेन्द्र मोदी जी ने खेलो इण्डिया के माध्यम से खेल गतिविधियों को संचालित करने का माध्यम दिया है। ‘इण्डिया खेलो’, मतलब सब लोग खेलें, हर राज्य खेले। मैं आग्रह करना चाहूँगा कि जितने भी स्पोर्ट्स के फेडरेशन्स हैं, ये खिलाड़ियों के साथ बराबर न्याय नहीं कर पाते हैं।

उसका कारण है, उसमें पॉलिटिक्स का होना। खेल जगत इससे मुक्त हो, ताकि प्रतिभावान खिलाड़ी हम जगह-जगह से टेक अप करके, देश और दुनिया को श्रेष्ठ खिलाड़ी दे सकें। माननीय

खेल मंत्री जी, अच्छे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का चयन करने के लिए आपको अच्छे प्रतिभावान खिलाड़ियों को इस काम में लगाना पड़ेगा। स्पोर्ट्स ऑफिसर्स पारदर्शिता के साथ प्रतिभावान खिलाड़ियों का चयन करें। होता यह है कि हम तैराक महानगरों में से ढूँढ़कर लाते हैं। स्वीमिंग पूल में तैरने वाला देश का अच्छा तैराक नहीं हो सकता है। गंगा में गोते लगाने वाला, गंगा में डुबकी लगाने वाला, समंदर के किनारे तैरने वाला ही देश और दुनिया का अच्छा तैराक बन सकता है। हमें ऐसे अच्छे सेलेक्शन करने के लिए क्राइटीरिया तय करने पड़ेंगे। लंबी दौड़ के लिए पहाड़ी लोग मुफीद होते हैं। मैराथन दौड़ के लिए आप पहाड़ी लोगों में से खिलाड़ियों को चुनिए। तैराकी के लिए केवट हैं और मल्लाह हैं, इस प्रकार के लोग जिनका जीवन जल के साथ ही बीतता है, उन प्रजातियों और जातियों में से तैराकों को चुनिए। तब जाकर आप ओलंपिक स्तर के तैराक ढूँढ़ सकते हैं। यदि हम पहाड़ियों को मैराथन दौड़ के लिए चयनित करेंगे तो हमको अच्छे धावक मिल सकते हैं। क्या कारण है कि जैमेका जैसा देश, जिसकी आबादी मात्र 30 लाख है, वह आज पूरी दुनिया के सामने खेल जगत में अपना नाम कमा रहा है। इथोपिया, मैराथन दौड़ में आज पूरी दुनिया में नाम रोशन कर रहा है। चीन बैडमिंटन में नाम रोशन कर रहा है। एक समय था, जब हमारा हाकी में डंका बजता था। आज तक मेजर ध्यानचन्द्र जैसे विश्व स्तर का खिलाड़ी हाकी की दुनिया में पैदा नहीं हुआ है। उसे हमारे हिन्दुस्तान ने दिया था। लेकिन आज उस ध्यानचन्द्र का चयन कौन करेगा? ऐसे ध्यानचन्द्र कौन ढूँढ़कर लाएगा? ऐसे सेलेक्शन के लिए पूरी पारदर्शिता के साथ एक मैकेनिज्म को खड़ा करना होगा। इस देश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। प्रतिभाएं कुंठित हो जाती हैं। रसूखदार लोग खेलों में जगह तो पा जाते हैं, लेकिन वे अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, जिस कारण से देश का नाम आगे नहीं बढ़ पाता है। मैं माननीय खेल मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि खेल बजट को भी बढ़ाना चाहिए। अब वक्त आ गया है कि दुनिया जिस तेजी से खेल जगत और अन्य क्षेत्रों में आगे बढ़ रही है, हमारे प्रधानमंत्री जी का यह उद्देश्य है कि भारत को एक खेल शक्ति बनाना है। खेल शक्ति बनाने के लिए एच.आर.डी. मिनिस्ट्री और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को क्लब करके काम करना होगा। जब तक स्कूलों में खेल एक कंपलसरी सबजैक्ट नहीं बनेगा और युवा बालक खेल के

मैदान से नहीं जुड़ेगें, तब तक हम खेल जगत में जहां पहुंचना चाहते हैं, वहां तक हम नहीं पहुंच पाएंगे । आज खेल मंत्री जी ने खेल विश्वविद्यालय बिल लाकर बहुत अच्छा काम किया है ।
...(व्यवधान)

श्री धर्म वीर गांधी (पटियाला) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बिल, 2018 के समर्थन पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैं अपने कुछ अनुभव और कुछ सुझाव के आधार पर कुछ बातें कहना चाहता हूँ। माननीय खेल मंत्री जी, खुद एक बहुत बड़े स्पोर्ट्स मैन रहे हैं। उनके हाथ में आज यह मंत्रालय है। मुझे इसकी पूरी आशा है कि आज हिन्दुस्तान की खेल जगत में जो स्थिति है, उसके सुधार के लिए वह प्रयास प्रयास करेंगे। आज हमारा देश सबसे यंगेस्ट नेशन के तौर पर जाना जाता है। हमारे पास यह एक ऐसा डैमोग्राफिक डिविडेंड है, जिसका हमें भरपूर फायदा उठाना चाहिए। यह फायदा हमेशा रहने वाला नहीं है। इसकी एक निश्चित अवधि है। अगर आज हम इसमें चूक गए तो यह पता नहीं कि हमें ऐसा मौका दोबारा कब मिलेगा।

15 00 hrs

इसलिए जिस देश की 130 करोड़ की आबादी हो, जहां सबसे ज्यादा युवाओं की संख्या हो, वहां खेल मंत्रालय के लिए महज दो हजार करोड़ रुपए का बजट बहुत नाकाफी है। इसके चलते जो हमारे देश में खेलों की स्थिति है, उसमें कोई बड़ा सुधार कर पाना मंत्री जी के लिए मुश्किल है। मैं विनती करता हूँ कि आप चाहे माननीय प्रधान मंत्री जी से इसके लिए और बजट की मांग करें, चाहे कारपोरेशन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड से खेलों की तरफ और पैसा लाया जाए, ताकि हम स्पोर्ट्स को बढ़ावा दे सकें।

मेरी दूसरी बात यह है कि माननीय सदस्य ने बिल्कुल ठीक फरमाया कि हम जो टैलेंट ढूँढते हैं, उसमें बहुत बड़ी कमी है। हम टैलेंट मेट्रोपोलिटन शहरों में ढूँढते हैं, बड़े शहरों में ढूँढते हैं। मैं समझता हूँ कि अगर हमें स्विमिंग का टैलेंट ढूँढना है तो आप नदियों के किनारे बसने वाले गांवों में जाइए, समुद्र के किनारे बसने वाले मछुआरों के पास जाइए, तालाबों में सुबह-शाम छलांग लगाने वाले बच्चों के पास जाइए, वहां टैलेंट भरा पड़ा है। अगर आपको धावक ढूँढने हैं तो आप आदिवासी क्षेत्रों में जाइये, जहां लोग बीस-बीस किलोमीटर रोज चलकर दिनचर्या के काम करते हैं, सामान आदि खरीदते हैं। बच्चे बीस-बीस किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाते हैं, वहां आपको

टेलेंट मिलेगा। आपको मेट्रोपोलिस और बड़े शहरों में टेलेंट नहीं मिलेगा। यदि यहां टेलेंट मिलेगा तो वे इनडिविजुअल गेम्स में मिलेंगे। राइफल शूटिंग मिलेगी, पिस्टल शूटिंग मिलेगी, लॉन टेनिस मिलेगा, जो अमीरों के खेल हैं, वे मिलेंगे। जो देश को गर्व दिला सकते हैं, वे टेलेंट आपको गांवों में, आदिवासी क्षेत्रों में मिलेंगे और मैं समझता हूँ कि वहां आपको जोर लगाना चाहिए, वहां टेलेंट ढूंढना चाहिए।

अंत में मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जब हमारे खिलाड़ी जीतकर आते हैं तो हम उनको बहुत सम्मान देते हैं, हम उन्हें मैडलों और पैसें से लाद देते हैं। मगर जब वे खेल रहे होते हैं, जब वे मेहनत कर रहे होते हैं, उस स्टेज पर उनको कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता, कोई सहारा नहीं मिलता और बहुत से लोग निरुत्साहित होकर खेल छोड़ देते हैं। मैं समझता हूँ कि उस स्टेज पर दखल देना हमारे लिए बहुत जरूरी है।

महोदय, खेल समाज पर कितना प्रभाव डाल सकते हैं, मैं इसका उदाहरण भी देता हूँ। हरियाणा में खाप पंचायतों द्वारा औरतों की जो दुर्दशा है, अब वह कितनी बदली है, वहां का लिंगानुपात कितना बदला है, क्योंकि हरियाणा की बच्चियों ने सारे देश का नाम रोशन किया है ... (व्यवधान) खेलों ने हरियाणा के ऊपर कितना अच्छा प्रभाव डाला है।

इसके अलावा पंजाब के बारे में कहना चाहता हूँ कि पंजाब के नौजवान नशे से मर रहे हैं। ... (व्यवधान) पंजाब के गांवों के ईवेंट मैनेजमेंट के लिए हर शहर, कस्बे में स्पोर्ट्स की फैसिलिटी देनी चाहिए, ताकि वहां के बच्चे स्पोर्ट्स में देश का नाम रोशन कर सकें।

श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राष्ट्रीय खेलकूद विश्वविद्यालय विधेयक, 2018 पर बोलने की अनुमति दी, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। मणिपुर राज्य में राष्ट्रीय खेलकूद विश्वविद्यालय का निर्माण हो, यह विधेयक सदन में आया है। मैं इसका दिल से स्वागत करता हूँ और ओलम्पिक पदक विजेता डा.राज्यवर्धन सिंह जी, जो खेल मंत्री भी हैं, उनको बधाई देता हूँ। खेल की दुनिया में भारत ने एक से एक ऊंचे मापदंड कायम करने का काम किया है और हमारा सिर हमेशा ऊंचा रहा है। जो मणिपुर में विश्वविद्यालय खोला जाएगा। इसका असर देश भर में होगा और दुनिया भर में हमारी प्रतिभाओं का नाम ऊंचा होगा। आज फिजिकल एजुकेशन, कोचिंग सेंटर, खेल विज्ञान के प्रबंधन को बेहतर बनाना है। हमारे देश की बहनों, बेटियों और महिलाओं ने खेल की दुनिया में ओलम्पिक पदक तक जीतने का काम किया है। हम एक नहीं अनेकों ध्यानचंद पैदा करेंगे और हमारा राष्ट्र खेल की दुनिया में आगे बढ़ेगा और गौरवांवित होगा।

महोदय, बिहार में खेल की बड़ी संभावनाएं चारों तरफ छिपी हुई हैं। बिहार में मोइनूल हक स्टेडियम है, इसको बेहतर बनाने का काम हो। मैं बाँका संसदीय क्षेत्र से आता हूँ, यह आदिवासी इलाका है। मैं आपसे यही आग्रह करता हूँ कि उस इलाके में, आदिवासी भाइयों में खेल की बहुत संभावनाएं हैं। बाँका में शहीद महेन्द्र गोप मंदार स्टेडियम का निर्माण कराया जाए। मुंगेर में दानवीर कर्ण स्टेडियम का निर्माण कराया जाए।

जमुई में स्वर्गीय सुक्करदास यादव वर्ल्ड स्टेडियम बनाया जाए। भागलपुर में विक्रमशिला स्टेडियम का निर्माण कराया जाए। इसके साथ-साथ जो हमारी महिलाएं हैं, उनको खेल की और सुविधाएं दी जाएं। सभी पंचायतों में, प्रखण्डों में स्टेडियम बनें और खेल की भावना को आगे बढ़ाएं। हम यही आग्रह कर के अपनी बात को समाप्त करते हैं।

15 05 hrs

**SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES (PREVENTION OF
ATROCITIES) AMENDMENT BILL, 2018***

HON. DEPUTY SPEAKER: Now, let us take up Supplementary List of Business.

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्री थावर चंद गहलोत): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 का और संशोधन करने वाले विधेयक, 2018 को पुरःस्थापित करने वाले की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989.”

The motion was adopted.

श्री थावर चंद गहलोत: उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

* Published in the Gazette of India, Part-II, Section-2, Dated 03.08.2018.

15 06 hrs

**STATUTORY RESOLUTION: DISAPPROVAL OF NATIONAL SPORTS
UNIVERSITY ORDINANCE, 2018
AND
NATIONAL SPORTS UNIVERSITY BILL, 2018....Contd.**

श्री दुष्यंत चौटाला (हिंसार): उपाध्यक्ष महोदय, दो मिनट के अंदर तो मैं शायद मंत्री जी का धन्यवाद भी नहीं कर पाऊंगा। मैं चाहता हूँ मुझे कम से कम पांच मिनट का समय दीजिए। इस देश की सबसे बड़ी पंचायत का मैं सबसे युवा सांसद हूँ।

महोदय, मैं माननीय खेल मंत्री जी का स्वागत करता हूँ कि वे स्पोर्ट्स मिनस्टर होने के नाते ऐसा अहम बिल इस सदन में लाए, जिससे इस देश के अंदर पहली बार स्पोर्ट्स के लिए हम एक यूनिवर्सिटी बनाने जा रहे हैं। इससे पहले पटियाला के अंदर एनआईएस है और ग्वालियर के अंदर नैशनल इंस्टिट्यूट फॉर फिज़िकल एजुकेशन है।

महोदय, जहां हम इस यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, अनुराग जी ने शुरू किया और बड़े अच्छे तरीके से बताया कि दुनिया भर के अंदर, चाहे हम अमरीका की बात करें या इंग्लैण्ड की बात करें और आज के दिन अगर मॉडल के तौर पर किसी को देखा जाए तो जरूर ही चाइना से हमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है। वहां पर प्रोविंसवाइज़ स्पोर्ट्स के लिए यूनिवर्सिटीज़ बनी हुई हैं, एक्सलेंस सेंटर्स बने हुए हैं। हमारी केंद्र सरकार मणिपुर के अंदर कदम उठा रही है, उसका हम स्वागत करते हैं। मगर आज एक बात देखने वाली है कि इस देश के अंदर अगर सबसे ज्यादा टैलेंट कहीं से आया है, पिछले तीन ओलंपिक्स के अंदर, तो उसमें हरियाणा का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। सन् 2008 में बॉक्सिंग का पहला इकलौता इंडिविजुअल मैडल यदि किसी ने लाने का काम किया तो वह हरियाणा के विजेन्द्र जी ने लाने का काम किया। अगर सन् 2012 में रैसलिंग में किसी ने देश का नाम गौरवान्वित करने का काम किया है तो वह योगेश्वर जी ने करने का काम किया है। जब रियो के अंदर देश अटकलें लगाए बैठा था कि शायद खाता खुलेगा कि नहीं खुलेगा, तब

हरियाणा की बेटी साक्षी ने मैडल जीत कर देश को गौरवान्वित करने का काम किया है और गोल्डकोस्ट के अंदर, जहां 66 मैडल आए, उन 66 के अंदर भी अगर सबसे बड़ा योगदान था, तो 22 मैडल हरियाणा की धरती ने इस देश को ला कर देने का काम किया था। मैं यह उम्मीद जरूर रखूंगा कि मंत्री जी रिप्लाइं दें तो देश के अंदर हरियाणा के खिलाड़ियों को विश्वास जरूर दिलाएं कि आने वाले समय में इस मदर यूनिवर्सिटी के जब हम बच्चे बनाने का काम करेंगे, अलग-अलग एक्सलेंस सेंटर्स बनाने का काम करेंगे तो उसके अंदर हरियाणा को जरूर उसका एफिशिएंट शेयर मिलेगा। चाहे हॉकी लें, चाहे बॉक्सिंग लें, चाहे रैसलिंग लें, आज ऐसा कोई खेल नहीं है, जहां हरियाणा के खिलाड़ियों ने इस देश को गौरवान्वित करने का काम न किया हो।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज देश में व्यायामशालाएं खोली जा रही हैं। मैं स्वागत करता हूँ कि सरकार की सोच है कि योग को बढ़ाया जाए। हम जब खेलों की बात करते हैं तो खेल मंत्री जी खुद ओलंपियन रहे हैं, शरीर सुधार के लिए योग कामयाब है, मगर आज चाहे वह फिज़ियोथैरपी हो, चाहे स्पोर्ट्स साइंस हो, उनके डेवलपमेंट के लिए भी हमें एक्सलेंस सेंटर बनाने पड़ेंगे। अगर आप कदम उठाना चाहते हैं तो हमें एचआरडी मिनिस्टर के साथ मिल कर एक कदम उठाना पड़ेगा कि स्पोर्ट्स एजुकेशन, जो फिजिकल एजुकेशन पहले सरकारी स्कूलों में चलती थी, जो खेल के पीरियड्स होते थे, आज वे मेंडेट्री करने पड़ेंगे कि पांचवी-छठी के बच्चों को भी खेल के मैदान में हम दिन में दो घंटे उतारने का काम करें, तब जा कर हमें आने वाले भविष्य में इन यूनिवर्सिटीज़ में डिग्रीज़ प्राप्त करने के लिए हमें बच्चों की लाइन मिलेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक ऑब्ज़रवेशन जरूर देना चाहूंगा कि जब हम मणिपुर की बात करते हैं, अगर आज कोई फॉरन कोच हम उस यूनिवर्सिटी के अंदर हैल्प करने के लिए लाएंगे तो वह दिल्ली में लैण्ड होगा और दिल्ली से मणिपुर जाने के लिए उसे कम से कम एक दिन का समय लगेगा। ... (व्यवधान) सरकार को इस पर विचार करना पड़ेगा कि पांच घंटे में कौन सी ट्रेन वहां पहुंचती है।

आज हम हरियाणा की बात करते हैं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी पहले व्यक्ति थे, जिन्होंने वर्ष 2000 में खेलों को बढ़ावा देने के लिए एक पॉलिसी इस देश में लाने का काम किया था। वह पॉलिसी थी “मेडल लाओ-ईनाम पाओ”। उस समय कर्णम मल्लेश्वरी को दिल्ली के अंदर लैंड होते ही एक फ्लैट और 25 लाख रुपये की राशि देने का काम किया था। आज तो देश के अंदर 6-6 करोड़ रुपये तक का ईनाम दिया जाता है। जो बेसिक लैवल पर इंटर-यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में बच्चे जीतकर आते हैं, जो बच्चे वर्ल्ड चैंपियनशिप में जीतकर आते हैं, उनके मान-सम्मान के लिए भी सरकार जरूर कोई पॉलिसी बनाने का काम करे। अन्त में, मैं दो पंक्तियाँ कहकर अपना भाषण समाप्त करूँगा। हरियाणा पर एक कहावत है:-

“देशन में देश हरियाणा,
जित दूध-दही का खाणा,
खेलों में फर्स्ट आणा,
बॉर्डर पर जाकर सिर कटवाणा,
ऐसा है मेरा हरियाणा ॥”

मंत्री जी, आप हमारे पड़ोसी राज्य के हैं, आप हरियाणा पर जरूर विचार कीजिए। आने वाले समय में आप इस यूनिवर्सिटी का जो पहला रीजनल सेंटर खोलेंगे, आप आज यह इस सदन के अंदर जरूर कहकर जाइए कि उसे हरियाणा की धरती पर खोलने का काम करेंगे। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI VINCENT H. PALA (SHILLONG): Hon. Deputy Speaker, Sir, I thank you for giving me this opportunity.

First of all, I join all my colleagues in congratulating the hon. Minister for bringing this Bill. I think, the hon. Minister himself is one of the finest sportspersons in the world and understands sports better than any one of us.

Sir, I have got only two or three suggestions. Meghalaya is going to host the National Games in 2022 when it will be completing 50 years of Statehood. I would request the hon. Minister to come and visit the facilities. The Government of India has invested more than Rs. 100 crore in NEHU, North-Eastern Hill University, but I personally visited that place and found it in a shambles. This place can be utilised for the university in Manipur. So, I would request the hon. Minister to come and see the place.

Secondly, if, at all, we want to introduce sports in India, first of all, the mindset of the parents has to be changed. How can we change their mindset? We have to tell the parents that sports is no more about games only; sports is also a business and sports is also used as a means to connect for peaceful purposes. We may also tell them that if Imran Khan can become the Prime Minister of Pakistan, sports can also help their children become leaders of the society.

In addition, CSR fund should also be allowed to be used in sports so that most of the clubs can use it for promoting sports.

Thank you.

श्री मनोज तिवारी (उत्तर पूर्व दिल्ली) : महोदय, आपने मुझे राष्ट्रीय खेलकूद विश्वविद्यालय विधेयक, 2018 पर बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

मुझे यह सुनकर बहुत खुशी हुई कि यह बिल आ रहा है। मैं बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन का छात्र रहा हूँ। मैं यूनिवर्सिटी की क्रिकेट टीम का कप्तान भी रहा हूँ। मैं ईस्ट जोन का उप-कप्तान भी रहा हूँ। मैंने विश्वविद्यालय के खेलों को बहुत करीब से देखा-समझा और उसकी समस्याओं को भी देखा और समझा है।

मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने एक ओलम्पिक पदक विजेता को भारत का खेल मंत्री बनाकर देश के सामने प्रस्तुत किया है। हम इस बात के लिए भी प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि पहली बार उन्होंने शुरू किया कि अब खिलाड़ी बनाने के लिए पढ़ाई होगी। इसके लिए मैं राज्यवर्धन राठौर जी को भी बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। अनुराग ठाकुर जी ने आज जिस प्रकार से अपनी बात रखी है, उसमें बहुत सारी चीजें समाहित हो गई हैं। आज इस सदन में जो दो-तीन शब्द कहे गए हैं, उनसे मुझे थोड़ी तकलीफ हुई है। मैं उन शब्दों को सुनकर आहत हुआ हूँ। कांग्रेस के हमारे कुछ मित्रों की तरफ से यह बात आयी कि यह अदृश्य सरकार है, हम शर्मिदा हैं। वे लोग शर्मिदा हैं, जिन्होंने 50 साल तक राज किया। वे लोग शर्मिदा हैं, जिनके कारण यह हुआ। आप हमारे दिल्ली के गाँवों में जाइए, तो लोग यमुना के किनारे कोई खेलने का स्थान ढूँढ़ते हैं। यहाँ 15-15 साल कांग्रेस का शासन रहा है। इसी दिल्ली में राष्ट्रमंडल घोटाले जैसा पाप हुआ, जिसने खेल और खिलाड़ी दोनों को कलंकित किया। वह सरकार भी यहाँ 15 साल तक रही और वे लोग कहते हैं कि हम शर्मिदा हैं। मैं अपने खेल मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ, जब मैं इनके पास दिल्ली के यमुना पार में एक स्टेडियम के लिए गया तो इन्होंने कहा कि आप मुझे जमीन बताओ, मैं जल्दी से आपको स्टेडियम देता हूँ।

लेकिन जब हम लोग जमीन की खोज करना शुरू करते हैं तो पता चलता है कि जिन जमीनों पर खेल के मैदान बनने चाहिए थे, वहाँ अवैध विदेशी घुसपैठिए अपनी झुग्गी-झोपड़ी डालकर रहने लगे हैं और इससे पहले जो पन्द्रह सालों से सरकार थी, उसने इसके लिए कुछ नहीं

किया। अभी जो साढ़े तीन सालों से सरकार है, वह इस पर आंखें मूंद कर खड़ी है। इसका धन्यवाद कि यह मुद्दा आज उठा है।

महोदय, मैं उस गांव का रहने वाला हूं, जहां हम लोग ईंटों से पीट-पीट कर खेतों में ग्राउण्ड को बराबर करके खेल खेलते थे। आज जो उस तरफ बैठे हैं, कल इस तरफ बैठते थे, उनके कारण यह हाल हुआ है। आप राँची से 350 किलोमीटर का क्षेत्र घूम जाएंगे तो अब जाकर वहां स्टेडियम बनने की बात हो रही है। उन क्षेत्रों में लोगों के लिए इससे पहले खेलने का मैदान नहीं रखा गया। हमारे यहां से धोनी जैसे खिलाड़ी भी निकले, लेकिन इन लोगों को दिल्ली आकर खेलना पड़ता था।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे पहली बार प्रसन्नता हो रही है। मैं बहुत प्रसन्न हूं। बहुत देर से अपनी सीट पर बैठ कर मैं अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। मैं अपने खेल मंत्री जी को कुछ सुझाव देना चाहता हूं। खेलों में जो नियुक्तियां हो रही हैं, उनमें ऐसे लोगों की नियुक्ति हो, जो खेल और खिलाड़ियों का दर्द समझते हैं। मैं धन्यवाद देता हूं कि कोचेज की फीस को पहली बार वर्तमान मोदी सरकार के खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर जी ने बढ़ाया और सारे देश में आज इसकी जय-जयकार हो रही है।

उस तरफ से एक बात आई। हमारे एक बहुत सम्माननीय साथी ने कहा कि हम रोटी और आलू-गोभी खाकर खेले। मैं तो कहता हूं कि अगर हमें रोटी और आलू-गोभी भी अच्छे से मिल गयी होती तो हमारा देश कई क्षेत्रों में बहुत रिकॉर्ड्स बनाकर रख देता। कर्नल राज्यवर्धन राठौर जी, जो हमारे खेल मंत्री हैं, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं कि पहली बार इन्होंने खिलाड़ियों की डाइट को बढ़ा दिया। कल जब मैं किरोड़ीमल कॉलेज के बच्चों से मिला तो लोगों ने हमें धन्यवाद दिया कि आपकी सरकार ने हिमा दास को इतना बढ़िया बनाया, असम सरकार ने उसे 50 लाख रुपये दिए, आप खिलाड़ियों के लिए सब कुछ कर रहे हैं, हम इस खेल मंत्री से और इस बिल से बहुत खुश हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए धन्यवाद करता हूं कि मैं स्वयं मास्टर-ऑफ-फिजीकल एजुकेशन हूं और जब हम स्पोर्ट्स मेडिसिन की बात करते हैं तो हमारे पास ऐसे लोग होने चाहिए

जो स्पोर्ट्स मेडिसिन में अच्छे अंक लाए हैं। इस नाते, इसकी जो शुरुआत हो रही है, उसके लिए मैं हमारे खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौर जी को और नरेन्द्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने खेल के स्तर पर पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर मणिपुर को एक भारी सौगात दी है। इससे पूरा पर्यटन भी जुड़ेगा और राष्ट्रीय एकता भी कायम होगी।

मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI THANGSO BAITE (OUTER MANIPUR): Mr. Deputy-Speaker, Sir, thank you. I rise in support of the National Sports University Bill. In fact, we have been waiting for the fulfilment of the promise of the present Government for opening one National Sports University in Manipur for many years. As it has come true, we are very happy and I really appreciate on behalf of the people of Manipur and on my behalf the Government for awarding this University to a small State like Manipur. This is a first of its kind also. So, we are very happy that Manipur has been given this University. We express our gratitude to the Government. Since I am given very limited time, I am not able to express what I feel.

A number of institutions of Central Government in Manipur is not working properly. I am expecting that this Sports University in Manipur will be one of the most leading universities in India.

Thank you.

श्री सत्यपाल सिंह (सम्भल): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूँ। आज देश के युवाओं के लिए मोदी सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। आपने मुझे इस बिल पर बोलने का अवसर दिया, इसलिए मैं आपके प्रति धन्यवाद अर्पित करता हूँ। हमारे देश के यशस्वी प्रधान मंत्री माननीय मोदी जी ने जो युवाओं के लिए सोचा है। आज तक किसी भी सरकार ने इसके लिए विचार नहीं किया था। मणिपुर में राष्ट्रीय खेलकूद विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। अभी हमारे कई वक्ताओं ने बोला कि अभी इसे शुरू किया जाएगा, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि विश्वविद्यालय स्थापित हो चुका है और शुरू भी हो गया है। हम लोगों ने मणिपुर जाकर उसका दौरा भी किया था।

सर्वप्रथम, मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ तथा उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौर (सेवानिवृत्त) का भी आभार व्यक्त करता हूँ और इस विधेयक का समर्थन करता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे सिर्फ एक मिनट और अपनी बात के लिए दीजिए। मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आज हमारे देश के जो खिलाड़ी खेलों में पिछड़ जाते हैं और चीन के खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल लाते हैं, उस स्तर तक अपने देश के खिलाड़ियों को पहुंचने के लिए यह एक सुनहरा अवसर है। मैं माननीय मंत्री जी से एक और निवेदन करना चाहूंगा कि हमारा उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, वहां खेलों की बहुत संभावनाएं हैं, इसलिए वहां भी इस खेलकूद विश्वविद्यालय की एक-दो ब्रांच यथाशीघ्र खोलने की कृपा करें। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों एवं गरीबों के बच्चे जो दूर नहीं जा सकते हैं, खेलों के प्रति रुचि लेकर आगे बढ़ सकते हैं।

श्री वीरेन्द्र सिंह (भदोही): उपाध्यक्ष महोदय, इस संसद में खेल पर अक्सर चर्चा होती रहती है, लेकिन आज एक दूसरी चर्चा हो रही है। खेल के संबंध में विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए जो विधेयक आया है, उसका मैं समर्थन करता हूँ। अभी बहुत विस्तार से चर्चा हो गई है, लेकिन मैं बहुत कम समय में ही अपनी बात पूरी करूँगा।

महोदय, इस विश्वविद्यालय की स्थापना भारत में खेलों के विस्तार के लिए हो रही है। खिलाड़ी कहां मिलते हैं, इस संबंध में काफी वक्ताओं ने अपनी बातें रखी हैं। वस्तुतः खेल समाज से जुड़ा हुए एक सिस्टम है। इससे देश का सम्मान तब बढ़ता है, जब ओलंपिक में कोई खिलाड़ी पदक प्राप्त करता है। ओलंपिक में कोई खिलाड़ी कैसे पदक प्राप्त करे, उसका चयन कैसे हो, इस बात का सुझाव कई लोगों ने दिया है। हिन्दुस्तान गाँवों का देश है। गांव में रहने वाले लोग आमतौर पर खेलों से जुड़े होते हैं। हमारे देश में कुछ ऐसी जातियां हैं, जिनके जीन में ही खेल होता है - जैसे नट जाति है, जिमनास्टिक उनके जीन में होता है। उसी प्रकार से तैराकी के बारे में निषाद-मल्लाह हैं, उनके जीन में तैराकी का गुण होता है। मैं खुद कुश्ती का खिलाड़ी रहा हूँ, इसलिए मैं इसे अच्छी तरह से जानता हूँ। यहां मनोज जी बैठे हुए हैं, उनके गांव के बगल में एक 'हिन्द केशरी' होते थे, उनका नाम मंगला राय था। वे बनारस में पंडा जी के अखाड़े में कुश्ती का अभ्यास करते थे। वहां हमारे गुंगई पहलवान, चिकन गुरु, अवधेश पहलवान तथा व्यास पहलवान होते थे। ये सारे लोग बनारस के पहलवान थे, जो हमेशा कुश्ती का अभ्यास करते थे।

महोदय, मैं प्रधानमंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने खेलों के बारे में सोचा है। आप लोगों को भी इसे देखने के लिए काशी जाना चाहिए। काशी तथा कुश्ती एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप वहां जा कर देखिए, हमारे प्रधान मंत्री जी ने वहां के पुराने व्यायामशालाओं को किस तरह से निर्मित किया है। सभी सांसदों को उससे प्रेरणा मिलेगी। मैंने खुद भी अपने संसदीय क्षेत्र में उस तरह के व्यायामशाला का निर्माण कराया है। माननीय प्रधान मंत्री जी ने 134 व्यायामशालाओं का निर्माण कराया है, जो कुश्ती से संबंधित हैं। मैं समझता हूँ कि सभी लोग काशी जाते होंगे, वे उन व्यायामशालाओं को देख सकते हैं। पंडा जी का अखाड़ा

ऐतिहासिक अखाड़ा है। मनोज जी का गांव मंगला राय जी के गांव के बगल में है। मैं खेल मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आप मंगला राय जी जैसे पहलवान के गांव में एक व्यायामशाला का निर्माण उनके नाम पर करा देते, तो बड़ी कृपा होती। इसके लिए मेरा आपसे व्यक्तिगत भी निवेदन है, क्योंकि वे 'हिन्द केशरी' थे।

महोदय जी, मैं आपसे एक दूसरी बात के लिए निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे गांव में रहने वाले किसान स्वाभाविक तौर पर घुड़सवारी करते हैं। उनको वहां प्रशिक्षण देना चाहिए। घुड़सवारी की तलाश अगर हम कनॉट प्लेस में करने लगेंगे, तो वह नहीं होगा। अगर हम जिमनास्ट की तलाश चांदनी चौक में करने लगेंगे, तो यह नहीं होगा। मैं चांदनी चौक या कनॉट प्लेस का विरोधी नहीं हूँ।

मैं एक बात कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा। हमारे खेल के विकास के लिए जो प्रचार हो रहे हैं, इस पर भी चिंता करने की जरूरत है। आम तौर पर लोग गांव में जानते हैं, देश में जानते हैं कि क्रिकेट का जो खिलाड़ी होता है, उसको ब्रह्मा अपने हाथ से सृजन करते हैं। ... (व्यवधान) हमारी बात पूरी हो जाने दीजिए। गांव का जो खिलाड़ी होता है, वह कुश्ती का खिलाड़ी होगा, हॉकी का खिलाड़ी होगा, जिमनास्टिक का खिलाड़ी होगा, तैराक होगा, उसको ब्रह्मा के कारिन्दे बनाते हैं। मैं कुश्ती का खिलाड़ी हूँ। मैंने इन चीजों को देखा है। ... (व्यवधान) मैं क्रिकेट का विरोधी नहीं हूँ। हमारे अनुराग जी चले जाएं, तो लोग जानेंगे कि ये बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। वीरेन्द्र सिंह हिन्दुस्तान का कई वर्ष चैम्पियन रहा, तो वह पहलवान है, कम बुद्धि वाला होगा... (व्यवधान) कुश्ती में जो आदमी से खेलता है, वह कम बुद्धि वाला कैसे होगा और जो बैट, बट्टे से खेलता है, वह कैसे ज्यादा बुद्धि वाला हो जाएगा? मैं यह कहना चाहता हूँ कि खेल केवल स्वास्थ्य बढ़ाने के लिए, देश का सम्मान बढ़ाने के लिए नहीं है। इससे सामाजिक समरसता भी बढ़ती है, सामाजिक एकता भी बढ़ती है और सामाजिक सशक्तिकरण भी होता है। कुश्ती का खिलाड़ी कोई नहीं जानता कि किस जाति का है। कोई कि सी जाति का होता है, कभी ऊपर होता है, कभी नीचे होता है। कभी नहीं पूछता कि तुम मण्डल कमीशन वाले हो, मेरे नीचे वाले हो या ऊपर वाले हो। सामाजिक समरसता का एक बहुत बड़ा आधार कुश्ती है। ग्रामीण खेल का विकास करने के लिए गांव में उसकी तलाश की जानी

चाहिए। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि गांव में जितने विद्यालय हैं, वहां विश्वविद्यालय का केन्द्र बन सकता है। हमारे यहां बड़े-बड़े विद्यालय हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

HON. DEPUTY SPEAKER: Now, we have to take up Private Members' Business.

... (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: I cannot help it. I cannot accommodate all of you because at 3.30 pm we have to take up Private Members' Business. Therefore, if the House agrees, then I can allow the Minister to reply and pass the Bill. At the time of the third reading, I will allow some Members and some points can be raised at that time.

... (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: I will allow you at that time.

... (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: Now, the hon. Minister.

... (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: I will call you during the third reading.

... (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: If the House agrees, then we can extend the time till the Bill is passed.

... (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: During the third reading I will call all the Members, and you can mention the points that you want to say.

... (Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: Mr. Minister, please be very brief.

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री {कर्नल राज्यवर्धन राठौर (सेवानिवृत्त)}: महोदय, आज खेलों पर चर्चा हुई है। बहुत से सांसदों ने इस चर्चा में भाग लिया है और अच्छी बात यह थी कि जिन सांसदों ने इस चर्चा में भाग लिया, वे सभी इस सदन के युवा सांसद थे। इस सदन में जितने भी सदस्य हैं, हम सब बचपन में जब बड़े हो रहे थे, खेल रहे थे तो अक्सर इस बात को सुनते थे कि 'जो खेलेगा कूदेगा, वह बनेगा खराब'। आज भारत के नौजवानों की शक्ति से, जिस तरह से उनका प्रभाव है, जिस तरह से विश्व में भारतीय युवाओं ने दबदबा किया है और जिस तरह से आज कॉरपोरेट सैक्टर और सारा जगत इन नए आइकॉन्स को और ऊपर चढ़ा रहा है, उससे आज यह परिभाषा बदल गई है। आज जो खेलेगा-कूदेगा, तो वह बनेगा लाजवाब। इससे व्यक्तित्व का विकास होता है और एक व्यक्ति का निर्माण होता है। प्रधान मंत्री मोदी जी ने जब कहा कि जो खेलेगा- 'वह खेलेगा'। वह अपने आपमें एक सम्पूर्ण बात थी कि हर व्यक्ति, चाहे एक्सीलेंस हो या ग्रास रूट लैवल का हो, हर व्यक्ति जो खेलों से जुड़ा होता है, उसका व्यक्तित्व अलग होता है। उसका व्यक्तित्व निखरकर आता है। उसके जीवन में उसका व्यक्ति निर्माण बेहतर होता है।

आज हम यहाँ पर एक विधेयक नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बिल को लेकर आए हैं। खेलों से कोचेज जुड़े हुए हैं, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कंपनीज जुड़ी हुई हैं। इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, स्टेडियम्स हैं, चाहे पब्लिक हों या प्राइवेट हों, खिलाड़ी खुद उससे जुड़े हुए हैं। स्पोर्ट्स साइंस के लोग खेलों से जुड़े हुए हैं। अपने आपमें स्पोर्ट्स का जो पूरा एन्वायर्नमेंट है, वर्ष 2019 तक 80 बिलियन डॉलर की यह इंडस्ट्री पूरे विश्व के अंदर होगी। आर्थिक रूप से भी, व्यक्ति निर्माण से और एक्सीलेंस से हमें इस धारा में जुड़ना है।

हर चीज जहां विकास होता है, प्रगति होती है, वहीं शिक्षा जरूरी जुड़ी होती है। Knowledge is required. सिर्फ जोश से काम नहीं चलता, होश होना जरूरी है। नॉलेज होना

जरूरी है। इतने सालों के बाद भी हमारी देश में इस तरह की की यूनिवर्सिटी नहीं है जो अपने आप में बिकॉन ऑफ नॉलेज हो, इस तरह का इंस्टीट्यूशन जो पूरे देश का मार्ग मार्गदर्शन खेल और खेल से जुड़ा हर सेक्टर को कर सकता है। आज हम इस बिल को लेकर आए हैं। इसमें प्रस्ताव है कि नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को मणिपुर में स्थापित करें। ऐसा नहीं है कि पूरे देश में कोई कॉलेज और यूनिवर्सिटीज नहीं है। अगर यूनिवर्सिटी या डीम्ड यूनिवर्सिटी फिजिकल एजुकेशन के ऊपर ही फोकस है। लेकिन स्पोर्ट्स का जो पूरा दायरा उसमें शामिल नहीं है। यह स्पोर्ट यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स के पूरे स्पेक्ट्रम को एड्रेस करेगी। इसमें बैचलर्स डिग्री और मास्टर डिग्री रिसर्च में भी मिलेगी, ट्रेनिंग में मिलेगी, इलिट एथलीट की तैयारी के लिए होगी, स्पोर्ट्स ऑफिसियल का होगा, रेफरी का होगा, इम्पायर्स का होगा, इसमें जुड़े हुए सभी लोगों की ट्रेनिंग इसमें शामिल होगी।

मैं सदन को बताना चाहता हूँ कि इस स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में जितने भी कोर्सेज होंगे वे सारे मणिपुर में चलाए जाएंगे, इसके अलावा यह भी प्रावधान है कि मदर यूनिवर्सिटी के आऊटलाइन्स कैम्पस दूसरे स्टेट में भी हो सकते हैं, बल्कि विदेशों में भी हो सकते हैं। हम अपनी सोच को सीमित क्यों रखें? हमारी यूनिवर्सिटी सिर्फ देश में ही शिक्षा दे, हम अपनी यूनिवर्सिटी को ऐसे स्तर पर ले जाएं, नॉलेज गेन करने के लिए अभी हमने यूनिवर्सिटी ऑफ कैनबरा से एमओयू किया, यूनिवर्सिटी ऑफ विक्टोरिया से एमओयू किया है, जो कैरिकुलम है, जिस तरह के स्पोर्ट्स के लिए लेबोरेटरीज होने चाहिए, वह वे नॉलेज हासिल करेंगे। यह एमओयू सिर्फ कागज पर नहीं है यह भी निश्चित किया गया है कि फैकल्टी मणिपुर में आकर रहे ताकि कैरिकुलम को नियंत्रित रखे। हम अपने यूनिवर्सिटी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाएं। आज हमारे देश के युवा स्पोर्ट्स मैनेजमेंट करना चाहते हैं या स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ कोर्स करना चाहते हैं। आज यूके जाते हैं, आस्ट्रेलिया जाते हैं, क्यों नहीं भारत में ऐसी यूनिवर्सिटी हो, हम इस बात को रख रहे हैं।

मैं सभी सदस्यों का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बिल का समर्थन किया है। मैं इस यूनिवर्सिटी की तीन विशेषता बताता हूँ, सबसे पहले इसका चांसलर खिलाड़ी होगा, ताकि वह खेल की स्प्रिट को आगे बढ़ा सके। इसके अंदर एकेडमिक काउन्सिल

होंगे उसके अंदर भी खिलाड़ी होंगे, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल चुके हैं और वे यूनिवर्सिटी का मागदर्शन करेंगे। इसमें लगातार फंडिंग की जरूरत पड़ेगी क्योंकि विजन बड़ा है। इसमें केन्द्र सरकार का लगातार कॉपोरेशन रहेगा। एक बात जरूर आई, प्रेमचन्द्रन जी ने कही कि बाकी सब तो ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा कि ऑर्डिनेंस लेकर क्यों आए? मैं सदन को बताना चाहता हूँ कि इसमें कोई विलंब नहीं था। हमने लोक सभा में बिल इंट्रोड्यूस किया। मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ। हमारे ऊपर आरोप लगाया गया ... (व्यवधान)

SHRI ASADUDDIN OWAISI (HYDERABAD): Sir, you can take it on Monday. What about the Private Members' Bill?

HON. DEPUTY SPEAKER: Already the House has accepted that this debate can continue.

... (Interruptions)

SHRI ASADUDDIN OWAISI: It is completely wrong and it is unfair. ... (Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: I will extend the time after 6 p.m. We will extend the time to the Private Members' Bill.

... (Interruptions)

SHRI ASADUDDIN OWAISI: Sir, it is my time. It is the time of the Private Members' Bill. ... (Interruptions)

कर्नल राज्यवर्धन राठौर (सेवानिवृत्त) : उपाध्यक्ष महोदय, खेलों के साथ ऐसा अक्सर हुआ है जब खेलों की बात हो रही है तो उसमें राजनीति लेकर आ जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए।

SHRI ASADUDDIN OWAISI: You should read the rules instead of passing the remarks. Let him read the rules. ... (Interruptions)

कर्नल राज्यवर्धन राठौर (सेवानिवृत्त) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे ऊपर यह आरोप लगाया गया कि हम सही समय पर बिल लेकर नहीं आए, अध्यादेश लेकर आए। मैं इस बात को सदन में स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ। हमने इस बिल को सदन में दस अगस्त को रखा, ग्यारह अगस्त को सदन साइने डाइ हो गया। 24 अगस्त को हमने इसे स्टैन्डिंग कमेटी को दे दिया। स्टैन्डिंग कमेटी ने अक्तूबर से लेकर जनवरी तक पांच मीटिंग्स की।

उन्होंने अच्छी मीटिंग्स की और वह मणिपुर भी जाकर आए। मीटिंग्स करने के बाद स्टैन्डिंग कमेटी ने 5 जनवरी को लोकसभा और राज्य सभा में रिपोर्ट सब्मिट की, तब हमें विश्वास हुआ कि अब यह बिल पास हो जाएगा। स्टूडेंट्स का नुकसान न हो, इसके लिए हमने कोर्स शुरू कर दिए। 15 जनवरी से कोर्स शुरू हो गए।

हम इस बिल को बजट सेशन में लेकर आए। सदन जानता है कि बजट सेशन पूरा वाशआउट हो गया। बजट सेशन को चलने नहीं दिया गया। अब एक तरफ स्टूडेंट्स का नुकसान होने वाला था, उनको कैसे डिग्री मिलती जब इस यूनिवर्सिटी को कोई रिकोगनिशन ही नहीं दिया गया। उनको हानि न पहुंचे, स्टूडेंट्स को नुकसान न पहुंचे इसलिए हम अध्यादेश लेकर आए ताकि खिलाड़ी बचे रहें।

मैं प्रेमचन्द्रन जी और सबसे कहना चाहता हूँ-

शोर शराबा करके तुम कानून बनाने न देते,
अध्यादेश अगर लाएं तो तुम लाने भी न देते।
फिर बतलाओ अंधकार में दीपक कहां जलेगा जी,
ऐसे ही तुम अड़े रहे तो देश कहां चलेगा जी।

माननीय उपाध्यक्ष जी, हमारा संकल्प और इरादे बुलंद हैं।

हम टूट नहीं सकते, हम झुक नहीं सकते,
अगर देश की बात है तो हम रुक भी नहीं सकते।

यही कारण है कि हम अध्यादेश लेकर आए।

माननीय उपाध्यक्ष जी, अनुराग जी ने अपनी बात रखी। वह पुराने खिलाड़ी रहे हैं, अभी भी खिलाड़ी हैं और वह एक एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे हैं। इसके अलावा अन्य माननीय सदस्यों ने पैशन के साथ अपनी बात रखी। मुझे यह बात ऑन रिकॉर्ड कहने में कोई शंका नहीं है कि मन से हर सांसद, हर देशवासी चाहता है कि खेल और हमारे खिलाड़ी आगे बढ़ें। आज जरूरत है कि मेरे और तुम्हारे पाले को देखे बगैर साथ काम करें। आज इसकी जरूरत है। यहीं से राजनीति शुरू होती है कि मेरा पाला इतना है और तुम्हारा पाला इतना है।

मैं सदन और पूरे देश का ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि खेल एक स्टेट सब्जेक्ट है। खेलों का डेवलपमेंट, खेलों पर जो कानून बनते हैं, सारे कानून और सारा डेवलपमेंट राज्य सरकार के हाथ में है। इसके बाद फेडरेशन्स आती हैं, जो अपने आपको सोसाइटी कहते हैं और सोसाइटी इंडीपेंडेंट होती है। उनका सीधा कनेक्शन अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन के साथ होता है और अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन का कनेक्शन इंटरनेशनल ओलम्पिक कमेटी के साथ होता है। पहले वाली सरकार ने कोशिश की थी, एक स्पोर्ट्स कोड लेकर भी आए थे और खिलाड़ियों ने पूरी तरह से इसका समर्थन किया था। हर खिलाड़ी चाहता है कि इस तरह का कानून बने ताकि फेडरेशन्स को किसी तरह से बांधा जा सके ताकि वे सही दिशा में काम करें।

राज्य सरकार पर अपने आप में जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। मैं आज एक बात कहता हूँ, हमने सभी मुख्यमंत्रियों को याद दिलाते हुए चिट्ठी लिखी कि आप अपने राज्य में 2011 का स्पोर्ट्स कोड इम्प्लीमेंट कीजिए। हम केंद्र से नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन पर जारी कर सकते हैं लेकिन स्टेट में नहीं कर सकते हैं। ग्रास रूट पर कौन कनेक्टड है? राष्ट्रीय फेडरेशन्स नहीं स्टेट्स फेडरेशन्स कनेक्टड हैं, तो क्यों नहीं स्टेट्स में डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप्स होती हैं? स्टेट्स क्यों नहीं कोशिश करती ताकि स्टेट्स का सीएसआर सही तरह इस्तेमाल हो सके और प्राइवेट या प्राइवेट-पब्लिक एकेडमीज़ को और प्रोत्साहन मिले? हर राज्य यूथ डेवलपमेंट की बात कहता है। यूथ डेवलपमेंट में सीधी एक ही बात है, आप हर राज्य का बजट उठाकर देख लीजिए। यहां सबने केंद्र के बजट की

बात कही, यह तो स्टेट की जिम्मेदारी है। आप स्टेट का बजट एक बार उठाकर तो देखिए कि स्टेट में कितना बजट है।

एजुकेशन डिपार्टमेंट, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट एक साथ बात नहीं करता है। स्टेट स्पोर्ट्स और एजुकेशन डिपार्टमेंट को ऑर्डिनेट करे और राज्य में जो फेडरेशन्स हैं, उनके साथ भी को ऑर्डिनेट करे। यह करना बहुत जरूरी है। जूनियर और वूमेन प्लेयर्स को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। स्पोर्ट्स अथारिटी आफ इंडिया और मिनिस्ट्री आफ स्पोर्ट्स फेडरेशन्स से बात करती है। अब हमने कुछ नए प्रयोग किए हैं।

अभी मैं उसके बारे में जिक्र करूंगा। अनुराग जी ने जब अपनी बात रखी, तो उसके अंदर यूनिवर्सिटीज की बात रखी कि यूनिवर्सिटीज में स्पोर्ट्स आगे क्यों नहीं बढ़ रहा। हमने एक बदलाव किया। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी अभी तक उस व्यक्ति, उस यूनिवर्सिटी को दी जाती थी, जो अपने यहां सबसे ज्यादा इवेन्ट्स करते थे। हमने इसमें बदलाव किया। हमने कहा कि सिर्फ इवेन्ट ऑर्गेनाइज करने से नहीं होता है, आपकी यूनिवर्सिटी में खिलाड़ी कैसे हैं, कितने ऊंचे लैवल के खिलाड़ी हैं- ओलम्पिक्स, एशियन गेम्स या कॉमनवेल्थ गेम्स के खिलाड़ी हैं, उस हिसाब से नम्बर मिलेंगे और उसी हिसाब ट्रॉफी भी दी जाएगी। उसी तरह इंटरनेशनल ट्रेनिंग की बात है। इंटरनेशनल ट्रेनिंग के ऊपर पैसा खर्च होता है। ओवरऑल ट्रेनिंग की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। ओवरऑल ट्रेनिंग के अंदर जितने भी खिलाड़ी भारत की टीम में आते हैं, चाहे वे सीनियर हों या जूनियर हों और जो पोटेंशियल खिलाड़ी होते हैं, उनकी ट्रेनिंग का ध्यान केंद्र सरकार रखती है। महाडीक जी ने खिलाड़ियों की अच्छी डाइट एवं उन्हें मिलने वाले एक हजार रुपये स्टाइपेंड के बारे में बात की है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि कुछ वर्ष पहले यह साल में 850 रुपये होती थी। मैं आपको तीन चीजों के बारे में बताना चाहता हूँ - पहला स्टाइपेंड, दूसरा फूड के ऊपर पैसा और तीसरा सप्लीमेंट के ऊपर पैसा। यानी खिलाड़ियों को जो फूड प्रतिदिन मिलता है, हमने उसे बढ़ाकर 690 रुपये प्रतिदिन कर दिया है। उसी खिलाड़ी को खाना अलग मिलता है, सप्लीमेंट अलग मिलता है। खिलाड़ी का सप्लीमेंट 750 रुपये प्रतिदिन कर दिया है। इस प्रकार एक खिलाड़ी

को एक महीने के अंदर 690 रुपये और 750 रुपये प्रतिदिन दिए जाते हैं। खिलाड़ी को स्टाइपेंड दो हजार रुपये प्रतिमाह मिलती है और ये एवरेज खिलाड़ी के लिए है, जो ट्रेनी एकेडमी में ट्रेनिंग कर रहे हैं, जैसा अनुराग जी ने कहा कि खिलाड़ी विदेश जा कर भी ट्रेनिंग लेते हैं। जहां अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ कम्पीटिशन होता है, तो अपने खिलाड़ियों को ट्रेनिंग के लिए बाहर भी भेजते हैं। उन खिलाड़ियों को केवल खाना और ट्रेनिंग ही नहीं, हमने पचास हजार रुपये प्रति माह 200 खिलाड़ियों को देना शुरू किये हैं। उसका कोई बिल नहीं लिया जाता है, वह उनका पॉकेट एलाउंस है। पहली बार है कि प्रधान मंत्री जी ने ओलम्पिक टॉस्क फोर्स लगाई है। ओलम्पिक टॉस्क फोर्स लगाने के बाद जो रिकमेंडेशंस आईं, उन्हें हमने स्वीकार किया है। कुछ समय पहले मनोज जी ने बात कही थी कि पहली बार भारत में हो रहा है कि भारत के जो कोचेज होते थे, उनकी तनख्वाह क्यों एक लाख रुपये तक रोक कर रखी थी। नेशनल एकेडमीज के जो कोच हैं, हमने उनकी सौ प्रतिशत तनख्वाह बढ़ाई है और दो लाख रुपये की है। एक मैशर है उसके लिए बीस हजार रुपये रखा था। बीस हजार रुपये में वह क्या नॉलेज हासिल करेगा और क्या अपना घर चलाएगा। जितने भी हमारे पास स्पोर्ट्स साइड के हैं, हमने सौ प्रतिशत उनकी तनख्वाह बढ़ाई है। इसी तरह पहली बार प्राइवेट एकेडमीज के साथ हमने पार्टनरशिप की है। नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड के बारे में सदन को बताना जरूरी है कि अभी तक जितने भी खिलाड़ी हैं, जितने भी खिलाड़ियों ने ओलम्पिक पदक जीता है, वे सभी इस फंड से फंडिंग पाकर जाते हैं। इस फंड में सभी भारतीय पैसा दे सकते हैं और यह भी बता सकते हैं कि मेरा पैसा कहां खर्च होगा। इस तरह से नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड का काम हो रहा है। वेयर टू प्ले, हाउ टू प्ले की एप्लीकेशन तैयार हो रही है। मैंने नेचुरल टैलेंट की बात भी कही है। देश में दस साल के बच्चों का टैलेंट देख रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन में इस विषय पर कम से कम दो-तीन घंटे तसल्ली से बात कर सकता हूं, लेकिन समय कम है और आप चाहते हैं कि मैं अपनी बात समाप्त करूं। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि प्रेमचन्द्रन जी ने यह बात रखी कि क्लॉज 7(2), जिसके अंदर केंद्र सरकार इंस्पेक्ट कर सकती है और इन्क्वायर कर सकती है, माननीय प्रेमचंद जी यह वैसा-का-वैसा सेन्ट्रल

यूनिवर्सिटीज एक्ट से लिया है। सेन्ट्रल यूनिवर्सिटीज एक्ट 8(3) में यही बात है जो हमने 7(2) में ली है। उसी तरह से आपने क्लॉज 25 (4), जिसके अंदर केंद्र सरकार नई स्टैच्यूट्स बना सकती है। वहां पर भी हमने उसी तरह से किया है जैसे देश के अंदर बाकी यूनिवर्सिटीज हैं। सेन्ट्रल यूनिवर्सिटीज एक्ट 25(5) एवं 27(5) हू-ब-हू वही क्लॉज हमने 25(4) में लिया है।

नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में हम वही कानून पारित करना चाहते हैं, जो बाकी सारी यूनिवर्सिटीज में है, इसमें कोई नई बात नहीं है।...(व्यवधान)

SHRI M. B. RAJESH (PALAKKAD): Sir, he has not said anything about the demand for regional campus in Kerala.

कर्नल राज्यवर्धन राठौर (सेवानिवृत्त): केरल के बारे में आपने जो बात कही है, मैं बताना चाहूंगा कि फिजिकल एजुकेशन के जो सबसे पहले दो कॉलेज बने, पूरे देश में ऐसे दो ही कॉलेज हैं, उनमें से एक केरल में है। ...(व्यवधान) इसी तरह से इसके जो नए आउटलाइंग कैम्पसेस बनेंगे, सभी राज्य सरकारों से बात करके, जो भी इसमें हमें सबसे ज्यादा समर्थन करेगा, वहां हम आउटलाइंग कैम्पसेस खोल सकते हैं।...(व्यवधान) मैं सदन से विधेयक पारित करने का अनुरोध करता हूँ।...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri N.K. Premachandran, are you moving your Resolution?

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I do not want to take the time of the Private Members' Business. So, I would be very brief.

Whenever there is pandemonium in the House, it is the responsibility of the Government to resolve the deadlock. It is not the fault of the Opposition. It is the responsibility of the Leader of the House and the Government to see that the pandemonium is being resolved.

Since it is a matter of sports and he has already assured so many things and the regional campus that we have demanded for Kerala has also been assured, I seek the permission of the House to withdraw my Resolution.

The Resolution was, by leave, withdrawn.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That the Bill to establish and incorporate a National Sports University in the State of Manipur, a specialised University first of its kind, to promote sports education in the area of sports sciences, sports technology, sports management and sports coaching, besides functioning as the national training centre for select sports disciplines by adopting best international practices and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration.”

The motion was adopted.

HON. DEPUTY SPEAKER: The House will now take up clause-by-clause.

Clause 2

Definitions

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri N.K. Premachandran, are you moving amendment Nos. 2 to 5 to Clause 2?

SHRI N.K. PREMACHANDRAN : I beg to move:

“Page 1, line 9, --
for “by the Ordinances”
substitute “under this Act”. (2)

“Page 2, line 5, --
after “maintained by,”
insert “or managed by”. (3)

“Page 2, *for* line 6, --
substitute ‘(f) “Core council” means Core council
of the University’. (4)

“Page 2, lines 18 and 19, --
after “maintained by”
insert “or managed by”. (5)

HON. DEPUTY SPEAKER: I shall now put amendment Nos. 2 to 5 to clause 2, moved by Shri N.K. Premachandran to the vote of the House.

The amendments were put and negatived.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That clause 2 stand part of the Bill.”

The motion was adopted.
Clause 2 was added to the Bill.

Clause 3 Establishment of University

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri N.K. Premachandran, are you moving amendment No. 6 to clause 3?

SHRI N.K. PREMACHANDRAN: I beg to move:

“Page 3, line 11, --

for “Court”

substitute “Core council”. (6)

HON. DEPUTY SPEAKER: I shall now put amendment No. 6 to clause 3, moved by Shri N.K. Premachandran to the vote of the House.

The amendment was put and negatived.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That clause 3 stand part of the Bill.”

The motion was adopted.

Clause 3 was added to the Bill.

Clause 4 Objects of University

HON. DEPUTY SPEAKER: Amendment No. 7 – Prof. Saugata Roy is not present.

The question is:

“That clause 4 stand part of the Bill.”

The motion was adopted.

Clause 4 was added to the Bill.

Clause 5 Powers and functions of University

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri N.K. Premachandran, are you moving amendment Nos. 8 to 10 to clause 5?

SHRI N.K. PREMACHANDRAN : I beg to move:

“Page 5, line 30, --
after “welfare of the”
insert “students and”.” (8)

“Page 6, line 2, --
for “in the interest”
substitute “for the benefit”.” (9)

“Page 6, line 20, --
after “or Institution”
insert “outside India”.” (10)

HON. DEPUTY SPEAKER: I shall now put amendment Nos. 8 to 10 to clause 5, moved by Shri N.K. Premachandran to the vote of the House

The amendments were put and negatived.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That clause 5 stand part of the Bill.”

The motion was adopted.
Clause 5 was added to the Bill.
Clause 6 was added to the Bill.

**Clause 7 Central University to review work
and progress of University**

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri N.K. Premachandran, are you moving amendment Nos. 11 to 26 to clause 7?

SHRI N.K. PREMACHANDRAN : I beg to move:

- “Page 7, lines 17 and 18, --
omit “including Outlying Campuses, Colleges,
Institutions, Regional Centres and Study
Centres maintained by it”. ” (11)
- “Page 7, line 21, --
for “issue such directions”
substitute “make such recommendations”. ” (12)
- “Page 7, lines 22 and 23, --
for “abide for such action and be bound to comply
with such directions”
substitute “consider such recommendations”. ” (13)
- “Page 7, line 25, --
omit “, its buildings, sport complexes”. ” (14)
- “Page 7, *omit* lines 26 to 30.” (15)
- “Page 7, line 32, --
omit “or inquiry”. ” (16)
- “Page 7, line 36, --
omit “or inquiry”. ” (17)
- “Page 7, line 38, --
omit “or inquiry”. ” (18)
- “Page 7, line 40, --
omit “or inquiry”. ” (19)

“Page 7, line 41, --
omit “or inquiry”.” (20)

Page 7, lines 42 and 43, --
omit “or any Outlying Campus or College or
 Institution or Regional Centre or Study
 Centre established or maintained by it”.” (21)

“Page 7, line 44, --
omit “or inquiry”.” (22)

“Page 7, line 51, --
omit “or inquiry”.” (23)

“Page 8, lines 1 and 2, --
omit “to the satisfaction of the Central
 Government”.” (24)

“Page 8, *omit* lines 5 to 7.” (25)

“Page 8, line 8, --
for “order”
substitute “direction”.” (26)

HON. DEPUTY SPEAKER: I shall now put amendment Nos. 11 to 26 to clause 7, moved by Shri N.K. Premachandran to the vote of the House.

The amendments were put and negatived.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That clause 7 stand part of the Bill.”

The motion was adopted.
Clause 7 was added to the Bill.
Clause 8 was added to the Bill.

Clause 9 Chancellor

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri N.K. Premachandran, are you moving amendment No. 27 to clause 9?

SHRI N.K. PREMACHANDRAN: No, Sir.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That clause 9 stand part of the Bill.”

*The motion was adopted.
Clause 9 was added to the Bill.*

Clause 10 Vice-Chancellor

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri N.K. Premachandran, are you moving amendment No. 28 to clause 10?

SHRI N.K. PREMACHANDRAN: Sir, I am not moving my amendment.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That clause 10 stand part of the Bill.”

*The motion was adopted.
Clause 10 was added to the Bill.
Caluses 11 to 16 were added to the Bill.*

Clause 17 Authorities of University

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri N.K. Premachandran, are you moving amendment No. 29 to clause 17?

SHRI N.K. PREMACHANDRAN : I am not moving the amendment.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That clause 17 stand part of the Bill.”

The motion was adopted.

Clause 17 was added to the Bill.

Clause 18 The Court

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri N.K. Premachandran, are you moving amendment No. 30 to clause 18?

SHRI N.K. PREMACHANDRAN : No, Sir.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“Clause 18 stand part of the Bill.”

The motion was adopted.

Clause 18 was added to the Bill.

Clauses 19 to 25 were added to the Bill.

Clause 26 Powers to make ordinances

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri N.K. Premachandran, are you moving amendment No.31 to clause 26?

SHRI N.K. PREMACHANDRAN : No, Sir, I am not moving.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That clause 26 stand part of the Bill.”

The motion was adopted.

Clause 26 was added to the Bill.

Clause 27 was added to the Bill.

Clause 28 Annual Report

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri N.K. Premachandran, are you moving amendment No.32 to clause 28?

SHRI N.K. PREMACHANDRAN : No, Sir, I am not moving.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That clause 28 stand part of the Bill.”

The motion was adopted.

Clause 28 was added to the Bill.

Clause 29 Annual Accounts

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri N.K. Premachandran, are you moving amendment No.33 to clause 29?

SHRI N.K. PREMACHANDRAN : No, Sir, I am not moving.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That clause 29 stand part of the Bill.”

*The motion was adopted.
Clause 29 was added to the Bill.
Clauses 30 to 38 were added to the Bill.*

Clause 39 **Protection of action
taken in good faith**

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri N.K. Premachandran, are you moving amendment No.34 to clause 39?

SHRI N.K. PREMACHANDRAN : No, Sir, I am not moving.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That clause 39 stand part of the Bill.”

*The motion was adopted.
Clause 39 was added to the Bill.
Clauses 40 and 41 were added to the Bill.*

Clause 42 **Statutes, ordinances and regulations
to be published in the official Gazette
and to be laid before the Parliament**

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri N.K. Premachandran, are you moving amendment Nos.35, 36 and 37 to clause 42?

SHRI N.K. PREMACHANDRAN: No, Sir, I am not moving.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That clause 42 stand part of the Bill.”

*The motion was adopted.
Clause 42 was added to the Bill.*

Clause 43**Transitional Provisions**

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri N.K. Premachandran, are you moving amendment No.38 to clause 43?

SHRI N.K. PREMACHANDRAN : No, Sir, I am not moving.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That clause 43 stand part of the Bill.”

The motion was adopted.

Clause 43 was added to the Bill.

Clause 44 was added to the Bill.

The Schedule was added to the Bill.

Clause 1 and the Enacting Formula were added to the Bill.

Title

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri N.K. Premachandran, are you moving amendment No.1 to the Long Title?

SHRI N.K. PREMACHANDRAN : I beg to move:

Page 1, in the long title,-

after “promote sports education”

insert “and research”

(1)

HON. DEPUTY SPEAKER: I shall now put amendment No.1, moved by Shri N.K. Premachandran, to the Long Title, to the vote of the House.

The amendment was put and negatived.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is”

“That the Long Title stand part of the Bill.”

The motion was adopted.

The Long Title was added to the Bill.

COL. RAJYAVARDHAN RATHORE (RETD.): I beg to Move:

“That the Bill be passed.”

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That the Bill be passed.”

The motion was adopted.

HON. DEPUTY SPEAKER: Now, the House shall take up Private Members' Introduction of Bills. Some Members have requested to be called early as they have some urgency.

15 53 hrs

**MOTION RE: 39TH AND 42ND REPORTS OF COMMITTEE
ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS**

SHRI THANGSO BAITE (OUTER MANIPUR): Sir, I beg to move:

“That this House do agree with the Thirty-ninth and Forty-second Reports of the Committee on Private Members Bills and Resolutions presented to the House on 7 February and 25 July, 2018, respectively, subject to modification that para 4 and sub-para (ii) of para 5 of recommendations thereof, relating to allocation of time to Resolutions, be omitted and the Fortieth and Forty-third Reports of the Committee presented to the House on 7 March and 1 August, 2018, respectively.”.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That this House do agree with the Thirty-ninth and Forty-second Reports of the Committee on Private Members Bills and Resolutions presented to the House on 7 February and 25 July, 2018, respectively, subject to modification that para 4 and sub-para (ii) of para 5 of recommendations thereof, relating to allocation of time to Resolutions, be omitted and the Fortieth and Forty-third Reports of the Committee presented to the House on 7 March and 1 August, 2018, respectively.”.

The motion was adopted.

15 54 hrs

PRIVATE MEMBERS' BILLS –Introduced
(i) CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 2018*
(Insertion of new article 371K)

SHRI ASADUDDIN OWAISI (HYDERABAD): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.”

The motion was adopted.

SHRI ASADUDDIN OWAISI: I introduce** the Bill.

15 54 ½ hrs

(ii) CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 2018*
(Amendment of article 84, etc.)

SHRI ASADUDDIN OWAISI (HYDERABAD): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.”

The motion was adopted.

SHRI ASADUDDIN OWAISI : I introduce the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, Dated 03.08.2018.

** Introduced with the recommendation of the President.

15 54 ¾ hrs

**(iii) PREVENTION OF DEATHS DUE TO HEAT AND COLD WAVES
BILL, 2018 ***

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक (हरिद्वार): मैं प्रस्ताव करता हूँ कि लू और शीत लहर को राष्ट्रीय आपदा घोषित करके ग्रीष्म ऋतु में लू लगने और शीत ऋतु में कंपकंपाती सर्दियों के कारण होने वाली कारण होने वाली अकाल मौतों के निवारण तथा मौसम विभाग की भविष्यवाणी पर सर्दियों में तत्काल ऊनी वस्त्र उपलब्ध कराने, रैन बसेरों की स्थापना करने, सामुदायिक अलाव इत्यादि की व्यवस्था करके तथा गर्मियों में गरीब बेघर कामगारों और दिहाड़ी मजदूरों के लिए पेयजल, ओआरएस के पैकेटों, आम पन्ना विशिष्ट स्थानों पर ठंडक प्रदान करने वाली जगहों और शेडों, निःशुल्क राशन और अन्य आवश्यक चीजों की व्यवस्था करके इन प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने के लिए अग्रिम तैयारी के लिए प्रावधान करने तथा केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा लू अथवा शीत लहर, जैसा भी मामला हो, के कारण जान गंवाने वाले व्यक्तियों के निकट संबंधियों को प्रतिकर का भुगतान करने तथा उससे संबंधित और उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for the prevention of human deaths caused by heat stroke during summer and chilling cold during winter seasons by declaring heatwave and coldwave as national calamity and for making provisions for advance preparedness to face these natural calamities immediately on predictions of meteorological department making provision for providing woollens, setting up night shelters, community bonfires etc. during winters and for drinking water, ORS packets, mango panna, cooling space and shades at

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, Dated 03.08.2018.

conspicuous places, free ration and other needs for the poor homeless workers and daily wage earners during summer and for payment of compensation to the kins of those losing lives in heat or cold wave, as the case may be, by the Central and the State Governments and for matters connected therewith or incidental thereto.”

The motion was adopted.

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक: मैं विधेयक पुरःस्थापित* करता हूँ

HON. DEPUTY SPEAKER: You just give the Title. The Title is enough. Do not read the whole text.

I request the hon. Members, who have given the list, to read the number and Title only. Priority has been given to you all. Otherwise, I have to call according to the list.

* Introduced with the recommendation of the President.

15 55 hrs

(iv) WOMEN WELFARE BILL, 2018*

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक (हरिद्वार): मैं प्रस्ताव करता हूँ कि निधि प्रदान कर और रोजगार के अवसर सृजित कर महिलाओं के कल्याण तथा तत्संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for welfare of women by providing fund and creating employment opportunities and for matters connected therewith or incidental thereto.”

The motion was adopted.

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक: मैं विधेयक पुरःस्थापित** करता हूँ।

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, Dated 03.08.2018..

** Introduced with the recommendation of the President.

15 55 ½ hrs

**(v) THE SELF-FINANCING PROFESSIONAL EDUCATIONAL
INSTITUTIONS (CONTROL AND REGULATION) BILL, 2018***

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक (हरिद्वार): मैं प्रस्ताव करता हूँ कि व्यावसायिक शिक्षा का वाणिज्यीकरण रोकने और कैपिटेशन शुल्क के प्रतिषेध सहित स्ववित्तपोषित व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं में छात्रों के प्रवेश को विनियमित और शुल्क ढांचे को निर्धारित कर देश भर में ऐसी स्ववित्तपोषित संस्थाओं की समुचित आयोजना और समन्वित विकास करने और तत्संस्कृत या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for proper planning and co-ordinated development of Self-financing professional educational institutions throughout the country by regulating the admission of students and prescribing fee structure in such Self-financing Institution including prevention of commercialization of professional education and prohibition of capitation fees and for matters connected therewith or incidental thereto.”

The motion was adopted.

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक: मैं विधेयक पुरःस्थापित** करता हूँ।

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, Dated 03.08.2018.

** Introduced with the recommendation of the President.

15 56 hrs

**(vi) COMPULSORY FURNISHING OF BILLS FOR GOODS AND SERVICES
BILL, 2018 ***

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक (हरिद्वार): मैं प्रस्ताव करता हूँ कि माल या सेवा के लिए आपूर्तिकर्ता द्वारा विक्रय किये गए माल और प्रदान की गई सेवाओं के लिए बीजकों का अनिवार्य प्रस्तुतीकरण प्रदान करने वाला और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for compulsory furnishing of Bills for goods sold and services provided by the suppliers for goods or service and for matters connected therewith.”

The motion was adopted.

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक: मैं विधेयक पुरःस्थापित ** करता हूँ।

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, Dated 03.08.2018.

** Introduced with the recommendation of the President.

15 56 ½ hrs

**(vii) NATIONAL TOURISM (SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND
PROMOTION) BILL, 2018***

SHRI ANURAG SINGH THAKUR (HAMIRPUR): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the constitution of a Sustainable Tourism Interventions Council for establishment of tourism as an organised sector in India, for job-creation, higher foreign exchange reserve and greater cultural intermingling and for matters connected therewith or incidental thereto.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for the constitution of a Sustainable Tourism Interventions Council for establishment of tourism as an organised sector in India, for job-creation, higher foreign exchange reserve and greater cultural intermingling and for matters connected therewith or incidental thereto.”

The motion was adopted.

SHRI ANURAG SINGH THAKUR : I introduce ** the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, Dated 03.08.2018.

** Introduced with the recommendation of the President.

15 57 hrs

(viii) DATA PRIVACY AND PROTECTION BILL, 2017*

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): I beg to move for leave to introduce a Bill to establish an effective regime to protect the right to privacy of data of all natural persons; to set out conditions of surveillance and interception of communications of natural persons; and to constitute a Privacy Commission and for matters connected therewith or incidental thereto.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to establish an effective regime to protect the right to privacy of data of all natural persons; to set out conditions of surveillance and interception of communications of natural persons; and to constitute a Privacy Commission and for matters connected therewith or incidental thereto.”

The motion was adopted.

DR. SHASHI THAROOR: I introduce** the Bill.

HON. DEPUTY SPEAKER: Next time, you just read the Title.

DR. SHASHI THAROOR: I was reading the Title. It was a long Title.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, Dated 03.08.2018.

** Introduced with the recommendation of the President.

15 57 ½ hrs**(ix) DEATH PENALTY (ABOLITION) BILL, 2017***

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): I beg to move for leave to introduce a Bill to abolish the death penalty in India.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to abolish the death penalty in India.”

The motion was adopted.

DR. SHASHI THAROOR : I introduce the Bill.

15 58 hrs**(x) CRIMINAL LAW (AMENDMENT) BILL, 2017***
(Amendment of section 354D, etc.)

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Indian Penal Code, 1860 and the Code of Criminal Procedure, Code 1973.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Indian Penal Code, 1860 and the Code of Criminal Procedure, Code 1973.”

The motion was adopted.

DR. SHASHI THAROOR: I introduce the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, Dated 03.08.2018.

15 58 ½ hrs

(xi) CINEMATOGRAPH (AMENDMENT) BILL, 2018*

(Amendment of section 4, etc.).

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Cinematograph Act, 1952.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill further to introduce a Bill further to amend the Cinematograph Act, 1952.”

The motion was adopted.

DR. SHASHI THAROOR: I introduce the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, Dated 03.08.2018.

15 59 hrs

**(xii) ARCHAEOLOGICAL AND NATURAL HERITAGE CONSERVATION
BILL, 2017***

SHRIMATI KAVITHA KALVAKUNTLA (NIZAMABAD): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the constitution of a Board for the conservation of archaeological heritage and for matters connected therewith or incidental thereto.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to provide for the constitution of a Board for the conservation of archaeological heritage and for matters connected therewith or incidental thereto.”

The motion was adopted.

SHRIMATI KAVITHA KALVAKUNTLA: I introduce ** the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, Dated 03.08.2018.

** Introduced with the recommendation of the President.

15 59 ½ hrs

(xiii) DRUGS AND COSMETICS (AMENDMENT) BILL, 2018*

(Insertion of new Chapter IIIA)

SHRIMATI KAVITHA KALVAKUNTLA (NIZAMABAD): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Drugs and Cosmetics Act, 1940.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Drugs and Cosmetics Act, 1940.”

The motion was adopted.

SHRIMATI KAVITHA KALVAKUNTLA: I introduce** the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, Dated 03.08.2018. .

** Introduced with the recommendation of the President.

16 00 hrs

**(xiv) RESERVATION IN POSTS AND SERVICES FOR KAPU COMMUNITY
OF ANDHRA PRADESH BILL, 2018 ***

SHRI MUTHAMSETTI SRINIVASA RAO (AVANTHI) (ANAKAPALLI): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the reservation in posts and services of the Central Government and Public Sector Undertakings for Kapu community with a view to improving their living standard and extending them the benefit of progress made by the country after independence and for matters connected therewith.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for the reservation in posts and services of the Central Government and Public Sector Undertakings for Kapu community with a view to improving their living standard and extending them the benefit of progress made by the country after independence and for matters connected therewith.”

The motion was adopted.

SHRI MUTHAMSETTI SRINIVASA RAO (AVANTHI): I introduce the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, Dated 03.08.2018.

16 00 ½ hrs

**(xv) SUPREME COURT AND THE HIGH COURTS
(USE OF OFFICIAL LANGUAGES AND
OTHER PROVISIONS) BILL, 2018***

श्री अजय मिश्रा टेनी (खीरी): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की कार्यवाहियों में राजभाषा का प्रयोग तथा कतिपय अन्य उपबंधों और तत्संसक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for the use of official language in the proceedings of the Supreme Court and the High Courts and certain other provisions and for matters connected therewith.

The motion was adopted.

श्री अजय मिश्रा टेनी: महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित** करता हूँ।

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, Dated 03.08.2018.

** Introduced with the recommendation of the President.

16 01 hrs

(xvi) WILD LIFE (PROTECTION) AMENDMENT BILL, 2017*

(Insertion of new section 8A, etc.)

SHRI KALIKESH N. SINGH DEO (BOLANGIR): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Wild Life (Protection) Act, 1972.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Wild Life (Protection) Act, 1972.”

The motion was adopted.

SHRI KALIKESH N. SINGH DEO : I introduce** the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, Dated 03.08.2018.

** Introduced with the recommendation of the President.

16 01 ½ hrs

**(xvii) PROTECTION OF CHILDREN FROM SEXUAL OFFENCES
(AMENDMENT) BILL, 2017*
(Amendment of section 2, etc.)**

SHRI KALIKESH N. SINGH DEO (BOLANGIR): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012.”

The motion was adopted.

SHRI KALIKESH N. SINGH DEO : I introduce** the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, Dated 03.08.2018.

** Introduced with the recommendation of the President.

16 02 hrs

**(xviii) RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES
(AMENDMENT) BILL, 2017*
(Amendment of the Schedule)**

SHRIMATI POONAM MAHAJAN (NORTH CENTRAL MUMBAI): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Right of Persons with Disabilities Act, 2016.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Right of Persons with Disabilities Act, 2016.”

The motion was adopted.

SHRIMATI POONAM MAHAJAN: I introduce the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, Dated 03.08.2018.

16 02 ½ hrs

(xix) GUARDIANS AND WARDS (AMENDMENT) BILL, 2017 *

(Insertion of new section 18A)

SHRIMATI POONAM MAHAJAN (NORTH CENTRAL MUMBAI): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Guardians and Wards Act, 1890.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Guardians and Wards Act, 1890.”

The motion was adopted.

SHRIMATI POONAM MAHAJAN : I introduce the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, Dated 03.08.2018.

16 03 hrs

**(xx) RIGHTS OF CHILDREN TO FREE AND COMPULSORY EDUCATION
(AMENDMENT) BILL, 2017*
(Amendment of section 21)**

SHRIMATI POONAM MAHAJAN (NORTH CENTRAL MUMBAI): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009.”

The motion was adopted.

SHRIMATI POONAM MAHAJAN : I introduce the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, Dated 03.08.2018.

16 03 ¼ hrs

**(xxi) PROTECTION OF CHILDREN FROM SEXUAL
OFFENCES (AMENDMENT) BILL, 2017***
(Insertion of new section 38A)

SHRIMATI POONAM MAHAJAN (NORTH CENTRAL MUMBAI): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012.”

The motion was adopted.

SHRIMATI POONAM MAHAJAN: I introduce the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, Dated 03.08.2018.

16 03 ½ hrs

(xxii) SKILL (TRAINING AND EDUCATION) BILL, 2018*

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide skill training to individuals post retirement, including and not limited to ex-servicemen to enable them to learn new skills and gain employability and also to include skill education as compulsory part of school and college curriculum and for matters connected therewith or incidental thereto.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide skill training to individuals post retirement, including and not limited to ex-servicemen to enable them to learn new skills and gain employability and also to include skill education as compulsory part of school and college curriculum and for matters connected therewith or incidental thereto.”

The motion was adopted.

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE : I introduce** the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, Dated 03.08.2018.

** Introduced with the recommendation of the President.

16 03 ¾ hrs

(xxiii) MENSTRUAL HYGIENE MANAGEMENT (AWARENESS AND AFFORDABLE SANITARY NAPKIN DISTRIBUTION) BILL, 2018*

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): I beg to move for leave to introduce a Bill to create awareness among women and adolescent girls regarding menstrual hygiene, safe usage and disposal of sanitary napkins, easy access of affordable sanitary napkins to women in villages and remote areas and promotion of use of biodegradable napkins and for matters connected therewith.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to create awareness among women and adolescent girls regarding menstrual hygiene, safe usage and disposal of sanitary napkins, easy access of affordable sanitary napkins to women in villages and remote areas and promotion of use of biodegradable napkins and for matters connected therewith

The motion was adopted.

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE : I introduce** the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, Dated 03.08.2018.

** Introduced with the recommendation of the President.

16 04 hrs

**(xxiv) ANGANWADI WORKERS (EMPOWERMENT
AND WELFARE) BILL, 2018***

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): I beg to move for leave to introduce a Bill to constitute an Anganwadi Workers Welfare Authority to provide for performance based pay to anganwadi workers and helpers, regularize their employment, recognise the unpaid work done by anganwadi workers and protect their right to financial entitlement, increase their wages and index them to inflation, provide for penalty to be paid to workers in case of delay in the payment of their monthly wages, redefine their job role and increase their responsibilities, make affordable healthcare accessible to anganwadi workers, helpers and their families through health insurance scheme and healthcare coupons, provide for paid maternity leave, social security and pension benefits to anganwadi workers, improve access to education among children of anganwadi workers through scholarships and reservations, provide for quota in all Government jobs for children of anganwadi workers and for all matters connected therewith or incidental thereto.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, Dated 03.08.2018.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to constitute an Anganwadi Workers Welfare Authority to provide for performance based pay to anganwadi workers and helpers, regularize their employment, recognise the unpaid work done by anganwadi workers and protect their right to financial entitlement, increase their wages and index them to inflation, provide for penalty to be paid to workers in case of delay in the payment of their monthly wages, redefine their job role and increase their responsibilities, make affordable healthcare accessible to anganwadi workers, helpers and their families through health insurance scheme and healthcare coupons, provide for paid maternity leave, social security and pension benefits to anganwadi workers, improve access to education among children of anganwadi workers through scholarships and reservations, provide for quota in all Government jobs for children of anganwadi workers and for all matters connected therewith or incidental thereto.

The motion was adopted.

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE : I introduce* the Bill.

* Introduced with the recommendation of the President.

16 04 ½ hrs

(xxv) COMPULSORY FIRST-AID TRAINING IN SCHOOLS BILL, 2018*

SHRI ADHALRAO PATIL SHIVAJIRAO (SHIRUR): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for compulsory first aid training to students in schools in the country.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for compulsory first aid training to students in schools in the country.”

The motion was adopted.

SHRI ADHALRAO PATIL SHIVAJIRAO : I introduce** the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, Dated 03.08.2018.

** Introduced with the recommendation of the President.

16 04 ¾ hrs

(xxvi) PREVENTION OF CRUELTY TO ANIMALS (AMENDMENT)

BILL, 2018*

(Amendment of section 22)

SHRI ADHALRAO PATIL SHIVAJIRAO (SHIRUR): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960.”

The motion was adopted.

SHRI ADHALRAO PATIL SHIVAJIRAO: I introduce the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, Dated 03.08.2018.

16 05 hrs

(xxvii) MATERNITY BENEFIT (AMENDMENT) BILL, 2018*
(Amendment of Section 3, etc.)

SHRI ADHALRAO PATIL SHIVAJIRAO (SHIRUR): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Maternity Benefit Act, 1961.

HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Maternity Benefit Act, 1961.”

The motion was adopted.

SHRI ADHALRAO PATIL SHIVAJIRAO: Sir, I introduce ** the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, Dated 03.08.2018.

** Introduced with the recommendation of the President.

16 05 ¼ hrs

**(xxviii) COMPULSORY ESTABLISHMENT OF MEDICAL CENTRES IN
SCHOOLS BILL, 2018***

SHRI ADHALRAO PATIL SHIVAJIRAO (SHIRUR): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for compulsory establishment of medical centres in schools to promote positive health, prevention and treatment of common diseases among students and for matters connected therewith.

HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is: "That leave be granted to introduce a Bill to provide for compulsory establishment of medical centres in schools to promote positive health, prevention and treatment of common diseases among students and for matters connected therewith."

SHRI ADHALRAO PATIL SHIVAJIRAO : Sir, I introduce** the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, Dated 03.08.2018.

** Introduced with the recommendation of the President.

16 05 ½ hrs

(xxix) THE TRIBAL CHILDREN AND LACTATING WOMEN IN JHARKHAND AND OTHER STATES (REMOVAL OF HUNGER, MALNUTRITION AND PREVENTION OF STARVATION DEATHS) BILL, 2017*

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि देश के जनजातीय क्षेत्रों विशेषकर झारखण्ड में किशोरियों और युवा लड़कियों तथा गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं सहित जनजातीय बालकों की भूख और कुपोषण मिटाने और भूख से होने वाली मौतों का राष्ट्रीय और राज्य स्तरों पर नोडल अभिकरण के माध्यम से निवारण करने तथा इस प्रयोजनार्थ राष्ट्रीय नीति बनाकर तत्संबंधी और आनुषंगिक मामलों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for the removal of hunger and malnutrition and for the prevention of starvation deaths of tribal children including adolescent and young girls and pregnant and lactating women in tribal areas of the country particularly in Jharkhand through a nodal agency at the National and State levels, by formulating a National Policy for the purpose and for matters connected therewith and incidental thereto.”

The motion was adopted.

श्री निशिकान्त दुबे: महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित** करता हूँ

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, Dated 03.08.2018.

** Introduced with the recommendation of the President.

16 05 ¾ hrs

**(xxx) THE PREVENTION OF CRIMES IN THE NAME OF HONOUR AND
TRADITION AND PROHIBITION OF INTERFERENCE WITH THE
FREEDOM OF MATRIMONIAL ALLIANCES BILL, 2017***

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता, संगम, संचयन और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार और वयस्कों का विवाह में अपना भागीदार चुनने के अधिकार के संरक्षण तथा मान और परंपरा के नाम पर वैवाहिक संबंधों की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने वाले विधिविरुद्ध जमाव और अन्य आचरण का प्रतिषेध कर उत्पीड़न रोकने तथा तत्संसक्त या इसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to protect individual liberty, right of association, movement and bodily integrity and the right of adults to choose their own partners in marriage and to prevent victimization by prohibiting unlawful assemblies and other conducts interfering with matrimonial alliance in the name of honour and tradition and for the matters connected therewith and incidental thereto.”

The motion was adopted.

श्री निशिकान्त दुबे: महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, Dated 03.08.2018.

16 06 hrs

(xxxii) THE CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 2017*
(Insertion of new Article 21B)

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.”

The motion was adopted.

श्री निशिकान्त दुबे: महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित** करता हूँ।

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, Dated 03.08.2018.

** Introduced with the recommendation of the President.

16 06 ½ hrs

**(xxxii) THE RIGHT OF CHILDREN TO FREE AND COMPULSORY
EDUCATION (AMENDMENT) BILL, 2018 ***
(Amendment of section 2, etc.)

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009.”

The motion was adopted.

श्री निशिकान्त दुबे : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित ** करता हूँ

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, Dated 03.08.2018.

** Introduced with the recommendation of the President.

16 07 hrs

**(xxxiii) INDIAN DIASPORA AND EDUCATION INFRASTRUCTURE
(BRAIN DRAIN CESS) BILL, 2017***

SHRI RABINDRA KUMAR JENA (BALASORE): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the imposition of a temporary cess to be levied on the foreign country income tax payments of ordinarily non-resident Indian citizens, the procedure for dealing with collection of such cess and to provide for the establishment of a Scholarship and Research Fund subject to serve obligation and for matters connected therewith or incidental thereto.

HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for the imposition of a temporary cess to be levied on the foreign country income tax payments of ordinarily non-resident Indian citizens, the procedure for dealing with collection of such cess and to provide for the establishment of a Scholarship and Research Fund subject to serve obligation and for matters connected therewith or incidental thereto.”

SHRI RABINDRA KUMAR JENA : Sir, I introduce** the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, Dated 03.08.2018.

** Introduced with the recommendation of the President.

16 07 ½ hrs

(xxxiv) REPRESENTATION OF THE PEOPLE (AMENDMENT) BILL, 2017*
(Amendment of Section 2, etc.)

SHRI RABINDRA KUMAR JENA (BALASORE): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Representation of the People Act, 1951.

HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Representation of the People Act, 1951.”

The motion was adopted.

SHRI RABINDRA KUMAR JENA: Sir, I introduce** the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, Dated 03.08.2018.

** Introduced with the recommendation of the President.

16 08 hrs**(xxxv) HIGH COURT OF ORISSA (ESTABLISHMENT OF A PERMANENT BENCH AT BALASORE) BILL, 2017***

SHRI RABINDRA KUMAR JENA (BALASORE): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the establishment of a permanent Bench of the High Court of Orissa at Balasore.

HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for the establishment of a permanent Bench of the High Court of Orissa at Balasore.”

The motion was adopted.

SHRI RABINDRA KUMAR JENA : Sir, I introduce** the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, Dated 03.08.2018.

** Introduced with the recommendation of the President.

16 08 ¼ hrs

(xxxvi) CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 2017*
(Amendment of article 123, etc.)

SHRI RABINDRA KUMAR JENA (BALASORE): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.”

The motion was adopted.

SHRI RABINDRA KUMAR JENA: Sir, I introduce ** the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, Dated 03.08.2018.

** Introduced with the recommendation of the President.

16 08 ½ hrs**(xxxvii) CONSUMER GOODS PRICE FIXATION BOARD BILL, 2018***

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि जनता द्वारा आमतौर पर प्रयोग की जाने वाली उपभोक्ता वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतों के निर्धारण के लिए बोर्ड की स्थापना करने और तत्संस्त अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for establishment of a Board for determination of prices of consumer goods and services commonly used by public in the country and for matters connected therewith or incidental thereto.”

The motion was adopted.

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा): महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित ** करता हूँ।

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, Dated 03.08.2018.

** Introduced with the recommendation of the President.

16 09 hrs

**(xxxviii) JUTE GROWERS (REMUNERATIVE PRICE AND WELFARE)
BILL, 2017***

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि जूट उत्पादकों को कच्चे जूट के लिए लाभकारी मूल्य का संदाय करने, जूट की फसल का निःशुल्क बीमा करने और जूट उत्पादकों के समग्र कल्याण तथा उससे संसक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for payment of remunerative price for raw jute to the jute growers, insurance of jute crop free of cost and for overall welfare of jute growers and for matters connected therewith.”

The motion was adopted.

श्री राजेश रंजन : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित** करता हूँ

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, Dated 03.08.2018.

** Introduced with the recommendation of the President.

16 09 ½ hrs

(xxxix) INTER-STATE RIVER WATER AUTHORITY BILL, 2017*

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि अंतर्राज्यीय नदियों पर बांधों के विनियमन और विकास की जांच, अंतर्राज्यीय नदियों पर विकासात्मक कार्यकलापों के नियंत्रण, अंतर्राज्यीय नदियों पर निर्मित बांधों के वास पर प्रभाव और उसकी सुरक्षा की निगरानी तथा तत्संस्त और आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for the establishment of an Inter-State River Water Authority to look into regulation and development of dams on inter-State rivers, controlling developmental activities on inter-State rivers, monitoring the safety and effects on habitat of dams on inter-State rivers and for all matters connected therewith or incidental thereto.”

The motion was adopted.

श्री राजेश रंजन: महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित** करता हूँ

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, Dated 03.08.2018.

** Introduced with the recommendation of the President.

16 10 hrs

(XI) CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 2018*
(Amendment of article 85)

SHRI GAURAV GOGOI (KALIABOR): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constituting of India.”

The motion was adopted.

SHRI GAURAV GOGOI: I introduce the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, Dated 03.08.2018.

16 10 ¼ hrs

**(xli) PROHIBITION OF USING TELECOMMUNICATION
SYSTEM FOR HOAX CALLS BILL, 2017***

SHRIMATI DARSHANA VIKRAM JARDOSH (SURAT): I beg to move that leave be granted to introduce a Bill to provide for prohibition of using telecommunication system for making hoax calls and short message service and for matters connected therewith or incidental thereto.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for prohibition of using telecommunication system for making hoax calls and short message service and for matters connected therewith or incidental thereto.”

The motion was adopted.

SHRIMATI DARSHANA VIKRAM JARDOSH: I introduce the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, Dated 03.08.2018.

16 10 ½ hrs

**(xlii) PRIVATE HEALTHCARE SECTOR
(REGULATION OF FEES) BILL, 2017***

SHRIMATI DARSHANA VIKRAM JARDOSH (SURAT): I beg to move for leave to introduce a Bill to regulate the fee charged for private healthcare services with a view to making them affordable for the common man and for matters connected therewith or incidental thereto.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to regulate the fee charged for private healthcare services with a view to making them affordable for the common man and for matters connected therewith or incidental thereto.”

The motion was adopted.

SHRIMATI DARSHANA VIKRAM JARDOSH: I introduce** the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, Dated 03.08.2018.

** Introduced with the recommendation of the President.

16 11 hrs

**(xliii) HIGH COURT OF GUJARAT (ESTABLISHMENT
OF A PERMANENT BENCH AT SURAT) BILL, 2018***

SHRIMATI DARSHANA VIKRAM JARDOSH (SURAT): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the establishment of a permanent Bench of the High Court of Gujarat at Surat.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for the establishment of a permanent Bench of the High Court of Gujarat at Surat.”

The motion was adopted.

SHRIMATI DARSHANA VIKRAM JARDOSH: I introduce the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, Dated 03.08.2018.

16 11 ½ hrs

(xliv) IMMORAL TRAFFIC (PREVENTION) AMENDMENT BILL, 2018*
(Amendment of section 2, etc.)

SHRIMATI DARSHANA VIKRAM JARDOSH (SURAT): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Immoral Traffic (Prevention) Act, 1956.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Immoral Traffic (Prevention) Act, 1956.”

The motion was adopted.

SHRIMATI DARSHANA VIKRAM JARDOSH : I introduce the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, Dated 03.08.2018.

16 12 hrs

(xiv) CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 2018*
(Amendment to Article 324)

श्री राजीव सातव (हिंगोली) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.”

The motion was adopted.

श्री राजीव सातव : मैं विधेयक को पुरःस्थापित ** करता हूँ।

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, Dated 03.08.2018.

** Introduced with the recommendation of the President.

16 12 ½ hrs

(xlvii) CONSTITUTIONAL (AMENDMENT) BILL, 2018*
(Amendment to Article 148)

श्री राजीव सातव (हिंगोली) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.”

The motion was adopted.

श्री राजीव सातव : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, Dated 03.08.2018.

16 13 hrs

**(xlvii) NATIONAL COMMISSION FOR WELFARE OF FARMERS
BILL, 2018***

श्री राजीव सातव (हिंगोली) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राष्ट्रीय किसान कल्याण आयोग का गठन करने और उससे संसक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for the establishment of a National Commission for welfare of farmers to improve conditions of farmers and for matters connected therewith.”

The motion was adopted.

श्री राजीव सातव : मैं विधेयक को पुरःस्थापित** करता हूँ।

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, Dated 03.08.2018.

** Introduced with the recommendation of the President.

16 13 ½ hrs

**(xlviii) NATIONAL AGRICULTURAL PRODUCE PRICE FIXATION
TRIBUNAL BILL, 2018***

श्री राजीव सातव (हिंगोली) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि आवश्यक वस्तु माने गए कृषि उत्पाद मूल्य नियतन से संबंधित मामलों में, किसानों कृषि विज्ञ और आम जनता के उपजीविका अधिकारों को बनाए रखने के लिए संविधान के अनुच्छेद 323 (ख) (छ) के अनुपालन में एक राष्ट्रीय कृषि उत्पाद मूल्य नियतन अधिकरण की स्थापना और उससे संसक्त या उसके अनुषांगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for the establishment of a National Agricultural Produce Price Fixation Tribunal in pursuance of article 323B(2)(g) of the Constitution to uphold the livelihood rights of farmers, agriculturist and the general public, in matters relating to price fixation of agricultural produce considered as essential commodities and for matters connected therewith.”

The motion was adopted.

श्री राजीव सातव : मैं विधेयक को पुरःस्थापित** करता हूँ।

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, Dated 03.08.2018.

** Introduced with the recommendation of the President.

16 14 hrs**(xliv) PHYSIOTHERAPY CENTRAL COUNCIL BILL, 2017***

DR. KIRIT P. SOLANKI (AHMEDABAD): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the constitution of Central Council of the Physiotherapy, the coordinated development in the education of physiotherapy with a view to regulating and maintaining standards of such education, maintenance of Register of Physiotherapists and for matters connected therewith or incidental thereto.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for the constitution of Central Council of the Physiotherapy, the coordinated development in the education of physiotherapy with a view to regulating and maintaining standards of such education, maintenance of Register of Physiotherapists and for matters connected therewith or incidental thereto.”

The motion was adopted.

DR. KIRIT P. SOLANKI: I introduce** the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, Dated 03.08.2018.

** Introduced with the recommendation of the President.

16 14 ½ hrs

(I) MENTAL HEALTHCARE (AMENDMENT) BILL, 2017*
(Amendment of section 3, etc.)

DR. KIRIT P. SOLANKI (AHMEDABAD): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to amend the Mental Healthcare Act, 2017.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to amend the Mental Healthcare Act, 2017”

The motion was adopted.

DR. KIRIT P. SOLANKI: I introduce the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, Dated 03.08.2018.

16 15 hrs

(li) WILD LIFE (PROTECTION) AMENDMENT BILL, 2017*
(Insertion of new Chapter IV D)

DR. KIRIT P. SOLANKI (AHMEDABAD): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Wild Life (Protection) Act, 1972.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Wild Life (Protection) Act, 1972.”

The motion was adopted.

DR. KIRIT P. SOLANKI: I introduce** the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, Dated 03.08.2018.

** Introduced with the recommendation of the President.

16 15 ¼ hrs

(lii) TUBERCULOSIS (PREVENTION AND CONTROL) BILL, 2017*

DR. KIRIT P. SOLANKI (AHMEDABAD): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the prevention, diagnosis, treatment and control of the tuberculosis disease and for matters connected therewith or incidental thereto.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for the prevention, diagnosis, treatment and control of the tuberculosis disease and for matters connected therewith or incidental thereto.”

The motion was adopted.

DR. KIRIT P. SOLANKI: I introduce** the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, Dated 03.08.2018.

** Introduced with the recommendation of the President.

16 16 hrs**(liii) RIGHT TO FREE AND COMPULSORY EDUCATION FOR CHILDREN
OF FARMERS LIVING IN DROUGHT PRONE AREAS BILL, 2018***

SHRI CHANDRAKANT KHAIRE (AURANGABAD): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for right to free and compulsory education from primary to university level to the children of farmers living in drought prone areas and for matters connected therewith.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for right to free and compulsory education from primary to university level to the children of farmers living in drought prone areas and for matters connected therewith.”

The motion was adopted.

SHRI CHANDRAKANT KHAIRE: I introduce** the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, Dated 03.08.2018.

** Introduced with the recommendation of the President.

16 16 ¼ hrs**(liv) UNLAWFUL ACTIVITIES (PREVENTION) AMENDMENT BILL, 2018***
(Insertion of new sections 23 A to 23 C)

SHRI CHANDRAKANT KHAIRE (AURANGABAD): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967.”

The motion was adopted.

SHRI CHANDRAKANT KHAIRE: I introduce** the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, Dated 03.08.2018.

** Introduced with the recommendation of the President.

16 16 ½ hrs

(iv) JUVENILE JUSTICE (CARE AND PROTECTION OF CHILDREN)

AMENDMENT BILL, 2018*

(Insertion of new section 15 A)

SHRI CHANDRAKANT KHAIRE (AURANGABAD): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to amend the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to amend the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015.”

The motion was adopted.

SHRI CHANDRAKANT KHAIRE: I introduce the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, Dated 03.08.2018.

16 17 hrs

(Ivi) THALASSEMIA PREVENTION BILL, 2018*

SHRI DHARAM VIRA GANDHI (PATIALA): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to promote awareness and prevent the incidence of Thalassemia in new born children with a view to avoid lifelong suffering and hardship and for matter connected therewith or incidental thereto.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to promote awareness and prevent the incidence of Thalassemia in new born children with a view to avoid lifelong suffering and hardship and for matter connected therewith or incidental thereto.”

The motion was adopted.

SHRI DHARAM VIRA GANDHI: I introduce ** the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, Dated 03.08.2018.

** Introduced with the recommendation of the President.

16 17 ½ hrs

(Ivii) THE CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 2018*

(Amendment of article 124)

श्री गोपाल शेटी (मुम्बई उत्तर): मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.”

The motion was adopted.

श्री गोपाल शेटी : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, Dated 03.08.2018.

16 18 hrs

(Iviii) SPECIAL MARRIAGE AMENDMENT BILL, 2018*
(Amendment of Section 4)

श्री गोपाल शेटी (मुम्बई उत्तर): मैं प्रस्ताव करता हूँ कि विशेष विवाह अधिनियम, 1954 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Special Marriage Act, 1954.”

The motion was adopted.

श्री गोपाल शेटी : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, Dated 03.08.2018.

16 18 ½ hrs

**(lix) HOUSING FACILITY FOR DESTITUTE SENIOR CITIZENS, WIDOWS
AND ORPHAN CHILDREN BILL, 2018***

SHRI DHANANJAY MAHADIK (KOLHAPUR): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for housing facility to destitute senior citizens, widows and orphan children and for matters connected therewith.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for housing facility to destitute senior citizens, widows and orphan children and for matters connected therewith.”

The motion was adopted.

SHRI DHANANJAY MAHADIK: I introduce** the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, Dated 03.08.2018.

** Introduced with the recommendation of the President.

16 19 hrs

(ix) HISTORICAL HERITAGE CONSERVATION BILL, 2018*

SHRI DHANANJAY MAHADIK (KOLHAPUR): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for setting up of a mechanism to maintain, preserve and protect the identified and unidentified ancient, historical or archaeological sites, remains, monuments, modules and carvings in the country and for matters connected therewith.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for setting up of a mechanism to maintain, preserve and protect the identified and unidentified ancient, historical or archaeological sites, remains, monuments, modules and carvings in the country and for matters connected therewith.”

The motion was adopted.

SHRI DHANANJAY MAHADIK: I introduce** the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, Dated 03.08.2018.

** Introduced with the recommendation of the President.

16 19 ½ hrs

(Ixi) COMPULSORY CAREER GUIDANCE BILL, 2017*

SHRI R. DHRUVANARAYANA (CHAMARAJANAGAR): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for compulsory career counselling and guidance to the students at school level in order to help them chart a proper career path and choose their professions accordingly and for matters connected therewith.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for compulsory career counselling and guidance to the students at school level in order to help them chart a proper career path and choose their professions accordingly and for matters connected therewith.”

The motion was adopted.

SHRI R. DHRUVANARAYANA: I introduce** the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, Dated 03.08.2018.

** Introduced with the recommendation of the President.

16 20 hrs

(Ixii) NATIONAL POVERTY ALLEVIATION FUND BILL, 2018*

DR. BOORA NARSAIAH GOUD (BHONGIR): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the constitution of the National Poverty Alleviation Fund and for matters connected therewith or incidental thereto.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for the constitution of the National Poverty Alleviation fund and for matters connected therewith or incidental thereto.”

The motion was adopted.

DR. BOORA NARSAIAH GOUD: Sir, I introduce** the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, Dated 03.08.2018.

** Introduced with the recommendation of the President.

16 20 ¼ hrs

**(lxiii) RESERVATION OF VACANCIES IN POSTS AND SERVICES FOR
ECONOMICALLY BACKWARD FARMERS BILL, 2018***

DR. BOORA NARSAIAH GOUD (BHONGIR): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for reservation of vacancies in posts and services in establishments in favour of economically backward farmers and for matters connected therewith.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for reservation of vacancies in posts and services in establishments in favour of economically backward farmers and for matters connected therewith.”

The motion was adopted.

DR. BOORA NARSAIAH GOUD: Sir, I introduce the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, Dated 03.08.2018.

16 20 ½ hrs

(Ixiv) REPRESENTATION OF THE PEOPLE (AMENDMENT) BILL, 2018*

(Insertion of new section 29AA)

DR. BOORA NARSAIAH GOUD (BHONGIR): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Representation of the People Act, 1951.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Representation of the People Act, 1951.”

The motion was adopted.

DR. BOORA NARSAIAH GOUD: Sir, I introduce the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, Dated 03.08.2018.

16 20 ³/₄ hrs

(lxv) CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 2017*
(Amendment of article 124)

SHRIMATI MEENAKASHI LEKHI (NEW DELHI): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.”

The motion was adopted.

SHRIMATI MEENAKASHI LEKHI: Sir, I introduce the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, Dated 03.08.2018.

16 21 hrs

(Ixvi) CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 2017*
(Insertion of new article 324A)

SHRIMATI MEENAKASHI LEKHI (NEW DELHI): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.”

The motion was adopted.

SHRIMATI MEENAKASHI LEKHI: Sir, I introduce the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, Dated 03.08.2018.

16 21 ½ hrs

(Ixxvii) CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 2017*
(Amendment of article 124)

SHRIMATI MEENAKASHI LEKHI (NEW DELHI): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.”

The motion was adopted.

SHRIMATI MEENAKASHI LEKHI: Sir, I introduce the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, Dated 03.08.2018.

16 22 hrs

**(Ixxviii) CONSTITUTION (SCHEDULED CASTES) (UNION TERRITORIES)
ORDER (AMENDMENT) BILL, 2018*
(Amendment of the Schedule)**

SHRIMATI MEENAKASHI LEKHI (NEW DELHI): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution (Scheduled Castes) (Union Territories) Order, 1951.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution (Scheduled Castes) (Union Territories) Order, 1951.”

The motion was adopted.

SHRIMATI MEENAKASHI LEKHI: Sir, I introduce** the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, Dated 03.08.2018.

** Introduced with the recommendation of the President.

16 22 ½ hrs

**(Ixix) PAYMENT OF COMPENSATION TO VICTIMS OF VERMIN WILD
ANIMALS AND CROP RAID BILL, 2017***

ADV. JOICE GEORGE (IDUKKI): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for compensation to victims of wild animals declared as vermin and for matters connected therewith or incidental thereto.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for compensation to victims of wild animals declared as vermin and for matters connected therewith or incidental thereto.”

The motion was adopted.

ADV. JOICE GEORGE: Sir, I introduce** the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, Dated 03.08.2018.

** Introduced with the recommendation of the President.

16 23 hrs**(lxx) NATIONAL GREEN TRIBUNAL (AMENDMENT) BILL, 2017***
(Amendment of section 5, etc.)

ADV. JOICE GEORGE (IDUKKI): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the National Green Tribunal Act, 2010.”

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the National Green Tribunal Act, 2010.”

The motion was adopted.

ADV. JOICE GEORGE : Sir, I introduce the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, Dated 03.08.2018.

16 23 ½ hrs

**(lxxi) RIVER (CONSERVATION AND ELIMINATION OF POLLUTION)
BILL, 2018***

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि देश की नदियों के संरक्षण और उनमें प्रदूषण को दूर करने और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for conservation and elimination of pollution of rivers of the country and for matters connected therewith.”

The motion was adopted.

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे : महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित** करता हूँ।

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, Dated 03.08.2018.

** Introduced with the recommendation of the President.

16 24 hrs

(lxxii) MEDICAL TERMINATION OF PREGNANCY (AMENDMENT)

BILL, 2018*

(Amendment of section 3, etc.)

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम, 1971 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Medical Termination of Pregnancy Act, 1971.”

The motion was adopted.

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे: महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, Dated 03.08.2018.

16 24 ½ hrs

(Ixxiii) SOLAR ENERGY PROMOTION BILL, 2018*

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि ऊर्जा उत्पादन के लिए जैव ईंधनों के दहन से होने वाले वैश्विक तापन और परिणामतः होने वाले जहरीले उत्सर्जन को नियंत्रित करने और पर्यावरण संरक्षण करने के लिए एक प्राधिकारी की स्थापना द्वारा सौर ऊर्जा का संवर्धन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill further to provide for the promotion of solar energy by establishing an Authority to protect the environment and control the global warming being caused due to burning of fossil fuels for energy production resulting in noxious emissions therefrom and for matters connected therewith or incidental thereto.”

The motion was adopted.

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे : मैं विधेयक को पुरःस्थापित** करता हूँ।

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, Dated 03.08.2018.

** Introduced with the recommendation of the President.

16 25 hrs

(lxxiv) RURAL LABOUR WELFARE BILL, 2018*

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि कृषि क्षेत्र और उससे संबद्ध कार्यकलापों तथा अन्य ग्रामीण व्यवसायों में नियोजित ग्रामीण श्रमिकों के लिए कल्याण निधि की स्थापना करके राज्य द्वारा कल्याणकारी उपाय किए जाने तथा उनके जीवन और कार्य की दशा में सुधार लाने हेतु अन्य उपायों और उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for the welfare measures to be undertaken by the State for the rural labour employed in the agriculture sector and the allied activities thereto and other rural occupations by establishing a Welfare Fund for such labour and for taking other measures to improve their living and working conditions and for matters connected therewith ”

The motion was adopted.

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे : मैं विधेयक को पुरःस्थापित** करता हूँ।

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, Dated 03.08.2018.

** Introduced with the recommendation of the President.

16 25 ½ hrs

(lxxv) CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 2017*
(Insertion of new article 21B)

SHRI SUSHIL KUMAR SINGH (AURANGABAD): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India. ”

The motion was adopted.

SHRI SUSHIL KUMAR SINGH: I introduce** the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, Dated 03.08.2018.

** Introduced with the recommendation of the President.

16 26 hrs

(lxxvi) CODE OF CRIMINAL PROCEDURE (AMENDMENT) BILL, 2017*
(Amendment of Section 451)

श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Code of Criminal Procedure, 1973. ”

The motion was adopted.

श्री सुशील कुमार सिंह: मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, Dated 03.08.2018.

16 26 ½ hrs**(lxxvii) FLUORIDE CONTAMINATION (PREVENTION) BILL, 2017***

SHRI CH. MALLA REDDY (MALKAJGIRI): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for effective regulation of the level of fluoride in ground water and identification of the risk areas of fluoride contamination, formulation of a national policy for mitigating and preventing fluoride contamination in food and drinking water in the country for the overall welfare, care and protection of the citizens and for matters connected therewith or incidental thereto.

HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

“That leave to granted to introduce a Bill to provide for effective regulation of the level of fluoride in ground water and identification of the risk areas of fluoride contamination, formulation of a national policy for mitigating and preventing fluoride contamination in food and drinking water in the country for the overall welfare, care and protection of the citizens and for matters connected therewith or incidental thereto.”

The motion was adopted.

SHRI CH. MALLA REDDY : I introduce** the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, Dated 03.08.2018.

** Introduced with the recommendation of the President.

16 27 hrs

**(lxxviii) BAMBOO, CANE, SCREW PINE AND MAT WEAVERS AND
WORKERS (WELFARE) BILL, 2017***

DR. A. SAMPATH (ATTINGAL): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for protection to and welfare measures for the bamboo, cane, screw pine and mat weavers and workers and their family members and for matters connected therewith.

HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for protection to and welfare measures for the bamboo, cane, screw pine and mat weavers and workers and their family members and for matters connected therewith.”

The motion was adopted.

DR. A. SAMPATH: I introduce** the Bill.

HON. DEPUTY- SPEAKER: Item No. 28, Shri P. Karaunakaran – Not present.

Item No. 41, Dr. Sanjay Jaiswal – Not present.

Item No. 42, Dr. Sanjay Jaiswal – Not present

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, Dated 03.08.2018.

** Introduced with the recommendation of the President.

16 28 hrs

(lxxix) RESERVE BANK OF INDIA (AMENDMENT) BILL, 2017*
(Amendment of section 2, etc.)

SHRI KONDA VISHWESHWAR REDDY (CHEVELLA): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Reserve Bank of India Act, 1934.

HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Reserve Bank of India Act, 1934. ”

The motion was adopted.

SHRI KONDA VISHWESHWAR REDDY: I introduce** the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, Dated 03.08.2018.

** Introduced with the recommendation of the President.

16 29 hrs**(lxxx) RAINWATER (HARVESTING AND STORAGE) BILL, 2017***

DR. A. SAMPATH (ATTINGAL): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for compulsory harvesting or rainwater in every Government, residential, commercial and institutional building to conserve water and ensure recharge of groundwater and for matters connected therewith.

HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for compulsory harvesting or rainwater in every Government, residential, commercial and institutional building to conserve water and ensure recharge of groundwater and for matters connected therewith.”

The motion was adopted.

DR. A. SAMPATH: I introduce** the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, Dated 03.08.2018.

** Introduced with the recommendation of the President.

16 29 hrs

(Ixxxi) RENEWABLE ENERGY RESOURCES COMMISSION BILL, 2017*

श्री सुनील कुमार सिंह (चतरा) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि देश में नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन का दोहन करने के लिए एक आयोग की स्थापना करने तथा तत्संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for the setting up of a Commission to exploit renewable energy resources in the country and for matters connected therewith or incidental thereto.”

The motion was adopted.

श्री सुनील कुमार सिंह : मैं विधेयक को पुरःस्थापित** करता हूँ।

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, Dated 03.08.2018.

** Introduced with the recommendation of the President.

16 29 ½ hrs

(lxxxii) CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 2017*
(Amendment of article 19)

SHRI KONDA VISHWESHWAR REDDY (CHEVELLA): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India. ”

The motion was adopted.

SHRI KONDA VISHWESHWAR REDDY: I introduce the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, Dated 03.08.2018.

16 30 hrs

(lxxxiii) COMPANIES (AMENDMENT) BILL, 2018*
(Amendment of Section 134)

श्री ओम बिरला (कोटा): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि कंपनी अधिनियम, 2013 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Companies Act, 2013.”

The motion was adopted.

श्री ओम बिरला: महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

HON. DEPUTY SPEAKER: Item no. 49 - Shri P. Karunakaran – not present.

Item no. 50 – Shri P. Karunakaran – not present.

Item no. 51 – Shri P. Karunakaran – not present.

Item no. 52 – Shri Gajanan Kirtikar – not present.

Item no. 53 – Shri Gajanan Kirtikar – not present.

Item no. 63 – Shri Gajanan Kirtikar – not present.

Item no. 64 – Shri Gajanan Kirtikar – not present.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, Dated 03.08.2018.

16 31 hrs

(lxxxiv) REPRESENTATION OF THE PEOPLE (AMENDMENT) BILL, 2017*
(Insertion of new section 75B)

SHRI NINONG ERING (ARUNACHAL EAST): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the representation of the People Act, 1951.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the representation of the People Act, 1951.”

The motion was adopted.

SHRI NINONG ERING : I introduce the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, Dated 03.08.2018.

16 31 ½ hrs

(lxxxv) PRESS COUNCIL (AMENDMENT) BILL, 2017*
(Amendment of section 2, etc.)

SHRI NINONG ERING (ARUNACHAL EAST): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Press Council Act, 1978.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Press Council Act, 1978.”

The motion was adopted.

SHRI NINONG ERING : I introduce** the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, Dated 03.08.2018.

** Introduced with the recommendation of the President.

16 32 hrs

(lxxxvi) RIGHT TO PUBLIC SERVICES BILL, 2017*

SHRI NINONG ERING (ARUNACHAL EAST): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the delivery of notified public services to citizens within the stipulated time limit and for matters connected therewith or incidental thereto.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for the delivery of notified public services to citizens within the stipulated time limit and for matters connected therewith or incidental thereto.”

The motion was adopted.

SHRI NINONG ERING : I introduce the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, Dated 03.08.2018.

16 32 ½ hrs

(lxxxvii) MENSTRUATION BENEFITS BILL, 2017*

SHRI NINONG ERING (ARUNACHAL EAST): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide certain facilities to female employees during menstruation at work place and for matters connected therewith or incidental thereto.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide certain facilities to female employees during menstruation at work place and for matters connected therewith or incidental thereto.”

The motion was adopted.

SHRI NINONG ERING : I introduce the Bill.

HON. DEPUTY SPEAKER: Item no. 74 – Shri Feroze Varun Gandhi – not present.

Item no. 81 – Shri Dushyant Chautala.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, Dated 03.08.2018.

16 33 hrs

**(lxxxviii) CLINICAL ESTABLISHMENTS
(REGISTRATION AND REGULATION) AMENDMENT BILL, 2018***
(Amendment of section 5, Etc.)

SHRI DUSHYANT CHAUTALA (HISAR): I beg to move for leave to introduce a Bill to amend the Clinical Establishments (Registration and Regulation) Act, 2010.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to amend the Clinical Establishments (Registration and Regulation) Act, 2010.”

The motion was adopted.

SHRI DUSHYANT CHAUTALA : I introduce** the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, Dated 03.08.2018.

** Introduced with the recommendation of the President.

16 33 ½ hrs

(lxxxix) RIGHT TO INFORMATION (AMENDMENT) BILL, 2018*
(Amendment of sections 4 and 18)

SHRI DUSHYANT CHAUTALA (HISAR): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Right to Information Act, 2005.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Right to Information Act, 2005.”

The motion was adopted.

SHRI DUSHYANT CHAUTALA: I introduce the Bill.

HON. DEPUTY SPEAKER: Item no. 83 – Shri Deepender Singh Hooda – not present.

Item no. 84 – Shri Deepender Singh Hooda – not present.

Item no. 87 – Shri Mullappally Ramachandran.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, Dated 03.08.2018.

16 34 hrs

**(xc) EXTENSION OF CENTRAL GOVERNMENT HEALTH SCHEME
TO EVERY DISTRICT HEADQUARTER BILL, 2018***

SHRI MULLAPPALLY RAMACHANDRAN (VADAKARA): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for extension of Central Government Health Scheme facilities to every district headquarter in the country and linking the Central Government Health Scheme Card to Aadhaar Number and for matters connected therewith.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for extension of Central Government Health Scheme facilities to every district headquarter in the country and linking the Central Government Health Scheme Card to Aadhaar Number and for matters connected therewith.”

The motion was adopted.

SHRI MULLAPPALLY RAMACHANDRAN : I introduce** the Bill.

HON. DEPUTY SPEAKER: Item no. 88 – Shri C.P. Joshi – not present.

Item no. 91 – Shri Mullappally Ramachandran.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, Dated 03.08.2018.

** Introduced with the recommendation of the President.

16 34 ½ hrs

(xci) PROTECTION OF PLANTS BILL, 2018*

SHRI MULLAPPALLY RAMACHANDRAN (VADAKARA): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for protection of plants in the country and for matters connected therewith or incidental thereto.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for protection of plants in the country and for matters connected therewith or incidental thereto.”

The motion was adopted.

SHRI MULLAPPALLY RAMACHANDRAN: I introduce** the Bill.

HON. DEPUTY SPEAKER: Item No. 92, Adv. Narendra Keshav Sawaikar – not present.

Item No. 100, Shri Dilipkumar Mansukhlal Gandhi – not present.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, Dated 03.08.2018.

** Introduced with the recommendation of the President.

16 35 hrs**(xcii) PREVENTION OF BEGGING BILL, 2018***

श्री सुनील कुमार सिंह (चतरा): मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भिक्षावृत्ति का निवारण करने और तत्संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for prevention of begging and for matters connected therewith or incidental thereto.”

The motion was adopted.

श्री सुनील कुमार सिंह: महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित** करता हूँ।

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, Dated 03.08.2018.

** Introduced with the recommendation of the President.

16 35 ½ hrs

(xciii) WOMEN FARMERS ENTITLEMENTS BILL, 2018*

श्री सुनील कुमार सिंह (चतरा): मैं प्रस्ताव करता हूँ कि महिला कृषकों की लिंग-विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए, उनकी विधिसम्मत आवश्यकताओं और हकदारी का संरक्षण करने तथा उनको कृषि योग्य भूमि, जल संसाधनों और अन्य संबंधित अधिकारों द्वारा सशक्त बनाने के लिए और तत्संसक्त कृत्यों के लिए तथा उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for the gender specific needs of women farmers, to protect their legitimate needs and entitlements and to empower them with rights over agricultural land, water resources and other related rights and for other functions relating thereto and for matters connected therewith.”

The motion was adopted.

श्री सुनील कुमार सिंह: महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित** करता हूँ।

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, Dated 03.08.2018.

** Introduced with the recommendation of the President.

16 36 hrs

(xciv) CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 2018*
(Amendment of Article 15 etc.)

श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.”

The motion was adopted.

श्री भैरों प्रसाद मिश्र : महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, Dated 03.08.2018.

16 36 ½ hrs

**(xcv) RIGHT OF CHILDREN TO FREE AND COMPULSORY
EDUCATION (AMENDMENT) BILL, 2018***
(Amendment of Article 2 etc.)

श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the
Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009.”

The motion was adopted.

श्री भैरों प्रसाद मिश्र: महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित** करता हूँ।

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, Dated 03.08.2018.

** Introduced with the recommendation of the President.

16 37 hrs

(xcvi) INDIAN PENAL CODE (AMENDMENT) BILL, 2018*
(Amendment of Section 141)

श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारतीय दण्ड संहिता, 1860 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Indian Penal Code, 1860.”

The motion was adopted.

श्री भैरों प्रसाद मिश्र : महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, Dated 03.08.2018.

16 37 ½ hrs**(cxvii) LABOUR (WELFARE AND REHABILITATION) BILL, 2018***

श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि श्रम बाजार में गतिशील प्रवृत्ति का पता लगाने, कतिपय अवधियों तक बेराजगार रहने वाले कामगारों को ब्याज रहित ऋण प्रदान करने हेतु योजनाओं का उपबंध करने, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यरत सभी लोगों के लिए सर्वव्यापी मूल आय सहित सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं के लिए दिशा-निर्देश जारी करने, मौसमी कार्यों में नियोजित कामगारों के लिए कार्य रहित अवधि के दौरान मजदूरी का उपबंध करने, बागान कामगारों के लिए कठिनाई बोनस का उपबंध करने, बंद पड़े उद्योगों के कामगारों के पुनर्वास के लिए योजनाएं तैयार करने हेतु श्रम कल्याण और पुनर्वास प्राधिकरण की स्थापना था तत्संसक्त एवं उनके अगुणभंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to establish a Labour Welfare and Rehabilitation Authority to look into the dynamic trends in the labour market, provide for schemes to give interest free loans to workers unemployed for certain periods, issue guidelines for social sector schemes including universal basic income for all working in private and public sector, provide for wages during non-work time for seasonally employed workers, provide for hardship bonus for plantation workers, formulate schemes for rehabilitation of workers of closed industries and for all matters connected therewith or incidental thereto.”

The motion was adopted.

श्री भैरों प्रसाद मिश्र: महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित** करता हूँ।

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, Dated 03.08.2018.

** Introduced with the recommendation of the President.

16 38 hrs

**(cxviii) PROMOTION AND PROTECTION OF INTANGIBLE CULTURAL
HERITAGE BILL, 2018***

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल (हमीरपुर): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि देश की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के संवर्धन और संरक्षण के लिए बोर्ड निर्माण प्रदान करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to constitute a Board for promotion and protection of intangible cultural heritage of the country.”

The motion was adopted.

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल : महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित** करता हूँ।

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, Dated 03.08.2018.

** Introduced with the recommendation of the President.

16 38 ½ hrs

**(xcix) SPECIAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT IN ECONOMICALLY
BACKWARD REGIONS BILL, 2018***

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल (हमीरपुर): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि देश के विशेषकर बुंदेलखण्ड क्षेत्र के आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में राष्ट्रीय जलमार्गों को चौड़ा करने, रिंग रोड, बाइपास का निर्माण, सिंगल रेल ट्रेक लाइन को डबल करने, रेलवे ट्रेक पर सीधी आकृति में ओवर ब्रिज, अंडर ब्रिज निर्माण करके क्षेत्री हवाई पट्टियों के निर्माण, पोतघाटों का निर्माण, उनकी गाद निकाल कर उनका सौन्दर्यीकरण करके, अवसंरचना विकास के लिए अवसंरचना विकास बोर्ड का गठन करने और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for the constitution of an Infrastructure Development Board for the Infrastructure Development of the economically backward regions of the country particularly Bundelkhand region by way of widening of National Highways, construction of ring road, bypass, doubling of single rail track line, construction of over bridge, under bridge in straight structure on railway tracks, construction of regional air strips, construction of jetties, desilting and beautification thereof and for matters connected therewith or incidental thereto.”

The motion was adopted.

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल: महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित** करता हूँ।

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, Dated 03.08.2018.

** Introduced with the recommendation of the President.

16 39 hrs

(c) BETEL GROWERS (REMUNERATIVE PRICE AND WELFARE)

BILL, 2018*

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल (हमीरपुर): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि पान उत्पादकों के लिए लाभकारी मूल्य का संदाय करने, पान की फसल का निःशुल्क बीमा करने, पान उत्पादकों के समग्र कल्याण तथा उससे संसक्त विषयों का उपबंध एवं पान अनुसंधान केंद्र स्थापित करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for payment of remunerative price to betel growers, insurance of betel crop free of cost, comprehensive welfare of betel growers and setting up of betel research centre and for matters connected therewith.”

The motion was adopted.

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल: महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित** करता हूँ।

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, Dated 03.08.2018.

** Introduced with the recommendation of the President.

16 40 hrs

(ci) ANCIENT MONUMENTS PRESERVATION (AMENDMENT) BILL, 2018*
(Insertion of New Sections 20D and 20E)

SHRI MULLAPPALLY RAMACHANDRAN (VADAKARA): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Ancient Monuments Preservation Act, 1904.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That leave to introduce a Bill further to amend the Ancient Monuments Preservation Act, 1904. ”

The motion was adopted.

SHRI MULLAPPALLY RAMACHANDRAN: Sir, I introduce the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, Dated 03.08.2018.

16 40 ½ hrs

(cii) PREVENTION OF FOOD ADULTERATION (AMENDMENT) BILL, 2018*
(Amendment of Section 2, etc.)

SHRI MULLAPPALLY RAMACHANDRAN (VADAKARA): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Prevention of Food Adulteration Act, 1954.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That leave to introduce a Bill further to amend the Prevention of Food Adulteration Act, 1954. ”

The motion was adopted.

SHRI MULLAPPALLY RAMACHANDRAN: Sir, I introduce the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, Dated 03.08.2018.

16 41hrs

(ciii) CENTRAL SANSKRIT UNIVERSITY BILL, 2018*

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल (हमीरपुर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि संस्कृत भाषा साहित्य, प्राचीन संस्कृत पांडुलिपियों के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने तथा कम्प्यूटर, विज्ञान, गणित व सामाजिक विज्ञान में अंत-विषयक दृष्टिकोण के साथ इसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य के महोबा में केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना व नियमन तथा उससे संबंधित और उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That leave to introduce a Bill to establish and incorporate a Central Sanskrit University at Mahoba in the State of Uttar Pradesh to promote Sanskrit language, literature, research in old Sanskrit manuscripts and its use in different subjects like computer, science, mathematics and social sciences with inter-disciplinary approach and for matters connected therewith or incidental thereto. ”

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल : महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित** करता हूँ

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, Dated 03.08.2018.

** Introduced with the recommendation of the President.

16 42 hrs**(cv) WORKING WOMEN (BASIC FACILITIES AND WELFARE) BILL, 2018***

DR. UDIT RAJ (NORTH WEST DELHI): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the protection of women from discrimination and for the basic facilities like creche, recreational facilities, maternity benefits, hostel and transport facilities, and for the welfare measures to be taken by the employers and the State for the women employees working in Government establishments; public sector enterprises including banks and ports, educational institutions including universities, colleges and schools, factories, mines, plantations, agricultural fields, orchards and such other places and for matters connected therewith or incidental thereto.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“ That leave to introduce a Bill to provide for the protection of women from discrimination and for the basic facilities like creche, recreational facilities, maternity benefits, hostel and transport facilities, and for the welfare measures to be taken by the employers and the State for the women employees working in Government establishments; public sector enterprises including banks and ports, educational institutions including universities, colleges and schools, factories, mines, plantations, agricultural fields, orchards and such other places and for matters connected therewith or incidental thereto. ”

The motion was adopted.

DR. UDIT RAJ: Sir, I introduce** the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, Dated 03.08.2018.

** Introduced with the recommendation of the President.

16 42 ½ hrs

(cvi) SPECIAL COURTS FOR WOMEN BILL, 2018*

DR. UDIT RAJ (NORTH WEST DELHI): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for constitution of special courts for women and for matters connected therewith or incidental thereto.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That leave to introduce a Bill to provide for constitution of special courts for women and for matters connected therewith or incidental thereto.”

The motion was adopted.

DR. UDIT RAJ : Sir, I introduce ^{**} the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, Dated 03.08.2018.

** Introduced with the recommendation of the President.

16 43 hrs

**(cvii) NATIONAL AGRICULTURE AND FARMERS COMMISSION
BILL, 2018***

श्री रोड़मल नागर (राजगढ़): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि किसानों के कल्याण और कृषि के व्यापक विकास के लिए राष्ट्रीय कृषि और किसान आयोग का गठन करने तथा उससे संसक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That leave to introduce a Bill to provide for the establishment of a National Agriculture and Farmers Commission for welfare of farmers and comprehensive development of agriculture and for matters connected therewith. ”

The motion was adopted.

श्री रोड़मल नागर : महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित** करता हूँ।

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, Dated 03.08.2018.

** Introduced with the recommendation of the President.

16 43 ½ hrs

(cviii) DIVORCEE WOMEN WELFARE BILL, 2018*

DR. UDIT RAJ (NORTH WEST DELHI): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for maintenance and welfare measures to be undertaken by the State for the divorcee women or separated women and for matters connected therewith or incidental thereto.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“leave to introduce a Bill to provide for maintenance and welfare measures to be undertaken by the State for the divorcee women or separated women and for matters connected therewith or incidental thereto.”

The motion was adopted.

DR. UDIT RAJ : Sir, I introduce** the Bill.

HON. DEPUTY SPEAKER: Now, item no. 136 – Shri Faggan Singh Kulaste – not present.

Item no. 137 – Shri Faggan Singh Kulaste – not present.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, Dated 03.08.2018.

** Introduced with the recommendation of the President.

16 44 hrs

(cix) PREVENTION OF TORTURE BILL, 2018*

श्री ओम प्रकाश यादव (सीवान) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि लोक सेवकों द्वारा किए गए अत्याचार अथवा लोक सेवक की सहमति या स्पष्ट संतुष्टि से किसी व्यक्ति द्वारा अत्याचार होने की दशा में दण्ड और उससे संबंधित अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That leave to introduce a Bill to provide punishment for torture inflicted by public servants or any person inflicting torture with the consent or acquiescence of any public servant, and for matters connected therewith or incidental thereto.”

The motion was adopted.

श्री ओम प्रकाश यादव : महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, Dated 03.08.2018.

16 45 hrs**(cx) PREVENTION OF ENFORCED DISAPPEARANCE BILL, 2018***

श्री ओम प्रकाश यादव (सीवान): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि लोक सेवकों द्वारा किसी व्यक्ति को जबरन लापता किए जाने अथवा किसी लोक सेवक की अनुमति अथवा उपमति से किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को जबरन लापता किए जाने के लिए दण्ड का और उससे संबद्ध या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide punishment for enforced disappearance of any person by public servants or any person subjecting a person to an enforced disappearance with the consent or acquiescence of any public servant and for matters connected therewith or incidental thereto.”

The motion was adopted.

श्री ओम प्रकाश यादव: उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, Dated 03.08.2018.

16 45 ½ hrs

(cxi) EDUCATIONAL INNOVATIONS COMMISSION BILL, 2018*

श्री ओम प्रकाश यादव (सीवान): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि शैक्षणिक नवोन्मेष आयोग की स्थापना द्वारा देश में शैक्षणिक नवोन्मेष की संकल्पना, प्रायोगिकपरकता और कार्यान्वयन का संप्रवर्तन करने और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to promote conception, experimentation and implementation of educational innovation in the country by establishing the Educational Innovations Commission and for matters connected therewith or incidental thereto.”

The motion was adopted.

श्री ओम प्रकाश यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित** करता हूँ।

HON. DEPUTY SPEAKER: Item No.141 – Shri Vinod Kumar Sonkar –

Not present.

Item No.143 – Shri Sukhbir Singh Jaunapuriah– Not present.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, Dated 03.08.2018.

** Introduced with the recommendation of the President.

16 46 hrs

(cxii) VICTIMS OF TERRORISM (PROVISION OF COMPENSATION AND WELFARE MEASURES) BILL, 2018*

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि आतंकी हमलों के पीड़ितों के लिए कतिपय कल्याणकारी उपाय और प्रतिकर के संदेय का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for payment of compensation to and provision of certain welfare measures for the victims of terror attacks.”

The motion was adopted.

श्री रमेश बिधूड़ी: उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित ** करता हूँ।

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, Dated 03.08.2018.

** Introduced with the recommendation of the President.

16 46 ½ hrs

(cxiii) ABOLITION OF CHILD LABOUR BILL, 2018*

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि देश में बालक श्रम के उत्पादन और उससे तत्संबंधी विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to abolish child labour in the country and for matters connected therewith.”

The motion was adopted.

श्री रमेश बिधूड़ी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित** करता हूँ।

HON. DEPUTY SPEAKER: Item No.148 – Shri Janardan Singh ‘Sigrival’ – Not present.

Item No.149 – Shri Janardan Singh ‘Sigrival’ – Not present.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, Dated 03.08.2018.

** Introduced with the recommendation of the President.

16 47 hrs

**(cxiv) PROVISION OF HEALTH CARD (FOR PERSONS LIVING BELOW
POVERTY LINE) BILL, 2018***

DR. SHRIKANT EKNATH SHINDE (KALYAN): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for issue of health card to citizens living below poverty line for availing medical facilities free of cost and for matters connected therewith or incidental thereto.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for issue of health card to citizens living below poverty line for availing medical facilities free of cost and for matters connected therewith or incidental thereto.”

The motion was adopted.

DR. SHRIKANT EKNATH SHINDE: I introduce** the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, Dated 03.08.2018.

** Introduced with the recommendation of the President.

16 47 ½ hrs

**(cxv) MAINTENANCE OF FOOD, POTABLE WATER AND FODDER
SUPPLIES IN DROUGHT AFFECTED AREAS BILL, 2018***

DR. SHRIKANT EKNATH SHINDE (KALYAN): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the compulsory maintenance of food and potable water supplies for human consumption and fodder for the livestock of the farmers in drought affected areas by the Union Government with the co-operation of the Government of the concerned State and for matters connected therewith or incidental thereto.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for the compulsory maintenance of food and potable water supplies for human consumption and fodder for the livestock of the farmers in drought affected areas by the Union Government with the co-operation of the Government of the concerned State and for matters connected therewith or incidental thereto.”

The motion was adopted.

DR. SHRIKANT EKNATH SHINDE: I introduce** the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, Dated 03.08.2018.

** Introduced with the recommendation of the President.

16 48 hrs

(cxvi) OCEAN THERMAL ENERGY CONVERSION BILL, 2018*

DR. SHRIKANT EKNATH SHINDE (KALYAN): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the promotion of use of ocean thermal energy to reduce carbon emission, protect environment and substitute traditional electricity generation methods of fossil fuel burning and for matters connected therewith or incidental thereto.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for the promotion of use of ocean thermal energy to reduce carbon emission, protect environment and substitute traditional electricity generation methods of fossil fuel burning and for matters connected therewith or incidental thereto.”

The motion was adopted.

DR. SHRIKANT EKNATH SHINDE: I introduce** the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, Dated 03.08.2018.

** Introduced with the recommendation of the President.

16 48 ½ hrs

(cxvii) CODE OF CRIMINAL PROCEDURE (AMENDMENT) BILL, 2018*
(Amendment of the first schedule)

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि दंड प्रक्रिया संहिता का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Code of Criminal Procedure 1973.”

The motion was adopted.

श्री राजेन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, Dated 03.08.2018.

16 49 hrs

(cxviii) CONSTITUTION AMENDMENT BILL, 2018*
(Amendment of Article 75 etc.)

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.”

The motion was adopted.

श्री राजेन्द्र अग्रवाल: उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, Dated 03.08.2018.

16 49 ½ hrs

**(cxix) COMPULSORY TEACHING OF ENVIRONMENTAL EDUCATION IN
EDUCATIONAL INSTITUTIONS BILL, 2018***

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि सभी शैक्षिक संस्थाओं में पर्यावरणीय शिक्षा के अनिवार्य शिक्षण तथा उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for compulsory teaching of environmental education in all educational institutions and for matters connected therewith or incidental thereto.”

The motion was adopted.

श्री राजेन्द्र अग्रवाल: उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित** करता हूँ।

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, Dated 03.08.2018.

** Introduced with the recommendation of the President.

16 50 hrs

(cxx) CHILD WELFARE BILL, 2018*

श्री जुगल किशोर (जम्मू): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि बालकों के कल्याण और तत्संबंधी विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for the welfare of children and for matter connected therewith.”

The motion was adopted.

श्री जुगल किशोर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित** करता हूँ।

HON. DEPUTY SPEAKER: Item no.162 : Shri Devji M. Patel – Not present.

Item no.163 : Shri Sushil Kumar Singh.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, Dated 03.08.2018.

** Introduced with the recommendation of the President.

16 50 ½ hrs

(cxxi) CONSTITUTION AMENDMENT BILL, 2018*
(Amendment of Eight Schedule)

श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.”

The motion was adopted.

श्री सुशील कुमार सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

HON. DEPUTY SPEAKER: Item nos.164 and 165 : Ms. Sushmita Dev – Not present.

Item No.167 : Shri B. Vinod Kumar – Not present.

Item No.171 : Shri Raju Shetti.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, Dated 03.08.2018.

16 51 hrs

(cxxi) FARMER'S FREEDOM FROM INDEBTNESS BILL, 2018*

श्री राजू शेटी (हातकणगले): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि बकाया ऋण की तत्काल एक मुश्त पूर्ण माफी प्राप्त करने के लिए ऋणग्रस्त कृषकों को अधिकार देने; संस्थागत ऋण प्राप्त करने के अधिकार देने; प्राकृतिक आपदा अथवा विपदा से जूझ रहे ऋणग्रस्त कृषकों के संरक्षण का उपबंध और तदनन्तर पंचाट पारित करने तथा विपदाग्रस्त कृषकों को राहत देने के लिए समुचित उपायों की सिफारिश करने की शक्ति देने सहित राष्ट्रीय कृषक विपदा और आपदा राहत आयोग तथा राज्य कृषक विपदा और आपदा राहत आयोग का गठन करने तथा उससे संबद्ध और उसके आनुषंगिक विषयों वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to confer a right on indebted farmers to obtain an immediate one-time complete waiver of outstanding loan; right to obtain institutional credit; protection of debt trapped farmers suffering from natural disasters or distress and constitution of a National Farmers' Distress and Disaster Relief Commission and State Farmers' Distress and Disaster Relief Commissions with power to pass awards and recommend appropriate measures for the relief to farmers in distress and for matters connected therewith or incidental thereto.”

The motion was adopted.

श्री राजू शेटी: उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित ** करता हूँ।

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, Dated 03.08.2018.

** Introduced with the recommendation of the President.

16 52 hrs

**(cxxiii) FARMERS RIGHT TO GAURANTED REMUNERATIVE MINIMUM
SUPPORT PRICES FOR AGRICULTURE COMMODITIES BILL, 2018***

श्री राजू शेटी (हातकणगले): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रत्येक कृषक को कृषि वस्तुओं की बिक्री पर व्यापक उत्पादन लागत से न्यूनतम 50 प्रतिशत लाभ के साथ कृषि उत्पादों के लिए गारंटीकृत लाभकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य का अधिकार प्रदान करने और उससे संबद्ध और उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to confer a right on every farmer to guaranteed remunerative minimum support prices for agricultural produce with minimum fifty percent profit margin above comprehensive cost of production upon sale of agricultural commodities and for matters connected therewith or incidental thereto.”

The motion was adopted.

श्री राजू शेटी: उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित** करता हूं।

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, Dated 03.08.2018.

** Introduced with the recommendation of the President.

16 53 hrs**(cxxiv) POPULATION (STABILIZATION AND PLANNING) BILL, 2018***

SHRI SUSHIL KUMAR SINGH (AURANGABAD): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the stabilization of population in the country through setting up of a National Population Planning Authority at the national level and a District Population Planning Committee in each district to encourage and promote family planning in order to ensure a population which is in tandem and commensurate with the resources and development of our nation, to improve health of the women and empower them, recognizing both men and women as an important stakeholder in the family planning process, to improve standard of living of the citizens and for the matters connected therewith and incidental thereto.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for the stabilization of population in the country through setting up of a National Population Planning Authority at the national level and a District Population Planning Committee in each district to encourage and promote family planning in order to ensure a population which is in tandem and commensurate with the resources and development of our nation, to improve health of the women and empower them, recognizing both men and women as an important stakeholder in the family planning process, to

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, Dated 03.08.2018.

improve standard of living of the citizens and for the matters connected therewith and incidental thereto.”

The motion was adopted.

SHRI SUSHIL KUMAR SINGH : I introduce* the Bill.

* Introduced with the recommendation of the President.

16 53 ³/₄ hrs

(cxxv) CONSTITUTION AMENDMENT BILL, 2018*
(Amendment to the Seventh Schedule)

श्री तेज प्रताप सिंह यादव (मैनपुरी): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.”

The motion was adopted.

श्री तेज प्रताप सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, Dated 03.08.2018.

16 54hrs**(cxxvi) MAINTENANCE AND WELFARE OF PARENTS AND SENIOR
CITIZENS (AMENDMENT) BILL, 2018*
(Insertion of New Chapter VA)**

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): I beg to move for leave to introduce a Bill to amend the Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to amend the Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007.”

The motion was adopted.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: I introduce** the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, Dated 03.08.2018.

** Introduced with the recommendation of the President.

16 54 ½ hrs

**(cxxvii) NATIONAL COUNCIL FOR PROFESSIONAL SOCIAL WORK
PRACTITIONERS BILL, 2018***

PROF. RICHARD HAY (NOMINATED): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the constitution of a National Council of Professional Social Work Practitioners for the coordination, development and regulation of professional social work practice in India and for matters connected therewith or incidental thereto.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for the constitution of a National Council of Professional Social Work Practitioners for the coordination, development and regulation of professional social work practice in India and for matters connected therewith or incidental thereto.”

The motion was adopted.

PROF. RICHARD HAY: I introduce** the Bill.

HON. DEPUTY SPEAKER: Item no.178 : Shri Sukhbir Singh Jaunapuria – Not present.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, Dated 03.08.2018.

** Introduced with the recommendation of the President.

HON. DEPUTY SPEAKER: Now, we take Item No. 181 – Sixth Schedule to the Constitution (Amendment) Bill, 2015. Shri Sunil Kumar Singh.

DR. A. SAMPATH (ATTINGAL): Sir, I have to make a request regarding Rule 26.

Sir, we are having the very best parliamentarians, like Shri Bhartruhari Mahtab and Shri Hukmdeo Narayan Yadav, sitting here. All the Members have a right to participate in and discuss the Private Members' Business. Unfortunately, in this House, all the time for the Private Members' Business has been taken by the Government. Last Friday, there was discussion on the No Confidence Motion which went up to 10 o'clock or 11 o'clock. What happens in the Lok Sabha is that we are denied of our right to move the Bills, to discuss them and have deliberations. The same is the case with Private Members' Resolutions as well.

Sir, under Rule 26, it is your prerogative. Rule 26 says:

"The last two and a half hours of a sitting on Friday shall be allotted for the transaction of private members' business:

Provided that the Speaker may allot different Fridays for the disposal of different classes of such business and on Fridays so allotted for any particular class of business, business of that class shall have precedence:

Provided further that the Speaker may, in consultation with the Leader of the House, allot any day other than a Friday for the transaction of private members' business:

Provided further that if there is no sitting of the House on a Friday, the Speaker may direct that two and a half hours on any other day in the week may be allotted for private members' business."

Sir, we all know what will happen on the last day of the Session. So, my humble request, through you, to the Government is to ensure that on Friday in the next week, at least on 10th of August, let us have full Private Members' Business in this House. Thereafter, we can sing *Vande Mataram* and adjourn the House *sine die*. This is my request.

Otherwise, we are all losing our right, our privilege and our prerogative. We cannot discuss. It is not a Government's House; it is the House of People. So, this is my humble request. I would like to invoke Rule 26 through you, Sir.

SHRI DUSHYANT CHAUTALA (HISAR): Sir, we associate.

HON. DEPUTY SPEAKER: All are associating. Not only you, the whole House is associating.

SHRI DUSHYANT CHAUTALA: Sir, that is why, I said 'we associate'.

HON. DEPUTY SPEAKER: Whatever feelings you have expressed, I will convey them to the hon. Speaker and Government also. I think, both the Government and the Speaker will consider what you have quoted from Rule 26.

DR. A. SAMPATH: Sir, we are all sitting here. We are not disturbing the House. Even though there is no quorum, nobody is asking for quorum. It is because we all want to discuss.

SHRI ANURAG SINGH THAKUR (HAMIRPUR): Sampathji, a senior Member like you have raised it. Thank you.

HON. DEPUTY SPEAKER: All right.

Dr. Sampath, what you have said is correct. I will convey your feelings to the Speaker and the Government. I may tell you that introduction of Bills was part of the Private Members' Business. It took so much of time. The Government took only 15-20 minutes of the Private Members' Business. If you want, we can extend the House by that much time after 6 o'clock so that the Private Members' Business gets two and a half hours. There is no problem.

I have already informed this. When the Members raised it – Shri Owaisi had raised it - I had said at that time that we can extend the time of the House by 20 or 25 minutes, whatever time has been taken by the Government, beyond 6 o'clock. If the Members want this, I have no objection.

Therefore, if the House agrees, we will sit up to 6.25 pm.

MANY HON. MEMBERS: Not today, Sir.

HON. DEPUTY SPEAKER: He has quoted Rule 26. Now, the Members have a difference of opinion. What can I do for that?

Now, Shri Sunil Kumar Singh.

17 00 hrs

**SIXTH SCHEDULE TO THE CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL,
2015*Contd.**

HON.DEPUTY SPEAKER : Now Shri Sunil Kumar Singh.

श्री सुनील कुमार सिंह (चतरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विन्सेंट पाला जी द्वारा लाए गए सिक्सथ शेड्यूल विधेयक के संशोधन पर बोल रहा हूँ। पिछली बार शायद 29.12.2017 को बोला था, उसके बाद एक लंबी अवधि के बाद मुझे बोलने का मौका मिला है। 29.12.2017 और 3 अगस्त, 2018 की अवधि में नार्थ ईस्ट का पूरा परिदृश्य बदल गया है। तब नार्थ ईस्ट के वातावरण के साथ-साथ राजनीति में भी ठंडापन था। जैसे कोल्ड की तासीर बहुत गर्म होती है, अंदर-अंदर बहुत गर्म था, लेकिन वातावरण बहुत ठंडा था। लेकिन अब गर्मी के बाद जब नार्थ ईस्ट के पहाड़ों से बर्फ पिघल गई है। आज उम्मीदों की नदियों में उफान आया हुआ है।

17 01 hrs**(Shri Kalraj Mishra in the Chair)**

जब हम बोलने के लिए खड़े हुए थे तब न मेघालय में हमारी सरकार थी, न त्रिपुरा में थी, न नागालैंड में थी, लेकिन आज मिजोरम को छोड़ कर पूरा नार्थ ईस्ट भारतीय जनता पार्टी या एनडीए शासन के अंतर्गत है। टीका-टिप्पणी की जा सकती है, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। यह इस बात का परिचायक है कि नार्थ ईस्ट की ठंडी राजनीत में कहीं न कहीं सीने के अंदर गर्म लावा उबल रहा था। एक बेचैनी और एक परिस्थिति भारत के अंग के रूप थी कि उसको उचित ट्रीटमेंट नहीं मिला। भारत के अनेक हिस्सों में नार्थ ईस्ट को लेकर व्यंग्य किए जाते थे, कमेंट्स किए जाते थे। लेकिन आज माननीय नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने उत्तर पूर्व को भारत की मुख्यधारा से जोड़ने का काम किया है। त्रिपुरा का लाल रंग लगता था कि कभी नहीं बदलेगा। हमें कोई रंगों से परहेज नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि भारतीय संस्कृति में रंग लाल हो, रंग हरा हो, सभी भगवा के

* Further discussion on the motion for consideration of the Bill moved by Shri Vincent H. Pala on the 5th August, 2016.

साथ चलते हैं। जब तक भगवा हमारे प्रतीक और सभ्यता का अंग नहीं होगा, हम सब उसके आनुषंगी नहीं बनेंगे, तब तक भारत की भूमि की सांस्कृतिक चेतना के मंच पर इन रंगों की कोई अहमियत नहीं है। आज सभी रंग मिलकर साथ चलने को खड़े हुए हैं।

पिछली बार मैं बलवंत राय मेहता कमेटी की रिपोर्ट पर बोल रहा था। उनके उठाए गए बिन्दुओं में दूसरे बिन्दु पर था, बलवंत राय मेहता कमेटी ने जो दूसरी रिपोर्ट दी थी “Right type of personnel with sympathy and understanding of the tribal people should be selected. Preferably local people should be selected.” लेकिन दुर्भाग्य से हमने देखा कि पिछले 67 सालों में लगभग 60 साल जिनकी सरकारें रहीं हैं, उन्होंने कमेटियों का इस्तेमाल मामलों को टालने के लिए किया है। कल भी इसी सदन में ओबीसी के मामले में एक ऐतिहासिक फैसला हुआ। हम सभी लोगों ने देखा कि काका कालेलकर के समय यानी पचास के दशक से यह लगातार चला आ रहा था। इस देश में पूर्ववर्ती सरकारों ने किसी विशेषज्ञ कमेटी का निर्माण ही इसलिए किया कि उस विषय पर कोई निर्णय न करना पड़े। इसी को पॉलिसी पैरालाइसिस कहा जाता है। नीतिगत पक्षधात का शिकार है। उसी रूप में बलवंत राय महता कमेटी ने जो रिपोर्ट दी, अगर उस पर तत्कालीन सरकारों ने अमल किया होता, वहां के लोकल पीपुल्स से सहानुभूति रखते, जो उसी भूमि से आते हैं।

नॉर्थ ईस्ट में इंटेलिजेंसी की कमी नहीं है, विद्वता की कमी नहीं है। चाहे विसेंट पाला हों या अरुणाचल प्रदेश के नरसिंह जी हों, ये सब विद्वान हैं, इन्होंने उस धरती पर जन्म लिया है। इनके पास एक्सपोजर है। वहां जो सरकारें चलती रही हैं, इन्होंने न ब्यूरोक्रेसी में और न बाकी के मामलों में वहां के लोगों की राय ली नतीजन इसलिए अंदर ही अंदर गुस्सा उबलता रहा, लावा बनता रहा और आज उनको मौका मिला, जब देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने नार्थ-ईस्ट को अपने से जोड़ने का काम किया तो वह लावा उबलकर पक्ष में आ गया। अब एक जगह बाकी है, वहां भी हम सरकार जल्द ही बनाएंगे।

उन्होंने आगे के रिकमेंडेशन में कहा – The recruited personnel should acquire knowledge of the dialect, custom and the ways of life of the people among whom they work. अर्थात् हमें जहां काम करना है, हम देखें, हमें जो कार्य क्षेत्र मिला है, हमें जिस समुदाय या समाज के लिए काम करना है, उसकी विचारधारा क्या है, वे कैसे सोचते हैं, उनके रीति-रिवाज क्या हैं, उनकी जीवन पद्धति क्या है, उनके समाज की कौन सी विशेषताएं हैं। नार्थ-ईस्ट ऊपर से देखने में लगता है कि सात राज्यों में बंटा हुआ अनेक जनजातियों का समाज है। सरकार में जो लोग बैठते हैं, जिनको निर्णय करना होता है, उनको अनेकताओं, विविधताओं में एकता के स्वर खोजने होते हैं, एकता का मंत्र खोजना होता है।

मैं ये बातें सिर्फ थ्योरी के आधार पर नहीं कह रहा हूँ, मैं झारखंड से आता हूँ। माननीय सभापति जी, आपके यहां छठा शैड्यूल है, हमारे यहां पांचवां शैड्यूल है। झारखंड में 26 प्रतिशत आदिवासियों की संख्या है। झारखंड में कहने को तो कुल मिलाकर 32 अलग समूहों में ट्राइबल ग्रुप्स हैं, लेकिन अगर इसका अध्ययन किया जाए, विवेचना की जाए, मीमांसा की जाए तो आपको जानकर आश्चर्य होगा। मैं उदाहरण के साथ संथाल क्रांति के बारे में कहना चाहता हूँ। यहां त्रिपुरा के साथी ने उल्लेख भी किया था कि भारत में सिपाही विद्रोह हुआ था। उन्होंने विद्रोह, म्युटिनी शब्द यूज किया। मैं जानता हूँ कि उनकी विचारधारा विद्रोह पर ही आधारित है। हमने इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 माना है। इससे पूर्व संथाल परगना में संथाल क्रांति हुई थी, इसके नायक सिद्धु, कान्हु, चांद, भैरव थे। ये संथाल समुदाय से आते थे। असम में चाय जनजाति के रूप में इनकी संख्या बहुतायत में है। उसी के साथ ओरांव में ताना भगत का आंदोलन चला। इन्होंने महात्मा गांधी के अहिंसा आंदोलन से अपने को जोड़ा। झारखंड के प्रख्यात समाज सुधारक नेता, झारखंड को दिशा दिखाने वाले शहीद बिरसा मुंडा, खैरवार जाति से निलांबर पितांबर आदि आंदोलनकारी हुए हैं। जब हम इनके दिए गए सूत्रों की विवेचना करते हैं तो पाते हैं कि इन्होंने अलग-अलग समय में समाज के पालन के लिए एक सूत्र दिया।

मैं झारखंड की बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे टाना भगत समुदाय में यहां पुरुष ही नहीं महिलाएं भी शुद्ध शाकाहारी हैं। यहां पुरुष और स्त्रियों ने जनेऊ धारण करने का संस्कार बनाया और वे खुद का बनाया भोजन करते हैं। इस तरह से सामूहिक एकता सभी समुदायों के इन नेताओं ने कहा मांसाहार कम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मद्यपान नहीं करना चाहिए, प्रकृति की पूजा से जुड़ना चाहिए, जनेऊ धारण करना चाहिए। अब सरकार की जिम्मेदारी हो जाती है।

यह सरकार की जिम्मेवारी हो जाती है कि विभिन्नताओं के बीच जो एकता के सूत्र हैं, जो हम सबको एक साथ लेकर चलने में सक्षम हैं, ऐसे सूत्रों को तलाशना और उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। बलवंत राय मेहता की कमेटी ने यही सुझाव दिया था। लेकिन, तत्कालीन सरकार को तो सीमा पर शांति के कबूतर उड़ाने थे। उनको अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के तहत भांति-भांति की बातें करनी थीं। आज का नेतृत्व तो कनखी और मटकी से भी चलता है। इसलिए इस नेतृत्व से यह संभव नहीं था कि वे इस ओर ध्यान देते और नतीजा यह हुआ कि नार्थ ईस्ट में सिकस्थ शेड्यूल के अंदर जिस रूप में विकास होना चाहिए था, उस रूप में विकास नहीं हुआ। उन्होंने अगला प्वाइंट कहा था कि -

“... Efforts should be made to induce the people in tribal areas to take up settled cultivation wherever possible...”.

आज हमारी सरकार आयी है। उसके पहले नार्थ ईस्ट की खेती अत्यंत दयनीय स्थिति में रही, जबकि संभावनाओं की दृष्टि से हम देखें तो विन्सेट का ही राज्य मुझे खास लगता है। फ्रूट के प्रोडक्शन की दृष्टि से नार्थ ईस्ट में काफी व्यापक क्षमता है। लेकिन कल्टीवेशन का अर्थ हमने सिर्फ पैडी और व्हीट को ही मान लिया था। वहां कि जो विशेषता थी, उसमें अगर फ्रूट के साथ कैप्सिकम और अनेक वेजीटेबल्स की ओर ध्यान दिया होता तो आज भी उनकी फार्मिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग होती। आज धीरे-धीरे वहां के अनेकों राज्य ऑर्गेनिक फार्मिक की तरफ जा रहे हैं। सच्चाई यह है कि हमने वहां की खेती को विकसित करने के लिए अखिल भारतीय पॉलिसी के तहत काम

नहीं किया। हमने वहां की खेती को भी टुकड़े-टुकड़े में बांटकर देखने का काम किया। यह नार्थ ईस्ट की मजबूरी और लाचारी रही, जबकि नार्थ ईस्ट में संभावनाएं काफी थीं।

माननीय सभापति: आप अभी कितना समय लेंगे?

श्री सुनील कुमार सिंह : अध्यक्ष जी, अभी तो मैं बलवंत राय मेहता कमेटी की रिपोर्ट पर बोलना चाहता हूँ।

माननीय सभापति : सुनील जी आप पहले भी काफी बोल चुके हैं।

श्री सुनील कुमार सिंह: अध्यक्ष जी, तब की स्थिति और थी और आज की स्थिति में तो जमीन-आसमान का अंतर आ गया है। वहां सरकारें बदल गयीं। अगर मैं अपनी बात को दोहराता हूँ, तो आप जरूर मना कर दीजिएगा।

माननीय सभापति : आप बोलिये, बहुत अच्छा बोल रहे हैं।

श्री सुनील कुमार सिंह: मैं आगे बलवंत राय मेहता की कमेटी का उल्लेख करते हुए कहना चाहूंगा कि उन्होंने कहा था कि-

“... Supply of necessary agricultural credit should be stressed...”.

निश्चित रूप से मैं राजनीति की ओर नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन, दुर्भाग्य से देश में राजनीति का अर्थ दलगत राजनीति लगा लिया गया। हम लोग जिस सिद्धांत को मानने वाले हैं, उसमें हमने राजनीति का अर्थ यह समझा था कि जनता के लिए जो अच्छा हो वह नीति यानी राज करने की आवश्यक नीतियों के निर्माण को राजनीति कहा जाता है। लेकिन, हमने 67 साल में आपसे राजनीति की परिभाषा सीखी है, तो थोड़ा-बहुत तो असर होगा ही। हम राजनीति में जाना नहीं चाहते, लेकिन अगर आप कहेंगे तो सफाई तो देनी ही पड़ती है। मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा। उन्होंने अगला रिक्मेंडेशन किया था कि-

“... Reclamation, communication and soil conservation should be taken up to provide employment to the unemployed or under-employed tribals...”.

हमने लगातार देखा है कि भारत के अंदर हिमालय का पहाड़, पहाड़ों की दृष्टि से सबसे नया पहाड़ है और हिमालय में भूमि क्षरण का काम लगातार होते रहता है। इस दृष्टि से हमको विचार करना चाहिए।

हम लोगों को दो-तीन बार ईटानगर जाने का अवसर मिला है, जब भी हम लोग ईटानगर गए, हमने देखा कि बारिश के चलते वहां सड़कों पर मिट्टी कटकर बहुत बहती है, उसको रोकने की कोई वैज्ञानिक पद्धति हो। उसको रोकने के लिए कंक्रीट का जाल बिछाना जरूरी नहीं है, उससे ज्यादा जरूरी है कि वनस्पतियों के माध्यम से मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और बाकी क्षेत्रों में ऐसा किया जाए। चैरापूंजी जाने के क्रम में भी हमने देखा कि बहुत जगहों पर मिट्टी पानी के साथ बह रही है, उसको रोकने की वैज्ञानिक पद्धति हो। हम मेघालय को भारत का स्विटजरलैण्ड कहते हैं। सच्चाई यह है कि मेघालय के कुछ हिस्से स्विटजरलैण्ड से भी ज्यादा खूबसूरत हैं। हमने उसको स्विटजरलैण्ड का नाम दिया, लेकिन उसे स्विटजरलैण्ड जैसी आधारभूत संरचना बनाने की दृष्टि से कोई काम नहीं किया। अन्यथा अकेले मेघालय में यह क्षमता है कि वह देश में आने वाले टूरिस्ट्स के अधिकांश भाग अपने यहां ले जा सके। मेघालय टूरिज्म के माध्यम से सिर्फ नॉर्थ-ईस्ट ही नहीं, भारत की छवि को भी प्रमोट करने में सक्षम है। ये बातें आती रहती हैं कि मेघालय में बहुत डिस्टर्बेंस है। अनेक लोग, जो आज अपने परिवार के साथ चैरापूंजी जाते हैं, उन्होंने लगातार वहां के स्थानीय लोगों की प्रशंसा की, लेकिन हमने उस पर ध्यान नहीं दिया। मैं कहना चाहूंगा कि अगर कम्युनिकेशन, स्वाइल कंजर्वेशन इत्यादि पर बलवंत राय मेहता कमेटी रिपोर्ट का अनुपालन हुआ होता तो आज वहां की स्थिति निश्चित रूप से इससे अलग होती।

इसी के साथ, अनेक चीजें, जिनके बारे में सिक्स्थ शेड्यूल में कहा गया है, इसमें डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है और इलेक्टेड बॉडी है। निश्चित रूप से विन्सेंट जी ने जिस आदिवासी परम्परा और संस्कृति की बात कही है, उसको निश्चित रूप से हमें सुरक्षित रखना होगा। इस विषय पर उनसे किसी को असहमति नहीं हो सकती और होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम विभिन्नताओं के बीच

रहकर भी अपनी सामाजिक परम्परा और संस्कृति को अक्षुण्ण रखकर आगे बढ़ने के द्योतक हैं। हमने भारतीय संस्कृति और संविधान में सह-अस्तित्व को स्वीकारा है, यानी साथ-साथ परस्पर मिलकर चलने की प्रक्रिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने बहुत उदार होकर हिन्दुत्व की परिभाषा की है। उन्होंने कहा है कि हिन्दुत्व एक 'वे ऑफ लाइफ' है, जिसमें हम सभी साथ मिलकर चलते हैं। यह कोई जाति, धर्म, क्षेत्र या वर्ण पर आधारित नहीं है। हिन्दुत्व यहां की परम्परा और जमीनी हकीकत है, यह चीज सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन की है। वोट बैंक की लालच में उसकी अलग-अलग व्याख्या करते हैं। हम इसके लिए स्वतंत्र हैं, क्योंकि आज यहां अनेक बातें कही जा रही हैं। इस तरह से निश्चित रूप से जो बातें विन्सेंट जी ने कही हैं, उनसे हमारी सहमति है। उस परम्परा में प्रधान का जो सिस्टम है, जिसे हम हेड ऑफ द विलेज कहते हैं, वह परम्परा कहीं न कहीं जीवित रखनी चाहिए और सरकार को उसे संरक्षण देना चाहिए। उस परम्परा का अगर कहीं पंचायती राज सिस्टम से टकराव होता हो तो उसे दूर करना चाहिए, क्योंकि 'प्रधानी' का वह सिस्टम भी भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था और ग्राम स्वराज्य की अवधारणा से निकलता है। इसलिए उस रूप में आदरणीय विन्सेंट जी ने जो बात कही है, उसे हमें ध्यान में रखना चाहिए और उसका पालन करना चाहिए। साथ ही, हमें स्थानीय लोगों के फॉरेस्ट राइट्स का भी ध्यान रखना चाहिए। वन अधिकार के जो पट्टे हम देते हैं, मैं यह बात इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि आज के दिन मेरा संसदीय क्षेत्र दो-दो ईएसजेड के दुष्प्रभाव झेल रहा है। एक, बेटला नेशनल पार्क, जिसे पलामू टाइगर रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है, जो वर्ष 1973 में बना और भारत के सबसे पुराने नौ टाइगर रिजर्व्स में से एक है। दूसरा, लावालोंग वाइल्डलाइफ सैंक्चुरी है। ईएसजेड बनाने के क्रम में हम वहां के आदिवासियों के पट्टे के अधिकार को छीन रहे हैं।

वहां के निवासियों से इस अधिकार को नहीं छीनना चाहिए। हम जंगल के संरक्षण की दृष्टि से अगर वहां के नागरिकों का अधिकार छीनेंगे तो मैन-एनीमल कांप्लिक्ट उत्पन्न होगा। जब मानव और पशु-जंगल के बीच संघर्ष उत्पन्न होगा तो जंगल की रक्षा नहीं होगी। जंगल की रक्षा

तभी हो सकती है जब जंगल में रहने वाले निवासियों को बराबरी का अधिकार हो। उनको यह लगे कि यह जंगल, जानवर हमारी जिन्दगी, हमारी आर्थिक संरचना की दृष्टि से उपयोगी है और आज जब हम दुनिया की छठीं इकोनॉमी बन चुके हैं तो हमारे पास उदाहरण है, चाहे वह साउथ अफ्रीका, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और केन्या जैसे देश हों, इन्होंने जिस रूप में अपने जंगल और जानवरों की रक्षा की है, ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : सुनील जी, अब समाप्त करें। अन्य सदस्य भी अभी बोलने के लिए हैं। अब आप समाप्त करें।

श्री सुनील कुमार सिंह: सर, मैं समाप्त कर रहा हूँ। निश्चित रूप से माननीय नेहरू जी ने कभी यह सपना देखा था कि नॉर्थ-ईस्ट हमारी आर्थिक व्यवस्था और रचना की दृष्टि से मिडिल प्वाइंट हो। हम नेहरू जी के उस सपने को साकार करना चाहते हैं। इन बातों को लेकर राजनीतिक विरोधाभास की स्थिति नहीं है। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने और आज माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने और उनके नेतृत्व में गडकरी जी ने जो अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की दृष्टि से सड़कों की योजना बनाई है, जो बर्मा के माध्यम से सिंगापुर होते हुए टोकियो तक जाती है, ...(व्यवधान) सभापति जी, हमें अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। ...(व्यवधान)

माननीय सभापति : आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं। लेकिन समय का ध्यान रखिये, ज्यादा अच्छा होगा। अब आप समाप्त करें।

श्री सुनील कुमार सिंह : सर, समय का तो हम ध्यान रख रहे हैं कि प्राइवेट मैम्बर्स बिल भी पूरा पढ़ने नहीं दिया जा रहा है।

सभापति महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूँ। मुझे आप मात्र तीन मिनट का समय और दे दीजिए। मैं कह रहा था कि माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में आदरणीय गडकरी जी ने एशियन हाईवे नं.1 जो टोकियो से इस्तान्बुल जाएगा, हमने उसके मिडिल में नॉर्थ-ईस्ट को लाने की कल्पना की है। वह दुनिया के व्यापार को उस रूप से संचालित करेगा। इसी के साथ-साथ जो बाकी संभावनाएं पनबिजली वगैरह की है, उस दृष्टि से भी हम उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं।

चूंकि आपने कहा है कि बहुत सारी बातें नहीं कहनी हैं, लेकिन मैं इसलिए ये बातें कह रहा हूं क्योंकि प्राइवेट मैम्बर्स बिल में कुछ संशय उठे थे। जब भर्तृहरि महताब जी बोल रहे थे, उस समय त्रिपुरा के सदस्यों ने यह कहा कि मणिपुर वह मणिपुर नहीं है जिसका महाभारत में उल्लेख है। क्या हमारे मैथोलॉजी पर जो प्रश्नचिन्ह खड़े होंगे, क्या उसका जवाब यहां से नहीं दिया जाना चाहिए? यह कौन सा अधिकार आपको किसने दिया कि चित्रांगदा वहां पैदा नहीं हुई और यदि हुई तो वह दूसरी महिला थी। भर्तृहरि महताब जी को बोलते समय टोका गया। हमें इन बातों की चर्चा करते हुए, इन बातों से बचना चाहिए।

हम जब भारत की एकता, एकजुटता और संस्कृति की बातें करते हैं तो निश्चित रूप से हमें इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। ये टूटने वाली बातें नहीं कहनी चाहिए। आज उसी का नतीजा यह था कि त्रिपुरा के जो सदस्य बोल रहे थे, उन्होंने इसको भुगता। आज त्रिपुरा की जनता ने दिखा दिया कि त्रिपुरा और मणिपुर का किस इतिहास से उनका साथ था और किस इतिहास के वे अंग थे?

आज वहां त्रिपुर सुंदरी है। मणिपुर में श्रीकृष्ण मौजूद हैं। माता कामाख्या वहां मौजूद हैं। अरुणाचल प्रदेश में अनेकों तीर्थ मौजूद हैं। हमारे इतिहास और पुराण कहते हैं कि प्रागज्योतिषपुर भारत का अभिन्न अंग था। अगर आप इसे झूठलाने की बात कहेंगे तो निश्चित रूप से इसकी एकता और अखंडता पर खतरा उत्पन्न होगा।

सभापति महोदय, अंत में, मैं यह कहना चाहूंगा कि वे अच्छा प्रस्ताव लाए हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि इस प्रस्ताव के माध्यम से हम तुरंत परिवर्तन की मांग करें। मैं उनके विचार से सहमत हूं, लेकिन मैं यह प्रयास चाहूंगा कि सरकार इस पर विचार करके जो नया संशोधन लाना है, वह सरकार लाए। संशोधन लाते समय, विचार करते समय हम एथिक्स, एजुकेशन, इकोनॉमिक्स और इकोलॉजी, इन चारों के इंटीग्रेटेड अप्रोच से चलेंगे तो हम समग्र और एकात्म विकास की ओर बढ़ेंगे। वही चिरस्थायी विकास होगा, इसी के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है, इसी के लिए हमारी सरकार काम करती है। मैं यही बात कहते हुए अपनी वाणी को आराम दूंगा।

श्री दुष्यंत चौटाला (हिसार): सभापति महोदय, आपने मुझे सिक्सथ शेड्यूल ऑफ काँस्टीट्यूशन अमेंडमेंट बिल, 2015 पर बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। यह बिल हमारे सहयोगी विनसेंट पाला जी लाए हैं। सिक्सथ शेड्यूल काँस्टीट्यूशन के अंदर ही अपने-आप में एक काँस्टीट्यूशन है।

माननीय सभापति : अगर आप अपने सीट से बोलते तो ज्यादा अच्छा होता।

श्री दुष्यंत चौटाला: सभापति महोदय, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं यहां से बोलना चाहता हूँ, नहीं तो वहां चला जाऊंगा।

माननीय सभापति : आप आगे से ध्यान रखें।

श्री दुष्यंत चौटाला: सभापति महोदय, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, चार राज्यों में 10 काउंसिल्स हैं। हमारे साथियों ने उन काउंसिल्स में सदस्य बढ़ाने के लिए यह बिल सदन में लाए हैं। जो 10 ऑटोनोमस काउंसिल्स हैं, निरंतर यह मांग रही है कि उनको स्ट्रीमलाइन किया जाए। यह अथॉरिटी केवल महामहिम राष्ट्रपति जी के पास है। काउंसिल्स की निरंतर मांग रही है कि हमारे अधिकार हमें मिलने चाहिए, चाहे वह नागालैंड की तरह फॉरेस्ट और माइन्स के अधिकार हों या वर्किंग कैपेसिटी बढ़ाने की बात हो। इसको निरंतर चर्चा का विषय माना जाता है, क्योंकि काउंसिल्स के जो संवैधानिक अधिकार हैं, वह वहां के महामहिम गवर्नर के हाथ में है। उन अधिकारों को केन्द्र सरकार बढ़ा भी सकती है, कम भी कर सकती है। हम निरंतर चर्चाएं देखते आए हैं। वहां पर जो इंडीजिनस ट्राइब्स हैं। वे दो सौ सालों से अपने अधिकार की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। जब वे हिन्दुस्तान का हिस्सा बनीं तब भी शर्तें रखी गईं और उन शर्तों में ही कहीं न कहीं यह सिक्सथ शेड्यूल भी अपनी जगह बना कर आया है।

सभापति महोदय, एक चीज देखने वाली है कि इन काउंसिल्स को निरंतर खारिज किया गया है, क्योंकि उनकी ऑडिटिंग प्रॉपर नहीं है। उन काउंसिल्स पर निरंतर करप्शन के बड़े-बड़े चार्जेज लगे हैं। जब हम अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं तो सदन को इस पर भी जरूर विचार करना चाहिए कि केन्द्र सरकार के विचाराधीन अटानॉमी अथॉरिटी पर भी हम सभी विचार करें।

सभापति महोदय, आज तक संविधान के अंदर जब भी काउंसिल्स बनीं, एंटी डिफेक्शन लॉबी इन काउंसिल के अंदर हमारी केन्द्र सरकार नहीं ला पाई। वहां कोई अपना दल बदलता है, आया राम गया राम होता है।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा): आया राम गया राम, हरियाणा से शुरू हुआ।

श्री दुष्यंत चौटाला: सभापति महोदय, हरियाणा से जरूर शुरू हुआ लेकिन खड़गे जी के लोगों ने करने का काम किया। चौधरी देवी लाल जी जब आंकड़े लेकर बैठे थे, तो सभी जानते हैं कि तपसे जी ने किस तरह से स्वर्गीय भजन लाल जी को शपथ दिलाने का काम किया था।

सभापति जी, सदन में गृह राज्य मंत्री जी भी बैठे हैं, मैं सदन से आग्रह करूंगा कि संसद की पावर के माध्यम से इन काउंसिल्स में एंटी डिफेक्शन लॉ को लागू करने का काम किया जाए। किरेन रिजीजू जी मेरा साथ देंगे, इनकी स्वयं की ट्राइब निरंतर यह मांग कर रही है कि अरुणाचल प्रदेश में मौरान और पतकाई को भी आटोनोंमस काउंसिल का दर्जा दिया जाए। मंत्री जी से यह विचार साझा करूंगा कि यदि इस तरीके से सारी ट्राइब्स को शामिल करने का काम करेंगे, तो फिर हरियाणा के नाथ और गडिया लौहार भी यह मांग करेंगे कि हमारे अधिकारों का भी हनन न हो। यह निरंतर मांग रही है कि एसटी जहां भी हैं चाहे झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा हो, नार्दन महाराष्ट्र हो, सदर्न गुजरात हो, वे अपने अधिकार की बात करते हैं। शेड्यूल सिक्स्थ केवल इन चार राज्यों के लिए है, इसलिए केंद्र सरकार को यह विचार करना चाहिए कि अरुणाचल के लोगों की मांग को ध्यान में रखे।

सभापति जी, जहां तक काउंसिल्स के एरियाज की बात है, मेघालय में नटियांग टैम्पल 800 साल पुराना है। वहां की सरकार ने भी उसकी डेवलपमेंट के लिए आग्रह किया है। मंत्री जी वहां विजिट करके आए, उसके बावजूद भी वहां कोई कदम नहीं उठाया गया। सदन में आर्कियोलॉजिकल साइट्स के मंत्री बैठे हैं, हिसार में तो आठ हजार साल पुरानी साइट है। हमारी मांग है कि आप थोड़ा ध्यान राखीगढ़ी पर भी दीजिए। यह ऐसी साइट है जो पूरी दुनिया में एक ऐसा इतिहास है शायद उसे डेवलप करे तो दुनिया का इकलौता विजिटेड स्पॉट बनेगा, जो डेवलप

हुआ है। यहां भी आपने लोगों पर बेघर होने की तलवार लटकाई हुई है। इन ट्राइबल लोगों की भी यही मांग है कि इन्हें बेघर न किया जाए। राखीगढ़ी के लोग भी यही मांग कर रहे हैं कि उन्हें बेघर न किया जाए। यदि आप कुछ करना चाहते हैं, तो एक विजन साथ लेकर चलिए। आप तीन बार सदन में आश्वासन दे चुके हैं कि एक कमेटी का गठन किया जाएगा, लेकिन आज तक एक कमेटी का निर्माण राखीगढ़ी के विकास के लिए सरकार ने नहीं किया है।

हरियाणा खेलों में बहुत आगे है, लेकिन नार्थ-ईस्ट भी पीछे नहीं है। मैं सरकार को बधाई दूंगा कि आज ही नार्थ-ईस्ट में एक नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की बात की है, चाहे वह फेंसिंग हो, आर्चरी हो या बॉक्सिंग हो। हम देखते हैं कि ट्राइबल एरिया से जो खिलाड़ी आते हैं, वे स्पोर्ट्स में आगे बढ़ने के लिए कहीं न कहीं ट्रेडिशनल फैक्टर के साथ आते हैं। सरकार सेवन सिस्टर्स को हरियाणा के साथ जोड़ने का काम करे और जिस तरह से खेलों को बढ़ावा देना चाहिए, उसके लिए साझे तौर पर हमें प्रोग्राम डेवलप करने की आवश्यकता है। मैं उम्मीद रखूंगा कि आपकी जो दस आटोनोंमस काउंसिल्स हैं, इन्हें आप हमारे प्रदेश की सरकार के साथ चलाएं ताकि आने वाले समय में जॉइंटली प्रोग्राम्स चलाए जा सकें।

जहां तक केंद्र सरकार के अधिकारों की बात है, पाला जी ने एक बात इस बिल में रखी है कि ज्वायंटली केंद्र और प्रदेश की काउंसिल्स को साथ चलना चाहिए। सबका नारा तो जरूर साथ चलने का दिया जाता है, लेकिन उसके अंदर भी कहीं न कहीं भेदभाव निरंतर देखने को मिलता है। मैं उम्मीद रखूंगा कि जब हम सभी साथी इस प्राइवेट मैम्बर बिल को साथ लेकर आ रहे हैं और बीजेपी के भी किसी साथी ने भी इसका विरोध नहीं किया है, तो साझे तौर पर चाहे मैम्बर्स बढ़ाने की बात हो या अधिकारों की बात हो, पाला जी का इस लड़ाई में साथ दें, जिसके माध्यम से हमें इन दस काउंसिल्स में डेवलपमेंट देखने को मिलेगी।

इन काउंसिल्स की पावर को हम बढ़ाएँ। आज अधिकतम पावर्स महामहिम राज्यपाल के हाथों में हैं। काउंसिल्स के हेड्स को मात्र कार्यकारी के तौर पर ऊपर बिठाया गया है। यदि सरकार चाहती है कि उनको कार्यकारी तौर पर नहीं, यदि मैं इन दस काउंसिल्स की बात करूँ, तो त्रिपुरा में

ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स बनाये गये हैं। मिजोरम में चोकमा, मोरा, लाई डिस्ट्रिक्ट्स हैं। असम में नॉर्थ कचार, कार्बी आंगलांग, बोडोलैंड डिस्ट्रिक्ट्स हैं। मेघालय में खासी, जंतिया, गारो डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ये दस जिले शेड्यूल सिक्स में मार्कड हैं। इन डिस्ट्रिक्ट्स की निरंतर यही मांग है कि उनके अधिकार दिये जाएं।

जब लेजिस्लेशन और संसद के अधिकारों की बात आती है, तो यह कर्तव्य हरेक साथी का बनता है कि उन अधिकारों का खुलकर समर्थन भी करें ताकि आने वाले समय में इन ट्राइबल एरियाज का विकास हो। हमारे बीजेपी के साथी कह रहे थे कि वहाँ टूरिज्म की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है।

मुझे याद है, जब चौधरी देवी लाल जी वर्ष 1989 में इस देश के उपप्रधानमंत्री थे, तो उस समय उनको मणिपुर जाने का मौका मिला था। ट्राइबल लोग अपनी ऐतिहासिक तीर-कमान रखते हैं, उन लोगों ने वही उनको भेंट किया गया था। आज भी हिस्टोरिकली और कल्चरली जो वेशभूषाएँ हैं, रीति-रिवाज हैं, इसके लिए सभी सातों राज्य बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने इसे उसी तरीके से आज भी इंटेक्ट रखा है। यह भी हमारे लिए एक ट्रेजर है, जिसे हम सभी को मिलकर हमारे सिस्टम के साथ जोड़ना चाहिए। सरकार को स्पेशल पॉलिसीज बनानी चाहिए, जिसके माध्यम से नॉर्थ-ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए और अधिक कदम उठाए जाएं।

जब प्रदेशों की बात आती है, तो हिस्टोरिकली और ट्रेडिशनली नॉर्थ-ईस्ट का एक बड़ा योगदान भारत की संस्कृति में रहा है। हमारे साथी बता रहे थे कि वहाँ एक टूरिस्ट साइट और एक ऐतिहासिक साइट भी है, जिसका नाम भीष्मा नगर है। उसके विकास के लिए भी सरकार को कदम उठाना चाहिए। बीजेपी के साथी यह बताना भूल गये कि परशुराम कुंड भी उन्हीं ऐतिहासिक स्थलों में से एक है। यह एक तीर्थ स्थान है। ऐसे अनेक तीर्थ स्थान हैं, जिनके विकास के लिए आने वाले समय में भारत सरकार को मजबूत कदम उठाने चाहिए।

महोदय, मैं तो यही उम्मीद रखूँगा कि नॉर्थ-ईस्ट की डेवलपमेंट के लिए आज तक जो काम नहीं हुए, वे होंगे। हम निरंतर सुनते हैं कि 48 बनाम 12 या 12 बनाम 48 के तरीके से जो भेदभाव

देखा जाता है, उस भेदभाव में कहीं नॉर्थ-ईस्ट को पीसा न जाए। मैं यही उम्मीद रखता हूँ कि इस क्षेत्र के विकास के लिए सरकार कदम उठाएगी।

मैं आपका दोबारा आभार प्रकट करूँगा, आपने विंसेंट पाला जी द्वारा लाये गये सिक्स्थ शेड्यूल पर मुझे बोलने का मौका दिया। मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ और यही उम्मीद करता हूँ कि यह हाउस भी एकजुट होकर इन काउंसिल्स की डेवलपमेंट के लिए विंसेंट पाला जी का साथ देगी।

17 40 hrs

(cxxviii) PRIVATE SCHOOLS (REGULATION OF FEE) BILL, 2018*

DR. BOORA NARSAIAH GOUD (BHONGIR): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for regulation of fee in private schools with a view to make education accessible to all and for matters connected therewith.

HON. CHAIRPERSON: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for regulation of fee in private schools with a view to make education accessible to all and for matters connected therewith.”

The motion was adopted.

DR. BOORA NARSAIAH GOUD: I introduce** the Bill.

* Published in the Gazette of India, Part-II, Section-2, Dated 03.08.2018.

** Introduced with the recommendation of the President.

17 41 hrs

**SIXTH SCHEDULE TO THE CONSTITUTION (AMENDMENT)
BILL, 2015...Contd.**

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज) : सभापति जी, आज हमारे सम्मानित विनसेंट पाला जी के प्राइवेट मेंबर बिल पर इस सदन में विचार हो रहा है। इस पर उन्होंने संविधान की छठी अनुसूची, जिसमें डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स या जिला परिषदों की शक्तियों और उनके गठन को विस्तारित करने के लिए तथा क्षेत्रीय काउंसिल की शक्तियों में संशोधन के लिए इस सम्मानित सदन के समक्ष एक प्रस्ताव रखा है। इस पर आपने मुझे बोलने के लिए अनुमति दी है, इसके लिए मैं आपका अत्यंत आभारी हूँ।

हमारे सम्मानित सदस्यों और सुनील जी ने बहुत विस्तार से बातें कही हैं। उन्होंने नॉर्थ-ईस्ट के विकास के प्रति हमारी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। आज उसका परिणाम है कि उस क्षेत्र की जनता और नॉर्थ-ईस्ट में जिस विचारधारा के लोग थे और जिस तरह की परिस्थितियां थीं, वहां हम देश के एक अविभाज्य अंग की तरह से लगातार सतत प्रयास कर रहे थे, हम उसे शक्ति देने का भी काम कर रहे थे, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ होगा कि केंद्र में श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद नॉर्थ-ईस्ट में चाहे नागालैंड हो, मेघालय हो, त्रिपुरा हो या मिज़ोरम हो, इन सभी स्टेट्स के लिए आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने अपने मंत्री परिषद के वरिष्ठ मंत्रियों का समय निर्धारित किया। लुक ईस्ट एण्ड एक्ट ईस्ट की पॉलिसी लाई गई, ताकि हम इस कार्यक्रम में किस तरह केंद्र की सारी योजनाओं को नॉर्थ-ईस्ट में लागू कर सकें और वास्तविकता के धरातल पर वहां की जनता को उसका लाभ मिल सके। इस दिशा में सभी मंत्रियों को उन क्षेत्रों का दौरा करना होता था। आजादी के बाद पहली बार इस तरीके से केंद्र की सरकार के प्रधान मंत्री और मंत्री परिषद के सदस्यों ने दिलचस्पी ली है। इसका परिणाम है कि वहां पर आज एक बदलाव आया है, जैसा सुनील जी भी कह रहे थे। वहां एक परिवर्तन आया है। यह परिवर्तन केवल भौगोलिक विकास या सामाजिक संरचना की दृष्टि से नहीं हुआ, बल्कि आम जन मानस भारत के जिस हिस्से

से हैं, केंद्र सरकार द्वारा विकास की मुख्य धारा में उन राज्यों को शामिल कर के हुआ है। उन राज्यों की जनता के अधिकार और सहभागिता की हिस्सेदारी करने की दिशा में प्रयास किया गया है।

सम्मानित विनसेंट पाला जी जो संशोधन लेकर आए हैं, उस संबंध में मैं कहना चाहता हूँ कि उन्होंने मुख्यतः तीन बातें कही हैं। जिन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स की संख्या 30 है, उसे 40 किया जाए। इससे करीब-करीब सभी सहमत हैं। चार सदस्य जो महामहिम राज्यपाल द्वारा नामित होते थे, उनको भी 30 से 40 कर के सभी इलैक्टिड हों। जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं उन्हें power to make laws regarding mines and minerals. यह विषय ऐसा है कि इस पावर को डिस्ट्रिक्ट्स को दिया जाए, यह डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के अधिकार में हो। स्टेट्स के फ़ेडरल स्ट्रक्चर में मिनेरल्स, माइन्स, लैण्ड, एग्रीकल्चर पर राज्यों का अधिकार होता है। इस संबंध में इन्होंने अपना विचार दिया है। Method for Council to protect the customary practices. इस पर तो कदाचित् सभी सहमत हैं कि जो कस्टमरी प्रैक्टिसेज़ हैं, लोगों की जो परंपरागत संस्कृति है या वहां की जो अपनी मौलिकता है, उसी मौलिकता की पूरे देश-दुनिया में पहचान है। निश्चित तौर पर इस पहचान को बनाए रखने के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है और हम उसे अक्षुण्ण रखना चाहते हैं।

महोदय, सुनील जी ने फिफ्थ शेड्यूल का बहुत अच्छा सवाल उठाया है। झारखण्ड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के एरियाज़ में फिफ्थ शेड्यूल लागू होता है। हमारे यहां दो तरीके के शेड्यूल हैं। एक ट्राइबल एरिया का शेड्यूल है और दूसरा शेड्यूल एरिया का है। शेड्यूल एरिया में सेन्ट्रल इण्डिया के क्षेत्र आते हैं, जिनमें आदिवासियों के अधिकारों की बात आती है। ट्राइबल एरियाज़ में नॉर्थ-ईस्ट के ट्राइबल एस्टेट्स को कवर करता है। शेड्यूल एरिया फिफ्थ शेड्यूल से कवर होता है। फिफ्थ शेड्यूल से कवर होने के कारण केवल उनकी जिला परिषदों को ही अधिकार नहीं है, नॉर्थ-ईस्ट के एरियाज़ को छोड़कर, गांव की पंचायतों को भी कंस्टीट्यूशनल बैकिंग है। पहले ग्राम पंचायतों के चुनाव नहीं होते थे। कई राज्यों में वर्षों तक चुनाव नहीं हुए। श्री टीयर

सिस्टम के तहत पंचायती राज व्यवस्था की जंग-ए-आजादी के लोगों ने अवधारणा देखी थी कि देश की आजादी के बाद हमारी एक सेल्फ लोकल गवर्नमेंट होगी। लोकल गवर्नमेंट की अवधारणा यही थी कि गांव की समस्याएं, गांव का विकास और लोकल इश्यूज पर काम हो। वैदिक काल से इसकी अवधारणा थी और समितियां बनती थीं। 16 गणराज्य थे, जिनमें वैशाली हो या लिच्छवी हो, उनमें गांव की समितियां थीं। उस समय तात्कालिक रूप से वहां की समस्याओं और इश्यूज पर चर्चा की जाती थी। आज वे समितियां ग्राम सभा या ग्राम पंचायत है। ग्राम सभाओं और गांव की पंचायतों को हमें निश्चित तौर से संवैधानिक बैकिंग देनी होगी। विसेंट पाला जी ने अपने इस अमेंडमेंट में वह बात नहीं की है। हमें टोटलिटी में बात करनी चाहिए। हम नॉर्थ-ईस्ट में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की बात कर रहे हैं। शेड्यूल सिक्स में नॉर्थ-ईस्ट स्टेट्स को कोई अधिकार नहीं है। These areas have been left out of Part 9 of the Constitution. संविधान के पार्ट 9 में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन्स को कंस्टीट्यूशनल स्टेट्स दिया जाता है। Need for Constitutional status to the Panchayati Raj in Sixth Schedule. पंचायतों में विमन्स का रिजर्वेशन है। फिफ्थ शेड्यूल में दिया हुआ है, While Part 9 has reserved one-third of all Panchayat seats for women. लेकिन सिक्स्थ शेड्यूल में महिलाओं का कोई रिजर्वेशन नहीं है। सिक्स्थ शेड्यूल में पंचायतों में उनकी अवधारणा बतायी गयी है। लेकिन उनको आज भी वह अधिकार नहीं मिला है। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन्स में सबसे बुनियादी गांव की पंचायतें हैं। अगर हम नॉर्थ-ईस्ट स्टेट्स को मजबूत करना चाहते हैं, इसमें सबसे पहले हमें आर्टिकल 243(g) का शेड्यूल 11 विलेज लेवल पर पंचायतों को अधिकार देना है। यह सबसे बड़ा डीसेंट्रलाइजेशन होगा। संविधान निर्माताओं की अवधारणा थी कि शासन को हम विकेन्द्रित करेंगे। आज फेडरल स्ट्रक्चर के तहत पहली बार 14वें फाइनेंस कमिशन को पहली बार डीवेल्यूवेट किया गया है। नरेन्द्र मोदी जी ने खुद मुख्यमंत्री के रूप में देखा था, इसलिए संसाधनों में राज्यों का दस परसेंट बढ़ाया, जिससे हर राज्य को पांच हजार, आठ हजार, दस हजार करोड़ रुपये का फायदा हुआ।

आज एक बार फिर हम डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स को ताकत दे रहे हैं। उस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के साथ तब तक शार्ट कमी बनी रहेगी, जब तक कि उनके अंतर्गत जिलों की गांव सभाओं को, गांव की पंचायतों को हम ताकत नहीं देंगे। हमने देश की इसी सम्मानित पार्लियामेंट में संविधान में जो 73वां संशोधन हुआ था, जिसके आप भी साक्षी हैं, वह संशोधन इस देश के लिए एक ऐतिहासिक संशोधन था। हमने उस संशोधन के जरिए देश की गांव सभाओं और देश के लोगों को ताकत प्रदान की। उसमें जो कांस्टीट्यूशन का पार्ट नाइन था, उस पार्ट नाइन को हमने लागू करने का काम किया। पार्ट नाइन में उन गांव सभाओं को हमने अधिकार देने का काम किया। कम से कम लैंड एक्विजिशन की कार्यवाही हो या इकोनॉमिक डेवलेपमेंट की बात हो, रेगुलेशन ऑफ लोकल मार्केट की बात हो, गांव के तालाब हों या उसकी नीलामी करके गांव का विकास हो और गांव का राजस्व बढ़े इस तरह की कोशिश हो। जिस तरीके से गांव सभाओं की सारी परिसंपत्तियों पर, गांव सभाओं की खुली बैठक में उसका अधिकार होगा और उसको रेग्यूलेट करने के लिए गांव में यदि कहीं कोई विकास हो रहा है तो उस खुली बैठक में उसकी गुणवत्ता पर निश्चित तौर से चर्चा भी होती है और सवाल भी उठते हैं।

यह आपने देखा होगा कि जब हमने 73वां संविधान संशोधन किया, उसमें फिफ्थ शैड्यूल एरियाज के लिए पंचायत एक्सटेंशन टू द शैड्यूलड एरियाज एक्ट 1996, तो वर्ष 1996 में हमने जो पेसा, पंचायत एक्सटेंशन टू शैड्यूलड एरियाज एक्ट किया। तो आज देश के उन सभी राज्यों में पेसा का कानून है, जिसके नाते हमने गांव की सभाओं और गांव की पंचायतों को अधिकारयुक्त किया है। उससे गांव की सभाओं और पंचायतों को पावर डिराइव हुआ है। आज मुझे लगता है कि नार्थ-ईस्ट में भी उस पेसा के एक्ट को, जो पंचायत एक्सटेंशन टू शैड्यूलड एरियाज एक्ट 1996 की आवश्यकता है। चूंकि आज हम सभी सम्मानित सदस्यों को प्राइवेट मेंबर बिल पर बोलने का अवसर मिला है, तो उस समय जब शैड्यूल-5 और शैड्यूल-6 बनाया गया। क्या आज हम यह महसूस नहीं करते हैं कि अब हमको शैड्यूल-6 में भी, जिस तरह से शैड्यूल-5 पावर है, उस तरह

की पॉवर दें? जो सिक्स्थ शेड्यूल है, उसमें जैसा मैंने आपसे उल्लेख किया कि the Sixth Schedule does not provide for any reservation for women while part IX has reserved one-third of seats for women in Panchayats. आखिर इसी देश में यह डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो? जब एक तरफ भारत के प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी महिलाओं के सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, देश में जिस तरह से एक परिवर्तन आया है, महिलायें जिस तेजी से आगे बढ़ रही हैं, आज देश के हर क्षेत्र में, स्वच्छता अभियान से लेकर, केन्द्र के जो फैसले हो रहे हैं, बहुत सी योजनाओं को जिन्हें लागू कर रहे हैं, उसको हमने वूमन सेंट्रिक किया है। आज देश में अगर पांच करोड़ उज्ज्वला के अंतर्गत गैस चूल्हा और सिलेण्डर वितरित करने का काम किया है, तो उसका जो स्वामित्व है, जो कार्ड है, उसे हमारी सरकार ने महिलाओं के नाम से ही किया है। इसी तरह से प्रधान मंत्री आवास योजना है या सौभाग्य योजना है, तो आज हम महिलाओं के उस अधिकार को, महिलाओं को सशक्तिकरण करके, महिलाओं को एक शक्ति देकर, केन्द्र सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि देश की मुख्य धारा में जितना योगदान समाज के पुरुषों का है, उससे कहीं कम हमारे देश की महिलाओं का न हो। उस दिशा में आपने देखा होगा कि एक तेजी से बदलाव आया है।

एक नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना नार्थ-ईस्ट में हुई, तो जैसा कि चौटाला जी उल्लेख कर रहे थे कि अगर हरियाणा में, पंजाब में, यूपी में अगर आज मैडल दिलाने वाले स्पोर्ट्स मैन निकल रहे हैं, तो निश्चित रूप से नार्थ-ईस्ट में मैरीकॉम से लेकर के कितनी ऐसी महिलाएं हैं, जो मेडल ला रही हैं, वे देश की राजधानी दिल्ली से बहुत दूर हैं।

आज पहली बार केन्द्र सरकार का यह निर्णय हुआ कि अगर नार्थ-ईस्ट के राज्यों में ऐसी प्रतिभाएं रहती हैं जो केवल मेघालय, नागालैण्ड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा जैसे राज्यों में ही अपना स्थान नहीं बना सकती हैं, बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक जैसे गेमों में मेडल लाकर भारत का नाम रोशन करेंगी। आज आपने यह देखा कि जहां यह होता था कि नार्थ-ईस्ट के लोगों के साथ उपेक्षा रहती थी, उन्हें लगता था कि हम केन्द्र सरकार से दूर हैं। उनके मन में यह

भाव आता था कि हम लोग भी भारत का ही हिस्सा हैं, लेकिन इसके बावजूद उनमें यह फीलिंग नहीं रहती थी कि वे भारतीय हैं। उन्हें यह लगता था कि जो हमारा हक-हकूक है या जो विकास में हमारी सहभागिता है, हिस्सेदारी है, शायद वह नहीं है। लेकिन कहीं न कहीं पिछले चार वर्षों में परिवर्तन आया है और वातावरण बदला है।

केन्द्र सरकार की दिशा भी बदली है। केन्द्र सरकार ने अपनी उस दिशा से आज उन राज्यों को जो देश के हर राज्यों के साथ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, उनकी बराबरी में लाकर खड़ा किया है और उस तरफ ध्यान दिया है। मुझे लगता है कि जो छठा शेड्यूल लागू है, उसको कहीं न कहीं जो पांचवें शेड्यूल का गवर्नेंस था, अगर पूरे देश को पार्ट नौ के साथ हम लागू करें तो निश्चित तौर से इससे लाभ होगा और इस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के साथ-साथ जो हमारी चीजें हैं, जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको हम कांस्टीट्यूशन स्टेटस कब देंगे। उस कांस्टीट्यूशन स्टेटस के लिए अगर आज हम केवल सिक्स्थ शेड्यूल एरियाज में रखेंगे तो शायद उनके पास वह बैंकिंग नहीं है। उनको आर्टिकल 243-जी के शेड्यूल 11 में अधिकार मिला हुआ है, जो दूसरे राज्यों की तमाम पंचायतों को मिला है। क्योंकि हमारा दृष्टिकोण और अधिकार है कि हम देश के उन राज्यों के उन गांवों को भी देश की मुख्यधारा के साथ जोड़ सकें तो यह समय है कि अब हम उस पर भी विचार करें। यदि हम इस बारे में विचार करेंगे तो निश्चित तौर से यह हमको शक्ति देगा। जो एक सैल्फ गवर्नेंस की बात है, वह विलेज लैवल पर रिप्रजेन्टेशन देगा। जब विलेज लैवल रिप्रजेन्टेशन होगा तो कम से कम उन गांव सभाओं, पंचायतों में लोगों को डिसेजन मेकिंग का अधिकार होगा, लोगों के पास कम से कम उसी पंचायत में बैठकर अपने विकास के फैसले या जो उनके लोकल इश्यूज होंगे या सम्पत्तियों के जो अधिकार होंगे, उनके निर्णय लेने में उनको डिस्ट्रिक्ट काउंसिल लैवल पर नहीं जाना पड़ेगा। वे खुद सक्षम होंगे और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भी तभी मजबूत होगी, जब डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को डीसेंट्रलाइज करेंगे। अगर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अधिकार निहित होते हैं और किसी प्रजातांत्रिक प्रणाली में हम उस ढांचागत को मजबूत करते हैं तो इससे बेहतर और कोई चीज हो नहीं सकती। यही एडमिनिस्ट्रेशन का जो डीसेंट्रलाइजेशन है, जो डीसेंट्रलाइजेशन

ऑफ पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, वह भी यह लीड करता है कि यदि हम इस विषय पर विचार करेंगे तो यह निश्चित तौर से होगा। क्योंकि अंततोगत्वा आज हमारी सरकार की यह सबसे बड़ी धारणा है।

इस सदन में विंसेन्ट भाई इस बिल को लेकर आए हैं। उनकी इच्छा यही है कि नार्थ-ईस्ट की डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को अगर हम मजबूत करते हैं तो हम स्टेट से डिस्ट्रिक्ट लैवल पर भी उस काउंसिल की बाडी को मजबूत करते हैं। लेकिन आपको देखना होगा कि अगर हम इसमें संख्या बढ़ा रहे हैं तो यह देखना होगा कि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अधिकार जिला लैवल पर इतने सेंट्रलाइज न हो जाएं कि जो आपका उद्देश्य है, क्या वह पूरा हो सकता है। उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए निश्चित तौर से उसको हमें डीसेंट्रलाइज करना होगा, विकेन्द्रीकृत करना होगा और विकेन्द्रीकृत करने के लिए अगर सबसे उपयुक्त है तो निश्चित रूप से नार्थ-ईस्ट के जिन स्टेट्स में जहां अभी भी सिक्स्थ शेड्यूल लागू है, उनको पावर दी जाए, ताकि हम उन गांव सभाओं को, गांव की पंचायतों को एक ताकत दे सकें, उनको अधिकार दे सकें और उस अधिकार से फिर लोकल गवर्नमेंट या सैल्फ गवर्नेंस का एक निर्णय हो सके और वे डिसिजन मेकिंग में सक्षम हो सके।

इसीलिए मैं चाहता हूं कि अगर आज हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं तो निश्चित तौर से हम यह चाहेंगे कि जो नार्थ-ईस्ट के बारे में आपने कहा कि हम आदिकाल से चले आ रहे हैं और विकास के लिए जब नार्थ-ईस्ट में पावर मिली तो वहां एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की अवधारणा हुई। लेकिन उसके साथ-साथ क्षेत्रीय काउंसिल की बात भी हुई।

18 00 hrs

माननीय सभापति : सभा की अनुमति हो तो सभा की कार्यवाही शून्य काल की समाप्ति तक बढ़ा दी जाए?

अनेक माननीय सदस्य: सहमति है।

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा): सभापति महोदय, लगातार देश और दुनिया में एक घटनाक्रम को सुनकर दुनिया शर्मसार है। बिहार का बालिका-गृह, बिहार का फतवा स्कूल में जो घटनाएं हुई हैं और बिहार के बालिका गृह में लगातार यौन शोषण की परत खुल रही है, सरकार ने सीबीआई जांच के लिए आदेश दिया है और जांच की शुरुआत हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर सुओ-मोटो नोटिस लिया है। एक बालिका-गृह नहीं, उस बालिका-गृह के बाद कई ऐसे गृह हैं, जहां पर सीबीआई जब गई तो उनके उस गृह में कॉन्डम, उनके यहां यौन शोषण के बाद ऑपरेशन थिएटर, रूम, जिसने उस ठाकुर के खिलाफ गवाही दी थी, उसका गायब हो जाना और फिर दूसरे बालिका गृह से 11 महिलाओं का गायब होना, बच्चियों का गायब होना, इस पर सीबीआई लगातार नज़र रख रही है। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि सर्वोच्च न्यायालय ने जिस तरीके से सुओ-मोटो नोटिस लिया है और पटना उच्च न्यायालय ने भी नोटिस लिया है तथा वहां के मुख्य मंत्री ने भी कहा है कि मैं मॉनिट्रिंग करवाना चाहता हूँ। मेरा सिर्फ इतना ही सन्निधान है कि उसमें कई सफेदपोश, बड़े-बड़े पूर्व मुख्य मंत्री, कई मंत्री, कई नेता, कई सरकार के कई लोग, सफेदपोश, पदाधिकारी और माफियाओं का फोटो, उन माफियाओं के साथ आ चुका है और शंका है कि यदि इतने बड़े नेता, पदाधिकारी, माफिया और पूंजिपति लोग शामिल हैं तो निश्चित रूप यह हो सकता है कि कल सरकार की तरफ से या कोई ऐसा दबाव सीबीआई पर पड़े कि जांच प्रभावित हो, इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय की मॉनिट्रिंग होनी चाहिए। इसके साथ-साथ मैं चाहता हूँ कि बिहार के सभी बालिका-गृहों की जांच होनी चाहिए। सिर्फ मुजफ्फरपुर, मधुबनी, छपरा, आरा, हाजीपुर में जो गृह हैं, वहीं नहीं, बिहार के सभी बालिका गृहों की जांच सीबीआई से कराई जाए। यह इंटरनेशनल इश्यु

बन चुका है, इंटरनेशनल दबाव हो चुका है, इसलिए इसकी जांच कराई जाए। हम लोग लगातार इसके लिए लड़ रहे हैं।

माननीय सभापति : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री राजेश रंजन द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री लखन लाल साहू (बिलासपुर): सभापति महोदय, शहरी विकास मंत्रालय का महत्वपूर्ण उपक्रम दिल्ली विकास प्राधिकरण है। इस उपक्रम के माध्यम से बहुत सारे कार्य होते हैं, जिनका संचालन वहां के कर्मचारी-अधिकारी मिल कर करते हैं। लगभग सात हजार कर्मचारी ऐसे हैं, जिनको लगातार एक्स-ग्रेशिया की राशि मिलती रही है। लेकिन सन् 2015-16 में इसको रोक दिया गया है। कर्मचारी यूनियन ने और व्यक्तिगत रूप से जो कर्मचारी हैं, उन सबने इसमें विभाग को निवेदन किया है। शहरी विकास मंत्रालय के जो सचिव हैं और शहरी विकास मंत्रालय के आदरणीय मंत्री हैं, उस समय आज के उपराष्ट्रपति वैकेया नायडू जी थे, उनको भी पत्र लिखे। उन्होंने वित्त मंत्रालय को इस संबंध में निवेदन भी किया है। इसकी राशि डीडीए को अर्न करनी है, न कि सरकार को अर्न करनी है। डीडीए इसके लिए सहमत भी है। मैं आपके माध्यम से ऐसे सात हजार कर्मचारी, जिनको सन् 2015-16 से एक्स-ग्रेशिया की राशि को रोका गया है, उसको देने के लिए वित्त मंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि इस पर तत्काल कार्यवाही कर ऐसे कर्मचारियों को उसकी सुविधा दी जाए।

माननीय सभापति : श्री भैरों प्रसाद मिश्र, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल एवं श्री शरद त्रिपाठी को श्री लखन लाल साहू द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री कर्ण सिंह यादव(अलवर): सभापति महोदय, अलवर जिला राष्ट्रीय राजधानी के करीब होने से औद्योगिक क्षेत्र के रूप में अपनी पहचान बना चुका है। किसानों की अति उपजाऊ जमीन को अधिग्रहित कर भिवाडी, टपूकडा, खुशखेडा, चौपानकी, सारे खुर्द, नीमराणा, बहरोड, शाहजहांपुर, घीलोट, सौतानाला, मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र अलवर में लगभग 2500-3000 ईकाइयां चालू हालत में हैं।

आज अलवर जिले में लगभग एक दर्जन इंजीनियरिंग कॉलेजों, अनेकों पॉलिटेक्निक कॉलेजेज, सैकड़ों आईटीआईजी व स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स और पांच विद्यालयों से तकनीकी व प्रबंध की शिक्षा लेकर हजारों की संख्या में प्रशिक्षित युवा हर वर्ष निकलते हैं। खेद का विषय है कि किसानों की जमीनों पर बनी इन फैक्ट्रियों में स्थानीय व्यक्तियों को रोजगार नहीं दिया जाता है। अपने दादा-परदादा की जमीन पर बनी फैक्ट्री में युवाओं को उस फैक्ट्री के गेट के अंदर ही घुसने नहीं दिया जाता है। स्थानीय होना ही उनकी सबसे बड़ी डिसक्वालिफिकेशन है। रोजगार देने के बजाय ये औद्योगिक क्षेत्र ग्रामीण जनता को परेशानियां देते हैं। जहरीले कैमिकल टू, फोर-डी जैसे उत्पादनों से आसपास की फसलें बर्बाद होती हैं। इन फैक्ट्रियों के माध्यम से अत्यधिक जल दोहन किया जाता है। शराब व कोल्ड ड्रिंक्स की फैक्ट्रियों में दस-दस ट्यूबवेल लगे हुए हैं और आसपास के कुओं का जल स्तर बहुत नीचे चला गया है। इसके अलावा स्थानीय नागरिकों को प्रदूषित वातावरण में जीना पड़ता है, प्रदूषित वायु में सांस लेना पड़ता है। इसके कारण दिल, फेफड़े और कैंसर जैसे रोग पनपते हैं। इस बढ़ती हुई बेरोजगारी से युवाओं में बड़ा असंतोष है।

महोदय, जब रोजगार नहीं होता, तो ये युवा अपराधियों के सम्पर्क में आ जाते हैं और उसकी वजह से जिले के अंदर मर्डर, लूटपाट और डकैती की घटनायें बढ़ती जा रही है। मिसगाइडेड नौजवान गैंग्स बना रहे हैं। राजस्थान की मुख्यमंत्री जी ने भी स्वीकारा है कि मॉब लिंगिंग जैसी घटनाओं का कारण बढ़ती हुई बेरोजगारी है।

अतः मेरी मांग है कि जिले भर की फैक्ट्रियों के अंदर स्थानीय कितने लोग काम करते हैं, उनकी गणना हो और यह बात कानूनी तौर पर वहां लागू की जाए कि कम से कम पचास प्रतिशत स्थानीय युवाओं को रोजगार मिले। बगैर युवाओं को रोजगार दिए आगे बहुत बुरे दिन आने वाले हैं। करोड़ों रोजगार देने की घोषणा करके सत्ता में आई हुई सरकार बड़ा दायित्व है कि स्थानीय प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार देने में पहल करे। मैं आपसे यही निवेदन करता हूं।

माननीय सभापति : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री करण सिंह यादव जी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ) : महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

भगोड़ा आर्थिक अपराधी मेहुल चौकसी, जो आजकल एण्टीगुआ में छिपा हुआ है, के कांग्रेस से नजदीकी सम्बन्धों की पुष्टि स्वयं चौकसी के वकील ने की है। देश के एक बड़े प्रमुख चैनल पर प्रमुखता से यह समाचार प्रसारित हुआ है। यह बड़ा गंभीर विषय है।

महोदय, हमारी सरकार पहले से कहती आ रही है कि बैंकों को लूटने का काम यूपीए की सरकारों के समय में उनके मंत्रियों के नेतृत्व में होता रहा है। इसका परिणाम यह है कि आज गरीब जनता की दस लाख करोड़ रुपये से भी अधिक एनपीए हो गई है। मेहुल चौकसी के बारे में मैं एक बात और ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि इलाहाबाद बैंक के निदेशक... * ने यह कहा।

माननीय सभापति: आपको नाम लेने की जरूरत नहीं है।

श्री राजेन्द्र अग्रवाल : महोदय, उन्होंने यह कहा कि जब इनके लोन का विषय इलाहाबाद बैंक के सामने आया तो उन्होंने कहा कि इनको पाँच करोड़ रुपये से अधिक का लोन नहीं दिया जा सकता है। निदेशक को पद से हटना पड़ा। वित्त मंत्रालय का हस्तक्षेप हुआ। यह बात स्वयं निदेशक ने अपने इंटरव्यू में कही है। उसके बाद मनचाहा ऋण उनको प्रदान किया गया। कुल मिलाकर के वित्त मंत्रालय के जो तत्कालीन वित्त मंत्री थे, उनके हस्तक्षेप से यह काम हुआ, इस बात की गवाही स्वयं इलाहाबाद बैंक के निदेशक ने दी थी।

महोदय, बैंकों को लूटने का यह सिलसिला बहुत पुराना है। वर्ष 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ और वर्ष 1971 के अंदर, केवल दो साल के पश्चात नागरवाला कांड हमारी यादों के अंदर होगा कि वह किस प्रकार से घटा था। उसके अंदर दो लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या हुई थी, लेकिन उसको दबा दिया गया। उसके अंदर भी पीएमओ का नाम आया था।

माननीय सभापति : अब आप अपनी बात समाप्त करें।

* Not recorded.

श्री राजेन्द्र अग्रवाल : महोदय, तब से यह विषय बराबर चलता आ रहा है। जब-जब यह कांग्रेसी सरकार आई है, तब-तब इस प्रकार की लूट बढ़ती रही है। मैं एक बात आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूँ कि तत्कालीन वित्त मंत्री के माध्यम से या उनकी सरपरस्ती के अंदर जो-जो लूट हुई, इसका वास्तविक बॉस कौन था। उस समय के तत्कालीन माननीय प्रधान मंत्री जी तो बिल्कुल नहीं थे। वे तो चुपचाप बैठे हुए इस प्रकार के चौकीदार थे, जो आँख बंद किए रहते थे।

माननीय सभापति : अब आप अपनी बात समाप्त करें। आपकी बात आ चुकी है।

श्री राजेन्द्र अग्रवाल: मेरा यह कहना है कि सरकार इस बात की जाँच करे कि या तो बॉस मैडम थीं, जिनके तत्कालीन वित्त मंत्री बहुत प्रिय भी थे। इस बात की जाँच की जाए।

ये जो सारे बैंकों की लूट के प्रकरण हैं, उन्हें सामने लाया जाए, इसके अपराधियों को सामने लाया जाए, यही मेरा निवेदन है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपके प्रति बहुत-बहुत आभार।...(व्यवधान)

माननीय सभापति: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री शरद त्रिपाठी और श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री राजेन्द्र अग्रवाल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा): सर, किसी एक व्यक्ति का नाम और जो सदन का सदस्य नहीं है, उनके नाम को हटाया जाए।

माननीय सभापति: हां, उसके बारे में बता दिया गया है। जिनका नाम लिया गया है, उनका नाम रिकॉर्ड में नहीं जाएगा।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: सर, हमारे जमाने में जो एन.पी.ए. दो लाख करोड़ रुपये था, अब यह इतने लाख करोड़ रुपये हो गया है।

माननीय सभापति : हां ठीक है, आप बैठ जाइए।

श्री देवेन्द्र सिंह भोले (अकबरपुर): माननीय सभापति जी, आपने मुझे शून्य प्रहर में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

महोदय, मैं आपसे विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूँ कि कानपुर के बारे में आपको भी बहुत जानकारी होगी। हमारे लोक सभा संसदीय क्षेत्र के अन्तर्गत भी उसका लगभग आधा हिस्सा आता है। कानपुर का लगातार विस्तार हो रहा है। पश्चिम और दक्षिण दिशा में कानपुर लगातार बढ़ रहा है। उत्तर और पूर्व दिशा की ओर माँ गंगा है, इसलिए इसे पश्चिम और दक्षिण दिशा में बढ़ना पड़ रहा है।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन को यह अवगत कराना चाहता हूँ कि कानपुर नगर के विस्तार के साथ ही मेरे संसदीय क्षेत्र में स्थित पनकी रेलवे स्टेशन, जिसका अब परिवर्तित नाम पनकी धाम है, जिसकी घोषणा अभी-अभी सरकार ने की है और इसकी विज्ञप्ति जारी की है। वहां अभी कुछ ही दिन बाद टिकट भी पनकी धाम के नाम से मिलने लगेंगे, लेकिन कानपुर की जो बढ़ती हुई आबादी है और कानपुर सेन्ट्रल में यात्रियों के बढ़ते हुए आवागमन के कारण वहां बड़ी कठिनाई होती है। पनकी धाम बहुत सारी गाड़ियों का ठहराव हो गया, लेकिन वहां जितनी और व्यवस्थाएं होनी चाहिए, जैसे उपरिगामी सेतु, अंडरब्रिज और तमाम यात्री सुविधाएं वहां होनी चाहिए, उनका वहां लगातार अभाव है। इसके कारण वृद्धजनों, महिलाओं, बच्चों और तमाम आने वाले यात्रियों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

महोदय, आपसे निवेदन है कि शीघ्र-से-शीघ्र सरकार से निर्देशित करवा कर वहां यह व्यवस्था करवाने की कृपा करेंगे। जय हिन्द।

माननीय सभापति: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल और श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री देवेन्द्र सिंह भोले द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्रीमती अंजू बाला (मिश्र): सभापति महोदय, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का मौका दिया।

बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर केन्द्रीय विश्वविद्यालय, लखनऊ के कुलपति के ऊपर पेंशन और वेतन, दोनों का अनुचित लाभ साथ-साथ लेने का मामला मानव संसाधन मंत्रालय के सामने आते ही उन्होंने तुरन्त ही दिनांक 07 जून, 2018 को कार्रवाई की। विश्वविद्यालय को लगभग 80 लाख रुपये की रिकवरी के आदेश दिए गए। परन्तु, अभी तक वहां से कोई भी रिकवरी नहीं हुई है।

मैंने इसके बारे में पहले भी स्पीकर मैडम को पत्र लिखा है और मैंने माननीय राष्ट्रपति जी को भी पत्र लिखा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर केन्द्रीय विश्वविद्यालय, जो लखनऊ में है, वहां बाबा साहब के नाम से एक बहुत बड़ा म्यूजियम बना। वहां जो म्यूजियम बना, वह हैंड ओवर भी नहीं हुआ और वहां के वाइस चांसलर ने गलत तरीके से वहां पर अपनी ऑफिस खोल ली। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि इस मामले का पूरा संज्ञान लेकर इस मामले की पूरी जांच करें और इस वाइस चांसलर के विरुद्ध कड़ी-से-कड़ी कार्रवाई करें।

माननीय सभापति: श्री भैरों प्रसाद मिश्र, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल एवं डॉ. उदित राज को श्रीमती अंजू बाला द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्रीमती रीती पाठक (सीधी): माननीय सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

महोदय, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, जो मेरे संसदीय क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। एक वर्ष पूर्व, जुलाई, 2017 में हमारे केन्द्र सरकार के द्वारा मेरे संसदीय क्षेत्र के जिले सिंगरौली में दो-दो ट्रेनों की सौगात मिली, जिसके लिए मैं आदरणीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र भाई मोदी जी का हृदय से धन्यवाद करती हूँ और तत्कालीन रेल मंत्री आदरणीय सुरेश प्रभु जी के प्रति मैं बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने हमारे क्षेत्र के वासियों को देश की राजधानी से जोड़ने के लिए यह सौगात प्रदान की। साथ ही, मैं वर्तमान रेल मंत्री आदरणीय पीयूष गोयल जी को भी धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने सीधी जिले की जनता से जुड़ने के लिए इन दोनों ट्रेनों का ठहराव, जो कि एक सबसे बड़ी मांग थी और बहुप्रतीक्षित मांग थी कि मडवास में उन ट्रेनों के ठहराव किया जाए, इस मांग को उन्होंने पूरी की। हमारे पूरे संसदीय क्षेत्र की जनता को व्यवहारी से भी इसे जोड़ा।

महोदय, ये दोनों ट्रेनें हैं - ट्रेन क्रमांक 22165/66, जो सिंगरौली से भोपाल की ओर जाती है, और ट्रेन क्रमांक 22167/68, जो सिंगरौली से दिल्ली की ओर हजरत निजामुद्दीन स्टेशन आती है। ये दोनों ट्रेनें सप्ताह में क्रमशः दो दिन और एक दिन ही चलती हैं। मेरा निवेदन है कि इसमें यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और मेरे क्षेत्रवासियों में इस सुविधा के प्रति उत्साह तो है, मगर उन्हें कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से अपने केन्द्र

सरकार के बहुत ही कर्मठ मंत्री आदरणीय पीयूष गोयल जी से यही निवेदन करना चाहती हूँ कि इन दोनों ट्रेनों को नियमित करने की कृपा करें, जिससे हमारे क्षेत्रवासियों को इनकी सुविधाओं का लाभ मिल सके।

माननीय सभापति: श्री भैरों प्रसाद मिश्र एवं कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्रीमती रीती पाठक द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री निहाल चन्द (गंगानगर): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार का ध्यान राजस्थानी भाषा की तरफ दिलाना चाहूँगा। राजस्थानी भाषा को संवैधानिक मान्यता प्रदान कर आठवीं सूची में सम्मिलित करने की मांग पूरे राजस्थान में विभिन्न संगठनों के माध्यम से काफी समय से की जा रही है।

महोदय, माँ, मातृभूमि और मातृभाषा तीनों का स्थान अति महत्वपूर्ण है। ये तीनों हमें आकार, आधार और अस्तित्व प्रदान करती है। किसी भी देश या प्रदेश की संस्कृति को सहेजने के लिए वहाँ की भाषा की अहम भूमिका होती है। राजस्थान प्रदेश सहित करीब 10 करोड़ लोगों ने राजस्थानी भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए डिमांड की है। 25 अगस्त, 2003 को राजस्थान विधान सभा में संकल्प प्रस्ताव भी पारित हुआ है और उसे केन्द्र सरकार के पास भेजा गया है।

महोदय, राजस्थानी भाषा को संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए पहली बार वर्ष 1936 में मांग उठी थी। केन्द्र सरकार ने ओडिशा के वरिष्ठ साहित्यकार श्री एस.एस.महापात्र की अगुवाई में एक कमेटी भी बनाई और उसने दो साल बाद रिपोर्ट दी। वर्ष 2006 में तात्कालीन गृह मंत्री ने पार्लियामेंट में राजस्थानी भाषा को संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए भरोसा भी दिया था और उसका बिल भी तैयार किया था, लेकिन वह आज तक संसद में पारित नहीं हुआ है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से निवेदन करूँगा कि राजस्थान प्रदेश की करोड़ों लोगों की भावना को ध्यान में रखते हुए राजस्थानी भाषा को सम्मानित दर्जा दें और इसे

संवैधानिक मान्यता प्रदान करें। मेरा अनुरोध है कि केन्द्र सरकार राजस्थानी भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल तथा श्री दुष्यंत चौटाला को श्री निहाल चन्द द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRIMATI KOTHAPALLI GEETHA (ARAKU): Thank you, hon. Chairman, Sir, for giving me this opportunity. This is a very important issue pertaining to the Agri Gold victims. This company was formed in 2007 and it has collected Rs. 6,380 crore from almost 32 lakh customers. All these are common men from seven States of Andhra Pradesh, Telangana, Chhattisgarh, Maharashtra, Odisha, Tamil Nadu and Andaman and Nicobar Islands. This company has failed in their assurances and promises. The cheques issued to some depositors on maturity were dishonoured.

A large number of victims of this scam have approached Andhra Pradesh High Court. Also, the cases have been filed in APCBCID in this regard but not a single rupee is being recovered till date. These promoters were arrested. They have got crores of rupees property in their names. They have made thousands of crores of rupees but not even a single property get auctioned. The cases were lying between APCBCID and the hon. High Court of Andhra Pradesh.

I wish to bring it to the notice of this house through you, Sir. It is because this is a matter pertaining to almost 1,15,00,000 people of seven States. This is not just about Andhra Pradesh.

Therefore, through you, Sir, I would like to request the Union Government and the Home Minister to hand over this case to CBI and provide relief to the people of Andhra Pradesh and other States.

Thank you.

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): सभापति महोदय, मैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय को सदन में रखना चाहता हूं, जो तात्कालिक, लोक-महत्व का तथा अविलंबनीय भी है। अभी भारत के प्रधानमंत्री ने किसानों के उत्पादन लागत को डेढ़ गुणा करने के लिए धान का मिनिमम सपोर्ट प्राइज 200 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया है। उसी तरह से तिलहन, दलहन सहित अन्य उत्पादों का एमएसपी भी लगभग दो सौ रुपये से लेकर चार-पाँच हजार रुपये तक बढ़ाया है। हमारी सरकार की यह मंशा है कि हम किसानों की आय को वर्ष 2022 तक दोगुना कर देंगे, लेकिन धान का मिनिमम सपोर्ट प्राइस घोषित होने के बाद भी किसानों को उसका फायदा नहीं मिल रहा है। हमारे उत्तर प्रदेश खासतौर से पूर्वी उत्तर प्रदेश में धान को मिलर खरीदते हैं, उसके बाद उसे एफसीआई लेती है। वह कहती है कि सौ किलोग्राम धान में आपको 67 किलोग्राम चावल दे रहा है, लेकिन वह 62-63 किलोग्राम से ज्यादा नहीं पड़ता है। इसके कारण पिछले साल भी मिलर्स ने धान को बहुत दिनों तक नहीं खरीदा, जिससे हमारे धान की खरीद प्रभावित हुई। एक तरफ केन्द्र सरकार इसके दाम को बढ़ा रही है ताकि किसान को उत्पादन-लागत का डेढ़ गुणा दाम मिले।

महोदय, मैं आपके माध्यम से खाद्य एवं रसद मंत्री जी से मांग करना चाहता हूं कि वह फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया से कहें कि धान के मामले में चावल का जितना दाम पड़ता है, वह उसे 67 किलोग्राम से घटाकर 62-63 किलोग्राम करें, जिससे किसान का धान खरीदा जा सके और उसको सरकार द्वारा घोषित मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिल सकें। धन्यवाद।

माननीय सभापति: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री शरद त्रिपाठी, श्री निहाल चन्द तथा श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री जगदम्बिका पाल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्रीमती मीनाक्षी लेखी (नई दिल्ली): महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। आपकी अनुमति से मैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को सदन के समक्ष रखना चाहती हूँ। यह विषय न केवल हमारे अतीत से, बल्कि हमारी संस्कृति से भी सम्बन्ध रखता है और वह है, भारत का संविधान। जो भारत का संविधान है, वह हमारे मौलिक चिंतन से लेकर, कार्यशैली, प्रशासनिक व्यवस्था और तमाम जिम्मेदारियों से जुड़ा हुआ है। यह एक ऐसा ग्रंथ है, जो हमें एक दिशा दिखाता है। इसी ग्रंथ के माध्यम से हमें राइट टू नो प्राप्त हुआ है, लेकिन यह जो ज्ञान है, यह खुद आधा-अधूरा जनता को मिलता है। इसका कारण है कि जो संविधान सभा थी, उसके 281 सदस्य थे, जिनके हस्तालिखित मौलिक संविधान के अंदर हस्ताक्षर हैं और साथ ही तकरीबन 28 उसके अंदर रेखाचित्र हैं, जो कि उन सभा सदस्यों की मर्जी से उसमें डाले गए थे। जो संविधान की प्रति जन-सामान्य को प्राप्त है, उसके अंदर न तो उन 281 सभा सदस्यों की सूची है और न ही उसके अंदर वे 28 चित्र किसी को प्राप्त होते हैं।

मैं आपकी अनुमति से यह मांग करती हूँ कि जो लॉ जस्टिस डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ का है, लेजिस्लेटिव ब्रांच है, वह इस संविधान की प्रति आम जन को दे, जो कि भारत की आत्मा से जुड़ा है। जिसमें ये 281, जिन्होंने यह संविधान सभा में लिखा उनकी सूची, दूसरा – जितने उसमें रेखाचित्र हैं, वे साथ लगे हों और तीसरा - पार्ट 12 के पहले एक नटराज जी का रेखाचित्र है, जो कि खण्डित नटराज जी हैं और साथ में उल्टा स्वास्तिक बना हुआ है। उसको करेक्ट करके यह सूची, यह संविधान जनता को उपलब्ध कराया जाए।

माननीय सभापति : श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री शरद त्रिपाठी, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल और श्री राजेन्द्र अग्रवाल को श्रीमती मीनाक्षी लेखी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRI VINCENT H. PALA (SHILLONG): Thank you, Sir. Due to uncertainty in implementation of the NRC in Assam, there is a fear in Meghalaya that those people who are not being recognised in Assam may go to Meghalaya in a big

way. Sir, 40 lakh people have been unrecognised and the total population of Meghalaya is only 30 lakh. People of Meghalaya fear that they will be overflowed with the influx. Therefore, through you, I urge upon the Central Government to take immediate steps as to how to protect Meghalaya from that influx so as to avoid the imbalance. Thank you, Sir.

SHRIMATI BUTTA RENUKA (KURNOOL): Sir, I would like to bring to the notice of this august House and the Government about promises made with regard to tax incentives to the newly created state of Andhra Pradesh to promote industrialisation and economic growth. Further assurance was with regard to support the programmes for the development of backward areas so as to expand the social infrastructure.

I would like to bring to your notice that the State Government has been consistently requesting the Central Government to accord special incentives for industrial development. The people of Andhra Pradesh are totally disturbed and disappointed by not granting the special status which was promised on the floor of the Parliament.

Unless the special incentives are immediately offered, the State will suffer irreparably in terms of economic development. There is an extreme necessity to create employment opportunities to the growing unemployed youth.

I would sincerely request the Central Government to give the tax incentives to the State of Andhra Pradesh with immediate effect, without any delay. Thank you.

श्री दुष्यंत चौटाला: महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आज मैं सदन में एक गम्भीर विषय, जो ठेके के माध्यम से कर्मचारी रखे जाते हैं, उनके बारे में उठाने के लिए खड़ा हूँ।

आज 20 लाख से अधिक इंप्लॉयज पूरे देश के अंदर हैं, जो आज ठेकेदारों के माध्यम से लगे हुए हैं। देश के अंदर ऐसा कोई विभाग नहीं है, जहां कांट्रैक्टुअल इंप्लॉयज की भर्ती यूपीए और एनडीए की सरकार में नहीं हुई हो। एनडीए के घोषणा पत्र का एक अहम हिस्सा था कि हम सत्ता में आएंगे, तो इस ठेकेदारी प्रथा को खत्म करेंगे।

महोदय, आपके खुद के प्रदेश से पौने दो लाख गेस्ट टीचर्स को हटाने का आर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दिया।

वर्ष 2006 में स्टेट ऑफ कनार्टक वर्सेज उमा देवी की जजमेंट आई थी जिसमें ठेकेदारी के माध्यम से लगे लोगों को बैकडोर इंटीज दिलाई गई थी और एक टाइमफ्रेम दिया गया था कि अगर इन लोगों को दस साल नौकरी करते हुए हो गए हैं तो कानून के माध्यम से इन्हें पक्का किया जाए। हरियाणा में भी ऐसे 4656 इम्प्लॉयीज को पक्का किया गया है। अभी कुछ दिन पहले माननीय हाई कोर्ट ने उनको भी बर्खास्त करने का आदेश दे दिया।

सभापति महोदय, चाहे शिक्षक हो, इरिगेशन महकमे में हो, पोल्यूशन विभाग में हो, माइनिंग सेक्टर में हो, सोशल वेलफेयर सेक्टर में हो, आज केन्द्र सरकार को कुछ न कुछ कानून इस सदन के अंदर बनाना पड़ेगा जिससे बीस लाख लोग एक दशक से देश की सेवा कर रहे हैं उनको पक्का करने के लिए कोई प्रबंध करने काम करें। यही प्रार्थना करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ और उम्मीद है कि भारत सरकार कानून बनाकर इन बीस लाख इम्प्लॉयीज को पक्का करने का काम करेंगे खासकर शिक्षकों, कम्प्यूटर टीचर्स को, कम्प्यूटर ऑपरेटरों को पक्का करने का कानून देश में बने।

श्री हरिनारायण राजभर (घोसी): माननीय सभापति जी, मेरा क्षेत्र घोसी मऊ में पड़ता है। वह पूर्वांचल का अति पिछड़ा क्षेत्र है। मान्यवर, वहां घाघरा नदी के बाढ़ से पीड़ित हैं, न वहां शिक्षा की व्यवस्था है न दवा की व्यवस्था है, न वहां कोई रोजगार है, न कोई कारखाना है। मैंने बार-बार सभी विभागों को लिखा, लेकिन सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि आप इन सारी समस्याओं को आपके माध्यम से सरकार समाधान कराए।

इस देश में बहुत से आयोग बने हैं। महिला आयोग और तमाम आयोग हैं, लेकिन इस देश में कोई पुरुष आयोग नहीं बना। मैं आपसे मांग करता हूँ कि वे अपनी महिला से भी पुरुष पीड़ित हैं और जेलों में बंद हैं। मैं आपसे मांग करता हूँ कि सरकार इस देश में एक पुरुष आयोग बनाएं ताकि उनकी समस्याओं का समाधान हो।

माननीय सभापति : श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री हरिनारायण राजभर द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री निनोंग इरिंग (अरुणाचल पूर्व): सभापति महोदय, मैं एक बहुत ही गंभीर विषय पर बोलना चाहता हूँ। एनएसआईएन के बीच समझौता हुआ था, उसी में एक इलाका तिराप चांगलांग लांगडिंग और मॉन डिस्ट्रिक्ट है। मेरी आदरणीय गृह मंत्री जी से मांग है कि ये बहुत ही पिछड़े एरिया हैं, इस एरिया को छठी अनुसूची में लाया जाए। मॉन डिस्ट्रिक्ट में वेस्टकमिंग और तवांग है, जहां तिराप चांगलांग लांगडिंग और पटकाई तिराप चांगलांग लांगडिंग वहां के जनजातीय तानसा, नोक्ते, वांगचु, तुस्ता, योबिन अभी भी पीछे हैं। इनके विकास के लिए एक मौका दिया जाए।

श्री शरद त्रिपाठी (संत कबीर नगर): सभापति महोदय, हमारे संसदीय क्षेत्र में जनपद अम्बेडकर नगर में गोविन्द साहब का एक बहुत ही रमणीक स्थान है जो अध्यात्मिक केन्द्र हैं। वहां एक मेला लगता है जिसमें पूरे देश से वहां प्रति वर्ष आते हैं। यह देश के सामाजिक समरसता का स्थान चिन्हित है लेकिन उस तरह से पर्यटन का विकास नहीं हो पाया है। मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि गोविन्द साहब के स्थान को भारत के पर्यटन मानचित्र पर अंकित किया जाए, उसका रखरखाव किया जाए चूंकि वहां एक मंदिर है जो क्षतिग्रस्त हो रहा है। भारत सरकार उसका संज्ञान लेते हुए उसे एक सामाजिक समरसता के रूप में एक पर्यटन स्थल के रूप में चिन्हित करके इसे विश्व पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित करे।

माननीय सभापति : श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री शरद त्रिपाठी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री ज्ञान सिंह (शहडोल): माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से कोयला मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं। मेरे संसदीय क्षेत्र शहडोल में कोयला का उपक्रम जेएससीएल का मुख्यालय श्रीपद में है। मेरे क्षेत्र में चार एरिया हैं।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में हसदेव, जयएनके, सुहागपुर और जुहलिया हैं। एक महीने पहले मजदूर ठेकेदारी प्रथा पर अनुबंध के माध्यम से सिक्योरिटी पर लगाए थे। एससीसीएल द्वारा 16,000 अनुबंध पर सिक्योरिटी में काम करने वाले नौजवानों को काम से हटाने के आदेश दिया है। इससे 16,000 ही नहीं लाखों की संख्या में आश्रित परिवार भूखों मरने की कगार पर हैं।

मैं आपके माध्यम से माननीय कोयला मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि इस दिशा में कुछ व्यवस्था करने का काम करें।

माननीय सभापति: श्री भैरों प्रसाद मिश्र, कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल और श्रीमती रीती पाठक को श्री ज्ञान सिंह द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

डॉ. उदित राज (उत्तर-पश्चिम दिल्ली): माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं ऐसा मुद्दा उठाने जा रहा हूं जो किसी एक पार्टी से संबंधित नहीं है, आम जनता से संबंधित है। क्या आज के समय में आम लोग,

गरीब, किसान, दलित 11 लाख, 21 लाख या 10 लाख रुपए देकर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लड़ सकते हैं? पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स की रिकॉर्डिंग होती है, कैमरे में होती है।

मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि अदालतों की प्रोसीडिंग्स भी कैमरे के रिकॉर्ड में आनी चाहिए। इनकी वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। इससे पेंडेंसी भी कम होगी, आम लोगों को न्याय मिलेगा और न्याय सस्ता भी होगा।

इसी से जुड़ी बात है, यथा समाज यानी जैसा समाज हो, उसी हिसाब से संस्था का निर्माण होना चाहिए। दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को आरक्षण उच्च न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में मिलना चाहिए तभी इनको न्याय मिल पाएगा।

माननीय सभापति: श्री भैरों प्रसाद मिश्र को डॉ. उदित राज सिंह द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा): माननीय सभापति जी, मैं अपने संसदीय क्षेत्र के बहुत महत्वपूर्ण विषय को सदन में रखना चाहता हूँ। मेरे संसदीय क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल चित्रकूट धाम है। झांसी, मिर्जापुर से कई रोड्स ऐसी हैं, जो सीधे चित्रकूट से जुड़ती हैं जो केवल दो-चार किलोमीटर लंबी हैं। उत्तर प्रदेश की पूर्व सरकार ने इन सड़कों के चौड़ीकरण के लिए चहेते ठेकेदारों को ठेका दिया। वीडो पुलिया से सीतापुर, सुरामपुर से सीतापुर, सुरामपुर से खोही का काम अधूरा पड़ा है। ठेकेदार पता नहीं कहां चले गए। बरसात के दिनों में यहां बहुत दिक्कत है। यहां गड्ढे हो गए हैं। यहां रोज दुर्घटनाएं हो रही हैं और दर्जनों लोगों की जानें जा चुकी हैं।

मेरा आपके माध्यम से केंद्र सरकार से अनुरोध है कि राज्य सरकार से बात करके इसका कोई हल ढूंढे। पर्यटन में रामायण सर्किट में इसे लिया गया है। पर्यटन या तीर्थ स्थल विकास के फंड ये इस काम को पूरा कराया जाए।

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली): महोदय, मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि दिल्ली के 35 लाख लोगों की समस्या के बारे में आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

दिल्ली में 30 से 35 लाख लोग अनियमित कालोनियों में रहते हैं। दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री जी बार-बार कहते हैं कि केंद्र सरकार काम नहीं करने देती है। उन कालोनियों में डीएसआईडीसी फ्लड डिपार्टमेंट के माध्यम से काम होते थे। मुख्यमंत्री जी ने डीएसआईडीसी को विड़ों कर फ्लड डिपार्टमेंट को दे दिया। अब वे लोग नारकीय जीवन जी रहे हैं, गंदे पानी में जी रहे हैं। यहां संगम विहार, रतिया मार्ग, मंगल बाजार है। संगम विहार में 5000 लोग रहते हैं। यहां की सड़कों पर कीचड़ है इसलिए लोग दो घंटे तक निकल नहीं पाते हैं। आया नगर फेस 1, 2, 3, 4, 5, रनपुरी कालोनी, सालापुर कालोनी, तमिल एन्कलेव, महावीर एन्कलेव, सिद्धु ब्लॉक महावीर एन्कलेव के लोग नारकीय जीवन जी रहे हैं। वह केंद्र सरकार पर बार-बार आक्षेप करते रहते हैं कि मुझे काम नहीं करने दे रहे हैं।

मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से कहना चाहता हूँ कि ...* साहब उन कालोनियों को एमसीडी को ट्रांसफर कर दें ताकि हम एमसीडी से इनका डेवलपमेंट करा सकें। मैं चाहता हूँ कि वे लोग नारकीय जीवन से बच जाएं। यही मेरी प्रार्थना है कि 35 लाख लोगों की समस्या का समाधान होना चाहिए।

माननीय सभापति: श्री भैरों प्रसाद मिश्र, कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल और श्रीमती मीनाश्री लेखी, श्री जगदम्बिका पाल और श्री शरद त्रिपाठी श्री रमेश बिधूड़ी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

नाम रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। ...*

SHRI KARADI SANGANNA AMARAPPA (KOPPAL): Hon. Chairman, Sir, I thank you very much for giving me this opportunity. I would like to raise a very important issue regarding establishment of a centre of the Indian Institute of Tourism and Travel Management in Koppal city of Karnataka.

* Not recorded.

Sir, Koppal is my constituency and it comes under the special Article 371-J. It is a district headquarters which is surrounded with a number of historical, cultural and mythological places like Hampi, Badami, Aihole, Pattadakal, Anjanadari Betta, the birth place of Lord Hanuman, Kishkindha, etc. There are 27 UNESCO identified cultural and heritage sites in India and Hampi is one of them.

Sir, Karnataka occupies top position in terms of IT industry. Other industries in my State of Karnataka are also doing very well. Koppal district is one of the fastest growing districts of Karnataka. It is surrounded with potential mining sites and huge natural resources.

Sir, I wish to place all these facts before the hon. Minister for Tourism, Government of India and further reinforce that this place has a lot of economic potential as a tourism destination.... (*Interruptions*)

Sir, as the place is blessed with required resources, the Chapter/ Centre of Indian Institute of Tourism and Travel Management would further enrich its potential and the students graduated from the institute will get good placements. The institute will help the students to pursue their career in tourism and travel industry.

HON. CHAIRPERSON: Kunwar Pushpendra Singh Chandel is permitted to associate with the issue raised by Shri Karadi Sanganna Amarappa.

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन): माननीय सभापति जी, उत्तर-मध्य रेलवे में झांसी डिवीज़न के अंतर्गत कोंच से जालौन, कठौंद, ओरैया और दिबियापुर तक वर्षों से रेलवे लाइन की मांग चली आ रही है। जब वर्ष 1970 में केन्द्र में जनता पार्टी की सरकार थी, उस समय इस रेलवे लाइन पर

कुछ अर्थ-वर्क हुआ था। आज उसका सर्वे भी किया जा चुका है। मैं केन्द्र सरकार के माननीय रेल मंत्री जी से मांग करना चाहता हूँ कि कोंच से ओरैया तक की रेलवे लाइन को शीघ्र बनायी जाए ताकि जनता को रेलगाड़ी से आवागमन का साधन मिल सके क्योंकि वहाँ रेलगाड़ी से आवागमन के लिए का कोई साधन नहीं है।

माननीय सभापति : श्री भैरों प्रसाद मिश्र और कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल (हमीरपुर): माननीय सभापति महोदय, मुझे आज के इस सत्र के अंतिम समय में बोलने का अवसर मिला है, पिछले सत्र में मुझे ज़ीरो आवर में बोलने का मौका नहीं मिल पाया था।

मैं कानपुर-सागर राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करना चाहता हूँ। आप भी बहुत बार उस राजमार्ग से गुजरे होंगे। यह बात आपकी जानकारी में भी है कि आधे उत्तर प्रदेश का निर्माण जिस क्षेत्र की रिवर सैंड और गिट्टी से होता है, उनके ट्रक मेरे संसदीय क्षेत्र से होकर निकलते हैं।

माननीय श्री नितिन गडकरी जी द्वारा कानपुर-सागर हाइवे संख्या 86 को छह लेन का करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। हमारे यहाँ जब से बीओटी प्रोजेक्ट से सड़कें बनी हैं, उनमें टू लेन रोड बने हैं। ऐसा कोई महीना नहीं जाता है, जब उस पर चार-पाँच क्षेत्रीय नौजवानों की दुर्घटना में मृत्यु न हुई हो। वहाँ के जिन माता-पिता के बच्चे नौकरी में लगे, वे आसपास के क्षेत्रों- भरवा, सुमेरपुर, मौदाहा, हमीरपुर, कबरई, महोबा आदि में जाते रहते हैं। वहाँ दिन-प्रतिदिन दुर्घटनाएँ होती रहती हैं।

मेरा आपके माध्यम से भारत सरकार से निवेदन है कि उस सड़क को पहले सागर से कबरई तक फोरलेन कर दें। कबरई से रोज पाँच हजार ट्रक गिट्टी लेकर चलते हैं। हमीरपुर से रोज पाँच हजार ट्रक बालू लेकर चलते हैं। इस प्रकार से, लगभग दस हजार ट्रक रोज उस सड़क से गुजरते हैं। इसलिए कबरई से हमीरपुर तक छह लेन और हमीरपुर से कानपुर तक आठ लेन का

किया जाए ताकि मेरे क्षेत्र के नौजवान निश्चिन्त होकर काम कर सकें। वहाँ दुर्घटनाएँ कम हों और पूरे प्रदेश का अच्छी तरह से विकास हो सके।

माननीय सभापति : श्री भैरों प्रसाद मिश्र को कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

The House stands adjourned to meet again at 11 a.m. on Monday, the 6th August, 2018.

18 39 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, August 6, 2018/Shravana 15, 1940 (Saka).
